केनरा बैंक Canara Bank

वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018
ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

विषयवस्तु

1. नोटिस 3
2. प्रगति की झलक 15
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2017–2018 16
   - प्रबंधन विचार–विमर्श व विश्लेषण 17
   - केनरा बैंक वर्ष 2017–2018 में 24
   - निदेशक मंडल में परिवर्तन 78
   - निदेशकों के दायित्व वक्तव्य 79
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 80
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट 107
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 131
7. एकल वित्तीय विवरण
   - लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 134
   - तुलन पत्र 138
   - लाभ व हानि खाता 139
   - तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 140
   - लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 148
   - लेखांकन नीतियाँ 150
   - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 159
   - स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन 218
   - नकद प्रवाह विवरण 220
8. समेकित वित्तीय विवरण
   - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 224
   - समेकित तुलन पत्र 228
   - समेकित लाभ व हानि खाता 229
   - समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 230
   - समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 237
   - लेखांकन नीतियाँ 239
   - समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 252
   - समेकित नकद प्रवाह विवरण 265
9. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास 267
10. प्रॉक्सी फार्म 269

ANNUAL REPORT 2017-2018

CONTENTS

1. NOTICE 3
2. PROGRESS AT A GLANCE 15
3. DIRECTORS' REPORT 2017-2018 16
   - MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 17
   - CANARA BANK IN 2017-2018 24
   - CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS 78
   - DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT 79
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 80
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE 107
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE 131
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
   - AUDITORS' REPORT 134
   - BALANCE SHEET 138
   - PROFIT AND LOSS ACCOUNT 139
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET 140
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 148
   - ACCOUNTING POLICIES 150
   - NOTES ON ACCOUNTS 159
   - PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES 219
   - CASH FLOW STATEMENT 220
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
   - AUDITORS' REPORT 224
   - CONSOLIDATED BALANCE SHEET 228
   - CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 229
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET 230
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 237
   - ACCOUNTING POLICIES 239
   - NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 253
   - CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 265
9. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS 268
10. PROXY FORM 270

नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 10.15 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा, लेखा द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन–पत्र व लेखा पर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व लागू करना।

2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन के बिना, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना :

"**संकल्प लिया जाता है कि** "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अतंरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय–समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("**आर बी आई**"), भारत सरकार ("**जी ओ आई**"), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंज़ूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमावली अर्थात सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "**निदेशक मंडल**" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 26th July, 2018 at 10.15 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI"),** the Government of India **("GOI"),** the Securities and Exchange Board of India **("SEBI"),** and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers

द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को / प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा/या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो ईक्विटी में अतंरण के लिए सक्षम हो अथवा नहीं, **सकल राशि जो ₹7,000 करोड़ (सात हजार करोड़ मात्र)** से अधिक नहीं होगी, इक्विटी शेयरों पर निर्धारित प्रीमियम सहित ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, बाज़ार मूल्य या मूल्यों पर छूट या प्रीमियम पर एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में ऐसे तरीके से है कि केंद्र सरकार हमेशा बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखती है, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय **("एन आर आई")**,कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों **("क्यू आई बी")** जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों **("एफ आई आई")** या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमावली / दिशानिदेर्शो के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमे से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित होगी”

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्ह संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों,

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹7,000 Crore (Rupees Seven Thousand Crore only),** inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the members, employees of the Bank, by way of ESPS. Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs"),** Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs"),** Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009

सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 **("आई सी डी आर विनियमावली")** एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमनों की संबद्ध प्रावधानों के अनसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रुप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोडकर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन

("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs)

दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 51% से कम धारित न करता हो।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा" ।

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है ।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी" ।

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा । "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा । "

(as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"**आगे संकल्प लिया जाता है कि** जारी किये जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जाने वाले किसी भी लाभांश, यदि है, के लिए पात्र होंगे ।"

"**आगे संकल्प लिया जाता है कि** किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर /अधिमान शेयर /प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करना जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"**आगे संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इकविटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"**आगे संकल्प लिया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted

के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है। "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा। "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

राकेश शर्मा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2018

in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities / exercise of warrants / redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director / (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors

Rakesh Sharma

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2018

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य:**

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण निम्न अनुबन्धित किया गया है ।

2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शनिवार, 21 जुलाई 2018 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कार्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शनिवार, 21 जुलाई, 2018 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जाती है।

4. **पंजीकरण:**

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रकिया बैठक स्थान में दिनांक 26 जुलाई, 2018, गुरुवार को पूर्वाह्न 09.15 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थित रहें।

5. **उपस्थिति पर्ची:**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों /

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital is annexed below.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 21st July, 2018.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 21st July, 2018.

4. **REGISTRATION:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 09.15 A.M. on Thursday, the 26th July, 2018 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. **ATTENDANCE SLIP:**

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice.

प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। **शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन - मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।**

6. **शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क:**

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें ।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्वी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31–32

गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानाकरामगुड़ा

हैदराबाद – 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को **hosecretarial@canarabank.com** पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन/ईमेल आईडी सूचित करें।

7. **बही बंद:**

बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शेयर अंतरण बही और शेयर धारकों की पंजिका शुक्रवार 20 जुलाई 2018 से गुरुवार 26 जुलाई 2018 (दोनों दिनांक शामिल) तक बंद रहेगी।

Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.**

6. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at **hosecretarial@canarabank.com.**

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. **CLOSURE OF BOOKS:**

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Friday, the 20th July, 2018 to Thursday, the 26th July 2018 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

8. **फोलियो का समेकन:**

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद शेयरधारकों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

9. **अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:**

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2010–11 से 2014–15 व 2016–17 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्वैधता / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता । बैंक 18 अगस्त, 2018 को कथित निधि में वर्ष 2010–11 हेतु अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

10. **वार्षिक रिपोर्ट:**

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

11. **शेयरधारकों का मतदान अधिकार:**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के

8. **CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The Shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:**

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods ie., for the years from 2010-11 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C / 125 of the Companies Act, 1 956 / 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2010-11 to the said fund on 18th August, 2018.

10. **ANNUAL REPORT:**

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

11. **VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank,

समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है ।

12. **ई–वोटिंग : {सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार}:**

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलैक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

13. **बैठक में मतदान:**

कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मदों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे । इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। ई–वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा ।

{नोट : इस बैठक के एजेन्डा मद हेतु कट–ऑफ / विनिर्दिष्ट तिथि 19.07.2018 है}

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

1. बैंक का वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹733.24 करोड़ है और यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.22% है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है। यद्यपि, बैंक के कुछ विस्तारण योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वियन व अनुवर्ती पूंजी प्रभार के मद्देनज़र पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने हेतु पूंजी को संवर्धित करने की आवश्यकता है।

2. बैंक ने यथा 20.07.2017 को आयोजित 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन सहित विभिन्न माध्यमों के द्वारा ₹3,500 करोड़ तक के शेयरों के नए निर्गम हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था। इसके अतिरिक्त ₹3,500 करोड़ के अलावा ₹1,000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए यथा 01.03.2018 को आयोजित विशेष सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव भी पारित किया, इस प्रकार कुल ₹4500 करोड़ तक पहुंच गया ।

3. तथापि, बैंक ने अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से वर्ष 2017–18 में ₹4,500 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी, विभिन्न कारणों से जारी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका। चूँकि अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के लिए ₹4,500 करोड़ जुटाने हेतु प्रस्तावों की वैधता एक वर्ष है।

other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

12. **e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}:**

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

13. **VOTING AT THE MEETING:**

After all the agenda items are discussed, the Chairman will order Voting in respect of all the items. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The Results of the Voting aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

{Note : For the Agenda Items of this meeting, the cut-off / specified date is 19.07.2018}

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹733.24 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2018 is 13.22 %, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

2. The Bank had at its 15th AGM held on 20.07.2017 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹3,500 Crore (including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. Further, special resolution was passed in Extraordinary General Meeting held on 01.03.2018 to raise an additional capital of ₹1,000 Crore (including premium) in addition to ₹3,500 Crore, thus aggregating in all upto ₹4,500 Crore.

3. Though the Bank planned to raise ₹4,500 Crore in the year 2017-18 by way of Qualified Institutional Placements, the issue could not be completed for various reasons. As the validity of the resolutions obtained for raising ₹4,500 crore is restricted to one year for QIPs. The Board of Directors of the Bank

बैंक के निदेशक मंडल ने सरकार तथा वित्तीय संस्थानों, अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन को अनुवर्ती जारीकरण, राइट्स जारीकरण, अधेमानी जारीकरण तथा पूँजी जुटाने के अन्य अनुमत माध्यमों सहित विभिन्न माध्यमों द्वारा ₹7000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की पूँजी जुटाने के लिए निर्णय लिया है।

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यद्यपि, केन्द्र सरकार किसी भी समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51% अनुरक्षित रखेगा ।

5. *सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।*

6. संकल्प, बैंक को जन इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है । इश्यू आगम बैंक को समय–समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा ।

7. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है ।

आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसक मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है ।

have decided to raise Capital to the extent of ₹7000 Crore (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Right Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.

4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*

6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares/securities by way of Follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्रधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी।

9. चूकिं प्रस्ताव का मूल्य–निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अत: यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय–समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू जहां लागू या आवश्यक, के अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा।

10. उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।

11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी संबंधों में समगति में है।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अत: उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित अनुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में कोई हित या जुड़ाव नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि है तो।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

राकेश शर्मा

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2018

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2018

प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

Parameters	2015-16	2016-17	2017-18
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	5849	6083	6212
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	9251	10519	9395
चुकता पूंजी / Paid-up Capital	543	597	733
आरक्षित निधि / Reserves	31060	33088	34872
कुल जमा / Aggregate Deposits	479792	495275	524772
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	1.26	3.23	5.96
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	34286	36745	39688
विदेशी कारोबार / Foreign Business Turnover	201860	235425	261469
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	324715	342009	381703
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	(1.61)	5.33	11.61
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	54069	58910	76853
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	27.83	8.95	30.46
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	145558	160269	185626
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	23.11	10.11	15.82
कृषि / Agriculture	67176	74079	84012
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	14.11	10.28	13.41
कृषि (संवितरण) / Agriculture (Disbursal)	57018	58691	67902
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)	66689	74302	82098
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	10.04	11.42	10.49
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	177	141	112
अनु.जा./अनु.जन.जा. ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	6886	7354	7991
निर्यात साख / Export Credit	10761	11253	11586
कुल आय / Total Income	48897	48942	48195
कुल व्यय / Total Expenditure	41751	40028	38647
परिचालन लाभ / Operating Profit	7147	8914	9548
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	(2813)	1122	(4222)
ग्राहक आधार (करोड़ में) / Clientele (In Crore)	7.24	7.79	8.27
कुल कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	54008	55717	58855
नकद वसूली / Cash Recovery	4758	4162	6458
मुख्य निष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	11.08	12.86	13.22
सकल एनपीए अनुपात / Gross NPA Ratio	9.40	9.63	11.84
निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio	6.42	6.33	7.48
औसत आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Average Assets	(0.52)	0.20	(0.75)
इक्विटी पर प्रतिफल / Return on Equity	(10.69)	4.15	(16.74)
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	477	451	315
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.19	2.23	2.42

केनरा बैंक Canara Bank

निदेशकों की रिपोर्ट

2017-2018

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट : 2017–18

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 49वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रबंधन विचार–विमर्श व विश्लेषण

I. आर्थिक परिवेश

वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने निरंतर सुधार की ओर इशारा करते हुए सबसे व्यापक आर्थिक संकेतकों के साथ बदलाव के संकेत प्रदर्शित किए। विमुद्रीकरण के प्रभावशाली प्रभाव, माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन और बढ़ती वास्तविक ब्याज दर से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया, यहां तक कि दूसरी छमाही में चीन को पार कर गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गये अनंतिम अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष के 7.1% की तुलना में वर्ष 2017–18 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.7% की वृद्धि हुई है । सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी, जिसमें पिछले वर्ष 7.7% वर्ष दर वर्ष के मुकाबले 7.9% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि हुई थी। कठिनाइयों के बावजूद, पहले से 5.6% वर्ष दर वर्ष की तुलना में उद्योग की वृद्धि 5.5% वर्ष दर वर्ष पर स्थिर थी। उद्योग के भीतर, जबकि विनिर्माण वृद्धि कोयले और सीमेंट उद्योग पर एक क्षणिक प्रभाव के कारण 5.7% वर्ष दर वर्ष (पूर्व 7.9%) तक धीमा कर दिया गया। निर्माण गतिविधियों ने विमुद्रीकरण के प्रभाव के रूप में 5.7% (पूर्व 1.3%) की ठोस वृद्धि दर्ज की। इस बीच, कृषि में वृद्धि खराब मानसून और खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण पिछले वर्ष 6.3% की तुलना में 3.4% की गिरावट आई, जो बदले में कम उपभोक्ता मुद्रास्फीति में प्रकट हुई, विशेष रूप से वित्त वर्ष 18 की पहली छमाही में।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गयी खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 18 की पहली छमाही के दौरान व्यापक रूप से 3.6% औसत थी। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, प्रतिकूल आधार प्रभाव और 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग एचआरए प्रभाव ने दूसरे छमाही में मुद्रास्फीति को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। मार्च 2018 में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.28% थी, जो मार्च 2017 में 3.89% थी। हालांकि, मार्च 2017 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) 2.47% की गिरावट के साथ मार्च 2017 में 5.30% की तुलना में 2.47% हो गया। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच विचलन वर्ष के दौरान संकुचित हो गया, यह दर्शाता है कि प्राथमिक मुद्रास्फीति चालक अब खाद्य कीमतें नहीं थीं।

DIRECTORS' REPORT: 2017-18

The Board of Directors have pleasure in presenting the 49th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2018 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2018.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

During the financial year, the indian economy exhibited signs of turnaround, with most macroeconomic indicators pointing towards sustained recovery. Notwithstanding the challenges posed by the lingering effect of demonetization, implementation of Goods and Services Taxes (GST) and rising real interest rate, India became the fastest growing economy in the world, even surpassing China in the second half. As per the provisional estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), India's Gross Domestic Product (GDP) grew by a healthy 6.7% y-o-y in 2017-18, albeit slower compared to 7.1% in the previous year. GDP growth was largely driven by robust performance of the services sector, which grew by 7.9% y-o-y as against 7.7% y-o-y in the previous year. Despite headwinds, industry growth was also steady at 5.5% y-o-y compared to 5.6% y-o-y previously. Within industry, while manufacturing growth slowed to 5.7% y-o-y (prior 7.9%) on account of a transient drag on coal and cement industry. Construction activities posted solid growth of 5.7% (prior 1.3%) as the effects of demonetization waned. Meanwhile, growth in agriculture dipped lower to 3.4% y-o-y compared to 6.3% in the previous year owing to poor monsoon and fall in food prices, which in turn manifested into lower consumer inflation, particularly in the first half of FY18.

Retail inflation as measured by Consumer Price Index (CPI) remained broadly tamed averaging 3.6% during the first half of FY18. However, rising crude oil prices, adverse base effect and 7th Central Pay Commission HRA impact drove inflation higher in the second half. CPI inflation was up at 4.28% in March 2018 as against 3.89% in March 2017. However, Wholesale Price Index (WPI) eased to 2.47% in March 2018 compared to 5.30% in March 2017. The divergence between CPI and WPI narrowed during the year, pinpointing that the primary inflation driver was no longer food prices.

जबकि विकास की गति बदल गई और मुद्रास्फीति कम हो गई, अर्थव्यवस्था राजकोषीय समेकन के रास्ते पर जारी रही। सरकार के केंद्रीय बजट लक्ष्य के अनुसार, 2017–18 के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.5% पर बनाए रखा गया था, लेकिन 2018–19 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% तक सीमित होने की उम्मीद है।

बाहरी क्षेत्र के मोर्चे पर, निर्यात और आयात दोनों ने पिछले दो वर्षों में देखे गए म्यूट प्रदर्शन की तुलना में सुधार दिखाया। कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स (डीजीसीआई और एस) के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक कुल निर्यात पिछले साल 276 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 303 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले साल 384 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुल आयात 460 अरब डॉलर था। आयात में बढ़ोतरी की तेज रफ्तार ने व्यापार घाटे में बढ़ोतरी 2017–18 में 156 अरब अमेरिकी डॉलर कर दी थी, जो पिछले साल 109 अरब अमेरिकी डॉलर थी। म्यूट पूंजी प्रवाह के साथ–साथ पिछले वर्ष में 0.7% जीडीपी से सकल खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी का 1.9% अधिक हो गया। इसके बावजूद, बाहरी मोर्चे पर कमजोरियां अच्छी तरह से निहित रहीं और एफडीआई प्रवाह के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बना रहा।

2017–18 जीएसटी के कार्यान्वयन, शोधक्षम और दिवालियापन कार्यवाही पर प्रमुख ध्यान और सरकार की विशाल बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना के साथ संरचनात्मक सुधारों का एक वर्ष भी था। सुधार पहलों ने भारत को विश्व की आसान व्यापार में 30 स्थानों पर पहुँचने में मदद की है और अर्थव्यवस्था को मजबूत और निरंतर विकास प्रक्षेपण में मदद करेगा।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की तुलना में 2017–18 (2011–12 मूल्य श्रृंखला) के दौरान 8.5% की वृद्धि हुई। भारत में आर्थिक रूप से विकसित राज्य के रूप में, कर्नाटक देश के जीडीपी में 7% योगदान देता है।

केनरा बैंक, मूल रूप से कर्नाटक राज्य में आरम्भ होने के कारण राज्य में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए रखा है । बैंक राज्य में फैले 986 शाखाओं और 2146 एटीएम के माध्यम से राज्य में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य, बैंक के कुल घरेलू कारोबार में लगभग 20.6% योगदान देता है। राज्य में बैंक का कुल कारोबार ₹172808 करोड़ रुपये था, जिसमें जमा राशि के तहत ₹102260 करोड़ रुपये और मार्च 2018 में अग्रिम के तहत ₹70548 करोड़ रुपये थे, जिसमें जमा राशि (सी–डी) अनुपात 68.99% था।

While growth turned around and inflation remained tamed, the economy continued on the path of fiscal consolidation. Fiscal deficit for 2017-18 was maintained at 3.5% of GDP but it is expected to narrow to 3.2% of GDP in 2018-19, according to Government's Union Budget target.

On the external sector front, both exports and imports showed improvement compared to the muted performance seen in the previous two years. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), total exports rose to US $303 billion compared to US $276 billion in the last year. Total imports stood at $460 billion against US $384 billion in the previous year. A faster pace of increase in imports led to widening in trade deficit to US $156 billion in 2017-18 compared to US $109 billion in the previous year. This along with muted capital flows pushed the Current Account Deficit (CAD) higher to 1.9% of GDP from 0.7% GDP in the last year. Despite this, vulnerabilities on the external front remained well contained and India continued to be a preferred destination for FDI flows.

2017-18 was also a year of structural reforms with the implementation of GST, major thrust on Insolvency and Bankruptcy proceedings and Government's massive bank recapitalization plan. The reform initiatives have already helped the India jump 30 spots in World's Ease of Doing Business and will help the economy anchor to a robust and sustained growth trajectory.

Economic Environment in Karnataka

As per the Economic Survey of Karnataka, the Gross State Domestic Product (GSDP) grew higher by 8.5% during 2017-18 (2011-12 price series) compared to 7.5% in the last year. As an economically developed State in India, Karnataka contributes 7% to the country's GDP.

Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State. The Bank has been playing a leading role in the State through its 986 branches and 2146 ATMs, spread across the State. The State contributes about 20.6% to total domestic business of the Bank. The total business of the Bank in the State stood at ₹172808 crore, comprising ₹102260 crore under deposits and ₹70548 crore under advances as at March 2018, with a credit to deposit (C-D) ratio of 68.99%.

II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2017–18 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है । वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना और तरलता प्रबंधन है ।

पुनर्मुद्रीकरण के निरंतर प्रयास उपयोगी थे और मुद्रा आपूर्ति में (एम3) मार्च 2017 में 6.9% के मुकाबले 9.6% की वृद्धि हुई तथा मार्च 2018 तक मुद्रा प्रवाह में (सीआईसी) 37% बढ़त हुई (₹13353 अरब रुपये से ₹18293 अरब रुपये) ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमाराशि पिछले वर्ष 11.8% वर्षानुवर्ष की तुलना में 6.7% रही, जो पश्च विमुद्रीकरण के प्रभावों से ग्रस्त थी । दूसरी ओर, 5.1% की कम वृद्धि के मुकाबले एससीबी का क्रेडिट 10.3% बढ़ गया। बॉन्ड उपज की निरंतर सख्तता ने बैंक को उधारकर्ताओं के लिए पसंदीदा विकल्प बना दिया। मार्च 2017 तक एससीबी का सी–डी अनुपात 75.4 9% पर रहा जो मार्च 2017 के मुकाबले 72.89% था।

वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता तनाव में रही। यह, कुछ नियामक परिवर्तनों और समष्टि आर्थिक माहौल के साथ, उनके मुनाफे और लाभप्रदता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2017–18 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत उपायों में निम्नलिखित परिवर्तन देखा गया ।

- रेपो दर 25 आधार अंकों (बीपीएस) से घटकर 6.00% हो गई और इसके परिणामस्वरूप रिवर्स रेपो दर 6.00% से 5.75% पर रही।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.25% पर रेपो दर से 25 बीपीएस गठबंधन किया गया था।
- वर्ष के दौरान नकद रिजर्व अनुपात (सीआरआर) को नेट डिमांड और टाइम देयताओं (एनडीटीएल) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया था।
- वर्ष के दौरान वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) 100 आधार अंकों से घटकर 19.50% हो गया।

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2017-18 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment. The monetary policy stance during the year was primarily to contain inflation and manage liquidity.

The consistent efforts of remonetisation were fruitful and money supply (M3) hit 9.6% growth as against 6.9% in March 2017 and Currency in Circulation (CIC) grew by 37% (from ₹13353 billion to ₹18293 billion) as on March 2018.

Aggregate deposits of the Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew at 6.7% y-o-y compared to 11.8% growth in the previous year on unfavourable base effect post demonetization period. On the other hand, SCBs' credit grew higher by 10.3% as against a lower growth of 5.1%. Continuous hardening of bond yields made bank credit a preferred options for the borrowers. SCBs' C-D ratio stood higher at 75.49% as on March 2018 compared to 72.89% as on March 2017.

The asset quality of the banking sector continued to be under stress during the year. This, coupled with some regulatory changes and macroeconomic environment, impacted their profits and profitability.

The year 2017-18 saw the following changes in the key policy measures announced by the RBI.

- Repo rate decreased by 25 basis points (bps) to 6.00% and consequently reverse repo rate stood at 5.75% from 6.00%.
- Marginal Standing Facility (MSF) Rate and Bank Rate were aligned 25 bps above the repo rate at 6.25%.
- Cash Reserve Ratio (CRR) was kept unchanged at 4% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) during the year.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) was decreased by 100 basis points to 19.50% during the year.

वर्ष के दौरान रेपो दर और एमएसएफ दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो दर %	प्रति–वर्ती रेपो दर (%)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) (%)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) (%)	एम एस एफ अनुपात (%)
06 अप्रैल, 2017	6.25	6.00	4.00	20.50	6.50
07 जून, 2017	6.25	6.00	4.00	20.50	6.50
02 अगस्त, 2017	6.00	5.75	4.00	20.00	6.25
04 अक्टूबर, 2017	6.00	5.75	4.00	20.00	6.25
04 दिसम्बर, 2017	6.00	5.75	4.00	19.50	6.25
07 फरवरी, 2018	6.00	5.75	4.00	19.50	6.25

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य नीति/ पर्यवेक्षकीय समीक्षा संबंधी निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई ।

- आरबीआई ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा संशोधित किया। पीसीए जब बैंक न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं (सीआरएआर / कॉमन इक्विटी टायर I अनुपात), संपत्ति की गुणवत्ता (शुद्ध एनपीए) और लाभप्रदता, लीवरेज अनुपात जैसे कुछ नियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं तो प्रभावी होता है । आरबीआई ने इन मानकों के आधार पर ट्रिगर अंक निर्धारित किए हैं। पीसीए ढांचा शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से छोटे बैंकों और विदेशी बैंकों सहित भारत में संचालित सभी बैंकों के अपवाद के बिना लागू होगा।

- अर्थव्यवस्था के तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अग्रिम के संबंध में निर्धारित दरों की तुलना में मानक प्रगति के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए थे। बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम और तनाव के मूल्यांकन के आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनाने के लिए कहा गया था।

- अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के तहत आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) के संबंध में अधिक पारदर्शिता और बेहतर अनुशासन प्रदान करने के लिए आरबीआई ने बैंकों से (ए) आरबीआई द्वारा मूल्यांकन की गई अतिरिक्त

Changes in Repo Rate and MSF Rate during the year

Effective Since	Repo Rate (%)	Re-verse Repo rate (%)	Cash Reserve Ratio (CRR) (%) of NDTL	Statutory liquidity ratio (SLR) (%)	MSF Rate (%)
April 06, 2017	6.25	6.00	4.00	20.50	6.50
June 07, 2017	6.25	6.00	4.00	20.50	6.50
August 02, 2017	6.00	5.75	4.00	20.00	6.25
October 04, 2017	6.00	5.75	4.00	20.00	6.25
December 04, 2017	6.00	5.75	4.00	19.50	6.25
February 07, 2018	6.00	5.75	4.00	19.50	6.25

RBI made the following major policy announcements/ supervisory review/changes during the year.

- RBI revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for banks, effective from 1st April 2017. PCA is triggered when banks breach certain regulatory requirements like minimum capital (CRAR/ Common Equity Tier I ratio), asset quality (net NPA), profitability (return on asset) and Leverage Ratio. RBI has set trigger points on the basis of these parameters. The PCA framework would apply without exception to all banks operating in India including small banks and foreign banks operating through branches or subsidiaries.

- Additional provisions for standard advances at higher than the prescribed rates in respect of advances to stressed sectors of the economy were put in place. The banks were asked to adpot a Board–approved policy for making provisions for standard assets at rates higher than the regulatory minimum, based on evaluation of risk and stress in various sectors.

- In a bid to provide greater transparency and better discipline with respect to income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) as part of its supervisory processes, RBI asked banks to make

प्रावधान आवश्यकताओं पर आवश्यक प्रकटीकरण करने के लिए कहा संदर्भ अवधि के लिए कर के बाद प्रकाशित शुद्ध मुनाफे का 15% या (बी) आरबीआई द्वारा संदर्भित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक या दोनों हैं।

- आरबीआई ने एसडीआर और एस 4 ए जैसी योजनाओं के तहत मौजूदा ऋण–पुनर्गठन तंत्र वापस ले लिए और इसके बजाय बैंकों को एक संकल्प योजना पर सहमत होने के लिए 180 दिनों की एक समयावधि के लिए प्रदान किया गया और 1 मार्च से डिफ़ॉल्ट रूप से दिवालिया होने की स्थिति में दिवालिया कार्यवाही के लिए संदर्भित किया जा सकता है '18। संबंधित दिशा में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की स्थिति की निरंतर रिपोर्टिंग, संकल्प योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और बड़े खातों के लिए टाइमलाइन को शोधक्षम और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत संदर्भित किया जाना शामिल है।
- समय पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए, आरबीआई द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जेएलएफ में न्यूनतम 60% लेनदारों द्वारा मूल्य पर लेनदेन और 50% लेनदारों द्वारा निर्णय लिया गया निर्णय सीएपी का निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में माना जाएगा, और बाहर निकलने के अधीन (प्रतिस्थापन द्वारा) फ्रेमवर्क में उपलब्ध विकल्प सभी उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
- जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ता जिनके कुल एक्सपोजर 31 जनवरी, 2018 को ₹250 मिलियन से अधिक नहीं है उनको अतिरिक्त 90 दिनों की छूट दी गई है।
- शोधक्षम और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 की धारा 125 के अनुसार, एक वित्तीय लेनदार ऐसी जानकारी में सूचना उपयोगिता (आईयू) को किसी भी सुरक्षा ब्याज के संबंध में संपत्ति से संबंधित वित्तीय जानकारी और जानकारी जमा करेगा और नियमों के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनआईटी) में शेयरों, परिवर्तनीय बांड / डिबेंचरों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति के अपने शुद्ध मूल्य के 20% की कुल छत के भीतर भाग लेने की अनुमति थी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयां और वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) (दोनों पंजीकृत और अपंजीकृत) को एक्सपोजर, कुछ शर्तों के अधीन।

required disclosures on (a) the additional provisioning requirements assessed by RBI exceeding 15% of the published net profits after tax for the reference period or (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceeding 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period, or both.

- RBI withdrew existing loan-restructuring mechanisms under schemes like SDR and S4As and instead provided for a stringent 180-day timeline for banks to agree on a resolution plan and could be referred for insolvency proceedings in case of a default with effect from 1st March, 2018. The concerned direction also included consistent reporting of the status of stressed assets, speedy implementation of resolution plans and timelines for large accounts to be referred under Insolevncy and Bankruptcy Code (IBC).
- To facilitate timely resolution of stressed assets, RBI decided that the decisions agreed upon by a minimum of 60% of creditors by value and 50% of creditors by number in the Joint Lenders' Forum (JLF) would be considered as the basis for deciding the Corrective Action Plan (CAP), and will be binding on all lenders, subject to the exit (by substitution) option available in the Framework.
- GST registered MSME borrowers whose aggregate exposure does not exceed ₹250 million as on January 31st, 2018 were given relaxation of additional 90 days in NPA recognition.
- As per section 125 of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016, a financial creditor shall submit financial information and information relating to assets in relation to which any security interest has been created, to an information utility (IU) in such form and manner as may be specified by regulations.
- All Scheduled Commercial banks (SCBs) were allowed to participate in Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) within the overall ceiling of 20% of their net worth permitted for direct investments in shares, convertible bonds/ debentures, units of equity-oriented mutual funds and exposures to Venture Capital Funds (VCFs) (both registered and unregistered), subject to certain conditions.

- कॉर्पोरेट बॉन्ड को आंशिक क्रेडिट वृद्धि (पीसीई) के संबंध में, आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया है कि बैंकों से पीसीई के लिए पात्र होने के लिए, कॉरपोरेट बॉन्ड को कम से कम दो बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेट किया जाएगा और रेटिंग रिपोर्ट, प्रारंभिक और इसके बाद, स्टैंडअलोन क्रेडिट रेटिंग (यानि, पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेटिंग) के साथ-साथ उन्नत क्रेडिट रेटिंग (पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए) दोनों का खुलासा किया जाएगा।
- व्यक्तिगत आवास ऋण के जोखिम भार और ऋण से मूल्य (एलटीवी) अनुपात तर्कसंगत और संशोधित किए गए थे।
- भुगतान बैंकों (पीबी) के साथ ग्राहक खातों में शेष राशि के अनुसार अन्य बैंकों के साथ व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई, आरबीआई ने भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों के व्यापार संपर्ककर्ता (बीसी) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। बीसी व्यवस्था के तहत और ग्राहक की पूर्व विशिष्ट या सामान्य सहमति के साथ, पीबी ग्राहक द्वारा किसी अन्य योग्य बैंक के साथ ग्राहक के खाते में जमा धनराशि के हस्तांतरण को प्रभावित कर सकता है, ताकि पीबी के साथ ग्राहक के खाते में शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट ₹100,000 से अधिक न हो । पीबी को किसी अन्य बैंक में ग्राहक के खाते में उपलब्ध धनराशि के लिए वास्तविक समय तक पहुंचने या वास्तविक समय तक पहुंच के अधिकार नहीं दिए गए थे
- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए, आरबीआई ने बैंकों से ग्राहकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सिस्टम और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए कहा। दिशा के अनुसार, मजबूत और गतिशील धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम तंत्र, अनधिकृत लेनदेन से होने वाले जोखिमों का आकलन करने और ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को मापने, जोखिमों को कम करने के लिए उचित उपाय और वहां से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए प्रक्रियाएं; और लगातार एक बार और बार-बार ग्राहकों को सलाह देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से भुगतान कैसे करें और भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी को कैसे रखा जाए।
- आरबीआई ने उधारकर्ता के संबंध में उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई इत्यादि जैसे सभी मॉड्यूल में उपलब्ध सभी क्रेडिट जानकारी को शामिल करके क्रेडिट संस्थानों को प्रदान किए गए

- With respect to Partial Credit Enhancement (PCE) to Corporate Bonds, it has been decided by RBI that to be eligible for PCE from banks, corporate bonds shall be rated by a minimum of two external credit rating agencies at all times and the rating reports, both initial and subsequent, shall disclose both standalone credit rating (i.e., rating without taking into account the effect of PCE) as well as the enhanced credit rating (taking into account the effect of PCE).
- Risk weights and Loan to Value (LTV) ratios of individual housing loans were rationalized and revised.
- As per limits on balances in customer accounts with Payments Banks (PB) sweep out arrangements with other banks, RBI permitted the payments banks to act as Business Correspondents (BCs) of other banks. Under the BC arrangement and with prior specific or general consent of the customer, PB may effect the transfer of funds deposited by the customer into the customer's account with another eligible bank, so that the balance in the customer's account with the PB does not exceed ₹100,000 or any such lower amount as specified by the customer. PBs were not given rights to operate or have real-time access to the funds available in the account of the customer at any other bank, including the transferee bank.
- For limiting liability of customers in unauthorized electronic banking transactions, RBI asked banks to put in place appropriate systems and procedures to ensure safety and security of electronic banking transactions carried out by customers. As per the direction, robust and dynamic fraud detection and prevention mechanism, procedures to assess the risks resulting from unauthorized transactions and measure the liabilities arising out of such events, appropriate measures to mitigate the risks and protect themselves against the liabilities arising there from; and a system of continually and repeatedly advising customers on how to protect themselves from electronic banking and payments related fraud were asked to be put in place.
- RBI notified the issue of comprehensive Credit Information Reports (CIRs) in respect of a borrower, furnished to the Credit Institutions by incorporating

उधारकर्ता के संबंध में व्यापक ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) के मुद्दे को अधिसूचित किया।

- उज्ज्ववान लघु वित्त बैंक लिमिटेड, अमीरात एनबीडी बैंक (पीजेएससी), सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड और औ लघु वित्त बैंक लिमिटेड को आरबीआई अधिनियम 1934 में दूसरे अनुसूची में शामिल किया गया था।
- एक महत्वपूर्ण कदम में, आरबीआई ने बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के लिए मास्टर दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिसमें एनबीएफसी लेने वाले जमा की इक्विटी में कोई भी बैंक 10% से अधिक नहीं रखेगा, कंपनी की चुकती पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा , गैर–वित्तीय सेवाओं में शामिल होने वाली सहायक कंपनी या बैंक की भुगतान पूंजी और भंडार का 10%, जो भी कम हो।
- वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए कानूनी संस्था पहचानकर्ता (LEI) का परिचय दिया। एक LEI दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के पक्षों की पहचान करने के लिए 20 अंकों वाला अद्वितीय कोड है।

वर्ष 2018-19 के लिए दृष्टिकोण:

विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2018 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न सकारात्मक वृद्धि तथा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं द्वारा विश्व उत्पादन (वैश्विक अर्थव्यवस्था) विकास 2017 में 3.8% से सुधरकर 2018 में 3.9% होने का अनुमान लगाया गया है । वैश्विक व्यापार की मात्रा 2017 की 4.9% से बढ़कर 2018 में 5.1% तक हो जाएगी । भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 2017 के 6.7% से बढ़कर 2018 में 7.4% होने का अनुमान लगाया है । हालांकि, संरक्षणवाद रुख, वाष्पशील वैश्विक वस्तु कीमतों और इसके असर पर भरोसा करने वाली अनिश्चितताएं हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी द्विमासिक नीति समीक्षा में अनुमानित किया है कि सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि (जीडीपी) द्वारा भारत के विकास को 2018–19 के लिए 7.4% की वृद्धि के साथ जोखिम समान रूप से संतुलित होगा । शीर्ष मुद्रास्फीति को वित्त वर्ष 19 के एच 1 में 4.8–4.9% (एचआरए समेत) और 4.6% (एचआरए को छोड़कर) की सीमा में पेश किया गया है। एच 2 वित्त वर्ष 1 9, सीपीआई 4.7% (एचआरए सहित और दोनों को छोड़कर) पर अधिक

all the credit information available in all modules like consumer, commercial and MFI, etc., in respect of the borrower.

- Ujjivan Small Finance Bank Limited, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), Suryoday Small Finance Bank Limited, Utkarsh Small Finance Bank Limited and Au Small Finance Bank Limited were included in the second schedule to the RBI Act 1934.
- In a significant move, RBI amended the master directions to financial services provided by the banks, wherein no bank shall hold more than 10% in the equity of a deposit taking NBFC, hold more than 10% of the paid up capital of a company, not being its subsidiary engaged in non-financial services or 10% of the bank's paid up capital and reserves, whichever is lower.
- Introduced Legal Entity Identifier (LEI) for large corporate borrowers to improve the quality and accuracy of financial data systems for better risk management post the Global Financial Crisis. A LEI is a 20-digit unique code to identify parties to financial transactions worldwide.

OUTLOOK FOR 2018-19:

As per the World Economic Outlook, April 2018 by the International Monetary Fund (IMF), world output (global economy) growth has been projected to improve from 3.8% in 2017 to 3.9% in 2018 driven by strong growth acceleration in Advanced Economies and Emerging Market as well as Developing Economies. The global trade volume has been projected to expand from 4.9% in 2017 to 5.1% in 2018. Growth of Indian Economy was projected to expand from 6.7% in 2017 to 7.4% in 2018. However, there are uncertainties revolving the protectionism stance by major economies, volatile global commodity prices and its ramifications.

RBI, in its second bi-monthly policy review, projected that India's growth measured by Gross Domestic Product (GDP) to grow by 7.4% in 2018-19, with risk evenly balanced. The headline inflation has been projected in the range of 4.8-4.9% (including HRA) and 4.6% (excluding HRA) in H1 of FY19. For H2 FY19, CPI may be higher at 4.7% (both including & excluding HRA). The improved

हो सकता है।बेहतर दृष्टिकोण को कई अनुकूल घरेलू कारकों द्वारा समर्थित किया गया है जैसे कि जैसे क्षमता उपयोग में सुधार, क्रेडिट ऑफ–टेक और निवेश गतिविधियों में पुनरुद्धार शामिल हैं।

भारत सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए चल रहे संरचनात्मक सुधारों और नियामक उपायों से अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छी तरह से बढ़ोतरी की उम्मीद है। वैश्विक मांग उत्साहजनक रही है, जो बदले में निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी और निवेश पर और जोर देगी। ग्रामीण और शहरी खपत पूरे साल मजबूत रहने की उम्मीद है। बैंकिंग अध्यादेश के तहत संकल्प प्रक्रिया के संबंध में बैंक या बैंकों को दिशानिर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की संस्था जैसे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए सक्षम संशोधन और नीतिगत पहलों को सक्षम किया गया है। पहले ही सकारात्मक परिणाम दिखाए गए हैं। स्वस्थ नियामक वातावरण के साथ मिलकर बढ़ते वित्तीय बैंकों को पुनर्जीवित करेंगे।

वर्ष 2017–18 में केनरा बैंक:

विन्हिन्न व्यापार मानकों के अंतर्गत, केनरा बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात, जैसे सीएएसए सहित खुदरा जमा में वृद्धि, कृषि, एमएसएमई, आवास और अन्य खुदरा खंडों सहित खुदरा संपत्तियों का विस्तार, और परिचालन वित्तीय अनुपात में सुधार, जैसे नेट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और जमा लागत साथ बेहतर प्रदर्शन किया ।

वित्तीय निष्पादन

पिछले साल ₹8914 करोड़ रुपये की तुलना में बैंक का परिचालन लाभ ₹9548 करोड़ रुपये हो गया। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि के कारण बैंक ने दबावग्रस्त ऋण बही में पिछले वर्ष ₹1122 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 2017–18 के लिए ₹4222 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि की सूचना दी थी। पिछले साल 9872 करोड़ रुपये की तुलना में बैंक की शुद्ध ब्याज आय 23.21% बढ़कर ₹12163 करोड़ सृजित की गई।

outlook is backed by several favourable domestic factors like improving capacity utilization, credit off-take and revival in investment activities.

The ongoing structural reforms and regulatory measures undertaken by the Government of India and RBI are expected to augur well for the economy as well as banking sector. Global demand has been buoyant, which will in turn, encourage the export growth and gives further thrust on investment. Rural and urban consumption is expected to stay robust throughout the year. The enabling amendments and policy initiatives undertaken by the Government of India to address resolution of the stressed assets, like, institution of the Insolvency and Bankruptcy Code and empowering RBI to issue directions to a bank or banks with respect to resolution process under the Banking Ordinance have already commenced showing positive results. Moving ahead, subsequent amendments on eccective implementation, ameliorating financials coupled with healthy regulatory environment will revitalize the banks.

CANARA BANK IN 2017-18:

Under various business parameters, Canara Bank performed better during the year in sync with its major thrust areas, viz., increasing retail deposits (including CASA), expanding Retail assets, including Agriculture, MSMEs, Housing and other retail segments, and improving operational financial ratios such as, Net Interest Margin (NIM) and cost of deposits.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank increased to ₹9548 crore compared to ₹8914 crore last year. Due to increase in provisions and contingencies on account of stressed loan book, the Bank reported a net loss of ₹4222 crore for 2017-18 compared to a net profit of ₹1122 crore during last year. Net Interest income of the bank increased by 23.21% to ₹12163 Crore compared to ₹9872 crore generated during last year.

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2017	मार्च 2018
निधियों का लागत	5.65	**5.17**
निधियों पर प्रतिफल	7.42	**7.34**
जमाओं पर लागत	6.25	**5.60**
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.99	**8.12**
निवेश पर प्रतिफल	7.75	**7.63**
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.23	**2.42**
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)	0.20	**(0.75)**
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	4.15	**(16.74)**
लागत-आय अनुपात	48.85	**50.03**

एनआईएम पिछले साल 2.23% के मुकाबले 2.42% तक बढ़ गया और जमा की लागत एक साल पहले 6.25% से घटकर 5.60% हो गई।

आय व व्यय विश्लेषण:

वर्ष के दौरान, कुल आय ₹48195 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें ऋण और अग्रिम से ₹29096 करोड़ ब्याज, निवेश से ₹10412 करोड़ ब्याज, गैर-ब्याज आय से ₹6943 करोड़ और अन्य आय से ₹1744 करोड़ शामिल है ।

आय की संरचना: 2017-18

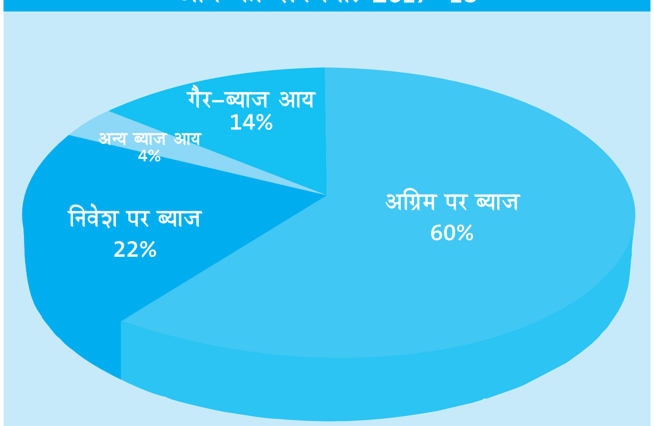

बैंक के लिए मुख्य क्षेत्रों के अनुरूप, गैर-ब्याज आय (व्यापार लाभ को छोड़कर) ने पिछले वर्ष के दौरान ₹4572 करोड़ की तुलना में 9.80% से ₹5020 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। व्यापार लाभ के अलावा, गैर-ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत, जैसे सेवा शुल्क (₹2195 करोड़), कमीशन और विनिमय (₹1200 करोड़), लिखित बंद खातों (₹936 करोड़) से वसूली और विनिमय लेनदेन से लाभ (538 करोड़) ने योगदान दिया बैंक की गैर-ब्याज आय के लिए। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 15.43% के पिछले वर्ष के स्तर से 14.41% था।

Key Financial Ratios (%)	March 2017	March 2018
Cost of Funds	5.65	**5.17**
Yield on Funds	7.42	**7.34**
Cost of Deposits	6.25	**5.60**
Yield on Advances	8.99	**8.12**
Yield on Investments	7.75	**7.63**
Net Interest Margin (NIM)	2.23	**2.42**
Return on Assets (RoA)	0.20	**(0.75)**
Return on Equity (RoE)	4.15	**(16.74)**
Cost to Income Ratio	48.85	**50.03**

NIM improved to 2.42% against the last year's 2.23% and Cost of Deposit reduced to 5.60% from 6.25% a year ago.

Income and Expenditure Analysis:

During the year, total income stood at ₹48195 crore, comprising ₹29096 crore interest from loans and advances, ₹10412 crore interest from investments, ₹6943 crore from non-interest income and ₹1744 crore from other income.

Composition of Income: 2017-18

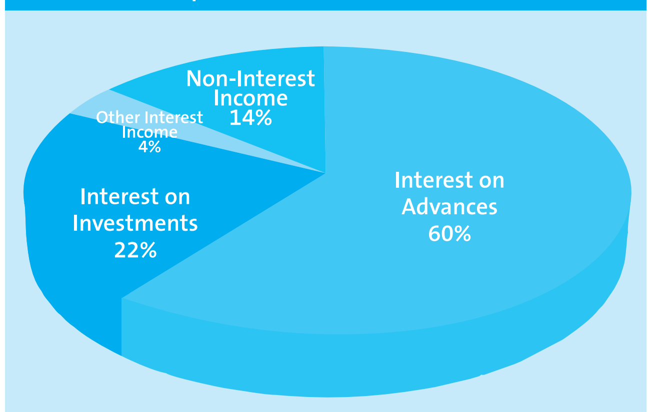

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) registered a growth of 9.80% to ₹5020 compared to ₹4572 crore during last year. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹2195 crore), commission and exchange (₹1200 crore), recovery from written off accounts (₹936 crore) and Profit from exchange transaction (₹538 Crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 14.41% from last year level of 15.43%.

व्यय की संरचना: 2017–18

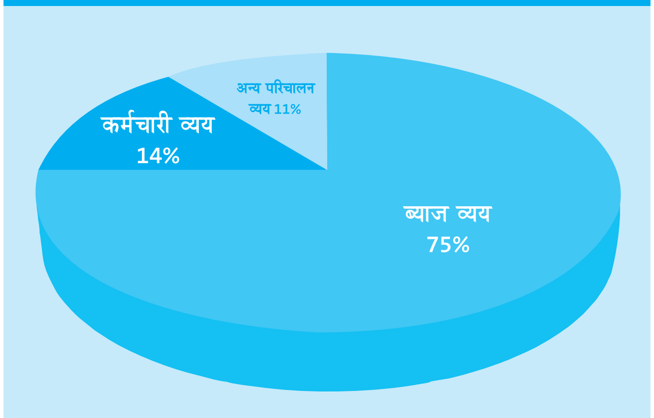

पिछले वर्ष के दौरान ₹40028 करोड़ से बैंक का कुल व्यय 3.45% वर्ष दर वर्ष यानी 38647 करोड़ रुपये हो गया। बैंक के ब्याज खर्च 7.70% घटकर ₹29098 करोड़ रुपये हो गए। परिचालन खर्च 12.28% बढ़कर ₹9558 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 5444 करोड़ कर्मचारियों की लागत और ₹4114 करोड़ के अन्य परिचालन खर्च शामिल थे। ब्याज दरों के नीचे की ओर बढ़ने के कारण, बैंक की जमा राशि पिछले वर्ष के दौरान 6.25% से 65 बीपीएस घटकर 5.60% हो गई।

शुद्ध ब्याज आय, बैंक द्वारा अर्जित ब्याज और ब्याज के बीच अंतर 23.21% बढ़कर 12163 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 9872 करोड़ था।

पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ:

मार्च 2018 में बैंक के शुद्ध मूल्य मार्च 2017 में ₹26914 करोड़ की तुलना में ₹23086 करोड़ पर थे। जबकि बैंक की कुल भुगतान पूंजी ₹733 करोड़ थी, जबकि भंडार और अधिशेष ₹34872 करोड़ रुपये हो गया।

(राशि ₹ करोड़ में)

पूंजी सरंचना	मार्च 2017 बासेल III	मार्च 2018 बासेल III
जोखिम भारित आस्तियां	338999	**351698**
सीईटी I	30226	**33455**
सीईटी I (%)	8.92	**9.51**
एटी I	2896	**2769**
एटी I (%)	0.85	**0.79**
टायर 1 पूंजी	33122	**36224**
सीआरएआर (%)(टायर I)	9.77	**10.30**

Composition of Expenditure: 2017-18

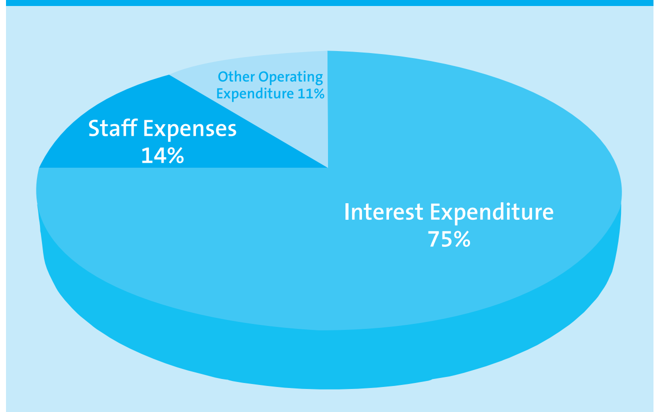

Total expenditure of the Bank came down by 3.45% y.o.y to ₹38647 crore from ₹40028 crore incurred during last year. Interest expenses of the Bank declined by 7.70% to ₹29089 crore. Operating expenses increased by 12.28% to ₹9558 crore, comprising staff cost of ₹5444 crore and other operating expenses of ₹4114 crore. Due to downward movement in the interest rates, the Bank's cost of deposits reduced by 65 bps to 5.60% from from the last year's 6.25%.

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, increased by 23.21% to ₹12163 crore compared to the last years ₹9872 crore.

Capital and Reserves:

Net worth of the Bank, as at March 2018 stood at ₹23086 crore compared to ₹26914 crore as at March 2017. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹733 crore, the reserves and surplus increased to ₹34872 crore.

(Amt. ₹ Crore)

Composition of Capital	March 2017 Basel III	March 2018 Basel III
Risk Weighted Assets	338999	**351698**
CET I	30226	**33455**
CET I (%)	8.92	**9.51**
AT I	2896	**2769**
AT I (%)	0.85	**0.79**
Tier I Capital	33122	**36224**
CRAR (%)(Tier I)	9.77	**10.30**

टायर II पूंजी	10472	**10280**
सीआरएआर (%)(टायर II)	3.09	**2.92**
सकल पूंजी	43594	**46504**
सीआरएआर (%)	12.86	**13.22**

बेसल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मार्च 2018 में 1.875% की पूंजी संरक्षण बफर सहित 10.875% की नियामक आवश्यकता के विरुद्ध 13.22% तक बढ़ गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के भीतर, सीईटी I अनुपात 9.51% था और टायर I पूंजी अनुपात 10.30% था।

बैंक पूंजी मोर्चे पर सहज है। वित्त वर्ष 18 में सरकार ने ₹4865 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है, इस प्रकार बैंक में सरकारी शेयरधारक सालाना 66.30% से बढ़कर 72.55% हो गया है। व्यवसाय विकास गति को समर्थन देने के लिए पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त हेडरूम उपलब्ध है।

कारोबार संवृद्धि

जमा:

पिछले वर्ष की ₹524772 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2018 को बैंक के कुल जमा में ₹495275 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई ।

मार्च 2018 में बैंक की वर्तमान और बचत (सीएएसए) जमा 11.54% वर्ष – दर – वर्ष बढ़कर ₹167035 करोड़ हो गई। घरेलू जमा में बैंक की सीएएसए जमा पिछले वर्ष 32.85% से बढ़कर 34.28% हो गई। बचत जमा 11.70% बढ़कर ₹142051 करोड़ हो गई। मौजूदा जमा 10.64% बढ़कर ₹2494 करोड़ रुपये हो गई। सीएएसए के तहत औसत शेषराशि में सुधार के लिए केनरा गैलेक्सी, केनरा विशेषाधिकार, एसबी पावरप्लस और एनआरआई खातों जैसे प्रमुख सीएएसए उत्पादों पर ध्यान दिया गया था।

जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, बैंक ने कुल 42 लाख से अधिक जमा खातों को खोला, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 7.39 करोड़ तक पहुंच गयी ।

अग्रिम (निवल):

बैंक ने आवास, शिक्षा और वाहन सहित खुदरा संपत्तियों के अलावा अर्थव्यवस्था के उत्पादक खंडों जैसे कि कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य उत्पादक क्षेत्रों

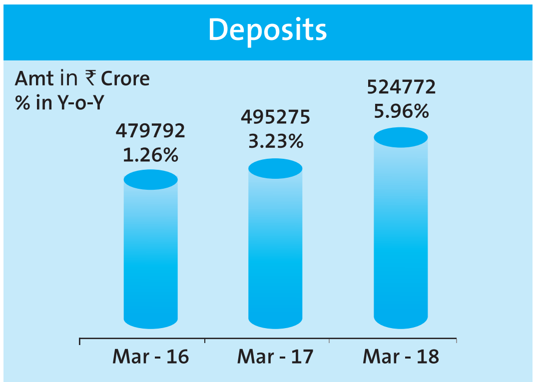

Tier II Capital	10472	**10280**
CRAR (%)(Tier II)	3.09	**2.92**
Total Capital	43594	**46504**
CRAR (%)	12.86	**13.22**

Capital Adequacy Ratio, under Basel III, improved to 13.22% as at March 2018 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 9.51% and Tier I capital ratio was at 10.30%.

The Bank is comfortable in the capital front. Government has infused a capital of ₹4865 crore in FY18, thereby Government shareholding in the Bank has increased to 72.55% from 66.30% a year back. Adequate headroom is available to raise capital in order to support the business growth momentum.

BUSINESS GROWTH

Deposits:

Total Deposits increased to ₹524772 crore as at March 2018 compared to ₹495275 crore a year ago, with a y.o.y growth of 5.96%.

Current and Saving (CASA) deposits of the Bank increased by 11.54% y-o-y to ₹167035 crore as at March 2018. The Bank's CASA deposits share to domestic deposits improved to 34.28% from the last year's 32.85%. Savings deposits grew by 11.70% to ₹142051 crore. Current deposits grew by 10.64% to ₹24984 crore. The focus on premier CASA products, like, Canara Galaxy, Canara Privilege, SB Powerplus and NRI accounts was given to improve the average balances under CASA.

Pursuing a strategy of expanding deposit clientele, the Bank added 42 lakhs deposit clientele accounts during the year, taking the total number of deposit accounts to 7.39 crore.

Advances (net):

The Bank expanded its asset base to a well diversified one comprising of the productive segments of the economy, like, Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and other productive sectors in

सहित से विविधता में अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार किया है ।

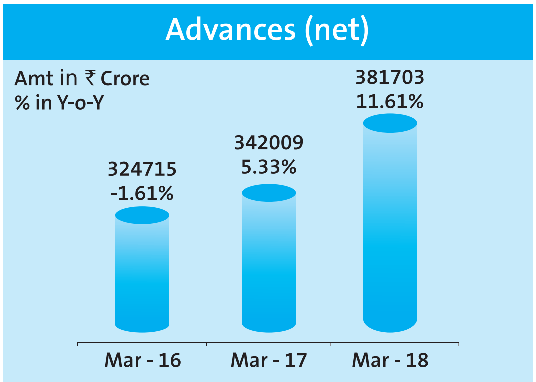

मार्च 2018 में पूरी तरह से उद्योग की प्रगति में 10.3% की वृद्धि के मुकाबले, बैंक की अग्रिम (नेट) 11.61% बढ़कर ₹381703 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले ₹342009 करोड़ थी।

मार्च 2018 में उधारकर्ता ग्राहक खातों की संख्या 88 लाख हो गई।

बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष ₹837284 करोड़ की तुलना में 8.26% की वाई–ओ–वाई वृद्धि के साथ ₹906475 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष के दौरान, बैंक के कुल ग्राहक आधार पिछले वर्ष 7.79 करोड़ से 48 लाख बढ़कर 8.27 करोड़ हो गए।

खुदरा ऋण परिचालन:

बैंक के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र के अनुकुल खुदरा उधारी परिचालन ने वर्ष– दर– वर्ष मजबूत विकास दर्ज किया ।

(राशि ₹ करोड़ में)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वृद्धि	
	2017	2018	प्रमात्रा	(%)
1.आवास	32285	40075	7790	24.13
1.1आवास (प्रत्यक्ष)	24337	28308	3971	16.32
1.2आवास (अप्रत्यक्ष)	7948	11767	3819	48.05
2.वाहन	5140	6739	1599	31.11
अन्य वैयक्तिक	13835	21601	7766	56.13
शिक्षा	7651	8438	787	10.29
सकल खुदरा ऋण **(1+2+3+4)**	58910	76853	17943	30.46

मार्च 2018 में बकाया खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में 30.46% वाई–ओ–वाई बढ़कर ₹76853 करोड़ रुपये हो गया। विभिन्न खुदरा उधार योजनाओं के तहत वितरण ₹52229 करोड़ रुपये था। बकाया आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹24753% की वाई–ओ–वाई वृद्धि के साथ 40075 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और कुल खुदरा उधार पोर्टफोलियो का 52.15% था। बैंक के वाहन ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण क्रमशः 31.11% और 56.13% वाई–ओ–वाई की वृद्धि हुई।

addition to Retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loan segments.

As against the 10.3% growth in advances of the Industry as a whole, advances (Net) of the Bank grew by 11.61% to reach ₹381703 crore as at March 2018 compared to ₹342009 crore a year ago.

The number of borrowal clientele accounts increased to 88 lakhs as at March 2018.

Total business of the Bank increased to ₹906475 crore, with a y-o-y growth of 8.26% compared to ₹837284 crore in the previous year.

During the year, the Bank's total clientele base increased by 48 lakhs to 8.27 crore from the last year's level of 7.79 crore.

RETAIL LENDING OPERATIONS:

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded good y-o-y growth.

(Amt. ₹ Crore)

Retail Segments	As at March		Y.O.Y Growth	
	2017	2018	Quantum	(%)
1. Housing	32285	40075	7790	24.13
1.1 Housing (Direct)	24337	28308	3971	16.32
1.2 Housing (Indirect)	7948	11767	3819	48.05
2. Vehicle	5140	6739	1599	31.11
3. Other Personal	13835	21601	7766	56.13
4. Education	7651	8438	787	10.29
Total Retail Loans (1+2+3+4)	58910	76853	17943	30.46

The outstanding retail loans portfolio grew by 30.46% y-o-y to ₹76853 crore as at March 2018. The disbursals under various retail lending schemes amounted to ₹52229 crore. The outstanding housing loan portfolio rose to ₹40075 crore, with a y-o-y growth of 24.13% and accounted for 52.15% of the total retail lending portfolio. Vehicle loans and other personal loans increased by 31.11% and 56.13% y-o-y respectively.

शिक्षा ऋण:

बैंक ने वर्षों भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक का शिक्षा ऋण संविभाग को और बढ़ाकर ₹8438 करोड़ किया गया है । यथा मार्च 2018 को बैंक ने 2.99 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया । शिक्षा ऋण क्षेत्र में प्रगतिशील वृद्धि के साथ बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है । वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने ₹1452 करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण का वितरण किया है।

एनएएसी द्वारा 'ए' ग्रेड के रूप में मूल्यांकन कर 1000 संस्थानों को छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए मैप किया गया है । पूरे देश में एनएसडीसी से संबद्ध संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों करने वाले छात्रों के लिए शिक्षा शिक्षा ऋण की मंजूरी के लिए मैसर्स राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एमएसएनएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । शिक्षण ऋण के विस्तार के लिए मैसर्स भारतीय कंपनी सचिव, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । व्यवसायिक शिक्षा ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए मैसर्स बायकॉन लिमिटेड, मैसर्स बॉश लिमिटेड और मैसर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संस्थान, मैसर्स वोल्वो आईशर कॉमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई–अप की व्यवस्था की गई है।

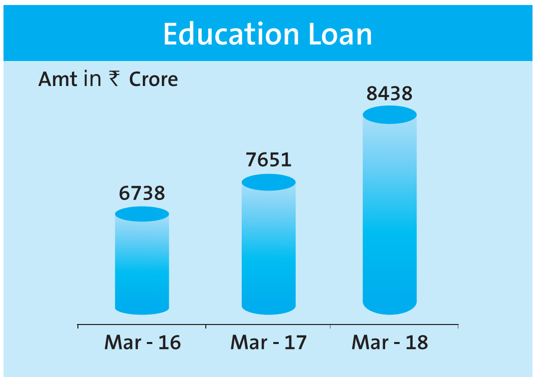

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से छात्रवृत्ति के साथ–साथ शैक्षिक ऋण योजनाओं को संचालित करने और मॉनिटर करने के लिए पूरी तरह से आईटी आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण की स्थापना की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो सके । एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल <www.vidyalakshmi.co.in> 15.08.2015 को चालू किया गया है। विद्यार्थी किसी भी बैंक के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने छात्रों को ऑनलाइन तत्काल ऋण मंजूरी सुविधा 'विद्या तुरंत' की सुविधा दी है, और छात्रों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा चयन और परामर्श के समय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के लिए भुगतान करने के लिए एक पूरक ऋण योजना 'विद्या सहाय' प्रदान की है।

भारत सरकार की सब्सिडी योजनाओं को संचालित करने के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है, जिसमें शिक्षा पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए शैक्षिक ऋण (सीएसआईएस),

Education Loans:

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹8438 crore. The Bank has financed around 2.99 lakh students as at March 2018. The Bank is performing consistently well with progressive growth in education loan segment. During 2017-18, the Bank has disbursed education loans worth ₹1452 crore.

1000 institutions rated as 'A' grade by NAAC have been mapped for providing education loans to students of these institutes. A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed with National Skill Development Corporation (NSDC) for sanction of education loans for students pursuing vocational courses in affiliated institutes of NSDC throughout the country. An MOU has also been signed with The Institute of Company Secretaries of India, New Delhi for extending education loans. Tie-up arrangements are made with M/s BIOCON Ltd, M/s Bosch Ltd, M/s Bombay Stock Exchange Institute, and M/s Volvo Eicher Commercial Vehicles Pvt. Ltd., to encourage vocational education loans.

Government of India has set-up a fully IT-based Student Financial Aid Authority to administer and monitor scholarships as well as Educational Loan Schemes, through Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram to ensure that no student misses out on higher education for lack of funds. A Vidya Lakshmi portal <www.vidyalakshmi.co.in> has been made live on 15.08.2015. The students can apply online for Education Loan from any bank. The Bank has also in place 'Vidya Turant', an online instant loan sanction facility to students and 'Vidya Sahay', a bridge loan scheme for making down payment for Common Entrance Test (CET), at the time of selection and counselling.

The Bank has been designated as the Nodal Bank for administering subsidy schemes of Government of India, which includes Central Scheme of Interest Subsidy

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पढ़ो परदेश सब्सिडी योजना अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों और डॉ अंबेडकर केंद्रीय सेक्टर सब्सिडी योजना से संबंधित छात्रों द्वारा विदेश अध्ययन के लिए ऋण, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी आदि शामिल हैं ।

खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा कई कदम उठाये गए । वर्ष के दौरान बैंक ने आवास लोन और कार ऋण के लिये त्वरित ऑनलाइन सैद्धांतिक मंजूरी, प्रधान मंत्री आवास योजना, आवस सह सौर ऋण, उच्च मालियत वाले व्यक्तियों के लिये (एचएनआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए तथा कृषकों के लिये आवास ऋण को लोकप्रिय बनाया गया । राष्ट्रव्यापी अभियानों की शुरूआत, एक्सपो का संचालन, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश, प्रतिष्ठित बिल्डर्स, कार डीलर्स, प्रत्यक्ष विक्रय अभिकर्ताओं के साथ टाई अप करने से बैंक के खुदरा लोन संविभाग के विस्तार में मदद मिली है ।

वर्ष के दौरान पांच नए खुदरा आस्ति केन्द्र खोले गए जिससे देशभर के मुख्य शहरों में खुदरा आस्ति केन्द्रों की कुल संख्या 83 हो गई है । बैंक ने कई तकनीकी आधारित पहल जैसे खुदरा उधारी योजनाओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, आवास ऋणों की देय तिथि व ईएमआई राशि सूचित किया जाना तथा वेब आधारित लीड सृजन प्रणाली आदि लागू की ।

कोषागार

मार्च 2018 में बैंक के कुल निवेश (नेट) 144054 करोड़ रुपये थे। मार्च 2018 में निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 4.99 थी, जबकि बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 4.44 हो गई है मार्च 2017 को मार्च 2017 के रूप में 4.02 से। निवेश पर उपज 31 मार्च 2018 को 7.63% तक काम करती है, जबकि इस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों और लाभ बुकिंग की बिक्री के कारण 31 मार्च 2017 को 7.75% की तुलना में 7.75% की तुलना में। वर्ष के दौरान घरेलू खजाना परिचालन के तहत व्यापार लाभ मार्च 2017 में अस्थिर बाजार की स्थिति और उपज में वृद्धि के कारण ₹2982 करोड़ से ₹1923 करोड़ रुपये हो गया।

on Educational Loans (CSIS), National Rural Livelihood Mission(NRLM), Padho Pardesh subsidy scheme to provide Interest Subsidy on Education Loans for overseas studies pursued by students belonging to notified minority communities and Dr.Ambedkar Central Sector Scheme Of Interest Subsidy On Educational Loan for Overseas Studies for Other Backward Classes (OBCs) & Economically Backward Classes (EBCs).

Several initiatives were undertaken by the Bank to expand retail credit. During the year the Bank popularized its Online Instant in-Principle Sanction for Housing Loan and Car Loan platform, Pradhan Mantri Awaas Yojana, Housing cum Solar Loans and also Housing Loans to High Net worth Individuals (HNIs), Non-Resident Indians (NRIs) and Agriculturists. Nationwide launching of Campaigns, conduct of Expos, offering competitive interest rates, tie-up with reputed Builders, Car Dealers, introduction of Direct Selling Agents etc., have helped the Bank in expanding its retail loan portfolio.

Five new Retail Asset Hubs were opened, taking total number of RAHs to 83 across major centers in the country. The Bank also implemented several tech-based initiatives like missed call facility for retail lending Schemes, informing due dates and amount of EMIs for housing loans and introduction of web-based lead generation system.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank stood at ₹144054 crore as at March 2018. While modified duration of the investments portfolio stood at 4.99 as at March 2018, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has increased to 4.44 as at March 2018 from 4.02 as at March 2017. The yield on investments works out to 7.63% as at 31st March 2018 as compared to 7.75% as at 31st March 2017 due to sale of securities and profit booking during the period. The trading profit under domestic treasury operations during the year decreased to ₹1923 crore from ₹2982 crore in March 2017 due to volatile market conditions and increased yield.

सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में बैंक एक सक्रिय खिलाड़ी बना हुआ है। अंडरराइटिंग के लिए जमा बोलियों की कुल राशि ₹46723 करोड़ थी, जिनमें से आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता ₹19609 करोड़ थी। पीडी कारोबार के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में, प्रत्येक अर्ध वर्ष में 40% की न्यूनतम सफलता अनुपात के मुकाबले सितंबर 2017 को समाप्त हुए पहले छमाही वर्ष के लिए बैंक का सफलता अनुपात 47.94% और दूसरे छमाही के लिए 43.28% मार्च 2018 को समाप्त वर्ष।

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के विदेशी व्यापार कारोबार ₹261469 करोड़ रुपये, निर्यात के तहत ₹95317 करोड़, आयात के तहत ₹54619 करोड़ और प्रेषण के तहत ₹111533 करोड़ रुपये शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक की 8 विदेशी शाखाएं हैं, जिनमें लंदन और लीसेस्टर (यूके), हांगकांग, शंघाई (चीन), मनामा (बहरीन), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), न्यूयॉर्क (यूएसए) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई, यूएई) हैं । उपरोक्त 8 विदेशी शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय है, केनरा बैंक (तंजानिया) लि. तंजानिया में दार एस सलाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मॉस्को, रूस में एक संयुक्त उद्यम है। तंजानिया में दार एस सलाम में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी 9 मई 2016 को खोली गई थी । मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹38778 करोड़ रुपये की जमा और ₹29184 करोड़ रुपये की अग्रिम सहित ₹67962 करोड़ रुपये की विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार। विदेशी व्यापार बैंक के कुल कारोबार का 7.5% गठित हुआ।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बैंक ने विदेशी शाखाओं के तर्कसंगतकरण की योजना तैयार की है। बैंक ने लीसेस्टर (यूके), शंघाई (चीन), मनामा (बहरीन) और जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में अपनी चार विदेशी शाखाओं को बंद / विलय करने और मॉस्को (रूस) में संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी को विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है।

बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालनों का समर्थन 394 संवाददाता बैंकों के व्यापक नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो 79 देशों और बैंक की विदेशी शाखाओं और कार्यालयों में फैले हुए हैं। गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के प्रेषण को चैनल करने के लिए 36 एक्सचेंज सदनों और 25 विदेशी बैंकों के साथ रुपया आहरण

The Bank continues to be an active player in the Government Securities Market as a Primary Dealer (PD). The total amount of bids submitted for underwriting was ₹46723 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹19609 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has a success ratio of 47.94% for the first half year ended September 2017 and 43.28% for the second half year ended March 2018.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹261469 crore, comprising of ₹95317 crore under exports, ₹54619 crore under imports and ₹111533 crore under remittances during the year ended March 2018.

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank has 8 overseas branches, viz., London and Leicester (U.K), Hong Kong, Shanghai (China), Manama (Bahrain), Johannesburg (South Africa), New York (U.S.A) and Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai (UAE). Besides the above 8 overseas branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), Canara Bank (Tanzania) Ltd., a wholly owned subsidiary at Dar es Salaam in Tanzania and Commercial Indo Bank LLC, a joint venture bank with State Bank of India in Moscow, Russia. Total business of the overseas branches aggregated to ₹67962 crore comprising of deposits of ₹38778 crore and advances of ₹29184 crore as at the end of the financial year. Overseas Business constituted 7.5% of the Bank's total business.

As per the directives of the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, the Bank has drawn a plan for rationalisation of overseas branches. The Bank has proposed to close/merge its four overseas branches at Leicester (U.K), Shanghai (China), Manama (Bahrain) and Johannesburg (South Africa) and to divest its stake in the Joint Venture at Moscow (Russia).

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 394 Correspondent Banks, spread across 79 countries and the Bank's overseas branches/ offices. Rupee Drawing Arrangements have been made with 36 Exchange Houses and 25 overseas banks for channelizing the remittances of Non-Resident Indians

व्यवस्था की गई है। बैंक दो एक्सचेंज हाउस जैसे अल रज़ौकी इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी, दुबई और पूर्वी एक्सचेंज, क्रमशः सेकेंडमेंट एंड मैनेजमेंट करार के तहत प्रबंधन कर रहा है।

बैंक ने 'रेमिट मनी' नामक वेब आधारित त्वरित विप्रेषण उत्पाद को 35 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 4 समुद्रपारीय शाखाओं जैसे लंदन, लीसेस्टर, शंघाई और हाँग काँग में कार्यान्वित किया है । वर्ष के दौरान भारत में केनरा बैंक के लाभार्थियों के लिए त्वरित और निर्बाध विप्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने मेसर्स यूएई एक्सचेंज, अबु धाबी के साथ 'फ्लैशरेमिट' नामक एक तत्काल ऋण सुविधा , मेसर्स अल रज़ौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई, मेसर्स ईस्टर्न एक्सचेंज प्रतिष्ठान, कतर तथा मेसर्स अंसारी एक्सचेंज एलएलसी, यूएई के साथ मिलकर 'इंस्टेन्ट रेमिटमनी' नामक एक त्वरित ऋण सुविधा जारी है

अन्य सेवाएं

वर्ष के दौरान बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांड निर्गम के कार्य का निर्वाहन किया । वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांडों से संग्रहित राशि ₹135.10 करोड़ रही ।

बैंक ने आरईसी व एनएचएआई के निजी प्लेसमेंट कैपिटल बॉंड के लिए **संग्रहकर्ता बैंकर** के रूप में कार्य किया जिसकी कुल राशि ₹1387.48 करोड़ है । नामोद्दिष्ट शाखाओं द्वारा ब्लॉक की हुई राशि (एएसबीए) से समर्थित आवेदन के तहत निर्गत किये गये सार्वजनिक व ऋण निर्गमों की कुल संख्या 236 रही और ब्लॉक की हुई राशि ₹2873.08 करोड़ रही । वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा **'इक्विटी का निष्पक्ष मूल्यांकन'** के तीन विशेष कार्य का निर्वाह किया गया था ।

वर्ष के दौरान **समूहन समूह** ने परियोजनाओं का निर्वाह किया जिसकी परियोजना लागत ₹3838 करोड़ रही और इसका कुल ऋण आकार ₹3159 करोड़ रहा । समूह ने वर्ष के दौरान समूहन परिचालनों से ₹2.98 करोड़ का शुल्क-आधारित आय अर्जित किया । विभिन्न संवर्गों में परियोजनाओं जैसे अवसंरचना (रेलवे माल ढुलाई गलियारा, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान) और वाणिज्यिक रियल स्टेट के लिए निधियों की व्यवस्था की गई ।

बैंक के 'बैंकएश्यूरेन्स' अंग के तहत जीवन तथा गैर – जीवन बीमा संवर्गों में बैंक की गठ–जोड़ व्यवस्था है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में ₹76.6 करोड़ का आय अर्जन

(NRIs). The Bank is managing two Exchange Houses viz., M/s Al Razouki International Exchange Company, Dubai and M/s Eastern Exchange Est., Qatar under Secondment and Management Agreements respectively.

'Remit Money', a web-based speed remittance product has been extended to 36 Exchange Houses and also to the Bank's 4 overseas branches, viz., London, Shanghai and Hong Kong and Canara Bank (Tanzania) Ltd. To facilitate instant and hassle free remittances to the beneficiaries of the Bank in India, 'Flashremit'/'Instant Remitmoney', an instant credit facility is being offered in association with M/s. UAE Exchange, Abu Dhabi, UAE, M/s. Al Razouki International Exchange Company, Dubai, M/s. Eastern Exchange Est., Qatar, M/s GCC Exchange, Dubai, M/s Al Ahalia Money Exchange, Abudhabi, UAE, M/s. Al Ansari Exchange LLC, UAE and M/s Index Exchange, UAE.

OTHER SERVICES

During the year the Bank's Merchant Banking Division has handled, as arrangers, private placements of Capital Gains Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd (REC). The amount mobilized in respect of these issues Capital Gains Bonds Issue of NHAI and REC during the year was ₹135.10 crore.

As a Collecting Banker, the Bank was involved in two Private Placement Issues, collecting an amount of ₹1387.48 crore. Further, the bank has handled 236 Public and Debt Issues under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and the amount blocked therein was ₹2873.08 crore. Three specialized assignments of **'Fair Valuation of Equity'** were also handled by the Division during the year.

The Syndication Group handled projects, involving project cost of ₹3838 crore during the year, with a total debt size of ₹3159 crore. The Group generated a fee-based income of ₹2.98 crore during the year. The funds were arranged for projects in various segments like Infrastructure (Railway Freight Corridor, Hospital, Educational Institution) and Commercial Real Estate.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year, the Bank earned a commission income of ₹76.6 crore from its joint venture, viz.,

किया है । म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड से ₹26.9 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। मेसर्स बजाज एलियांज सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड, मेसर्स टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेसर्स न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मेसर्स यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था के ज़रिए गैर जीवन (सामान्य) बीमा कारोबार के तहत बैंक ने कमीशन के रूप में ₹26.9 करोड़ का आय अर्जन किया है । बैंक ने मेसर्स अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया, उनके स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के परिणामस्वरूप ₹20.8 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ । पूरे भारत में फैली अपनी शाखाओं के ज़रिए निर्यात नीतियों के विपणन के लिए मेसर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के साथ बैंक ने कॉर्पोरेट एजेन्सी का करार भी किया है ।

सामान्य बीमा व्यवसाय को प्रोत्साहन देने और ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवोन्मेषी और नए उत्पादों की पेशकश करने के लिए, बैंक ने आईआरडीएआई के नए ओपन आर्किटेक्चर नियमों के तहत दूसरे सामान्य इंश्योरेंस साझेदार के रूप में मेसर्स न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मेसर्स टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी करार किया है, जो क्रमशः 08.06.2017 और 17.07.2017 से प्रभावी है। बैंक ने यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से अपनी साझेदारी 24.06.2017 से प्रभावी होकर समाप्त कर दी है ।

कार्ड कारोबार के तहत कार्ड आधार बढ़ाने के लिए बैंक ने कई पहल की । यथा मार्च 2018 को बैंक का कुल डेबिट कार्ड आधार बढ़कर 4.30 करोड़ तथा क्रेडिट कार्ड आधार बढ़कर 2.23 लाख हो गया ।

बैंक, देशभर के मुख्य 32 स्थानों में फैले केंद्रों के ज़रिए **'निक्षेपागार सेवाएं'** प्रदान करता है । इन केन्द्रों के माध्यम से बैंक अपने दलाली अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सेक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई के ज़रिए डी पी ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है । संचालन और सेवाओं के प्रभावी वितरण के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए, इसकी डीपी गतिविधि को मैसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड को दिनांक 01.04.2017 से समाप्त कर दिया गया है।

बैंक की 'निष्पादक, न्यासी व कराधान सेवाएं' इकाई द्वारा डिबेंचर / प्रतिभूति न्यासधारिता, वसीयतनामा व निष्पादककर्ता, न्यासधारिता, वैयक्तिक कर सहायता तथा मुख्तारनामा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है ।

बैंक द्वारा विभिन्न **सरकारी कारोबार** उत्पादों जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेनों व राज्य कारकार के राजकोषीय लेनदेनों का संचालन,

M/s Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹26.9 crore from its joint venture, viz., M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹26.9 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangements with M/s Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd, M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd, M/s The New India Assurance Co. Ltd and M/s United India Insurance Company Ltd. The Bank also earned a commission income of ₹20.8 crore from its tie-up agreement with M/s Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd for marketing their health insurance products. The Bank also has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

In order to give further impetus on offering a variety of products and enhance service quality under General Insurance, Bank has entered into a Corporate Agency tie-up with M/s The New India Assurance Co. Ltd and M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd w.e.f 08.06.2017 and 17.07.2017 respectively. The bank has terminated its partnership with M/s United India Insurance Co. Ltd w.e.f 24.06.2017 during the year.

Under Cards Business, the Bank took several initiatives to expand its card base. As at March 2018, total number of Debit Cards increased to 4.30 crore and Credit Cards base rose to 2.23 lakhs.

The Bank offers its **'Depository Services'** through 32 centres spread across the country. Through these centres, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients of its own broking subsidiary M/s Canara Bank Securities Ltd., Mumbai. In order to have better synergy of operations and efficient delivery of services, the DP activity has been hived off to M/s Canara Bank Securities Ltd., with effect from 01.04.2017.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services like Debenture/Security Trusteeship, Will and Executorships, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services.

The Bank undertakes Government Business, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of Central Government and State Government Pensions, Handling

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति सूचीबद्ध बांडों, सॉवरन गोल्ड बांड योजनाएं, सुकन्या समृद्धि खाता योजना का वितरण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जमा को स्वीकार करना (पीएमजीकेडीएस) और योजना के अंतर्गत कर को स्वीकार करना शामिल हैं। इन उत्पादों से कासा में सुधार दर्ज होते हुए वर्ष के दौरान ₹110.28 करोड़ का शुल्क आय अर्जित हुआ ।

बैंक द्वारा कई ऑन लाइन भुगतान सेवाएं, जैसे महाराष्ट्र, तमिल नाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा व नागर हवेली, ओड़ीशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में विक्रय कर / वाणिज्य कर का ई- भुगतान, महाराष्ट्र में वर्चुअल ट्रेजरी पैकेज, तमिलनाडु में परिवहन विभाग को करों का ई-भुगतान, तमिलनाडु में चेन्नई तथा कर्नाटक में बेंगलूर में कॉर्पोरेशन के लिए संपत्ति कर की वसूली, सार्वजनिक भविष्य निधि खातों क? ऑनलाइन खाता खोलना तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में ई-स्टाम्प परियोजना, आदि प्रदान की जाती है।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले व खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा युआईडीएआई, नई दिल्ली के आधिकारिक बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है । वर्ष 2012-13 से बैंक ने स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कवरेज को लागू किया है। असंगठित क्षेत्र के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्वावलंबन की जगह अटल पेंशन योजना शुरू की है। बैंक ने मार्च 2018 तक 4,28,051 खातों को खोला है।

माल और सेवा कर (जीएसटी) (एक एजेंसी बैंक के रूप में) 01 जुलाई, 2017 से हमारी सभी बैंक शाखाओं में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

बैंक के **कृषि नवोन्मेषण केन्द्र (एआईसी)** अंग ने कुल 113 कार्यों का निर्वहन किया। इनमें 105 कार्य संपन्न किए गए, कार्यों में 93 मूल्यांकन, 3 पुनरीक्षण तथा 9 व्यवहार्यता अध्ययन शामिल थे। इन कार्यों का कुल परिव्यय, मीयादी ऋण घटक के तौर पर ₹723.73 करोड़ रहा तथा इससे बैंक ने ₹5.91 करोड़ का शुल्क आय भी अर्जित किया ।

आस्ति गुणवत्ता

पुनर्गठन पोर्टफोलियो के लिए प्रदान किए गए विशेष वितरण की वापसी के परिणामस्वरूप पर्याप्त स्लिपेज हुए। उद्योग स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में जारी दबाव के कारण, सकल अनर्जक आस्तियां

of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme and distributing Inflation Indexed Bonds of RBI, issuing Sovereign Gold Bonds, Sukanya Samridhi Scheme, accepting deposits under Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme (PMGKDS) and accepting tax under the Scheme. These products contributed to improvement of CASA and also earned a fee income of ₹110.28 crore during year.

The Bank provides several online payment services, viz., e-payment of Sales Tax/ Commercial Tax in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli, Odisha, Punjab, West Bengal and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, e-payment of Taxes to Transport Department in Tamil Nadu, Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamil Nadu and Bengaluru in Karnataka, Online opening of PPF Accounts and e-Stamping project in Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archaeological Survey of India and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank was implementing the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme since 2012-13. The Government of India has launched Atal Pension Yojana (APY) in place of Swavalamban with a view to provide defined pension to unorganised sector. The Bank could mobilise 4,28,051 accounts under APY as at March 2018.

Goods & Services Tax (GST) (as an agency bank) has been successfully implemented in all of our bank branches since July 01st, 2017.

Agricultural Innovation Centre (AIC) outfit of the Bank handled 113 assignments. Out of, 105 assignments were cleared, which consists of 93 appraisals, 3 vetting and 9 viability studies. The total outlay of the assignments worked out to a term loan component of ₹723.73 crores and the Bank earned a fee income of ₹5.91 crores during the year.

ASSET QUALITY

The withdrawal of special dispensation provided for restructuring portfolio resulted in substantial slippages. The consequent stress in the asset quality at the industry

(एनपीए) जोकि मार्च 2017 के 9.63% की तुलना में मार्च 2018 में 11.84% रहीं । तदनुसार, यथा मार्च 31 मार्च, 2018 तक सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) पिछले वर्ष ₹34202 करोड़ की तुलना में ₹47468 करोड़ पर रहा। यथा 31 मार्च, 2018 को ₹28542 करोड़ के निवल एनपीए के साथ, निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 6.33% से बढ़कर 7.48% हो गया ।

बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष ₹4162 की तुलना में ₹6458 करोड़ की सकल वसूली की । मर्च, 2018 तक बट्टे खाते में डाले गये खातों से पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹705 करोड़ की तुलना में ₹1625 करोड़ अर्जित हुआ। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष कुल ₹943 करोड़ की अनर्जक आस्तियों का अर्जक आस्तियों में स्तरोन्नयन किया गया ।

वर्ष के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कुल ₹701 करोड़ की वसूली की गयी । बैंक ने 7661वसूली बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹615 करोड़ राशि वसूल की गयी । वर्ष के दौरान 14362 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 6229 मामले का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹22 करोड़ रही । बैंक ने खातों को एनपीए में स्लीपेज से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढ़ोत्तरी लाने के लिए कई पहल की । इनमें एकमुश्त निपटान(ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों और अंचल स्तर पर मेगा अदालतों का आयोजन, जिला स्तर पर लोकअदालतों का आयोजन, कॉल केंन्द्रों के ज़रिए ऋण खातों में अतिदेय राशि का नियमित अनुवर्तन और अभिग्रहित आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी, इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं । यथा मार्च 2018 तक ₹4759 करोड़ की बकाया राशि के साथ 491 इरादतन चूककर्ता रहे।

एनसीएलटी का जिक्र करते हुए 31.03.2018 को हमारे दावे को दर्ज करके बैंक ने 111 मामलों के संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की है और 2018-19 के दौरान समाधान के माध्यम से पर्याप्त वसूली की उम्मीद है ।

बैंक ने ₹10 लाख तक के छोटे एनपीए के निपटान के लिए एक विशेष योजना भी रूपायित की जिसमें शिक्षा ऋण/कृषि/ एम एस एम ई ऋण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया । शिक्षा क्षेत्र में ₹4 लाख तक की स्वीकृत सीमा के खातों और ₹4 लाख से अधिक और 7.50 लाख तक की स्वीकृत सीमा के खातों के लिए दो विशेष एकबारगी निपटान योजनाएं सरल नियमों और अतिरिक्त रियायत के साथ शुरू की गई थी। ₹5 लाख तक की सीमा के साथ छोटे मूल्य कृषि ऋण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बार- बार पुनर्गठन खातों के प्रभावित उधारकर्ताओं

level, the Gross Non Performing Assets (GNPAs) to Gross Advances ratio increased to 11.84% as at March 2018 compared to 9.63% as at March 2017. GNPA as on March 31, 2018 stood at ₹47468 crore compared to ₹34202 crore in the previous year. With a Net NPA of ₹28542 crore as on 31st March 2018, the Net NPA ratio was at 7.48% from 6.33% in March 2017.

Cash Recovery during 2017-18 aggregated to ₹6458 crore compared to ₹4162 crore in the last year. Recovery from written off accounts stood at ₹1625 crore as on March 2018 as against ₹705 crore during the corresponding period of the previous year. Recovery from loss assets during 2017-18 reached ₹565 crore. During the year, an amount of ₹943 crore was upgraded from NPA to Performing Assets.

During the year, recoveries amounting to ₹701 crore were made on account of initiating actions under the SARFAESI Act. The Bank conducted 7661 recovery meets, which resulted in a recovery of ₹615 crore. During the year 14362 cases were referred to Lok Adalat, out of which, 6229 cases were settled, covering an amount of ₹22 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, conduct of Can Adalats at branch level, cluster adalats at Regional level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lok Adalats at district level, regular follow-up of overdue in loan accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. As on March 2018, there were 491 wilful defaulters with an outstanding amount of ₹4759 crore.

The Bank has initiated resolution process in respect of 111 Cases by referring to NCLT / filing our claim as at 31.03.2018 and is expecting substantial recovery through resolution during 2018-19.

The Bank also formulated a special Scheme for settlement of small NPAs (upto ₹10 lakh), with a special focus on Education/ Agricultural / MSME Loans. In the Educational Loan Sector, two Special OTS schemes were launched with liberal terms and additional concessions for accounts with sanctioned limits up to ₹4 lakh and for accounts with sanctioned limits above ₹4 lakh and up to ₹7.50 lakh. Special Schemes for small value agricultural loans with limit up to ₹5 lakh and repeatedly restructured

को राहत प्रदान करने और एमएसएमई ऋण रूपये 1 करोड़ के लिए विशेष योजना की शुभारंभ की गई ।

यथा मार्च 2018 को बैंक की बकाया पुनर्संरचित आस्ति संविभाग(पुनर्संरचित मानक खाते सहित) ₹51188 करोड़ रहा जो सकल अग्रिमों का 12.77% है ।

जोखिम प्रबंधन:

बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है । सभी 21 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं जोकि जोखिम प्रबंधन विभाग के ही विस्तरित अंग हैं ।

बैंक में, भौगोलिक स्तर पर और संपूर्ण जोखिम रूपरेखा से प्रावरित जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं । इनमें, ऋण जोखम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं ।

बैंक में, बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है । आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयां और सहयोगी संस्था को प्रावरित करती हैं । बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए बैंक द्वारा दबाव परीक्षण अभ्यास भी किया जाता है । बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की जाती है और अनुमोदित की जाती है ।

बैंक में पूँजी योजना प्रक्रिया हेतु बोर्ड स्तरीय उप-समिति कार्यरत है । समिति, व्यापार रणनीतियों के अनुरूप बैंक की पूंजी आवश्यकताओं के बारे में व्यापक आर्थिक परिदृश्यों को दर्शाती है । वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी आयोजना प्रक्रिया के लिए बोर्ड स्तरीय एक उप-समिति का गठन किया है। ये समिति, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूँजी के उपयुक्त स्तर का रख रखाव सुनिश्चित करती है और पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करती है ।

बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण अपनाना:

ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूँजी के परिकलन हेतु बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढांचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का

due to natural calamities and MSME loans up to ₹1 crore were launched to provide relief to the affected borrowers.

As on March 2018, the outstanding stressed assets portfolio (including restructured standard accounts) of the Bank stood at ₹51188 crore, accounting for 12.77% of gross advances.

Risk Management:

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all 21 Circle Offices of the Bank as an extended arms of the Risk Management Wing.

The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management.

The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, the Subsidiaries, Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Stress testing exercise is also performed by the Bank to ascertain the potential risks faced by the Bank. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

The Bank has a Board Level Sub-Committee for Capital Planning Process. The Committee articulates macroeconomic scenarios vis-à-vis capital requirements of the Bank, in tune with business strategies. The Committee ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising the capital.

Adoption of Advanced Approaches under Basel III:

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel III for computation of capital for Credit, Market and Operational Risks, the Bank has engaged

क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके ।

उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन स्थापत्य के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके ।

ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित(आईआरबी) दृष्टिकोण अपनाने के लिए, बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है ।

बासेल III के लिए तैयारी:

बासेल III पूँजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशानिदेश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी बना । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, बासेल III पूँजी विनियमावली का पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 31.03.2019 तक बढा? दिया गया है । मार्च 2019 के अंत तक भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टायर 1 (सीईटी 1) पूँजी, 7.00% की टायर 1 पूँजी, कुल पूँजी 9% और 2.50% पूँजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है । बैंकों को जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं के लिहाज से विश्वसनीय प्रतिपूरक उपाय के रूप में पैरेलल रन के दौरान 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 तक 4.5% का न्यूनतम टायर 1 लीवरेज अनुपात भी बनाये रखना है ।

बैंक पर्याप्त रूप से पूँजीकृत रहने के लिए प्रयास कर रही है तथा संक्रमण दौर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार की है । भारत सरकार से पुन:पूँजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है । आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूँजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति – नयी ईक्विटी पूँजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूँजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जाएगी ।

ऋण जोखिम प्रबंधन:

ऋण जोखिम मापन प्रक्रिया बैंक में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों, मानकों और दृष्टिकोण की रूपरेखा निर्धारित करती है। यह ऋण जोखिमों, संसाधनों का अनुकूलन और प्रतिकूल साख स्थितियों के विरुद्ध बैंक की रक्षा के लिए प्रणाली, प्रक्रियाओं, नियंत्रण और सक्रिय प्रबंधन हेतु उपायों को स्थापित करता है। क्रेडिट जोखिम के मुद्दों और विचारों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है।

the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the Group Entities, so as to build requisite risk management framework.

As a pre-requisite for the implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

The Bank has submitted Letters of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk, Internal Models Approach for calculation of capital charge for Market Risk and Advanced Measurement Approach for calculation of capital charge for Operational Risk.

Preparedness for Basel III:

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations is extended up to 31.03.2019. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, total capital of 9.00% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at the end of March 2019. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.50% during parallel run as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by the RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Going forward, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profits, optimization of business levels, proactive capital planning and management.

Credit Risk Management:

The Credit Risk management process outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. Systems, procedures, controls and measures are in place to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the Bank against adverse credit situations. In order to comprehensively address the issues and concerns of the Credit Risk, the Bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management Policy.

बैंक में, ऋण की मंजूरी के लिए ऋण प्रस्ताव की व्यवहार्यता और आवेदक की साख योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुपरिभाषित ऋण मंजूरी प्रक्रिया और प्राधिकरण मैट्रिक्स, संपार्श्विक प्रबंधन के लिए मानकों, ऋण निगरानी, अग्रिमों, एमएसएमई और ऑफ बैलेंस शीट एक्स्पोज़र की पुनर्संरचना आदि के लिए मजबूत प्रणाली उपलब्ध है ।

जोखिम स्वीकृति, जोखिम मापन, विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंड, संगठनात्मक संरचना, रणनीतियों और संचालन प्रक्रिया आदि उपलब्ध हैं । संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम और जोखिम संकेन्द्रण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए नीति विभिन्न जोखिम सीमाओं को निर्धारित करती है। आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा निवल ब्याज मार्जिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आय सृजन हेतु उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया जाता है ।

बैंक में उधार खाते के समग्र निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करने और ऋण प्रशासन, निगरानी और ऋण लेखापरीक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ऋण समीक्षा तंत्र है। ऋण की समीक्षा और निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया, साख प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रशासित है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन:

बैंक के बाज़ार जोखिम ढ्रांचे का उद्देश्य, सभी प्रकार के बाज़ार ज़ोखिमों को कम करना तथा विभिन्न बाज़ार जोखिम कारकों के लिए सीमा संरचना व उत्प्रेरक स्थापित करना है ।

एक्सपोज़र लिमिट, जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑन ट्रेडिंग बुक, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंट्राडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर–वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाज़ार परिचालनों की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के लिए वीएआर सीमा निर्धारित किये गये हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अन्य उत्प्रेरक के साथ इन सीमाओं पर निगरानी रखता है। बाज़ार जोखिम सीमा व उत्प्रेरक के प्रभावी व समयबद्ध निगरानी के लिए हेतु एक सुदृढ रिपोर्टिंग प्रणाली है।

परिचालनात्मलक जोखिम प्रबंधन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का ढ्रांचा, नैतिक मूल्यों, संगठनात्मक संस्कृति और सशक्त परिचालन कार्यविधियों पर आधारित है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक आयोजना समाहित हैं।

A robust system for appraisal of loan/credit proposals, including seeking adequate information for appraising the viability of the proposal and creditworthiness of the applicant for sanctioning credit limits, well defined credit approval process and authorization matrix, standards for collateral management, credit monitoring, restructuring of advances, MSME and Off Balance Sheet Exposures, is followed.

Risk Acceptance, Risk Measurement, Prudential Exposure Norms, Organizational Structure, Strategies and Operational Process are in place. In order to address the credit risk at portfolio level and the issue of concentration risk, the Policy prescribes fixation of various exposure ceilings. Risk Based Pricing is in tune with the Risk profile of the borrower to generate returns to achieve targetted RoA and NIM

The Bank has a Loan Review Mechanism for constantly evaluating the overall performance of the borrowal accounts and for bringing about qualitative improvements in credit administration, monitoring and credit audit. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing.

Market Risk Management:

The Market Risk framework of the Bank aims at restricting loss from all types of market risk loss events and also to establish limit structure and triggers for various market risk factors.

Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, Intraday and Overnight Limit for various Currency Positions, Dealer-wise Limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified Duration Limits for investment portfolio and VaR Limits are fixed to act as risk mitigants/ triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors these limits, along with other triggers, on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers.

Operational Risk Management:

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु नीतियों को अपनाया है जिसमें, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा, ऑउटसोर्सिंग गतिविधियां और सतत कारोबार योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं ।

वर्तमान में बैंक 'बेसिक इंडिकेटर एप्रोच' (बीआईए) से बासेल III ढ़ांचे के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया में है। बैंक ने उन?नत दृष्टिकोण की के कार्यान्वयन तथा परिचालन जोखिम के पूँजी भार के परिकलन के लिए घटना प्रबंधन, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण व स्व मूल्याँकन (आरसीएसए), परिदृश्य विश्लेषण निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया / गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं।।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली (एएलएम) चलनिधि और ब्याज दर जोखिम संबंधी मामलों को सुलझाती है ताकि कीमत–लागत अंतर, लाभप्रदता एवं दीर्घावधि व्यवहार्यता के बीच बेहतर संतुलन बनाये रखा जा सके। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नीतिगत ढांचे के भीतर, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएल सी ओ) का गठन किया गया है, जिसे निधीयन रणनीति और इसकी संरचना, उत्पाद मूल्य निर्धारण, तनाव परीक्षण तथा आकस्मिक कार्य योजना सहित आस्ति व देयताएं प्रबंधन की भूमिका सौंपी गई है। एक संतुलित एएलएम संरचना बैंक की लाभ हानि अंतर (स्प्रेड), लाभप्रदता और दीर्घकालिक अर्थक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।

बैंक ने दिनांक 01.01.2015 से तरलता प्रावरण अनुपात (एलसीआर) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। बैंक 01.01.2017 से प्रभावी कर एलसीआर की गणना दैनिक आधार पर कर रहा है । यथा 31.03.2018 को बैंक का एलसीआर न्यूनतम विनियामक निर्धारित 90% से अधिक है ।

समूह जोखिम:

बैंक की विभिन्न अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व प्रायोजित इकाइयां हैं, जो बहुआयामी गतिविधियों में लगे हुए हैं । बैंक की इन सामूहिक ईकाइयों में पर्याप्त हिस्सेदारी होने के कारण बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है ताकि अंतर समूह संव्यवहारों की जोखिमों की पहचान करते हुए उनका उचित प्रबंधन किया जा सके और सामूहिक इकाइयों के बीच हितों के टकराव से बचते हुए / कम करते हुए, कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को उठाया जा सके और व्यापार मानदण्डों के संबंध में इन इकाइयों के बीच "स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत" सुनिश्चित किया जा सके । वर्तमान में, समूह इकाइयों की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) कर रहे हैं ।

The Bank has adopted polices for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan.

At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approach of Basel III framework from the Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has already put in place Incident Management module for timely reporting of incidents, Review of Key Risk Indicators (KRI), Conducting of Risk Control & Self Assessment (RCSA) workshops and Scenario Analysis workshops to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management:

The ALM Policy of the Bank seeks to strike appropriate balance in the maturity and re-pricing profile of assets and liabilities, so as to reduce liquidity risk and manage interest rate risk. Within the policy framework, the Board of the Bank has set up Asset Liability Management Committee (ALCO), which is entrusted, inter alia, with the role of management of assets and liabilities including the funding strategies and its composition, product pricing, stress test and contingency action plan among others. A balanced ALM structure helps to sustain the spreads, profitability and long-term viability of the Bank.

The Bank has implemented the RBI guidelines with respect to Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. Bank has been computing LCR on a daily basis w.e.f 01.01.2017. As on 31.03.2018, LCR of the Bank is above the stipulated regulatory minimum of 90%.

Group Risk:

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, Bank has put in place a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions and exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing and avoiding conflicts of interest between the Group Entities and also to ensure 'Arms Length Principle' among Entities, with regard to business parameters. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम:

बैंक, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म साख, कमजोर वर्गों और विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को महत्व देता आ रहा है।

यथा मार्च 2018 को बैंक का **प्राथमिकत क्षेत्र अग्रिम** में 15.82% का वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹185626 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 40% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) के प्रति 51.69% हासिल किया गया ।

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	मार्च तक		वृद्धि	
	2017	2018	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	160269	185626	25357	15.82
कृषि	74079	84012	9933	13.41

कृषि को क्रेडिट वितरण पर ध्यान देने के साथ, कृषि पोर्टफोलियो के तहत बैंक की अग्रिम 13.41% बढ़कर ₹84012 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें 60 लाख से ज्यादा किसान शामिल थे। कृषि उधार के तहत, बैंक ने 18% अनिवार्य मानदंड के खिलाफ एएनबीसी का 22.17% हासिल किया। 2017–18 के दौरान, बैंक के कृषि ऋण वितरण पिछले वर्ष ₹58691 करोड़ की तुलना में ₹67902 करोड़ रुपये हो गया

बैंक ने सभी किसानों को फसल ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया ।

वर्ष के दौरान बैंक ने 7.48 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए, जो कि ₹11939 करोड़ रुपये है। मार्च 2018 में केसीसी के तहत बकाया क्रेडिट ₹16450 करोड़ रुपये था। 98.78% की उपलब्धि के साथ 7.70 लाख के योग्य खातों के मुकाबले 7.61 लाख किसान रुपे कार्ड जारी किए गए थे।

बैंक ने विभिन्न **सरकार प्रायोजित योजनाओं** जैसे कि प्रधान मंत्री रोजगार रोजगार कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना (एसजेएसआरई), और विभेदक दर ब्याज (डीआरआई) योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances:

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro and small enterprises, education, housing, micro-credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2018 reached ₹185626 crore, recording a y-o-y growth of 15.82% and achieved 51.69% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

(Amt. ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2017	2018	Amount	%
Total Priority Sector	160269	185626	25357	15.82
Agriculture	74079	84012	9933	13.41

With a focus on credit delivery to **Agriculture,** the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 13.41% to ₹84012 crore, covering over 60 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 22.17% to ANBC against 18% mandated norm. During 2017-18, the Bank's agriculture credit disbursal increased to ₹67902 crore compared to ₹58691 crore in the previous year.

The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loans facility to all farmers.

During the year, the Bank issued 7.48 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹11939 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹16450 crore as at March 2018. 7.61 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 7.70 lakh, with an achievement of 98.78%.

The Bank actively participated in various **Government Sponsored Schemes,** such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), and Differential Rate of Interest (DRI) Scheme.

मार्च 2018 में, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत बकाया अग्रिम ₹1276 करोड़ तक एकत्रित, जिसमें लगभग 1.71 लाख लाभार्थी शामिल थे।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादन:

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मार्च 2018	
	खाता	राशि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	14924	539
राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम)	22983	548
राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम)	3250	27
विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)	124473	112
स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई)	5687	50
कुल	**171317**	**1276**

डीआरआई के लिए अग्रिम ₹112 करोड़ रुपये था, जिसमें 1.24 लाख लाभार्थी शामिल थे, जिनमें से ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं की अग्रिम ₹88 करोड़ थी।

समाज के वंचित वर्गों के समर्थन में, एससी / एसटी लाभार्थियों को बैंक की अग्रिम मार्च 2018 में ₹7919 करोड़ रुपये थी, जिसमें 5.31 लाख उधारकर्ता शामिल थे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिमों का 4.30% शामिल है।

कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम ₹49865 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 10% के अनिवार्य मानदंड के खिलाफ एएनबीसी को 12.80% का गठन करता है।

यथा मार्च 2018 को कमज़ोर वर्ग को दिये गये अग्रिम का विभिन्न घटक:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
लघु व सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, काश्त कार, कृषक व बंटाईदार	4095215	43777
कारीगार, ग्राम और कुटीर उद्योग	39557	737
अ जा / अ ज जा लाभार्थी	531200	7991
डी आर आई ऋण	124473	112
एसजीएसआरवाई लाभार्थी	5687	50
स्वयं सहायता समूह	133582	3359
संयुक्त देयता समूह	36300	754

As at March 2018, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹1276 crore, involving around 1.71 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Amt. ₹ Crore)

Scheme	MARCH 2018	
	Accounts	Amount
Prime Minister Employment Generation Programme **(PMEGP)**	14924	539
National Rural Livelihood Mission **(NRLM)**	22983	548
National Urban Livelihood Mission **(NULM)**	3250	27
Differential Rate of Interest **(DRI)**	124473	112
Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana **(SJSRY)**	5687	50
Total	**171317**	**1276**

Advances to DRI stood at ₹112 crore, consisting of 1.24 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹88 crore.

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's **advances to SCs/STs** beneficiaries amounted to ₹7991 crore as at March 2018, covering 5.31 lakh borrowers. The advances to SCs/STs comprised 4.30% of total priority sector advances.

Advances to weaker sections reached ₹49865 crore, constituting 12.80% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2018:

(Amt. ₹ Crore)

Sectors	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	4095215	43777
Artisans, Village and Cottage Industries	39557	737
SC/ST Beneficiaries	531200	7991
DRI Loans	124473	112
SJSRY Beneficiaries	5687	50
Self Help Group	133582	3359
Joint Liability Group	36300	754

यथा मार्च 2018 को **विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों** को दिया गया कुल अग्रिम ₹30821 करोड़ रहा जो 15% के निर्धारित मानक की तुलना में कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 16.58% रहा ।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम / आजीविका):

आजीविका योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा शुरू किया गया था । गरीबी को कम करने के लिए गरीब परिवार को लाभकारी स्व रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके एक स्थायी आजीविका हासिल करने हेतु उन्हें सक्षम बनाना इसका उद्देश्य था । ग्रामीण क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्लूएसएचजी), जो कि 7% ब्याज पर ₹3 लाख तक के ऋण का लाभ लेते हैं और समय पर चुकाने वाले एसएचजी को 3% की अतिरिक्त सहायता प्रदान करना जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% तक कम करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य था । प्रथम चरण में सबसे पिछड़े 150 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।

भारिबैं ने अपने परिपत्र एफआईडीडी. जीएसएसडी. सीओ. बीसी. संख्या 13/09.01.03/2016–17 दिनांक 25/08/2016 व 3एफआईडीडी. जीएसएसडी. सीओ. बीसी. सं. 17/09/01/03/ 2017–18 दिनांक 18.10.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए 2016–17 के दौरान महिला एसएचजी हेतु ऋण पर ब्याज अनुदान को मौजूदा 150 जिलों के साथ–साथ और 100 जिलों में भी लागू किया जाएगा । एनआरएलएम, एनजीओ, केन्द्रीय या राज्य सरकार, नाबार्ड द्वारा डब्ल्यूएसएचजी कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किए गए सभी डब्ल्यूएसएचजी (महिला एसएचजी) जो बैंकों से जुड़े हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों के दावों को संभालने के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने एक वेब पोर्टल विकसित किया है जिससे सभी सदस्य बैंक अपने दावे अपलोड कर सकते हैं।

As at March 2018, advances to **specified minority communities** aggregated to ₹30821 crore, accounting for 16.58% of the total priority sector advances against the stipulated 15% norm.

Deendayal Antyodaya Yojana (DAY) – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NLRM/ Aajeevika):

Under the Scheme Aajeevika, National Rural Livelihood Mission (NRLM) was launched by the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India in June 2011, with an aim to reduce poverty by enabling the poor household to access gainful self employment and skilled wage employment opportunity, resulting in a sustainable livelihood. The main objectives of the Scheme includes providing interest subvention to Women SHGs (WSHGs) from rural areas who avail loans up to ₹3 lakhs at 7% per annum and to provide an additional subvention of 3% if WSHGs repay in time, thereby reducing the effective rate of interest to 4%. In the first phase, the focus was on 150 most backward districts.

The RBI vide their Circular FIDD.GSSD.CO.BC.No.13/09.01 .03/2016-17 dated 25/08/2016 & FIDD.GSSD.CO.BC. No.17/09.01.03/2017-18 dated 18.10.2017 has intimated that Interest subvention scheme on credit to Women SHG during 2016-17 for all Commercial Banks and Co-operative Banks will be implemented in 100 more districts along with the existing 150 districts. All WSHGs (Women SHGs) promoted by NRLM, NGOs, Central or State Government, NABARD under WSHG Programme which are linked with the banks are eligible for benefits under the Scheme. Ministry of Rural Development, Government of India, has designated Canara Bank as nodal bank for handling claims of banks. The Bank has developed a web portal, which enables all member banks to upload their claims.

(राशि ₹ करोड़ में)

सभी सदस्य बैंकों द्वारा किए गए ब्याज अनुदान दावे		
वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	राशि
2013-14	361231	266
2014-15	500829	304
2015-16	568304	365
2016-17	29020	394
2017-18	केवल 30 जून 2018 को उपलब्ध होगा।	

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधार:

यथा मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदत्त अग्रिम 10.49% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹82098 करोड़ हो गया। मध्यम व लघु उद्यम (एम व एस ई) वर्गों को दिया गया ऋण अनिवार्य 20% की तुलना में 22.19 % की वृद्धि के साथ ₹65760 करोड़ रहा। सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में रिकॉर्ड 3.60% की वृद्धि हुई।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बैंक ने 2017–18 के दौरान ₹6900 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹7435 करोड़ की राशि संवितरित की। मुद्रा योजना की विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूरित और संवितरण निम्नवत था:

श्रेणी	यथा 31.03.2018 (राशि ₹ करोड़ में)			
	खातों की संख्या	मंजूरित राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि
शिशु (<₹50,000)	267394	992	985	873
किशोर (>₹50,000– ₹.5 लाख तक)	212343	4002	3868	3666
तरुण (> ₹5 लाख से ₹10 लाख तक)	34032	2672	2582	2503
कुल	**513769**	**7666**	**7435**	**7042**

पिछले एक साल में बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने और उठाए गए कदमों के प्रति निरंतर जागरूकता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- ऋण प्रस्तावों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए देश भर में 167 विशेषीकृत एसएमई शाखाएं कार्यरत है। 167 विशेषीकृत एसएमई शाखाओं के अलावा 52 एसएमई सुलभ (विशेषीकृत एसएमई ऋण प्रसंस्करण केन्द्र) भी देशभर में कार्यरत है।

(Amt. in ₹ Crore)

Interest Subvention Claims made by all Member Banks		
Financial Year	No of Accounts	Amount
2013-14	361231	266
2014-15	500829	304
2015-16	568304	365
2016-17	29020	394
2017-18	will be available on 30th June 2018 only.	

Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) Lending:

Advances to MSMEs increased to ₹82098 crore as at March 2018, with a y-o-y growth of 10.49%. Credit to M&SE segments rose to ₹65760 crore, with a 22.19% growth against mandated norm of 20%.The number of Micro Enterprises accounts recorded a growth of 3.60%.

Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank disbursed an amount of ₹7435 crore against the target of ₹6900 crore during 2017-18. Sanctions and disbursals under different schemes of Mudra Yojana are as under:

Category	As on 31.03.2018 (Amt. in ₹ Crore)			
	No. of Accounts	Sanction Amount	Disbursement Amount	Outstanding Amount
Shishu (<₹50,000)	267394	992	985	873
Kishore (Above ₹50,000- 5 Lakhs)	212343	4002	3868	3666
Tarun (Above ₹5 Lakhs to ₹10Lakhs)	34032	2672	2582	2503
Total	**513769**	**7666**	**7435**	**7042**

During the year, the Bank has taken following initiatives to increase flow of credit to MSME sector and also to bring about continued awareness about the steps taken.

- 167 SME Specialised Branches are functioning throughout India for faster processing of credit proposals. Besides 167 SME Specialized Branches, 52 SME Sulabhs (Specialised SME Loan Processing Centres) are also functioning across the country.

- सूक्ष्म व लघु उद्यमों को कोई संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना तथा सरलीकृत ऋण शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई सहाय, मुद्रा केनरा अतिथि, डॉक्टर्स चॉइस(संशोधित संस्करण) एमएसई स्मार्ट, एमएसएमई कैप, एमएसएमई वाहन, एमएसई विजेता, केनरा कॉन्ट्रैक्टर योजना, केनरा कारवां तथा एमएसएमई एक्सपो जैसे खंड विशेष योजनाओं का शुभारम्भ किया है ।
- विशेष क्लस्टरों तथा गतिविधियों को प्रदान की जानेवाली ऋण को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र / क्लस्टर विशेष योजनाओं जैसे वस्त्र उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केनरा टेक्सटाइल, सेरामिक तथा विट्रिफाईड टाइल्स के निर्माण में कार्यरत इकाइयों को ऋण देने हेतु विशेष योजना और बुनकर क्रेडिट कार्ड्स उपलब्ध कराने हेतु बुनकर मुद्रा योजना आदि को शुरु किया गया और जारी रखा गया ।
- ऑनलाइन पोर्टल द्वारा एमएसई के बिल डिस्काउंटिंग के कारोबार को हासिल करने के लिए बैंक ने आरएक्सआईएल के माध्यम से टीआरईडीएस मंच आरंभ किया है।
- जागरूकता पैदा करने के लिए मेगा साख शिविरों का आयोजन किया गया तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए स्रोतों का अपूरण किया गया ।
- सफल उद्यमिता के लिए सही मार्गदर्शन व आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्थानीय संगठनों के अधिकारियों को शामिल करते हुए स्टार्ट – अप उद्यमियों के लिए शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया ।
- अंचल कार्यालय स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म उद्यम कारोबार केन्द्रों की स्थापना की गई ।
- बैंक ने एमएसएमई के तहत बैंक के विभिन्न पहलों के संबंध में उचित जानकारी के लिए www.canaramsme.com वेबसाइट शुरु की है ।
- एमएसएमई ग्राहकों द्वारा एमएसएमई आवेदनों का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण व ट्रैकिंग व्यापक तौर पर किया जाता है ।
- उभरते उद्यमियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे एमएसएमई के तहत चुनौतियों व अवसरों से संबंधित जानकारियों को आत्मसात करना, संगोष्ठियों का आयोजन, प्रशिक्षण पहल, संबंधित संगठनों के साथ विचार–विमर्श आदि तथा नियमित पत्रिकाओं के माध्यम से उक्त के प्रचार–प्रसार के लिए विभाग में उद्यमी विकास केन्द्र का गठन किया गया है ।

- To extend financial assistance to micro and small enterprises without offering any collateral security and with relaxed lending terms, some segment specific schemes have been launched / continued, such as, MSME Sahay, Mudra Canara Atithi, Doctors' Choice (improved version), MSE SMART, MSME CAP, MSME Vahan, MSE Vijeta and Canara Contractors' Scheme, Canara CARAVAN, and MSME Expo..
- To increase the Bank's exposure to specific clusters and activities, new area/cluster specific schemes have been launched / continued, such as, Canara Textiles, catering to the Textile Sector, Special Scheme for lending to units engaged in Manufacturing of Ceramics and Vitrified Tiles and Weavers Mudra Scheme in lieu of Weavers Credit Card.
- Bank has on boarded into TReDS Platform through RXIL to garner business of Bill Discounting of MSEs through online portal.
- Mega Credit camps are conducted to create awareness and pool sources for increased credit flow to MSME sector.
- Summits were arranged for Start-up Entrepreneurs involving functionaries from different Government Departments and local industrial bodies/ organizations for necessary inputs and guidance for successful entrepreneurship.
- Micro Enterprises Business Centres were established at Circle Offices for handholding Micro Enterprises.
- The Bank has an exclusive website www.canaramsme.com for easy access and understanding of MSME initiatives.
- The online submission of MSME applications and tracking thereof by the customers are facilitated and used extensively by the MSME clientele.
- Entrepreneur Development Centre at Head Office have been catering to the needs of budding entrepreneurs by way of assimilation of information regarding the challenges and opportunities under MSME, conducting seminars, training initiatives, interaction with the concerned organizations and propagation of the same through regular bulletins.

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई इकाइयों की निगरानी व फिसलन प्रबंधन संबंधी पहलुओं पर गौर करने के लिए तथा एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास व पुनर्गठन के माध्यम से मदद करने हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर विशेष गठन किया गया है ।
- शीर्ष 20 उधारकर्ता खातों के साथ बारीकी से संपर्क करने के लिए सभी 167 एसएमई विशिष्ट शाखाओं में एकल बिंदु संपर्क एमएसएमई रिलेशनशिप अधिकारियों को नामित किया गया है और वास्तविक समय के आधार पर उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- बैंक ने नए प्रस्तावों के स्रोत और एमएसएमई क्षेत्र में उधार देने के लिए यूएनआईडीओ क्लस्टर में विशेष ऋण शिविर आयोजित किए हैं।

बैंक, सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) के तकनीकि उन्नयन हेतु एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की साख संबद्ध पूँजी आर्थिक सहायता योजना (सीएलसीएसएस) के तहत नोडल एजेन्सी है । 2017–18 के दौरान मंत्रालय ₹27.44 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त की और वित्तीय वर्ष के दौरान इस पूरी राशि का उपयोग किया गया ।

महिला सशक्तिकरण:

प्रधान कार्यालय में महिला सश्क्तिकरण प्रभाग और देशभर के 21 अंचल कार्यालयों तथा 118 क्षेत्रीय कार्यालयों के महिला उद्यमिता विकास (सीईडीडब्ल्यू) केंद्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ये सीईडीडब्ल्यू संभावित उद्यमियों तक पहुंचकर आवश्यक परामर्श दे रहे हैं । उनको आवश्यक प्रशिक्षण देने के साथ–साथ वित्त और विपणन सहायताएं प्रदान कर रहे हैं । 2017–18 के दौरान सीईडीडब्ल्यू द्वारा 342 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

महिला उद्यमिता विकास केन्द्र ने स्वयं सहायता समूह के गठन व क्रेडिट लिंकेज में सहायता की है । विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं को ईडीपी / कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हरहल्ली, कर्नाटक में स्थापित ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के बाद से 21,090 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिसमें से 638 महिलाओं को 2017–18 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। बैंक द्वारा समर्थित 65 प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से स्थापना के बाद से 4.32 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से 27,410 महिलाओं को वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षित किया गया है । महिला ग्राहकों पर ध्यान देने के लिए बैंक ने 2 विशेष महिला बैंकिंग शाखाओं के अलावा देश भर में 80 शाखाओं को 'पूर्ण महिला कर्मचारी शाखा' में परिवर्तित

- An exclusive set up established at Head office has been looking into the aspects of monitoring, slippage management and handholding in times of stress by way of rehabilitation and restructuring of MSME units as per Government guidelines.
- Single Point Contact MSME Relationship officers are named in all the 167 SME Specialised Branches to closely liaise with the Top 20 borrower accounts of the Branch and cater to all their requirements on a real time basis.
- Bank has conducted Special lending camps in the UNIDO clusters for sourcing new Proposals and to ensure increased lending to MSME sector.

The Bank is the nodal agency for Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) of Ministry of MSME, Government of India, for technology upgradation of Micro & Small Enterprises (MSEs). During 2017-18, subsidy amount received from the Ministry under the Scheme was ₹27.44 crore and the same has been utilized fully during the financial year.

Empowering Women:

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 21 Circle Offices and 118 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertook counseling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 342 Programmes were organized by the CEDWs during 2017-18.

These centres have also assisted in the formation of Self Help Groups (SHGs) & Credit Linkages. Rural Self Employment Training Institute set up at Harohalli, Karnataka to provide EDP/skill training to women in various vocations has trained 21,090 women since inception, out of which 638 women have been trained during 2017-18. Through 65 Training Institutes supported by the Bank, 4.32 lakh women have been trained in Self Employment ventures since inception, of which 27,410 have been trained during 2017-18. Apart from establishing two exclusive Mahila Banking Branches, the Bank has equipped over 80 branches with all

कर दिया है। 18 सूक्ष्म वित्त शाखाएं सूक्ष्म व लघु महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं । बैंक ने यथा मार्च 2018 को ₹51069 करोड़ की ऋण बकाया के साथ 29.99 लाख महिलाओं की सहायता की है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एएनबीसी के 5% की अधिमानी आवश्यकता के एवज में 15.87% प्राप्त किया है ।

महिलाओं को अनेक रियायते दी गयी है जिसमें छात्राओं को शिक्षा ऋण में पात्रता नियमों में छूट के साथ 0.50% ब्याज दर में रियायत शामिल है । महिलाओं को वाहन ऋण (व्यक्तिगत वाहन) और आवास ऋण के तहत कार्ड दरों पर 0.05% ब्याज रियायत दी गई है । सूक्ष्म व लघु उद्यम के तहत महिला लाभार्थियों के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए एक विशेष ऋण योजना "एमएसई विजेता" लागू की गयी है तथा बैंक द्वारा महिलाओं के लिए अनेक छूट व सुविधाओं के साथ एक विशेष बचत बैंक उत्पाद केनरा महिला बचत योजना भी लागू की गयी है ।

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर "केनरा बैंक सर्वोत्तम महिला उद्यमी पुरस्कार 2016-17" के तहत 03 सफल महिला उद्यमियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया । विपणन सहायता के तहत बैंक महिला उद्यमी/स्वयं सहायता समूह के लिए बिना लागत के बेंगलुरू और शिमोगा (कर्नाटक) तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), कोयंबतूर (तमिलनाडू), तथा त्रिशूर (केरल) शहर में बाजार में अपने उत्पाद का प्रदर्शन या विपणन करने के लिए एक अनूठा कस्टम निर्मित, उच्च तकनीक, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल बिक्री वैन "केनरा वाहिनी" उपलब्ध कराई है जिसमें कंप्यूटरीकृत बिलिंग और कार्ड स्वाइप सुविधा उपलब्ध है ।

<u>अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व:</u>

बैंक का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व देश के 31 ज़िलों में है जिनमें से कार्नाटक में 08, तमिलनाडु में 07, केरल में 05 व उत्तरप्रदेश में 05, दिल्ली में 03, तेलंगना में 2 और बिहार में 01 ज़िले में है । बैंक, केरल में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) का संयोजक है ।

women employees to give focused attention to women clientele. 18 Micro finance branches are also engaged in supporting the financial needs of Micro & Small Women entrepreneurs & SHG members. 29.99 lakh women have been assisted with a credit outstanding to the tune of ₹51069 crore as at March 2018 and achieved 15.87% to ANBC as against RBI's requirement of 5%.

Several concessions have been provided to women borrowers that include relaxation in eligibility norms and 0.50% interest concession on educational loans to girl students. 0.05% interest concession on the Card Rates under Housing Loan to Woman and Vehicle Loan (Personal vehicle) to women. "MSE Vijeta", an exclusive loan scheme for women entrepreneurs for loans upto ₹2 Crore under Micro & small Enterprises and Canara Mahila Savings Scheme, a special Savings Bank deposit product, with many concessions have been devised for women.

During the year, 3 successful "Women Entrepreneurs" were given cash awards on the occasion of International Women's Day under Canara Bank Best Woman Entrepreneur Awards (CBWEA) 2016-17. Under marketing support, the Bank has provided five unique custom built, high tech, solar powered mobile sales vans "Canara Vahini" with computerized billing and card swiping facility to enable women entrepreneurs and SHGs to exhibit or market their products at Bengaluru and Shivamogga (Karnataka) and Aligarh (Uttar Pradesh), Coimbatore (Tamil Nadu), and Thrissur (Kerala).

<u>Lead Bank Responsibility :</u>

The Bank has Lead Bank Responsibility in 31 Districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi, 2 in Telangana and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala.

वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन के प्रति समग्र दृष्टिकोण

बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर रह गयी जनता को बैंकिंग की मुख्यधारा के अंतर्गत लाने के मूल उद्धेश्य से वित्तीय दायरे से बाहर व विशेष रूप से समाज के सीमित वर्गों को वित्तीय उत्पादों व सेवाओं को मुहैया कराने के लिए बैंक प्रयासरत है । भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक वित्तीय समावेशन के एजेंडा को विभिन्न समूहों में चार महत्वपूर्ण उपायों, जैसे बैंकिंग संरचना का विस्तारण, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के व्यापक और गहन उपयोग और हितधारक सहभागिता के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं ।

बैंक की शाखा मॉडलों के तहत 893 वित्तीय समावेशन (एफ़आई) शाखाएं हैं और कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 2459 कारोबारी प्रतिनिधि एजेंट्स (बीसीए) को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, बैंक में 470 अल्ट्रा लघु शाखाएं (यूएसबी) भी कार्यरत थी।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

पीएमजेडीवाई भारत की आबादी के व्यापक वित्तीय समावेशन, विशेषकर बैंकिंग दायरे से बाहर रहने वाले परिवारों को प्रावरित करने के लिए तथा बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रदान किए गए लाभ और सुविधाओं के साथ उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की पहल है। पीएमजीडीवाई योजना के तहत खाता खोले गए खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है । ₹1 लाख तक की दुर्घटना बीमा प्रावरण, ₹30000 तक का जीवन बीमा प्रावरण (31.01.2015 तक खोले गए खातों के लिए) तथा 06 माह तक संतोषजनक संव्यवहार करनेवाले खाताधारकों को ₹5000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दिया जाता है । पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के लिए बैंक को 3962 उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) और 3371 शहरी वार्ड आबंटित किये गये हैं ।

पीएमजेडीवाई के तहत निष्पादन विशेषताएं:

- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 67.53 लाख खाते खोले गये तथा इन खातों में ₹2058 करोड़ कासा जमा जुटाया गया है ।
- 10049 गांवों को शामिल करते हुए 893 ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलकर तथा शेष स्थानों पर 2459 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बैंक मित्रों) को शामिल करते हुए आवंटित सभी 3962 एसएसए और 3371 शहरी वार्ड को कवर किया गया ।

Financial Inclusion:

A Holistic Approach to Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with the key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and through advocacy of financial literacy.

The Bank has 893 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 2459 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model. In addition, 470 Ultra Small Branches (USBs) are also operational in the Bank.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

PMJDY is the initiative from Government of India for comprehensive financial inclusion of the population of India, particularly aiming at covering the households hitherto excluded from the purview of banking and empowering them with benefits and facilities provided by the banking industry. Accounts opened under PMJDY are issued with Rupay Debit card, accidental Insurance coverage to the extent of ₹1 lakh, life insurance cover of ₹30,000/- (for accounts opened upto 31.01.2015) and overdraft upto ₹5000/- after six months of satisfactory dealing. The Bank was allotted 3962 Sub Service Area (SSAs) and 3371 Urban Wards for implementation of PMJDY.

Performance highlights under PMJDY:

- Opened 67.53 lakh accounts under PMJDY and mobilized a CASA deposit of ₹2058 crore.
- Covered all allotted 10049 villages comprising of 3962 allotted SSAs and 3371 Urban wards by opening of 893 brick & mortar branches and engaging 2459 Business Correspondent Agents (Bank Mitras) at remaining locations.

- बैंक मित्रों के माध्यम से भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रदत्त हस्तधारित मशीनों को रूपे कार्ड स्वीकार करने हेतु समर्थित किया गया है । बैंक ने सभी पात्र खातों धारक को 42.41 लाख रुपए डेबिट कार्ड जारी किए हैं। बैंक मित्रों ने 122.19 लाख लेनदेन किये हैं, जो कि वर्ष के दौरान ₹2328 करोड़ रुपए का है।
- पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष खातों को 11.49% तक घटा दिया गया है।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत टॉल फ्री नंबर (1800 425 11 222) प्रदान करते हुए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है तथा उसे राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित किया गया है ।
- ₹5000/– तक पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट की सुविधा – सभी पात्र खाता धारकों के लिए बैंक में लागू किया गया था। वर्ष के दौरान 1.60 लाख पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ₹20.48 करोड़ की राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई । अब तक बैंक ने पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधा को 6.14 लाख खाताधारकों को ₹92.55 करोड़ की सीमा तक प्रदान किया है।

सामाजिक सुरक्षा योजना:

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं के तहत निम्नवत नामांकन किए गए हैं ।

योजना नामांकन	यथा मार्च 2018
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएम एस बी वाई)	38.38 लाख
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम जे जे बी वाई)	13.63 लाख
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	4.28 लाख

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी बैंक ने 13679 खाते जुटाए ।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन संबंधी गतिविधियों में भी निम्नानुसार महत्वपूर्ण प्रगति की है :

वित्तीय समावेशन शाखाओं में कारोबार जुटाया जाना:

वि.स. शाखाओं ने ₹18397 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें ₹4935 करोड़ के कासा जमा शामिल हैं, जो कुल जमा का 26.82% है । प्रत्येक वित्तीय शाखा का औसत कारोबार ₹20.67 करोड़ रुपयेहै ।

- Hand-held devices are provided to Bank Mitras for facilitating payments, which are enabled for accepting Rupay Cards. The Bank has issued 42.41 lakh Rupay Debit Cards to all eligible account holders. Bank Mitras have done 122.19 lakh transactions, amounting to ₹2328 crore during the year.
- Zero balance accounts under PMJDY have been brought down to 11.49%.
- Established a Toll Free number 1800 425 11222 for PMJDY as a part of grievances redressal mechanism and popularized through publication in National Dailies.
- Provided overdraft facilities upto ₹5000/- to all eligible PMJDY account holders. 1.60 lakh PMJDY accounts holders have been provided with overdraft facility, amounting to ₹20.48 crore during the year. So far the Bank has provided PMJDY overdraft facilities to 6.14 lakh account holders to the extent of ₹92.55 crore.

Social Security Schemes:

Under various social security schemes launched by the Government of India during the year, following enrolments have been made.

Scheme Enrolments	As at March 2018
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	38.38 lakhs
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	13.63 lakhs
Atal Pension Yojana (APY)	4.28 lakhs

Under Sukanya Samriddhi Yojana, the Bank has mobilized 13679 accounts.

Apart from the above, the bank has also made significant progress in the Financial Inclusion related activities during the year as under:

Business canvassed in the FI Branches:

FI branches have garnered business of ₹18397 crore, which includes CASA deposits of ₹4935 crore, constituting 26.82% of total deposits. Average business per FI branch stood at ₹20.67 crore.

सामान्य बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की स्थिति:

बैंक ने वर्ष 2017–18 के दौरान 7.67 लाख बीएसबीडी खाते खोले जिससे मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की संख्या यथा मार्च 2018 को ₹4892 करोड़ की कुल जमा के साथ 169.88 लाख तक जा पँहुची

एसएचजी गठन व साख संबद्धता:

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)ने वित्तीयन गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण गरीब के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 39705 एसएचजी निर्माण किया और 44439 एसएचजी में ₹1991 करोड़ तक का ऋण संवितरित किया। रुपये ₹3359 करोड़ जमा के साथ 1.30 लाख शेष एसएचजी खाते रहे।

किसान क्लब:

बैंक ने किसान क्लब बनाने की अवधारणा को अपनाया है जो क्रेडिट के माध्यम से स्वेच्छा से विकास के सिद्धांतों का प्रसार, बेहतर चुकौती नैतिकता, और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 1002 किसान क्लबों का निर्माण किया है।

सूक्ष्म वित्त शाखाएं:

बैंक ने शहरी केन्द्रों में 18 सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं ने यथा मार्च 2018 को कुल ₹686.86 करोड़ का कारोबार जुटाया है।

वितीय साक्षरता केन्द्र:

बैंक की वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) तथा बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलाप की देखभाल के लिए 'केनरा वित्तीय सलाहकार न्यास' की स्थापना की गई। साथ ही साथ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के द्वारा एफएलसे को भी बढ़ावा दिया गया। संपूर्ण भारत में 26 अग्रणी जिलों तथा 46 ब्लॉक में बैंक की 72 वितीय साक्षरता केन्द्र हैं जिनका प्रबन्धन परामर्शदाता (सेवानिवृत्त बैंकर्स) द्वारा किया जाता है।

वित्तीय साक्षरता पहल:

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों ने वर्ष के दौरान 18.63 लाख लोगों और स्थापना से लेकर अबतक 63.63 लाख लोगों को शिक्षित किया है।
- बैंक मित्र को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में स्वयं शामिल करने हेतु प्रेरित करने और अपने उप सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों को और अधिक लेन–देन करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु उनपर निगरानी के लिए वित्तीय साक्षरता समन्वयक की नियुक्ति की गई है।

Position of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts:

The Bank has opened 7.67 lakh BSBD accounts during the year 2017-18, taking the tally of BSBD accounts as at March 2018 to 169.88 lakh, with an outstanding deposit of ₹4892 crore.

Formation & Credit Linking SHGs:

Financing to Self Help Groups has played pivotal role for poverty alleviation and financial inclusion of the rural poor. The Bank has formed 39705 SHGs and credit linked to the extent to ₹1991 crore to 44439 SHGs during the year. The outstanding SHG accounts were more than 1.30 lakhs, with an outstanding amount at ₹3359 crore.

Farmers' Clubs:

The Bank has adopted a concept of forming Farmers' Clubs, which is an association of progressive farmers, who have volunteered to disseminate the principles of development through credit and also inculcate better repayment ethics and promote people's participation. During the year, the Bank has formed 1002 farmers clubs.

Micro Finance Branches:

The Bank has opened 18 Micro Finance Branches in the urban centres. These branches mobilized a total business of ₹686.86 crore as at March 2018.

Financial Literacy Centres:

Formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. Pan India, the Bank has 72 FLCs in 26 lead districts and 46 blocks across the country, managed by the Counsellors (retired bankers).

Financial Literacy Initiatives:

- Financial Literacy Centres have educated 18.63 lakh persons during the year and 63.63 Lakh persons since inception.
- Engaged Financial Literacy Coordinators to monitor and motivate Bank Mitras to involve themselves in Financial Literacy in a big way in their sub-service areas and encourage people to do more transactions.

- भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लिजिंग व फाइनेंसियल सर्विसेज संस्थान के माध्यम से बैंक मित्रों को प्रशिक्षित किया गया । उन्हें बैंक व कॉर्पोरेट बीसी द्वारा बैंकिग व प्रौद्योगिकी पहलू पर गहन प्रशिक्षण भी दिया गया ।
- अपने शाखाओं व सेवा क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शाखा प्रबन्धकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया ।
- नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि कार्यक्रम के तहत 507 वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन किया गया ।

आधार नामांकन अद्यतन केंद्र:

बैंक आधार नामांकन के लिए एक रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को बैंक शाखा परिसर के 10% के अंदर 740 केंद्र स्थापित करना है, जिसमें बैंक के लिए 613 केंद्र और 2 प्रायोजित आरआरबी (पीकेजीबी 65 और केजीबी 62) के लिए 127 केंद्र शामिल हैं। 31.03.2018 को कुल 735 आधार नामांकन अद्यतन केंद्र, जिसमें केनरा बैंक के लिए 608 केंद्र और आरआरबी के 127 केंद्र स्थापित किए गए ।

आधार प्रविष्टि:

कासा खातों में आधार सीडिंग के संबंध में वर्तमान स्थिति 85.49% है। पीएमजेडीवाई खातों के संबंध में स्थिति 84.53% है। नवीनतम सरकारी अधिसूचना के कारण, सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिका के निपटारे तक 31.03.2018 से आगे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 100% आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के लिए गहन निगरानी जारी है।

आधार प्रमाणीकरण

यूआईडीएआई के साथ खातों की जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण लगभग 200लाख खातों के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। शेष खातों के लिए शाखाओं के लिए एसएएस पैकेज में ई–केवाईसी बायोमेट्रिक और ओटीपी उपयोगिता सक्षम की गई है। वेब पोर्टल में, बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक के लिए खुद को प्रमाणित करने के लिए एक लिंक प्रदान किया है। एटीएम में ग्राहकों के लिए प्रमाणीकरण स्थिति जांच सुविधा प्रदान की गई है।

- Trained Bank Mitras through Indian Institute of Banking & Finance and Infrastructure Leasing & Finance Services (IL&FS). They were also provided with extensive training on Banking and Technology aspects by the Bank and the Corporate BCs.
- Special training was given to Branch Managers for conducting financial literacy programmes at their branches and in their service area.
- Conducted 507 financial literacy camps under Financial Inclusion Fund Scheme from the NABARD.

AADHAAR Enrolments Updation Centres:

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines, the Bank has to establish 740 centres inside 10% of the bank branch premises, comprising of 613 centres for the bank and 127 centres for the 2 sponsored RRBs (PKGB 65 & KGB 62). Total of 735 Aadhaar Enrolments Updation Centres as on 31.03.2018, comprising of 608 centre for Canara bank and 127 centres of RRBs was established.

AADHAAR Seeding:

Present position in respect of Aadhaar Seeding in CASA accounts is 85.49%. As regards PMJDY accounts, the position is 84.53%. Due to latest Govt notification, the timeline is extended beyond 31.03.2018 till disposal of the writ petition pending at Supreme Court. Close monitoring for ensuring 100% Aadhaar Seeding is under active follow up.

AADHAAR Authentication:

Demographic authentication of accounts with UIDAI has been done successfully for nearly 200 lakh accounts. For the remaining accounts e-KYC biometric and OTP utility has been enabled in the SAS package for branches. In web portal, the Bank has provided a link for the internet banking customer to authenticate on their own. In ATM, authentication status checking facility has been provided for the customers.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर गतिविधियों में कीर्तिमान स्थापित करना

बैंक संस्थापक सिद्धांतों व सदियों पुरानी परम्परा का पालन करते हुए विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है । बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल बहुआयामी है जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण व अन्य सामाजिक पहल शामिल है ।

ग्रामीण विकास:

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोज़गार गतिविधियों को बढ़ावा देने के के लिए केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी) के माध्यम से बैंक ने 26 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान, 05 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व 03 शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान सहित 34 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 23,123 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है । शुरूआत से अब तक 3.07 लाख बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया है एवं आजीविका बसाने वालों की दर 76% है ।

बैंक ने स्वरोज़गार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए 17 राज्यों में अन्य 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(रुडसेटि) को सह-प्रायोजित किया है । वर्ष 2017-18 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 24,074 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है जिससे अबतक इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित बेरोज़गार युवकों की संख्या 4.47 लाख हो गई है । इनमें से आजीविका बसाने वालों का दर 73% है । बैंक ने हैदराबाद स्थित आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण व उद्यमिता विकास संस्थान(एपीबीआईआरईडी), कर्नाटक के हलियाल स्थित केनरा बैंक देशपांडे रुडसेटी, कर्नाटक के बागलकोट स्थित कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र (के एफ आर सी) व बेंगलूर स्थित भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरय्या प्रशिक्षण संस्थान को सह प्रायोजित किया है। सम्यक रूप से बैंक ने 65 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह प्रायोजित किया है जहां 74% की रोज़गार दर के साथ अबतक 7 लाख बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया गया है । बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह व शिल्पकार को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 5 हाई टेक, कस्टम बिल्ट, सौर उर्जा चालित खुदरा मोबाईल विपणन वैन प्रदान किया है । वर्ष के दौरान बैंक ने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत समुदायों के लाभ हेतु कई गतिविधियाँ की है ।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities, like, training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

Rural Development:

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 34 exclusive training institutes, including 26 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs), 5 Institutes of Information Technology and 3 Artisan Training Institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self employment activities. During 2017-18, these Institutes trained 23,123 candidates, taking the tally to 3.07 lakh unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 76%.

The Bank has co-sponsored another 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2017-18, these Institutes trained 24,074 candidates, taking the tally to 4.47 lakh unemployed youth, with a settlement rate of 73%. The Bank has also co-sponsored Bankers Institute for Rural and Entrepreneurship Development (BIRED) at Hyderabad, Telangana and Canara Bank Deshpande RSETI at Haliyal, Karnataka Farmers Resource Centre (KFRC) at Bagalkot and Bharat Ratna Shri M Visvesvaraya Training Institute at Bengaluru, Karnataka. Cumulatively, the Bank has sponsored/ co-sponsored 65 training institutes, which have trained more than 7 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%. The Bank has donated 5 hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products. During the year, the Bank undertook a number of activities for the benefit of the communities as part of CSR.

बैंक ने कर्नाटक के कोलार और चिक्काबल्लपुर जिलों के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल सुविधा के लिए डी–फ्लोराइडेशन – आरओ संयंत्रों की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। शुद्ध (आरओ) कोलार जिले के 156 गांवों में पेयजल संयंत्र स्थापित किए गए हैं और वर्ष 2017–18 के दौरान परिचालन कराए गए हैं।

प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संस्थागत स्थापना के माध्यम से रोजगार / स्व रोजगार के लिए कौशल विकास, प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ समन्वय में स्वास्थ्य देखभाल पहलों, स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों के छात्रों के लिए शौचालयों का निर्माण, कंप्यूटर और अन्य प्रदान करना आधारभूत सहायता, छात्रवृत्ति सुविधाओं वाले छात्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, विकलांग व्यक्तियों को सहायता हाथ आदि किए गए ।

पर्यावरण संरक्षण:

बैंक ने श्री श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर ट्रस्ट, नानजंगूद, मैसूर को शुद्ध पेयजल के लिए आरओ जल संयंत्र प्रदान करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने भारत सरकार, स्वच्छ भारत अभियान में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

असुविधाग्रस्त के लिए स्वास्थ्य सेवा:

2डी इकोकार्डियोग्राफी कलर डोप्लर सिस्टम मैसर्स जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बैंगलोर में वंचित लोगों के इलाज के लिए नि:शुल्क किए जाते हैं। बैंक ने योग केंद्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र), गोलाहल्ली, बैंगलोर को ऑटो हेमेटोलॉजी विश्लेषक भी प्रदान किया है। ई–रिक्शा को आईसीएमआर–एनआईआरटी जबलपुर, भोपाल में अस्पताल परिसर में मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दान किया गया था। बैंक ने देहरादून में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा स्थापित सुपर स्पेशलिटी आई केयर यूनिट "विवेकानंद नेत्रालय" में डीजल जनरेटर सेट प्रायोजित किया है। केनरा बैंक राहत और कल्याण सोसाइटी, बैंगलोर को बैंक द्वारा सेवाक्षेत्र अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए सहायता दी गई थी।

The Bank has undertaken an ambitious project of providing De-fluoridation – RO plants for pure drinking water facility in fluoride affected villages of Kolar and Chikkaballapur districts, Karnataka. Pure (RO) Drinking water plants have been installed in 156 villages of Kolar District & made operational during the year 2017-18.

The major thrust areas are skill development for employment /self employment through Institutional set up, Health care initiatives in co-ordination with reputed Hospitals, promoting Education through direct and indirect support through smart classes, construction of toilets for girl students, providing computers and other infrastructural support, direct financial help to students with scholarship facilities, a helping hand to Persons with Disabilities etc.

Environment Protection:

The Bank has undertaken an ambitious project of providing RO water plant for pure drinking water to Sree Sreekanteshwara Swamy Temple Trust, Nanjangud, Mysore. The Bank has also actively participated in Government of India, Swacch Bharat activities during the year 2017-18.

Health care for the Underprivileged:

2D Echocardiography Colour Doppler Systems are provided freely for the treatment of underprivileged in M/s Jayadeva Institute of Cardiology, Bangalore. The Bank has also provided Auto haematology analyzer to Arogya Kendra (Primary Health Centre), Gollahalli, Bangalore. E-Rickshaw was donated for transporting patients from one place to another in hospital campus at ICMR- NIRTH Jabalpur, Bhopal. The Bank has sponsored Diesel generator set at super speciality Eye care unit “Vivekananda Netralaya” established by Ramakrishna Mission Ashram, at Dehradun. Canara Bank Relief and Welfare Society, Bangalore were given assistance by the bank towards purchase of medical equipments for Sevakshethra Hospital.

शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन

शिक्षा, सीएसआर के मुख्य कारक और व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण बैंक ने अपनी अन्य पहलों के अलावा, शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की है ।

प्रतिभाशाली अ.जा. / अ.ज.जा. की छात्राओं के लिए केनरा विद्या ज्योति छात्रवृति योजना

सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करनेवाली प्रतिभावान छात्राओं के लिए विद्या ज्योति छात्रवृत्ति कार्यक्रम को चौथे वर्ष भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और इससे 10,518 छात्राओं को लाभ प्राप्त हुई जिसमें ₹3.99 करोड़ का व्यय किया गया ।

बैंक ने जेडपीएच स्कूल के लिए मैसर्स बीजुआला राम रेड्डी चैरिटेबल ट्रस्ट, हैदराबाद में कंप्यूटर टेबल और अन्य फर्नीचर प्रदान किए हैं। स्कूल में स्कूल फर्नीचर और शौचालयों के निर्माण के लिए बैंक ने मेसर्स शस्य श्यामला एजुकेशन सोसाइटी, होस्पेट की सहायता की है। बैंक ने मेसर्स गुरु सिद्धेश्वर एजुकेशन सोसाइटी, होसादुर्ग को सहायक उपकरण के साथ कंप्यूटर सिस्टम भी दिए हैं।

गरीबी से निपटने व बाल विकास हेतु वित्तीय सहायता

बैंक ने सड़क के जादूगरों के लिए सदन के निर्माण के लिए अकादमी ऑफ मैजिकल साइंसेज, त्रिवेंद्रम को वित्तीय सहायता दी है। "श्री अध्यापन मंदिर हरिजन आश्रम", अहमदाबाद को अपने सामान रखने के लिए कैदियों (एससी / एसटी) की सुविधा के लिए व्यक्तिगत लॉकर्स दिए गए हैं।

विकलांग व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थन देने के लिए, समान एजेंसियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रम किए गए हैं। इसके संबंध में, बैंक ने महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर में गैर कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाले कृत्रिम अंगों की सहायता की, साइकिल और कृत्रिम अंग वितरित करने और ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरएमएचपी) के लिए चेन्नई के मेसर्स बेनियन के साथ साझेदारी की। बैंक ने गंज बसोदा में सात शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मोटरसाइकिल वाली साइकिल भी वितरित की और केनरा बैंक राहत और कल्याण सोसाइटी, बैंगलोर में ब्रेल केंद्र का निर्माण किया।

संसदीय समितियों द्वारा दौरा

वर्ष 2017-18 के दौरान अधीनस्थ विधान, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित

Direct and Indirect support to Education

Education being one of the prime sectors of CSR and a vital part of personality development the Bank, apart from its own initiatives, has assisted various educational institutions for spreading the coverage of education.

Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC/ST Girl Students

The scholarship was provided for those studying in Government and Government aided schools for the fifth successive year and 10,518 students have been benefitted utilizing a total amount of ₹3.99 crore.

The Bank has provided computer table and other furniture to M/s Bijuala Rama Reddy Charitable Trust, Hyderabad for ZPH School. The Bank has assisted M/s Sasya Shamala Education Society, Hospete, for the purchase of school furniture and construction of toilets in the school. The Bank has also given Computer systems with accessories to M/s Guru Siddeshwara Education Society, Hosadurga.

Financial assistance to combat Poverty & Child Development

The Bank has given financial assistance to the Academy of Magical Sciences, Trivandrum for construction of House to street magicians. “Stree Adhyapan Mandir Harijan Ashram”, Ahmedabad was given personal lockers to facilitate inmates (SC/ST) to keep their belongings.

For supporting persons with disability to lead a better life, a number of programmes in association with likeminded agencies were taken up. In connection with this, the Bank assisted M/s Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), an artificial limbs manufacturing NGO at Jaipur, for distributing tricycle and artificial limbs and partnered with M/s Banyan, Chennai for a Rural Mental Health Programme (RMHP). The Bank also distributed motorized tricycle to seven physically challenged persons in Ganj Basoda, Vidisha District, Madhya Pradesh and constructed Braille centre at Canara Bank Relief and Welfare Society, Bangalore

Visits by Parliamentary Committees

During the year 2017-18, Parliamentary Committees relating to Subordinate Legislation, Industries,

जाति व जनजाति कल्याण से संबंधित संसदीय समितियों ने बैंक का दौरा किया।

संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क

सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने शाखा विस्तार की और 132 घरेलू शाखाएं जोड़ी हैं । यथा मार्च 2018 को बैंक की विशेष शाखाओं, 8 विदेशी शाखाओं सहित 6212 शाखाएं हैं।

शाखा नेटवर्क की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2017	31.03.2018	
महानगरीय	1228	1242	17
शहरी	1138	1162	24
अर्ध शहरी	1936	1990	55
ग्रामीण	1773	1810	36
विदेशी	8	8	--
कुल शाखाएं	**6083**	6212	132

नोट: वर्ष के दौरान 3 शाखाएं विलय / बंद कर दी गई ।

वर्ष के दौरान 4 विशेषीकृत शाखाएं जोड़ी गई जिससे विशेषीकृत शाखाओं की कुल संख्या, यथा मार्च 2018 को 289 हुई ।

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	31.03.2018
एस एम ई	167
मिड कॉर्पोरेट	25
सूक्ष्म वित्त	18
आस्ति वसूली प्रबन्धन	20
प्राइम कॉर्पोरेट	12
विदेशी	11
कृषि वित्त	9
अनिवासी भारतीय	9
बचत	1
औद्योगिक वित्त	3
स्टॉक एक्सचेंज	2
पूंजी बाज़ार	1
महिला बैंकिंग	2
दिव्यांग के लिए शाखाएं	1
विशेष सरकारी कारोबार शाखा	6
डिजिटल बैंकिंग शाखा	2
कुल	**289**

Commerce, Social Justice and Empowerment, Welfare of OBCs, SCs & STs visited the Bank.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

In a bid to expand the reach, the bank added 132 domestic branches during the year. As at March 2018 the Bank had 6212 branches, including Specialized Branches and 8 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2017	31.03.2018	
Metropolitan	1228	1242	17
Urban	1138	1162	24
Semi-urban	1936	1990	55
Rural	1773	1810	36
Overseas	8	8	--
Total Branches	**6083**	**6212**	**132**

Note: 3 branches were merged/closed during the year.

The Bank added 4 Specialized Branches during the year, taking the total tally under the Specialized Branches to 289 as at March 2018.

Categories of Specialized Branches	31.03.2018
SME	167
Mid Corporate	25
Micro Finance	18
Asset Recovery Management	20
Prime Corporate	12
Overseas	11
Agri-Finance	9
NRI	9
Savings	1
Industrial Finance	3
Stock Exchange	2
Capital Market	1
Mahila Banking	2
Branch for Physically Challenged	1
Specialized Govt Business Branch	6
Digital Banking Branch	2
Total	**289**

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनलों में प्रगति

मार्च 2018 तक बैंक के 9395 एटीएम हैं। मार्च 2017 में 3.30 करोड़ की तुलना में बैंक का डेबिट कार्ड बेस 4.30 करोड़ हो गया। इसके अलावा, 174 हाई–टेक ई–लाउंज एटीएम की तरह, वॉयस निर्देशित सिस्टम के साथ नकद जमा कियोस्क, चेक जमा कियोस्क, सेल्फ प्रिंटिंग पासबुक कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट एक्सेस सुविधाओं के साथ चुनिंदा शाखाओं में परिचालित है। इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम को भी ई–लाउंज का रूप दिया गया ।

बैंक द्वारा अपनाए गए विभिन्न वैकल्पिक वितरण उपायों के परिणामस्वरूप, मार्च 2018 में ई–लेनदेन अनुपात 76.5% बढ़ गया जो पिछले वर्ष 64.97% था। पंजीकृत मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 90.8 लाख हो गई और मार्च 2018 में नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 48 लाख हो गई।

डिजिटल शाखा–कैंडी, बैंगलोर और चेन्नई में स्वचालित सुविधाओं के साथ खोली गई और ग्राहकों को अपने आप खाता खोलने और लेन–देन करने के लिए रोबोट सहायक के रूप में था।

ग्राहक के अनुकूल सूचना तकनीकी पहल

वर्ष के दौरान मोबाईल बैंकिंग तथा नेट बैंकिंग सुविधाओं में सुधार लाने के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कई ऐप, तकनीकी उत्पाद / सेवाओं आरंभ तथा बेहतर बनाया है।

- **केनरा दिया (आपका डिजिटल खाता)** – नया बचत खाता खोलने के लिए तुरंत ऑनलाईन आवेदन हेतु एक मोबाईल ऐप।
- **भीम केनरा एम्पॉवर** – एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई), अनेक बैंक खातों के उपयोग हेतु एकल प्लैटफार्म।
- **केन मोबाईल** – बैंक की आधिकारिक मोबाईल बैंकिंग एप्लीकेशन जो निधि अंतरण, आईएमपीएस, आदि की सुविधा प्रदान करता है।
- **केनरा ई–इंफोबुक** – ई–पासबुक (संव्यवहार विवरण), बकाया पूछताछ, खाता सारांश, चेक स्थिति, क्रेडिट कार्ड सूचना, आदि देखने के लिए एक मोबाईल ऐप।
- **केनरा एमसर्व** – अपने कार्ड हॉट लिस्ट और ब्लॉक / अनब्लॉक करने के लिये मोबाईल ऐप। यह धोखाधड़ी संव्यवहारों से बचने के लिए डेबिट कार्ड हेतु एटीएम / पीओएस संव्यवहारों के लिए सुरक्षित सीमा निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाती है।

Progress in Digital Banking & Alternate Delivery Channels

The bank has 9395 number of ATMs as on March 2018. The Bank's debit card base rose to 4.30 crore compared to 3.30 crore as at March 2017. Besides the above, 174 hi-tech E-lounges were also operational in select branches, with facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System was also configured at select e-Lounges.

As a result of such alternate delivery channels adopted by the Bank, the e-transaction ratio increased to 76.5% as at March 2018 compared to last year's 64.97%. The number of registered Mobile Banking users increased to 90.8 lakhs and Net Banking users increased to 48 lakhs as at March 2018.

Digital Branch – CANDI, opened at Bangalore and Chennai with fully automated facilities and robotic assistance for customers to open accounts and do transactions themselves.

Customer-friendly InfoTech Initiatives

Besides bringing improvement in the Mobile Banking and Net Banking features, during the year, the Bank introduced and improved upon several Apps, Tech-products/services for the convenience of the customers.

- **Canara DiYA (Digitally Your Account) –** A mobile app to instantly apply online for opening new Savings account.
- **BHIM Canara Empower -** Unified Payments Interface (UPI), a single platform for accessing multiple bank accounts.
- **Canmobile –** Official mobile banking application of the bank which facilitates fund transfer, IMPS, etc.
- **Canara e-Infobook –** A mobile app to view e-passbook (transactions details), balance inquiry, A/C summary, Cheque Status, Credit Card info, etc.
- **Canara mServe –** A mobile app to Switch ON/OFF and Hotlist their Debit and Credit Cards. It also allows setting safe limit for ATM/POS transactions for Debit cards to prevent fraudulent transactions.

- **केनरा स्वाइप** – एकल अनुप्रयोग में सभी मिस्ड कॉल समाधान
- **केनरा ओटीपी** – एक मोबाईल ऐप जो एसएमएस ओटीपी के बदले इस ऐप का उपयोग करते हुए सृजित ओटीपी के साथ इंटरनेट बैंकिंग संव्यवहारों को प्रमाणिकृत करता है, मोबाईल नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर होने पर भी।
- **केनरा रिवाड्र्स** – क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट देने के लिए ऐप
- **केनरा जियोलॉकेट** – मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा केनरा बैंक के एटीएम, ई–लॉन्ज तथा शाखा का पता लगाने के लिए एक जीपीएस आधारित खोज सक्षम करता है ।
- **भीम आधार भुगतान** – वस्तु / सेवाओं की बिक्री हेतु भुगतान स्वीकार करने के लिए ऐप।
- **केनरा कार्ट** – इस एकल मोबाईल ऐप के तहत ग्राहक एक अनुप्रयोग टोकरी में सभी मोबाइल आधारित समाधान प्राप्त करता है।
- **ग्रीन पिन** – ग्राहक को नये जारी किये डेबिट कार्ड के लिये पिन सृजित करने और पिन भूल जाने पर नया पिन प्राप्त करने के लिये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है।

- ग्राहक अपने एम्पॉवर एप्लीकेशन से व्यापारियों के भारत क्यूआर कोड 4.0 को सीधे स्कैन कर सकता है तथा अपने मास्टर / वीसा / रुपे कार्ड से भुगतान कर सकता है।
- पहले बैंक को हमारे एटीम में अलग विकल्प “आधार स्थिति” को आरंभ करना है जिससे हमारे कार्ड धारक अपने खाते से जुड़ी आधार स्थिति का पता लगा सकते हैं।
- नेट बैंकिंग रिपोर्ट सुविधा के माध्यम से नामित को जोड़ने / बदलने तथा हटाने में सक्षम बनाने की सुविधा।
- एसएमएस के जरिए **चेक बुक मांग** कार्यान्वित किया गया ।
- **https://canarabank.gaadi.com** कार मॉडल, ऑन–रोड मूल्य व अनुमानित ईएमआई उपलब्ध कराता है तथा तुरंत ऑनलाईन ऋण आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से सक्षम किए गए 15जी/एच की प्रस्तुति।
- डिजिटल मित्र, प्रत्येक शाखा में पहचाने जाने वाले समर्पित कर्मचारियों को नए डिजिटल प्लैटफार्म डाउनलोड / पंजीकरण / उपयोग करने में सहायता हेतु।

- **Canara Swipe** - all missed call solutions in a single mobile Application.
- **Canara OTP** – A mobile app which authenticates Internet banking transactions with OTP generated using this app instead of SMS OTP, even when you are out of mobile network coverage area.
- **Canara Rewardz –** A mobile app to redeem the reward points in Credit Card.
- **Canara GeoLocate** - A mobile Application which enables a GPS based search for locating Branch / ATMs/E-Lounges of Canara Bank.
- **BHIM Aadhaar Pay** - App for accepting payments for the sale of goods/services.
- **Canara Cart** - Customers can manage all mobile apps of Canara Bank under this single mobile app.
- **Green Pin** - Enables the customers themselves to generate Debit Card PIN at the time of issuance of card and also if PIN is forgotten.

- Customers can directly scan Bharat QR 4.0 of merchants with their EMPOWER application and pay directly with their Master/ Visa/ Rupay Cards.
- First Bank to introduce unique option “Aadhaar Status” in our ATM using which our card holders can ascertain the status of Aadhaar linking to their account.
- Facility to add/modify and delete nominee enabled through net banking facility
- Implemented **Cheque Book indent** through SMS
- **https://canarabank.gaadi.com** provides car models; on-road price & approximate EMI and instant online loan application can be submitted.
- Submission of 15G/H enabled through net banking.
- DIGITAL MITRA, a dedicated staff identified at each branch for helping customers downloading / registration / usage of new digital platforms.

- एटीएम के माध्यम से ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र पीएमजेडीवाई ग्राहकों के लिए पीएमजेडीवाई ओडी ऑटोमेशन सुविधा हेतु भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई। अटल पेंशन योजना के तहत ऑनलाईन खाता खोलने की सुविधा आरंभ की गई। एटीएम, एसएमएस तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना सक्षम की गई।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जमा योजना का कार्यावयन – 2016 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नेट बैंकिंग तथा शाखाओं के माध्यम से कर भुगतान किया गया।
- शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी के तहत वेब पोर्टल, केन्द्रीय ब्याज अनुदान योजना (सीएसआईएस), मासंवि मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र योजना ब्याज अनुदान (एसीएसआईएस) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार और 'पढ़ो परदेश' अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के लिए अनुदान जारी किया गया ।
- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में खातों को अवरुद्ध करने के लिए 56161 पर "SUSPECT" एसएमएस करें, कॉल सेंटर और शाखाएं सीपीजीआरएस वेब पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करें ।
- पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान (सीपीपीसी) को संभालने के लिए नया मॉड्यूल पेंशन और बकाया के समय पर वितरण को सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया।
- केनरा डिजाइन (ई–साइन आधार ओटीपी सुविधा का उपयोग कर डिजिटल हस्ताक्षर) जारी किया गया।
- स्वामित्व खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग का ऑनलाइन स्व पंजीकरण सक्षम और ऑनलाइन बचत बैंक और पीपीएफ खाता खोलने की शुरुआत हुई।
- लागू नकद स्वीकार करने और वितरण के लिए पुनर्चक्रण कार्यक्षमता आरंभ की गई ।
- इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन सक्षम का उपयोग कर कैनरा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ओटीपी आधारित आधार प्रविष्टि और प्रमाणीकरण हेतु सक्षम बनाया गया।
- खुदरा नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए पासवर्ड अनलॉक / सक्रिय / रीसेट करने के लिए प्रमुख प्रमाणीकरण कारकों में से एक के रूप में आधार संख्या बनाई गई।
- वित्तीय लेनदेन के लिए इंटरनेट बैंकिंग में सक्षम टॉगलिंग (चालू / बंद) विकल्प किया गया।

- Implemented Social Security Schemes of Govt. of India, PMJDY OD Automation facility for eligible PMJDY customers for availing OD facility through ATMs. Introduced facility for online account opening under Atal Pension Yojana (APY). Subscription to the Social Security Schemes through ATM, SMS and Internet Banking enabled.
- Enabled Prime Minister Garib Kalyan Yojana Deposit Scheme – 2016 and tax payment through Net Banking and Branches for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana scheme.
- Web Portals under education loan interest subsidy released for Central Scheme for Interest Subsidy (CSIS), Ministry of HRD, GoI, Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy (ACSIS), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India and Padho Pardesh, Ministry of Minority Affairs, Government of India.
- Report suspicious transaction through CPGRS web portal, SMS "SUSPECT" to 56161, call centers and branches for blocking accounts in case of unauthorized electronic Banking transaction.
- New module for handling Pension Processing & Payment (CPPC) launched to enable timely disbursement of Pension and arrears.
- Canara DigiSign (Digital Signature using eSign Aadhaar OTP facility) released.
- Online Self Registration of Internet Banking for Proprietorship Accounts enabled and online Savings Bank and PPF account opening introduced.
- Recycler functionality for Accepting & Dispensation of cash implemented.
- OTP based Aadhaar seeding and Authentication through Canara Bank's website using Internet Banking login enabled.
- Aadhaar Number made as one of the key authentication factors to Unlock/Activate/Reset Password for Retail Net Banking customers.
- Enabled Toggling (On/Off) option in Internet Banking for Financial Transactions.

- आईएमपीएस सीमा रुपये ₹50,000 से रु प्रति ग्राहक ₹2,00,000 बढ़ा दी गई है। ।
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए, निर्माता– इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर भुगतान के लिए परीक्षक कार्यक्षमता सक्षम किया गया।
- केनरा बैंक रुपे डेबिट कार्ड, केनरा क्लब कार्ड – डेबिट, केनरा सुरक्षित क्रेडिट कार्ड, केनरा एलिट डेबिट कार्ड, प्लैटिनम रुपए कार्ड और ईएमवी चिप कार्ड डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड जैसे कई कार्ड लॉन्च किए गए ।
- एटीएम (एनएफएस के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी) के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण शुरू किया गया है।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार की पहल के अनुरूप, बैंक **डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), भीम ऐप, भारत क्यूआर कोड और आधार–सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)** के उपयोग में वृद्धि के लिए व्यापारियों पर जा रहा है। । बैंक ग्राहक सुविधा और बेहतर सेवा के लिए अधिक डिजिटल पहलों को लागू करने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन:

बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन व साइबर धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष–श्री जी गोपालकृष्ण) की सिफारिश को पूर्णरूपेण लागू किया है ।

श्रमशक्ति प्रोफाइल:

यथा मार्च, 2018 को बैंक में 58855 कर्मचारी थे। कैडरवार कर्मचारी संख्या निम्नलिखित है:

संवर्ग	मार्च 2017	मार्च 2018
अधिकारी	26127	28739
लिपिक	20549	21551
अधीनस्थ कर्मचारी *	**9041**	**8565**
कुल	**55717**	**58855**

*अंशकालिक कर्मचारी सहित (पीटीई)

बैंक के कर्मचारियों में 49% अधिकारी, 37% लिपिक व 15% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी 17,803 हैं जो कि

- IMPS limit enhanced from ₹50,000 to ₹2,00,000 per customer per day.
- For Corporate customers, Maker-Checker functionality enabled for tax payment through internet banking
- A number of Debit / Credit / prepaid cards launched like Canara Bank RuPay Debit Card, Canara Club Card – Debit, Canara Secured Credit Card, Canara Elite Debit Card, Platinum Rupay Card and EMV Chip Cards.
- Mobile Banking Registration through ATMs (Interoperability through NFS) has been introduced.

To enhance digital transactions, in line with the initiatives of the Government of India, the Bank is on-boarding merchants for increasing usage of **Debit and Credit Card payments, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App, Bharat QR Code and Aadhaar-enabled Payment Systems (AEPS).** The Bank is in the process of implementing more digital initiatives for customer convenience and better service.

Compliance to International Standards:

The Bank has fully implemented the recommendations of the RBI Working Group (Chairman, Shri G Gopalakrishna) on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.

Manpower Profile:

As at March 2018, the Bank had 58855 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower is as follows:

Cadre	March 2017	March 2018
Officers	26127	28739
Clerks	20549	21551
Sub-Staff *	**9041**	**8565**
Total	**55717**	**58855**

* Includes Part Time Employees (PTEs)

Total staff strength of the Bank was comprised of 49% Officers, 37% Clerks and 15% Sub Staff. The Women staff

बैंक के कुल कर्मचारियों का 30% है । मार्च 2018 को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 4,244 है। बैंक के रोल पर दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या 1450 है ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 6404 व्यक्तियों को विभिन्न संवर्गों में नियुक्त किया है, जिसमें से 1039 अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है व 456 अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित हैं । वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में 601 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हुए हैं । वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों के तहत 1,877 महिला कर्मचारी नियुक्त हुई और 995 महिला कर्मचारी पदोन्नत हुई ।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण नीति

यथा मार्च 2018 को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 27% है । यथा मार्च 2018 को बैंक के कर्मचारियों में एससी / एसटी का संयोजन निम्नलिखित है :

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
अधिकारी	5135	2209
लिपिक	4039	1371
अधीनस्थ कर्मचारी	2562	472
कुल	**11736**	**4052**

भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के संबंध में बैंक आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन करता है ।

(क) आरक्षण नीति पद आधारित रोस्टरों के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने सभी कैडरों हेतु पद आधारित रोस्टरों के तंत्र पर स्विच ओवर कर लिया है।

(ख) सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति हेतु भी बैंक ने आरक्षण / रियायत / छूट प्रदान की है।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति व पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिक व अधिकारी संवर्ग में भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगनेवाले विज्ञापन में एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यक समुदाय/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में एक विशेष संदर्भ दिया जाता है। इनमें से वे

strength of the Bank was 17,803, constituting 30% of the employees. The total number of ex-service men staff as at March 2018 stood at 4,244. There were 1450 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

During the year, the Bank recruited 6404 persons in various cadres, out of which 1039 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 456 to Scheduled Tribes (STs) categories. 601 ex-servicemen were recruited in various cadres during the year. 1877 women employees were recruited and 995 were promoted under various cadres during the year.

Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

As at March 2018, the number of Scheduled Castes and Scheduled tribes together constituted 27% of the total staff strength of the Bank. The composition of SCs/STs employees as at March 2018 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	5135	2209
Clerks	4039	1371
Sub-Staff	2562	472
Total	**11736**	**4052**

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government of India guidelines.

(a) Reservation Policy is implemented through the mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Bank has switched over to Post Based Rosters for all cadres.

(b) The Bank has been extending Reservation/ Relaxations/Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government guidelines.

(c) Pre-recruitment & Pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Advertisement inviting application from the eligible candidates for recruitment to Clerical Cadre, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD /

अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्वनियुक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि करीब 2 हफ्ते हैं। अध्ययन सामग्री, नोटबुक, स्टेशनरी सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क दिया जाता है। जहाँ भी संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी सरकारी / पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध कराती है। सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री, पुस्तिका, लेखन सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) बैंक ने रोस्टर के अनुरक्षण को व आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी एससी / एसटी कक्ष स्थापित किया है ।

(ङ) आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी को नामांकित किया है और अंचल कार्यालय में भी संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है ।

आगे, प्रत्यक्ष रूप से या तो एससी/एसटी संघ के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से प्राप्त अभ्यावेदनों पर मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जायेगा । जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जायेगी व उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के रिकॉर्डिंग हेतु एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है और की गयी कार्यवाही को भी रजिस्टर में नोट किया जाता है ।

उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति कर्मचारी के प्रतिनिधियों को बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ तिमाही बैठक हेतु बुलाया जाता है जहाँ आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिचर्चा की जाती है । अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठक की जाती है जहाँ रोस्टर रखा जाता है व यदि कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है ।

(च) बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति में हुए कार्यान्वयन पर अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक आधार पर समीक्षा करती है ।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियाँ:

बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु बैंक की मानव संसाधन नीतियों को परिवर्तित किया गया है । फ्रंट लाइन कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने हेतु एचआर पहल जैसे **सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कार्यपालकों को संवारना तथा अन्य

Minority Communities / Ex-SM. Pre-recruitment training for Officer Cadre is provided to candidates belonging to SC / ST & Minority Communities. Such of those candidates who opt for pre-recruitment training are given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training is for a week. Study materials, note book, stationeries are provided free of cost to all the participants.

(d) The Bank has set up SC/ST Cells at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and proper implementation of other aspects of Reservation Policy.

(e) Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy.

Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted & appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.

In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.

(f) The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy, half yearly and yearly.

Human Resource Development (HRD) activities:

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR initiatives, like, **'Soft skill training programme'** for bringing attitudinal change among frontline staff and Executives grooming through reputed institutes and other significant

महत्वपूर्ण एचआर टूल्स जैसे स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक व मस्तिष्क मंथन सत्र को प्रभावी टीम निर्माण और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से शिक्षित करने के लिये विभिन्न कॉर्पोरेट संप्रेषणों को लाया गया है।

कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (एसटीसी), बेंगलूरु द्वारा एक उच्च संचेतन प्रशिक्षण कार्यक्रम, नामत: "उत्थान" आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को बड़ी संख्या में युवा कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिन्हें हाल ही में भर्ती किया गया है और अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को भी संगठन के विकास के प्रति कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक की संस्कृति, लोकाचार, भावना, अपनत्व, स्वामित्व और ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में उन्हें संवेदित करके प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक ने विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को उजागर किया है जो कि आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, इन–कंपनी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण को कवर करता है। आंतरिक रूप से, बैंक का बेंगलूरु में कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है और 25 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (आरएसटीसी) है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अधिकारियों, कृषि विस्तारण अधिकारियों व विशेषज्ञ अधिकारियों हेतु प्रवेश कार्यक्रम सहित साख अभिमुखीकरण, विपणन कौशल प्रशिक्षण कर्मचारियों को प्रदान किया है। बैंक ने शाखा प्रबंधकों हेतु कई नये प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे क्रेडिट प्रबंधन और निर्णय लेने का कौशल, क्रेडिट मूल्यांकन कार्यक्रम व कार्यपालकों हेतु वसूली पहलुओं पर कार्यशाला रूपायित व कार्यान्वित की है।

बैंक ने एक नेक कार्यक्रम की कल्पना की यथा, प्रतिभा बैंक (टैलेंट बैंक) का निर्माण किया है, जिसमें स्केल I से स्केल IV तक के सामान्य अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो पहचाने गए प्रमुख व विशेष क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक हैं। इस योजना के तहत 1,096 अधिकारियों का चयन किया गया है।

2 चरणों में गहन साख प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साख में विशेषज्ञता लाने हेतु कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा स्केल I से स्केल III, तक के अधिकारियों के लिए रूपायित विशेषीकृत गहन कार्यक्रम है। साख पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने 1000 से अधिक अधिकारियों के एक प्रतिभा पूल का निर्माण किया है।

आगे, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईएम, एक्सएलआरआई–जमशेदपुर, आईडीआरबीटी– हैदराबाद, जेएनआईबीएफ– हैदराबाद, एनआईबीएमट्ट पुणे, एसआईबीएसटीसी– बेंगलूर, सीएएफआरएएल, सीएबी (आरबीआई)– पुणे इत्यादि पर केन्द्रित ध्यान व आवश्यकता

HR tools, like, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence. Various Corporate Communications were brought out to boost the morale of the employees and educate them in various facets of banking.

A high sensitization training programme christened "UTTHAN" was conducted by the Staff Training College (STC), Bengaluru. This training programme was aimed at empowering large number of young employees who have been recently recruited and also other senior employees by sensitizing them regarding Bank's culture, ethos, sense of belongingness, ownership and concern for customers with a view to achieving the corporate objectives towards growth of the organization. The Bank has in place an exhaustive training process that cover Internal Training, External Training, In Company Training and Foreign Training. Internally, the Bank has STC at Bengaluru and 25 Regional Staff Training Colleges (RSTCs) across the country.

During the year, the Bank has provided training to its employees, covering a wide range of functional areas, including Credit Orientation, Marketing Skills, and Induction Programme for Officers, Agriculture Extension Officers and Specialist Officers. The Bank has designed and implemented several new training programmes, including credit management and decision making skills, credit appraisal programme for Branch Managers and workshop on recovery aspects for Executives.

Under a novel programme, viz., Talent Bank Scheme, a talent pool was formulated, comprising Officers from Scale I to Scale IV, who are willing to take up challenging assignments in the identified critical or specialized areas. 1096 Officials have been selected under the Scheme.

Intensive Credit Management Programme is being conducted in 2 phases. This is an in-depth and exhaustive programme on credit matters evolved by Staff Training College, for Officers in Scale I – III, to build specialization in credit. Intensive Training Programme on Credit over the years has built a talent pool of over 1000 Officers.

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based training at various institutes of repute, like, IIMs, XLRI-Jamshedpur, IDRBT-Hyderabad, JNIBF Hyderabad,

आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक की खोज जारी है । स्वनिर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं ताकि कुछ आला क्षेत्रों में यथा, साख, जोखिम प्रबन्धन, कोष परिचालन, मानव संसाधन, फॉरेक्स व सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का विकास किया जा सके ।

वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर / उच्चतम प्रबन्धन स्तर के कार्यपालकों हेतु आवश्यकता के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । बैंक अपने अधिकारियों के कौशल स्तर में प्रशिक्षण हस्तक्षेप व उन्हें नवीकृत ताकत व उत्साह के साथ निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करने के माध्यम से काफी हद तक योगदान करने में सफल रहा है । बैंकिंग की प्रशिक्षण नीतियों की निगरानी और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ की अध्यक्षता में प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए एक शासी निकाय की स्थापना की गई है।

शीर्ष कार्य निष्पादकों को प्रोत्साहन के रूप में प्रशिक्षण के लिए एक योजना तैयार की गई है, और यह बैंक प्रशिक्षण नीति का हिस्सा है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन अधिकारी अधिकारियों के बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं और विदेशों में भी प्रशिक्षण देते हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान संगठनात्मक ढ़ांचे में परिवर्तन:

बैंक 21 अंचल कार्यालयों और 118 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ चार–स्तरीय संरचना का पालन करता है, जो प्रधान कार्यालय और शाखाओं के बीच कार्यालयों को नियंत्रित और निगरानी के रूप में करता है।

इससे पहले, बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, जैसे ग्राहक आनंद के लिए बेहतर शाखा लेआउट और ग्राहक सेवा, गुणवत्तायुक्त सेवा वितरण और सेवा समय में कमी, स्वयं सेवा मशीन और वैकल्पिक चैनल में लेनदेन बढ़ाने के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, बिक्री संस्कृति को ध्यान में रखकर और व्यापार पर, मुख्यतया कासा एवं शुल्क आय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से 'प्रॉजक्ट शिखर' शुरू किया था । शाखाओं को कायाकल्प करने की यात्रा के दौरान 'शिखर शाखाओं' की संख्या 1548 तक बढ़ गई जिसमें 264 शाखाएं 5 सितारा श्रेणी के अंतर्गत और 89 शाखाएं 4 सितारा श्रेणी के अंतर्गत मार्च 2018 तक किया गया।

विपणन और प्रचार:

विपणन ने कासा हिस्से में सुधार, खुदरा कारोबार, सहयोगी पार्टी व्यापार से शुल्क आय, वैलेट अधिकतमकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का भी प्रचार–प्रसार किया गया।

NIBM-Pune, SIBSTC-Bangalore, CAFRAL and CAB (RBI)-Pune etc. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas, like, Credit, Risk Management, Treasury Operations, HR, forex and IT.

Specialized trainings to the Senior Management Level and Top Management Level Executives were conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its Officials through training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm. A governing body for the training setup, headed by the Managing Director & CEO has been established to monitor and streamline the training policies of the Bank.

A scheme for Training as Incentive to Top Performers has been formulated, and was incorporated as a part of Banks Training Policy whereby, top performing officers are sent for training at External institutes of repute and also for training programmes abroad.

Changes brought about in the organizational set up during 2017-18:

The bank follows four-tier structure with 21 circle Offices and 118 Regional Offices as controling and monitoring offices between the Head Office and Branches.

Earlier, the Bank had launched 'Project Shikhar' aimed at rejuvenating the Bank by focusing on various themes, like, better branch layout & customer service for customer delight, quality service delivery & reduction in service time, focus on digital banking by promoting transactions on self service machines and alternate channels, inculcating sales culture and focus on business, particularly CASA and fee income growth. In the journey of transformation of branches, number of 'Shikhar Branches' rose to 1548, with 264 branches under star 5 and 89 under star 4 categories as at March 2018.

Marketing and Publicity:

The Marketing Vertical has played a significant role in improving the CASA share, retail business, fee income from the Associate Parties business, wallet maximization and propagating the multifarious technological products and services for the benefit of the customers.

बैंक ने विपणन को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई विशेषज्ञ कार्मिकों को संगठन से जोड़ा और एक प्रभावी अग्रणी प्रबंधन प्रणाली के साथ, सभी अंचल कार्यालयों में विशेष विपणन कार्यपालकों द्वारा पर्यवेक्षित विपणन अनुभाग का गठन किया । वर्ष के दौरान कई अभियानों के माध्यम से बैंक के उत्पादों की विक्रय व प्रति बिक्री करने के लिए विपणन ढ़ांचा ने कई पहल की । विपणन टीम ने पूरे वर्ष बैंक की दृश्यता में सुधार, पहुंच बढ़ाने, ग्राहकों की सेवा करने और व्यापार बढ़ाने के लिए "वित्तीय एक्सपोज़", "सीएएसए अभियान", "खुदरा एक्सपोज़", " हमारे ग्राहक सहायता दिवस", "स्वास्थ्य शिविर", "बीमा दिवस", "एनएफओ अभियान" जैसी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय और संगठित रूप से भाग लिया ।

विपणन विभाग ने 2017–18 के दौरान विपणन ढ़ांचे को निर्देशित, प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए विपणन सम्मेलन का आयोजन किया।

बैंक के सभी कर्मचारियों को अग्रणी बैंक व्यापार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सोर्सिंग और रिकॉर्डिंग में मार्केटिंग वर्टिकल ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम "आईलीड" की शुरुआत की ।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर और यूट्यूब पर बैंक का अच्छा अनुसरण है। भारत में सक्रिय ट्विटर हैंडल शुरू करने के लिए केनरा बैंक पहला सार्वजनिक बैंक था और बैंक के हैंडल @canarabanktweet वर्तमान में पीएसबी के बीच चौथे स्थान पर है। यह ग्राहकों / गैर–ग्राहकों के लिए सेवा वितरण और शिकायत निवारण चैनल के रूप में विकसित हुआ है। केनरा बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल /canarabankofficial को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान लॉन्च किया गया था और 9 महीने की छोटी अवधि के भीतर पीएसयू बैंकों के बीच नंबर 1 बन गया।

ग्राहकोन्मुखता:

त्वरित सेवा उपलब्ध कराने, विविधीकृत उत्पाद / सेवाएं देने, ग्राहकों की पूछ–ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बीसीएसबीआई द्वारा जारी की गई 'ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता' और 'संशोधित नागरिक चार्टर' बैंक की वेबसाइट <**www.canarabank.com**> पर उपलब्ध है। भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश के अनुरूप बैंक ने नये रूपायित भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक अधिकार नीति को जुलाई 2015 से स्वीकार किया है जो ग्राहकों के अधिकार और बैंक की जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट

The Bank further strengthened marketing vertical during the year by inducting specialized personnel into the setup, with the support of Marketing Sections in all Circle Offices, overseen by the dedicated Marketing Executives and lead management system. Marketing set up has taken initiatives in cross selling and up selling of Bank's products by launching several campaigns during the year. The Marketing Team actively organized and participated in various activities such as "Financial Expos", "CASA Campaigns", "Retail Expos", "Help Our Customer Day", "Health Camps", "Insurance Days", "NFO Campaigns" etc. throughout the year to improve visibility of the Bank, extend reach, serve customers and enhance business.

The Marketing Wing organized Marketing Conclaves to direct, encourage & motivate the Marketing Setup during the year 2017-18.

In order to encourage and motivate all the Staff of the Bank to participate in sourcing & recording of business leads for the Bank, the Marketing Vertical launched a Lead Management System "iLead".

The Bank has a healthy following on Social Media platforms Twitter and Youtube. Canara Bank was the First PSU Bank to start an active Twitter Handle in India and the Bank's handle @canarabanktweet is currently ranked 4th amongst PSBs. It has evolved as a service delivery & grievance redressal channel for customers/ non-customers. Canara Bank official YouTube channel /canarabankofficial was launched during FY 2017-18 and within a short span of 9 months became the No. 1 amongst PSU Banks.

Customer Orientation:

Several initiatives were taken to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products & services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and 'Revised Citizen's Charter' of Indian Banks Association (IBA) are made available in the Bank's homepage of the website **<www.canarabank.com>.** As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted Customer Rights Policy as advised by the RBI since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker. To assess the quality of customer service

होम पृष्ठ में **शिकायत निवारण – केनरा बैंक में हम सहर्ष सुनते हैं** तथा एक 'ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र' उपलब्ध कराई गई है। दामोदरन समिति सिफारिशों के अनुसार बैंक ने मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) की नियुक्ति की है जो बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करेंगे । ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 16.11.2017 से 30.11.2017 तक ग्राहक पखवाड़े का आयोजन किया गया ।

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ग्राहक केन्द्रित पहल जैसे स्वागत डेस्क, कतार प्रबंधन प्रणाली, एकल खिड़की परिचालन और ग्राहकों द्वारा प्रतीक्षारत होने पर बैठने के लिए ग्राहक प्रतीक्षालय क्षेत्र 'नाम से बड़े क्षेत्र का आवंटन से सुसज्जित प्रोजेक्ट शिखर' नाम से शाखाओं का कायाकल्प किया अप्रैल 2014 से किया गया। ग्राहक सुविधा संवर्धन पहल के रूप में बैंक ने विभिन्न एप्प जैसे, केनरा स्वाइप के माध्यम से मिस्ड कॉल सुविधा, केनरा एम्पावर, इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग, केनरा ई–इन्फोबुक, केनरा एम–सर्व, केनरा जियॉ लोकेट एवं केनरा ईज़ी कैश आदि को विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय बनाया है । इसके अलावे, कॉल सेंटर, एकल संपर्क संख्या 18004250018 के साथ हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा के अलावा 6 क्षेत्रीय भाषाओं यानि कन्नड, मलयालम, मराठी, तमिल, ओडिया और तेलगु में ग्राहकों को शिकायत निवारण सेवाएं उपलब्ध कराता है ।

बैंक ने केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पॉर्टल के तहत वेबसाइट में शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा, **केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस),** कार्यान्वित की है। कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया । वर्ष के दौरान 8537 शिकायतें सीपीजीआरएस में पंजीकृत किए गए तथा सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निवारण भी किया गया । पेंशन संचालन के लिए तथा पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण कक्ष का गठन किया गया है । खाता खोलने के लिए भी चुनिंदा जगहों पर 41 केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की है ।

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (ईबीटी) में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए बैंक ने ग्राहक संरक्षण पर नीति तैयार की है। ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन वित्तीय स्थिरता के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित ग्राहक शिकायतों में हालिया बढ़ोतरी के कारण ग्राहक खातों / कार्डों में ग़लत डेबिट होते हैं, अनधिकृत ईबीटी के माम्ले में ग्राहकों को तुरंत बैंक को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। शाखाओं को

rendered by the branches and to get the feedback, **Grievance Redressal – At Canara Bank we love to listen** and a 'Customer Satisfaction Survey Form' made available in the Bank's homepage of its website. As per the Damodaran Committee recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank. Customers' fortnight was conducted from 16.11.2017 to 30.11.2017, inviting suggestions from customers.

In order to enhance customer focus, 'Project Shikhar - Branch Transformation' is being implemented since April 2014 where in various customer centric initiatives like Welcome Desk, Queue Management System (QMS), Single Window Operation and allocation of larger space for 'Customer Waiting Area' etc., along with self-service kiosks (Can express area) are put in place. In order to enhance customer convenience / experience, Bank has popularized Missed Call Facility through Canara Swipe, BHIM-Empower, Internet and Mobile Banking, Canara e-info book, Canara mServe, Canara Geo locate and Canara Easy Cash facilities. Besides, Call Center with single point contact Toll free number 18004250018 is functioning to cater to customers in 6 regional languages, viz., Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Oriya and Telugu, besides Hindi and English for redressal of grievances.

The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal **Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS).** The complaints received at the Call Centre of the Bank were also integrated with the CPGRS package. During the year, the Call Centre registered 8537 grievances in CPGRS and all grievances were redressed as per prescribed time norms. Centralized Pension Processing Cell has been established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. 41 Central Processing Centers are established at selected places for account opening purposes.

The Bank has framed a policy on Customer Protection for limiting liability of customers in unauthorised Electronic Banking Transactions (EBT) in tune with the RBI guidelines. Recognising the fact that customer protection and financial Inclusion are the two crucial pillars of financial stability and considering the recent surge in customer grievances relating to unauthorised Electronic Banking Transactions (EBT) resulting in erroneous debits to customer accounts/cards, customers are required to report to Bank immediately on knowing

विभिन्न चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और भुगतान संबंधी धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए ग्राहकों को शिक्षित करने का दायित्व है।

वर्ष के दौरान मुंबई और चेन्नई में बीसीएसबीआई के संयोजन में ग्राहक जागरुकता बैठक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

पद्धति एवं प्रक्रियाएं:

वर्ष के दौरान, ऑन साइट आर.बी.आई.ए. के लिए चयनित 4852 शाखाओं / इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर.बी. आई. ए.) संपन्न की गयी। आर.बी.ए.आई. के साथ–साथ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा भी संपन्न की गयी। 1100 चुनिंदा शाखाओं / इकाइयों में संगामी / अविराम लेखापरीक्षा संपन्न की गयी जिसमें से 300 इकाइयाँ आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी / अविराम लेखापरीक्षा के अधीन है तथा 800 शाखाएं / इकाइयाँ बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अधीन है जिसमें बैंक का 70% कारोबार शामिल है। 2208 शाखाएं आय / राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन है जिसमें तिमाही आधार पर आय लेखापरीक्षा के लिए चयनित शाखाएं भी शामिल है ।

1 अप्रैल, 2017 से लेखा प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु वर्ष के दौरान शाखाओं, इकाईयों एवं अंचलों के आर.बी.आई.ए. के लिए जोखिम रेटिंग मैट्रिक्स में 4 श्रेणी – ए (निम्न), बी (सामान्य), सी(मध्यम) एवं डी (उच्च) किया गया, जो कि पूर्व में 3 श्रेणियों (निम्न, मध्यम एवं उच्च) में था।

बैंक ने शाखाओं के आरबीआईए के लिए 'दरपण' नामक वेब आधारित ऑडिट पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन किया है। चालू वर्ष के दौरान दर्पण को समवर्ती लेखापरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा, अंचल लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, केवाईसी लेखापरीक्षा आदि के लिए विस्तारित करना है। शाखाओं के मामले में, जिन्होंने धोखाधड़ी का सामना किया है, जोखिम स्थिति को फिर से वर्गीकृत करने के लिए और उनकी रेटिंग को "उच्च" या "एक निशान कम" (उच्च जोखिम ग्रेड) तक कम करने के लिए आरबीआईए में उचित प्रावधान किया गया है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के निरीक्षण विभाग ने सभी नामित शाखाओं में एलओयू / एलओसी से संबंधित स्विफ्ट संदेशों की लेखापरीक्षा शुरू की है और उन्हें संतोषजनक पाया है। बैंक अब जोखिम आधारित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के और अधिक कठोर प्रयास के प्रयास में लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यदिवस के तर्कसंगतता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण:

वित्तीय वर्ष 2014–15 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई) के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

the occurrence of the unauthorized EBT. Further, the branches have the obligation to educate the customers to protect themselves from electronic banking and payments related frauds through various channels.

During the year, training sessions for customer awareness meeting were conducted at Mumbai and Chennai in association with Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI).

Systems and Procedures:

Risk based Internal Audit (RBIA) was conducted in 4852 branches / units programmed for onsite RBIA during the year. Information Security audit was conducted along with RBIA. Concurrent/continuous audit was conducted in 1100 branches/service units, of which 300 branches / units were subjected to concurrent/continuous audit by Internal Auditors and 800 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering 70% of the total business of the Bank. 2208 branches were subjected to income/revenue audit, which included branches identified for income audit on quarterly basis.

As part of strengthening the audit process, Branches/ Units were graded under Four scales – LOW / NORMAL / MODERATE & HIGH in RBIA with effect from 1st April 2017 against the earlier 3 scales ie, LOW / MEDIUM / HIGH

The Bank has already implemented computerized audit through Web Based Audit Package called, 'DARPAN', for RBIA of branches. The scope of such DARPAN is extended for Concurrent Audit, RO Audit, Circle Audit, IS Audit, KYC Audit etc., during the year. In case of branches which were witness to frauds, suitable provisions have been made in RBIA to re-rate the risk gradation and reducing their rating to either "High" or "a notch Lower" (higher risk grade).

During the year, Bank's Inspection Wing has undertaken the Audit of SWIFT messages pertaining to LoUs/LoCs in all the designated branches and found them satisfactory. Bank is now focusing on rationalization of audit process and mandays in pursuit of further toughening of the risk based audit process.

Risk Based Supervision:

The Bank is brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI)

(आर बी एस) व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में इसने आर बी एस का चतुर्थ चरण पूरा कर लिया है। आर बी एस रूपरेखा को जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) नाम दिया गया है। जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) के अंतर्गत ऑफसाइट और ऑनसाइट खोज प्रक्रिया (आर डी वाई) के माध्यम से क्रमिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का एक विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

<u>अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) / एएमएल / सीएफटी:</u>

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.), धन शोधन निवारक (ए.एम.एल.), और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने (सी.एफ.टी.) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय किये गये ।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां एवं किये गये पहल निम्नानुसार हैं :

- एएमएल / सीएफटी केन्द्रीकृत इकाई एएमएल / एसडीएन अलर्ट के अनन्य प्रसंस्करण एवं निगरानी कर रही है।
- केवाईसी / एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली जाँच / संवर्धन उपलब्ध है ।
- व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) अलर्ट के लिए प्रणाली जाँच व संवर्धन कार्यान्वित किया गया ।
- अंचल एमएलआरओ को अंचल एएमएलओ द्वारा छोड़े गए 10% अलर्ट ऑडिट करने के लिए सौंपा गया है और संदिग्ध लेनदेन को प्रधान कार्यालय प्रेषित किया गया है।
- अंचलों द्वारा छोड़े गए 90% अलर्ट के 10% ऑडिट करने के लिए प्रधान कार्यालय केस प्रबंधकों को सौंपा गया।
- दिनांक 17.11.2017 को गुड़गाँव में एवं दिनांक 04.12.2017 को बेंगलूरु में एएमएल/ सीएफटी/ केवाईसी पर दो संचेतन कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- दिशानिर्देशों को जारी करके तथा आवधिक प्रशिक्षणों के माध्यम से शाखा / अंचल / क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को उक्त के संबंध में अवगत कराया गया ।
- यूनिट ने आरबीआई से एसबीएन से संबंधित प्रश्नों में भाग लिया है (एसबीएन सुविधा एनआरआई / विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बाहर के लोगों तक बढ़ा दी गई है ।
- वर्ष 2017–18 के दौरान एएमएल / सीएफटी केन्द्रीकृत इकाई 3960 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज किए जिसमें से 1406 संदिग्ध कंपनियों से संबन्धित थे।
- डीआईटी नया उत्पाद समूह के साथ समन्वय में नया एएमएल इन–हाउस पैकेज विकसित किया गया है। यूएटी 01.02.2018

from FY2014-15. Presently, the Bank has completed the 4th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by the RBI on an on-going basis through a combination of offsite and onsite Risk Discovery Process (RDY).

<u>Know Your Customers (KYC)/AML/CFT:</u>

The Bank undertook various measures for the effective implementation of guidelines on Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT).

Some of the major achievements and initiatives taken were as under:

- AML/CFT centralized unit is exclusively processing and monitoring of AML/SDN (Specially Designated Nationals) alerts.
- System checks/enhancements are put in place to ensure compliance to guidelines on KYC/AML/CFT.
- System checks and enhancements implemented for Trade Based Money Laundering (TBML) alerts.
- Circle MLROs have been entrusted to audit 10% of alerts dropped by Circle AMLOs and escalate suspicious transactions to HO.
- HO case managers entrusted to audit 10% of remaining 90% of alerts dropped by Circles.
- Two AML/CFT/KYC sensitization programmes were conducted on 17.11.2017 at Bengaluru and on 04.12.2017 at Gurugram
- Branch/Circle/Regional Office staff members were sensitized by way of issuance of guidelines and periodical training.
- Unit has attended SBN related queries from RBI (SBN facility extended to NRIs/people outside during demonetization period
- AML/CFT Centralized unit has filed 3960 Suspicious Transaction Reports (STRs) during 2017-18 out of which 1406 STRs on account of Shell Companies.
- New AML in-house Package has been developed in co ordination with DIT New Products Group. UAT

को पूरा हो गया है, पैकेज पुराने पैकेज के साथ समानांतर चल रहा है।

- केवाईसी कक्ष को केवाईसी से संबंधित सभी ममलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, सेरसाई आदि के एकल संपर्क बिंदु के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है ।
- केवाईसी कक्ष सरसाई / केन्द्रीय केवाईसी रिपोर्टिंग के साथ पंजीकृत है ।
- सीकेवाईसी परियोजना को 30.10.2017 को पायलट आधार पर लागू किया गया था और देश भर की सभी शाखाओं को 27.11.2017 तक सीकेवाईसी के तहत लाया गया था।
- 19,20,767 खातों में से 30.10.2017 के बाद से हमारे ग्राहकों को 11,45,499 केवाईसी आईडी जारी किए गए हैं।

सतर्कता व्यवस्था:

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है । उनका समर्थन प्रधान कार्यालय, सभी अंचलों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक के अनुषंगियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है । अनुशासन और विकास सुनिश्चित करना, मिलकर आगे बढ़ना और बैंक को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करना सतर्कता विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं । संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक में सतर्कता प्रबंधन में निवारक, सहभागिता और दंडात्मक कार्य शामिल हैं । इन लक्ष्यों को विभिन्न माध्यमों और चैनलों के माध्यम से अपनाया जाता है और प्रचार किया जाता है ।

सतर्कता जागरूकता अभियान के एक हिस्से के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 30 अक्टूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 तक केनरा बैंक ने 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' आयोजित किया । सतर्कता सप्ताह और उसके महत्व के पालन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंडल कार्यालयों और शाखाओं के समर्थन के साथ पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में **"माई विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत"** थीम को हाइलाइट करते हुए 89 स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रमों, जैसे, बहस, अचूक भाषण और प्रश्नोत्तरी **आयोजित किए गए थे।**

इस अवसर पर, 4 नवंबर 2017 को बैंगलोर में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान थीम पर एक वार्ता आयोजित की गई थी। माननीय श्री जस्टिस एन कुमार, पूर्व न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने प्रधान कार्यालय में बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित किया। समारोह के दौरान, सतर्कता विभाग गृह त्रैमासिक

is completed on 01.02.2018 and package is under parallel run with old package.

- KYC Cell has been designated as one point contact for RBI, Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) etc for all KYC matters.
- KYC Cell has registered with CERSAI / Central KYC reporting.
- CKYC Project was implemented on 30.10.2017 on a pilot basis and all branches across the Country brought under CKYC by 27.11.2017.
- 11,45,499 KYC IDs have been issued to our Customers since 30.10.2017 out of 19,20,767 Accounts opened.

Vigilance Setup:

The Vigilance Wing of the Bank is headed by a Chief Vigilance Officer (CVO). The CVO is assisted by the Vigilance Officers stationed at Head Office, all Circle Offices, RRBs and subsidiaries of the Bank. The objectives of the Vigilance Wing are to ensure that discipline and development, go in tandem and help the Bank to reach greater heights. With an objective to ensure free, fair and healthy environment for all-round growth of the organization, the Vigilance Management in the Bank comprised preventive, participative and punitive functions. These goals are pursued and promoted through various means and channels.

As a part of the Vigilance Awareness campaign, the Bank has observed 'Vigilance Awareness Week' from 30th October 2017 to 4th November 2017 as per the directives of Central Vigilance Commission. Various programmes were conducted throughout the country with the support of Circle offices and branches to spread awareness regarding observance of Vigilance Week and its importance. Programmes, like, debates, impromptu speeches and quizzes were organized at 89 schools and colleges highlighting the theme **"My Vision – Corruption Free India"** across the country.

On this occasion, a talk on the theme was organized on 4th November 2017 during the valedictory function held at Head Office of the Bank at Bangalore. Hon'ble Mr. Justice N Kumar, Former Judge, High Court of Karnataka was the Chief Guest and he addressed staff & executives of the Bank at Head Office. During the function, the in-house quarterly Magazine of the

पत्रिका 'केनरा विजिल' (जुलाई–सितंबर 2017) को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया था और क्विज़ प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए थे।

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने 15.09.2017, 21.09.2017 को 22.09.2017, 09.02.2018 और 16.02.2018 को क्रमशः प्रधान कार्यालय, आरएसटीसी गुड़गांव और पटना में जांच अधिकारी, पूछताछ प्राधिकरणों और अनुशासनात्मक प्राधिकरणों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की हैं। । केंद्रीय सतर्कता आयोग और आरबीआई के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया है और प्रतिभागियों को संबोधित किया है।

सुरक्षा प्रबंध:

21 अंचलों / 118 क्षेत्रीय कार्यालयों में 6204 शाखाओं और 105 मुद्रा तिजोरी में से, शाखा सुरक्षा प्रोफाइल 45 शाखाएं उच्च जोखिम, 1678 शाखाएं सामान्य जोखिम और 4481 कम जोखिम हैं। वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार इन शाखाओं और मुद्रा तिजोरियों को समय–समय पर सुरक्षा अधिकारियों ने देखा था। वर्ष के दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सभी संवेदनशील मुद्रा तिजोरियों का दौरा किया गया।

आरबीआई, आईबीए और राज्य पुलिस प्राधिकरणों के निर्देश के आधार पर निम्नलिखित उपायों की शुरुआत की गई:

क) सभी शाखाएं, मुद्रा चेस्ट और एटीएम सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर के साथ उपलब्ध कराई गई हैं।

ख) 977 एटीएम (संपूर्ण भारत) और 9 मोबाइल एटीएम को निजी सुरक्षा गार्ड के साथ खतरे की धारणा और पुलिस प्राधिकरण के निर्देशों के आधार पर प्रदान किया गया है।

ग) इसके बावजूद सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए "लगातार प्रतिबद्ध" किया जाता है, बैंक सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार है।

सुरक्षा व्यवस्था नियमित रूप से सुरक्षा तंत्र को अपग्रेड कर रही है और समय–समय पर सभी शाखाओं को उचित निर्देश, सलाह और दिशानिर्देश जारी कर रही है, जिसमें अग्नि सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना और क्षति को कम करना शामिल है।

सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है । जून 2016 के दौरान कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन / अपील करने के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किया है । 20 जुलाई 2016 को यह

Vigilance Wing, 'Canara Vigil' (July-September 2017), was released by the dignitaries and prizes were distributed to the winners of Quiz Competition.

During the year, Vigilance Wing has conducted Workshops for Investigating Officers, Presenting Officers, Inquiring Authorities & Disciplinary Authorities on 15.09.2017, 21.09.2017 to 22.09.2017, 09.02.2018 & 16.02.2018 at Head Office, RSTC Gurgaon & Patna respectively. Officials from Central Vigilance Commission and RBI have participated in the Workshop and addressed the participants.

Security Arrangements:

Out of 6204 branches, and 105 currency chests in 21 Circles / 118 regional offices, the Branch security profile is as follows: High Risk Branches - 45, Normal Risk Branches :1678 and Low Risk Branches: 4481. These Branches & Currency Chests were periodically visited by Security Officers as per statutory guidelines. All the sensitive currency chests were visited by the Chief Security Officer during the year.

The following measures were initiated based on the instruction from RBI, IBA & State Police Authorities:

a) All branches, Currency Chests & ATMs have been provided with CCTV cameras & DVR.

b) 977 ATMs (Pan India) and 9 mobile ATMs have been provided with private security guards based on the threat perception and directions from police authority.

c) Notwithstanding that security personnel are "constantly committed" to security duties, the bank is geared up to meet all the challenges.

The security set up is regularly upgrading the security apparatus and issuing suitable instructions, advisories and guidelines to all branches from time to time, including focusing on fire safety measures and minimising damages.

Right to Information:

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. During June 2016, Department of Personnel Training, Ministry of Finance, Government of India has come out with a web based online RTI portal to enable the citizens to make online

वेब आधारित पैकेज बैंक को प्रदान किया गया । सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने प्रधान कार्यलाय एक नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यलाय के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है । आरटीआई दिशानिर्देशों का पालन करने और जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के लिए प्रधान कार्यालय और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) में एक नोडल अधिकारी नामित किया है। । इसके अलावा, बैंक ने सभी शाखा / इकाई प्रमुखों को सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के रूप में आरटीआई आवेदन, पहली अपील प्राप्त करने और अग्रेषित करने और संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित करने और अनुरोध किए जाने पर सीपीआईओ की सहायता के लिए नामित किया है। वर्तमान में, 140 पीआईओ और 140 अपीलीय प्राधिकारी हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक को 3634 आरटीआई आवेदन, 871 अपील और 3918 आरटीआई आवेदनों के मुकाबले 9 दूसरी अपील, पिछले वर्ष के दौरान 905 पहली अपील और 37 दूसरी अपील प्राप्त हुई।

भारतीय लेखा मानक का कार्यान्वयन:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बैंक भारतीय लेखा मानक (इंडेक्स एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। चिकनी अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए एक परियोजना संचालन समिति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) सेल का गठन किया गया है। बैंक ने मैसर्स नियुक्त किया है। भारतीय लेखा मानक के सुचारू कार्यान्वयन में बैंक की सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में डेलोइट हास्किन और एलएलपी बेचता है। 30.09.2016 को समाप्त हुए आधा साल के लिए प्रो–फॉर्मा वित्तीय वक्तव्य और 30.06.2017 को समाप्त तिमाही आरबीआई को निर्धारित निर्धारित तारीख के भीतर जमा कर दिया गया है। आरबीआई ने एक साल तक अपना कार्यान्वयन स्थगित कर दिया है।

राजभाषा का कार्यान्वयन:

बैंक ने आधिकारिक भाषा के कार्यान्वयन के तहत उल्लेखनीय प्रगति की और समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार जीते।

मार्च 2018 में, लगभग 98% कर्मचारियों ने हिंदी में कामकाजी ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत 3501 शाखाएं अधिसूचित की हैं। हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले बैंक के सभी कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यात्मक हिंदी में प्रशिक्षित किया गया है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए 263 रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

applications/appeals. This web based package has been given to the Public Sector Banks with effect from 20th July 2016. To comply with the RTI guidelines and to cater to the needs, the Bank has nominated a Nodal Officer at Head Office and a Central Public Information Officer (CPIO) and a First Appellate Authority (FAA) for all Regional Offices, Circle Offices and Head Office. Apart from this, the Bank has designated all the branch / unit heads as Assistant Public Information Officer (APIOs) to receive and forward the RTI applications, 1st appeal and to forward the same to the concerned CPIOs and also to assist the CPIOs whenever requested. Presently, there are 140 PIOs and 140 Appellate Authorities. During the year 2017-18, the Bank received 3634 RTI applications, 871 Appeals & 9 Second appeals as against 3918 RTI applications, 905 First Appeals and 37 Second Appeals during the previous year, as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Indian Accounting Standards:

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee and an International Financial Reporting Standards (IFRS) Cell have been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. The Bank has appointed M/s. Deloitte Haskins & Sells LLP as the consultant for assisting the Bank in smooth implementation of Indian Accounting Standards. The pro-forma financial Statements for the half year ended 30.09.2016 and Quarter ended 30.06.2017 has been submitted to RBI within the due prescribed date. RBI has deffered its implementation by one year.

Implementation of Official Language:

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review.

As at March 2018, around 98% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 3501 Branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in functional Hindi through Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 263 refresher training programmes for such employees.

आधिकारिक भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के क्षेत्र में, बैंक ने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूनिकोड पैकेज के उपयोग को बढ़ावा दिया है और 10 भारतीय भाषाओं में लेनदेन करने के लिए बैंक की एटीएम स्क्रीन में भी प्रावधान किया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, हमारे एटीएम (संबंधित भाषा में किए गए लेनदेन) से मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और मराठी में लेनदेन पर्ची प्राप्त की जा सकती है। हिंदी और अंग्रेजी और अन्य 6 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में टेली बैंकिंग सुविधा भी प्रदान की गई है। बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट द्विभाषी है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिंदी में एसएमएस भी दे रहा है।

बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम में हिंदी विकल्प प्रदान किया है। हमारे बैंक की द्विभाषी पता पुस्तिका कैनपता इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमारी सभी शाखाओं और कार्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई है। हिंदी विकल्प मोबाइल बैंकिंग, ई-इंफोबुक और बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में प्रदान किया जाता है।

बैंक में आधिकारिक भाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक द्वारा तैयार की गई पुरस्कार योजना के तहत मंडल, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं, आरएसटीसी और प्रधान कार्यालय और सर्किल कार्यालयों के अनुभागों को 385 पुरस्कार दिए गए थे, जैसे कैनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना और राजभाषा पुरस्कार योजना के तहत 90 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक "अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता" भी आयोजित की है और पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए हैं।

अर्धवार्षिक हिंदी जर्नल "केनराज्योति" – वर्ष के दौरान 18 वें और 19 वें अंक जारी किए 1 9वीं अंक हमारे एमडी और सीईओ श्री राकेश शर्मा द्वारा हिंदी दिवस समारोह, 2017 के दौरान हेड ऑफिस, बैंगलोर में जारी किया गया था और 18 वां अंक प्रोफेसर वी आर जगन्नाथ, भाषाई विशेषज्ञ और आरटी द्वारा जारी किया गया था। प्रोफेसर, इग्नू। हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कैनराज्योति लाया गया था। इस प्रकाशन में बैंकिंग से संबंधित विषयों के साथ-साथ कविता, लघु कहानियां, हमारे बैंक के कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखित यात्राएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान, केनराज्योति ने भारतीय भाषा श्रेणी के तहत एबीसीआई द्वारा सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया।

बैंक के राजभाषा अधिकारियों का 35 वां अखिल भारतीय सम्मेलन 22 और 23 फरवरी 2018 को आरएसटीसी, गुड़गांव में आयोजित किया गया था।

वर्ष के दौरान, आधिकारिक भाषाओं पर संसदीय समिति की तीसरी उप समिति ने हमारी बनिखेत शाखा (चंडीगढ़ अंचल कार्यालय)

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Apart from Hindi and English, transaction slips can be obtained in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi and Marathi from our ATMs (Transactions done in concerned language). Tele banking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is bilingual. The Bank is also giving SMSs in Hindi to all its customers on special occasions.

Bank has provided Hindi option in Core Banking System. Our Bank's bilingual address booklet CANPATHA is made available to all our branches and offices in electronic form. Hindi option is provided in Mobile Banking, E-Infobook and the Bank's internet Banking portal.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 385 prizes were given to Circles, Regional offices, Branches, RSTCs and Sections of Head Office & Circle Offices under the award Scheme formulated by the Bank, viz., Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 90 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. Bank has also conducted Annual "All India Hindi Essay Competition" for its employees and cash prizes were given to prize winners.

Half Yearly Hindi journal "Canarajyoti" – 18th & 19th issues were brought out during the year. The 19th issue was released by our MD&CEO Sri Rakesh Sharma during Hindi Day Celebration 2017 at Head Office, Bangalore & 18th issue was released by Prof. V R Jagannathan, Linguistic Expert & Rtd. Professor, IGNOU. Canarajyoti was brought out to encourage original writing in Hindi. This publication contains articles on banking related subjects as well as Poetry, Short Stories, Travelogues written in Hindi by employees of our Bank. During the year, Canarajyoti awarded Silver Prize by ABCI under Indian Language category.

The 35th All India Conference of OL Officers of the Bank was held at RSTC, Gurgaon on 22nd and 23rd Feb 2018.

During the year, the Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected our

और तिरुपति क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया था। समिति ने आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। बैंक आगरा, कोयंबटूर और तिरुवनंतपुरम की टाउन आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समितियों का आयोजन कर रहा है। सरकार के अनुसार बैंक की सभी शाखाओं में आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाती हैं।

खेलकूद का प्रवर्तन:

केनरा बैंक टूर्नामेंट आदि को प्रायोजित करने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप प्रदान करके हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहित व समर्थन कर रहा है और देश भर में खेल गतिविधियों के लिए उदारता से योगदान दिया है । वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया ।

बैंक के 6 क्षेत्र में टीम हैं, जो निम्नवत है।

एथलेटिक्स	महिला	4 सदस्य
बॉल बैडमिंटन	पुरुष	3 सदस्य
क्रिकेट	पुरुष	16 सदस्य
हॉकी	पुरुष	13 सदस्य
शटल बैडमिंटन	पुरुष	2 सदस्य
टेबल टेनिस	पुरुष व महिला	3 सदस्य

बैंक में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री बी के वेंकटेश प्रसाद और श्री सुनील बी जोशी (क्रिकेट), श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्ण (एथलेटिक्स), और श्रीमती एचएम ज्योति (वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय एथलीट), श्री पी शनमुगम, श्री भरत कुमार छेत्री (कप्तान भारतीय हॉकी टीम, लंदन ओलंपिक–2012) और श्री केएम सोमाना (सीनियर हॉकी), श्री केपी दिनेश (जूनियर–हॉकी), श्री डी गुरुप्रसाद, श्री विनीत मैनुअल (शटल बैडमिंटन)। राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट / प्रतियोगिताओं में बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए उपर्युक्त में से कुछ खिलाड़ी अभी भी बैंक का नाम रोशन कर रहे हैं।

जनवरी 2018 के दौरान इम्फाल, मणिपुर में 8 वें हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल बी डिवीजन चैंपियनशिप, और बैंगलोर में फील्ड मार्शल करियप्पा मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में बैंक की हॉकी टीम रनर अप थी । बैंक की क्रिकेट टीम विजेता थी (1) कर्नाटक राज्य समूह II डिवीजन, (2) I लीग चैंपियनशिप, विजेता (3) ओडिशा

Banikhet Branch (Chandigarh CO) and Tirupati Regional Office. The committee lauded the efforts put in by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official Language Implementation Committees of Agra, Coimbatore and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank as per the Govt. guidelines to propagate the progressive use of Hindi.

Promotion of Sports:

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports and has contributed generously to sporting activities all over the country by sponsoring tournaments, providing scholarships to talented sports personalities. A Sports Council at Head Office was setup in the year 1982 to monitor and encourage sports activities in the Bank.

The Bank is presently having teams in 6 disciplines.

Athletics	Women	4 Members
Ball Badminton	Men	3 Members
Cricket	Men	16 Members
Hockey	Men	13 Members
Shuttle Badminton	Men	2 Members
Table Tennis	Men & Women	3 Members

International Sportspersons in the Bank fold are Shri B K Venkatesh Prasad & Shri Sunil B Joshi (Cricket), Smt M K Asha, Smt Suma Gopalakrishna (Athletics), & Smt H M Jyothi (Present International Athlete), Shri P Shanmugam, Shri Bharath Kumar Chhetri (Captain Indian Hockey Team, London Olympics-2012) & Shri K M Somanna (Senior-Hockey), Shri K P Dinesh (Junior-Hockey), Shri D Guruprasad, Shri Vineet Manual (Shuttle Badminton). Some of the above sportspersons still don the Bank colours while representing the Bank in tournaments/competitions at the State/National level.

The Bank's Hockey Team was Runners up in the 8th Hockey India Senior National B Division Championships at Imphal, Manipur during Jan 2018, and also in the Field Marshal Cariappa Memorial Hockey Tournament at Bangalore. The Cricket Team of the Bank was the Winners in the following championships: (1) The Karnataka State Group II Division, (2) I League Championships, and (3) 25th International Pradip Memorial Tournament at

में 25 वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदीप मेमोरियल टूर्नामेंट, रनर्स अप। कोचीन में अखिल भारतीय पूजा क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम रनर अप थी।

प्रधान कार्यालय में टीमों के अलावा, बैंक अंचल स्तर पर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा निगरानी की जाने वाली कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियों और कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिता के लिए वार्षिक बजट आवंटित करके खेल को प्रोत्साहित कर रहा है।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों हेतु 'एक स्टॉप बैंकिंग' प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 दशक के अंत के दौरान सहायकी खोलने के द्वारा विविध कारोबार गतिविधियों में प्रवेश किया। आज, बैंक विविध क्षेत्रों में कम से कम दस सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक के सभी सहायक / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष 2017–18 के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल):

मैसर्स कैनफ़िन होम लिमिटेड, कैनरा बैंक की एक प्रायोजित इकाई देश में प्रमुख आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। कंपनी में बैंक का हिस्सा 30.00% था। मार्च 2018 में कंपनी के बकाया ऋण ₹15743 करोड़ थे। कंपनी ने पिछले वर्ष ₹235.26 करोड़ रुपये के मुकाबले ₹301.77 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ अर्जित किया, जिसमें 28.27% की वृद्धि हुई। 31.03.2018 को कंपनी का सकल एनपीए ₹67.49 करोड़ था और शुद्ध एनपीए ₹31.62 करोड़ था। वर्ष 2017–18 के लिए 100% लाभांश कंपनी द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (सीबीएसएल):

मैसर्स केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व की इकाई है। कंपनी संस्थागत व खुदरा ग्राहकों, दोनों के लिये स्टॉक ब्रोकिंग सेवाए प्रदान करता है। खुदरा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर मुख्य उत्पाद है तथा मुद्रा व्युत्पन्नी सुविधा प्रदान करता है एवं कंपनी का ग्राहक आधार 46,876 है। वर्ष 2017–18 के लिये कंपनी ने ₹9.54 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 15% के लाभांश की घोषणा की है। सीबीएसएल ने 01.04.2017 से केनरा बैंक से निक्षेपागार प्रतिभागी परिचालन का अधिग्रहण किया है।

Odisha. Further the team was runners up in the All India Pooja Cricket Tournament at Cochin.

Apart from the teams at the Head Office, the Bank is also encouraging sports at the Circle levels by allotting annual budget for sports activities and also by organising sports competition for employees which are duly monitored by the Circle Sports Councils.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with ten Subsidiaries/Sponsored entities/ Joint Ventures in diversified fields. All the Subsidiaries/ Sponsored entities/ Joint Ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2017-18.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL):

M/s Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 30% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2018 was ₹15743 crore. The Company earned a profit after tax of ₹301.77 crore as against ₹235.26 crore in the previous year, with y.o.y growth of 28.27%. Gross NPAs of the Company was ₹67.49 crore and Net NPA was ₹31.62 crore as on 31.03.2018. 100% dividend for the year 2017-18 has been proposed by the Company.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL):

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product and has diversified into Currency Derivatives and has a clientele base of 46,876. The Company has posted a profit after tax of ₹9.54 crore and declared a dividend of 15% for the year 2017-18. CBSL has taken over the Depository Participant operations from Canara Bank with effect from 01.04.2017.

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी):

मैसर्स कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 51% हिस्सेदारी वाले बैंक के साथ मैसर्स रोबेको ग्रुप एन वी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) है। वर्ष 2007 में, केनरा बैंक ने मैसर्स रोबेको ग्रुप एन वी के पक्ष में केनबैंक म्यूचुअल फंड द्वारा आयोजित 49% हिस्सेदारी को विभाजित कर दिया और "केनरा रोबेको संपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड" के तहत संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया। जेवी में बैंक का हिस्सा 51% है। प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति मार्च 2018 में 8.31 लाख के निवेशक आधार के साथ ₹12532 करोड़ थी। कंपनी वर्तमान में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित 29 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। कंपनी ने ₹22.70 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और वर्ष 2017–18 के लिए 10% का लाभांश घोषित किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल):

मेसर्स केनबैंक फैक्टर लिमिटेड बैंक द्वारा आयोजित 70% हिस्सेदारी के साथ बैंक की एक फैक्टरिंग सहायक है। 2017–18 के दौरान, कंपनी का कुल व्यापार कारोबार ₹1640 करोड़ था। वर्ष 2017–18 के लिए संदिग्ध ऋण के लिए ₹65.25 करोड़ प्रावधान के कारण कंपनी को ₹50.66 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड:

वर्ष 2007 में मैसर्स केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बीमा (एशिया प्रशांत) होल्डिंग लिमिटेड और के सहयोग से बैंक द्वारा एक लाइफ इंश्योरेंस संयुक्त उद्यम जारी किया गया था। जेवी ने 16.06.2008 से अपने व्यापार संचालन को शुरू किया, जिसमें 51% केनरा बैंक द्वारा, एचएसबीसी (26%) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (23%) के बाद। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹1184 करोड़ का नया बिजनेस प्रीमियम और ₹2781 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम दर्ज किया। 31.03.2018 को कंपनी की 2,30,590 सशक्त नीतियां हैं। कंपनी ने 2017–18 के लिए ₹168 करोड़ का वैधानिक लाभ हासिल किया।

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड (सीवीसीएफएल):

मैसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ट्रस्टी और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड का प्रबंधक और बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने ₹552.78 करोड़ के प्रबंधन के तहत

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC):

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) with M/s Robeco Groep N V with the bank holding 51% Stake. This JV was formed in 2007 divesting 49% Stake held by the bank in M/s Can Bank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Groep N V. Total Assets under Management (AUM) was at ₹12532 crore with investor base of 8.31 lakhs as at March 2018. The Company is currently managing 29 Mutual Fund Schemes, including Gold Exchange Traded Fund. The Company has posted a net profit of ₹22.70 crore and declared a dividend of 10% for the year 2017-18.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL):

M/s Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2017-18, the Company had a total business turnover of ₹1640 crore. The Company incurred a loss of ₹50.66 crore due to making provisions amounting to ₹65.25 crore for the doubtful debts for the year 2017-18.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (CHIOCe):

M/s Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHIOCe) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Oriental Bank of Commerce (23%). The Company recorded new business premium of ₹1184 crore and gross premium of ₹2781 crore during the year. The Company has 2,30,590 in-force policies as on 31.03.2018. The Company achieved a statutory profit of ₹168 crore for 2017-18.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL):

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund and a wholly Owned Subsidiary of the Bank. The company

कुल संपत्ति के साथ अभी तक 5 फंड प्रबंधित किए हैं। नवीनतम फंड ₹435.86 करोड़ के एक कॉर्पस के साथ उभरती हुई भारत विकास कोष है। भारत सरकार से ₹2200 करोड़, केनरा बैंक से ₹5 करोड़ और सीवीसीएफएल से ₹1 करोड़ के साथ, इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) के साथ इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) का प्रबंधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटीवाई) द्वारा सीवीसीएफएल नियुक्त किया गया है। "एम्पावर इंडिया फंड" नामक एक और नया फंड ₹650 करोड़ के लक्ष्य कॉर्पस के साथ स्थापित किया जा रहा है। कंपनी ने ₹4.93 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ दर्ज किया है और वर्ष 2017–18 के लिए 1000% का लाभांश देने का प्रस्ताव दिया है।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड (सीसीएसएल):

मैसर्स केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रचारित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक द्वारा 69.14% शेयरहोल्डिंग है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवाओं, प्रशिक्षण, परामर्श और आर एंड टी एजेंट में लगी हुई है। कंपनी ने ₹4.02 करोड़ के कर के बाद लाभ कमाया है और 2017–18 के लिए 30% लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना):

मैसर्स केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड ने डिक्रीबद्ध खातों के तहत पट्टा किराये की वसूली व अतिदेय की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा अपनी गतिविधियों को प्रतिभूति में पिछले संव्यवहार से उत्पन्न कानूनी मामलों तक सीमित कर दिया है । कंपनी को अपनी आस्तियों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से 31.01.2020 तक तीन वर्षों का विस्तारित समयावधि प्राप्त हुआ है ।

कॉमर्शियल इंडों बैंक एलएलसी (सीआईबीएल):

केनरा बैंक व भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उद्यम मैसर्स सीआईबीएल है जो अप्रैल, 2014 से मॉस्को, रूस में कार्यरत है । कंपनी ने वर्ष के दौरान कर के पश्चात 5.42 मिलियन यूएस डॉलर के लाभ अर्जित किया है ।

केनरा बैंक (तंज़ानिया) लिमिटेड:

बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी मैसर्स केनरा बैंक तंज़ानिया लिमि., तंज़ानिया के दर एस सलाम में स्थित है जिसका पंजीकरण तंज़ानिया में 02.11.2015 को हुआ है एवं बैंक ऑफ तंज़ानिया से 05.05.2016 को लाइसेंस प्राप्त हुआ है । अनुषंगी ने अपना परिचालन 09.05.2016 में आरंभ किया । कंपनी कर पश्चात 0.26 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित की है ।

has managed 5 funds so far with total Asset under Management of ₹552.78 crore. The latest fund is the Emerging India Growth Fund with a corpus of ₹435.86 crore. CVCFL has been appointed by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) to manage the Electronic Development Fund (EDF) with a corpus of ₹2206 crore, with ₹2200 crore from Government of India, ₹5 crore from Canara Bank and ₹1 crore from CVCFL. Another new fund named as "Empower India Fund" is being setup with a target corpus of ₹650 crore. The Company recorded a profit after tax of ₹4.93 crore and has proposed to pay a dividend of 1000% for the year 2017-18.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL):

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is primarily engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted a profit after tax of ₹4.02 crore and proposed a 30% dividend for 2017-18.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA):

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. The Company received extension of time limit from the RBI for further period of three more years up to 31.01.2020 for disposing off its assets.

COMMERCIAL INDO BANK LLC (CIBL):

M/s Commercial Indo Bank LLC, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India has been operational since April 2014 in Moscow, Russia. The company incurred net loss after tax of US$ 5.42 million during the year.

CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED:

M/s Canara Bank (Tanzania) Limited is wholly owned Subsidiary of the Bank at Dar es Salaam in Tanzania, registered in Tanzania on 02.11.2015 and obtained a banking license from the Bank of Tanzania on 05.05.2016. The subsidiary commenced its business operations from 09.05.2016. The company earned a profit after tax of $0.26 million.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यथा मार्च 2018 तक बैंक के दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा केरल में स्थित केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) और कर्नाटक स्थित प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पीकेजीबी)।

केरल ग्रामीण बैंक केरल के सभी 14 जिलों को 630 शाखाओं एवं 322 एटीएम के साथ कवर करता है। यथा मार्च 2018 को केजीबी का कुल कारोबार ₹29648 करोड़ रहा जिसमें ₹15338 करोड़ का जमा एवं ₹14310 करोड़ का अग्रिम शामिल है। **प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक** पूर्वी कर्नाटक के 11 जिलों में 655 शाखाओं एवं 279 एटीएम के साथ परिचालनरत है। यथा मार्च 2018 को पीकेजीबी का कुल कारोबार ₹29228 करोड़ रहा जिसमें ₹16147 करोड़ का जमा एवं ₹13081 करोड़ का अग्रिम शामिल है।

यथा मार्च 2018 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समग्र कारोबार वर्षानुवर्ष 4.06% वृद्धि के साथ ₹58876 करोड़ रहा जिसमें ₹31485 करोड़ के जमा तथा ₹27391 करोड़ के अग्रिम शामिल है। बैंक के आधारभूत संरचना समर्थन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एटीएम व डेबिट कार्ड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं यथा मार्च 2018 को 601 एटीएम / नकद वितरण मशीन (केजीबी द्वारा 322, पीकेजीबी द्वारा 279) स्थापित किए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस का 100% अनुपालन कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अपने समकक्षी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आगे है। वे अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों जैसे मोबाइल बैंकिंग, रुपे डेबिट कार्ड सेवा, आधार समर्थित सेवा तथा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेषण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चेक ट्रंकेशन प्रणाली एवं ई–केवाईसी तकनीकी भी आर आर बी में उपलब्ध है।

केरल ग्रामीण बैंक को स्टेटस फोरम ऑफ बैंकर क्लब केरल (एसएफबीसीके) द्वारा केरल के ग्रामीण विकास की दिशा में योगदान के लिए बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार –2017 प्राप्त हुआ था। केएसबी को एसोचैम इंडिया के सोशल बैंकिंग एक्सीलेंस पुरस्कार 2017 सर्वश्रेष्ठ सोशल बैंक के रूप में चुना गया है। पीएमएवाई (शहरी) के तहत सीएलएसएस को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए केजीबी को केरल में दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बैंक के रूप में चुना गया है। 'वित्तीय समावेश' पर केजीबी का केस स्टडी 'गवर्नेंस नाऊ' भारत वित्तीय समावेश मामले पुस्तक पर दिखाई दिया। मामला अध्ययन इडुक्की में केजीबी की वट्टावाड़ा शाखा के बारे में था। केजीबी ने एक नया शब्द 'डिजिटल समावेश' बनाया है जो वित्तीय सह डिजिटल समावेशन के लिए है।

प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक को वर्ष 2016–17 के लिए एसएचजी और जेएलजी लिंकेज के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नाबार्ड से दो प्रथम पुरस्कार दिए गए हैं, एसोचैम सोशल बैंकिंग अवॉर्ड– प्राथमिकता क्षेत्र के तहत देश में आरआरबी और सहकारी बैंकों के बीच विजेता

REGIONAL RURAL BANKS (RRBS)

As at March 2018, the Bank had two sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KGB) in Kerala and Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB) in Karnataka.

Kerala Gramin Bank (KGB) operates in all the 14 districts of Kerala State with 630 branches and 322 ATMs. The total business of the KGB was ₹29648 crore as at March 2018, comprising a total Deposits of ₹15338 crore and Advances of ₹14310 crore. **Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB)** operates in 11 districts of Eastern Karnataka with 655 branches & 279 ATMs. The total business of the PKGB was ₹29228 crores as at March 2018 with total Deposits of ₹16147 crore and Advances of ₹13081 crore.

Aggregate business of both the RRBs increased to ₹58876 crore as at March 2018 with a y.o.y growth of 4.06% comprising Deposits of ₹31485 crore and Advances ₹27391 crore. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services and installed 601 ATMs/Cash Dispensers (322 by KGB, 279 by PKGB) as at March 2018. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Mobile Banking, RuPay Debit Card services and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT/RTGS to their customers. The RRBs have put in place Cheque truncation system and e-KYC technology.

Kerala Gramin Bank had received Banking Excellence Award-2017 for contribution towards rural development of Kerala by State Forum of Bankers Club Kerala (SFBCK). KGB has been adjudged as the overall best social bank during Assocham India's Social Banking Excellence award 2017. KGB has been adjudged as the second best performing bank in Kerala for the efforts taken in promoting the CLSS under PMAY (Urban). KGB's case study on 'FIGITAL INCLUSION' appeared on 'GOVERNANCE NOW's' INDIA FINANCIAL INCLUSION CASE BOOK. The case study was about KGB's Vattavada Branch in Idukki. KGB has coined a new term 'FIGITAL INCLUSION' which stands for Financial Cum Digital Inclusion.

Pragathi Krishna Gramin Bank has been conferred two First Prizes from NABARD for outstanding performance under SHG and JLG Linkage for the years 2016-17, ASSOCHAM Social Banking Award-Winner Among RRBs

अन्य श्रेणियों को ऋण देना कृषि और धावक की तुलना में – कृषि बैंकिंग, एसओओसीएच बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए मेरिट का आदेश, बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए एसओओसीएच समावेशी बीमा स्वर्ण पुरस्कार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार, एसएचजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार आरआरबी (दक्षिणी क्षेत्र) के बीच 2017–18 के लिए जुड़ाव, वर्ष के दौरान नाबार्ड लेखापरीक्षा में सुरक्षित "ए" ग्रेड, बैंक ने कुल 81 स्कोर के साथ "औसत औसत" रेटिंग और आरआरबी के बीसीएसबीआई सर्वेक्षण में दूसरी सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की।

बैंक के प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ई–केवाईसी एवं आधार समर्थित भुगतान प्रणाली कार्यान्वित करनेवाले प्रथम आरआरबी हैं । सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ इन दोनों आरआरबी ने 11.10 लाख नामांकन किए हैं।

उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी [एचईएफए]:

हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए), गैर–लाभकारी संगठन है, जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के साथ संयुक्त उद्यम शेयरधारक समझौते के तहत बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इस एजेंसी को बाजार से धन का लाभ उठाने के लिए स्थापित किया गया था और उन्हें भारत के प्रीमियर उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर इत्यादि में विश्व स्तर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के वित्तपोषण के लिए दान और सीएसआर फंड के साथ पूरक किया गया था। एचएफए शैक्षणिक आधारभूत संरचना, विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थापित किया गया है जिससे संस्थानों को विश्व स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। इस एजेंसी की ₹2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी है जिसे एमएचआरडी द्वारा ₹1000 करोड़ के अनुपात में योगदान दिया जा सकता है, 'कैनरा बैंक द्वारा ₹100 करोड़ और ₹900 करोड़। अन्य निगमों से। आज तक ऋउऊअ की भुगतान की गई इक्विटी ₹300 करोड़ है जिसमें से ₹250 करोड़ एमएचआरडी और कैनरा बैंक द्वारा ₹50 करोड़ है।

एचएफए ने अभी तक 7 संस्थानों के लिए ₹2,015 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनमें से ₹85 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं। एचएफएए के पास 16 संस्थानों से ₹9818 करोड़ के प्रस्ताव भी हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है।

and Co-operative Banks in the country under Priority Sector Lending to categories other than Agriculture and Runner – Agriculture Banking, SKOCH Order of Merit for Financial inclusion through Insurance, SKOCH Inclusive Insurance Gold Award for Financial Inclusion through Insurance, National Award from Ministry of Rural Development, Government of India under National Rural Livelihood Mission for Best Performance in SHG Linkage for 2017-18 among RRBs (Southern Region) , Secured "A" Grade in NABARD Audit during the year, Bank secured "Above Average" rating with a total score of 81 and 2nd highest ranking in the BCSBI Survey of RRBs.

The Bank's sponsored RRBs were the first amongst RRBs to implement e-KYC technology and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Together, these RRBs had done 11.10 lakh enrolments under the Social Security Schemes.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY [HEFA]:

Higher Education Financing Agency (HEFA), a not-for-profit organisation, is set up by the bank under a joint venture share holder agreement with the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India. This agency was set up to leverage funds from the market and supplement them with donations and CSR funds to finance improvement of infrastructure in India's Premier Higher education institutions viz., IIT, IIIT, IISER, etc to make them world class. HEFA is set up for developing the educational infrastructure, particularly R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. This agency has an initial authorized capital of ₹2000 Crore which is proposed to be contributed in the ratio of ₹1000 Crore by MHRD, ₹100 Crore by Canara Bank and ₹900 Cr. from other Corporates. The paid up equity of HEFA as on date is ₹300 Crore of which ₹250 Crore by MHRD and ₹50 Crore by Canara bank.

HEFA has so far approved projects to the tune of ₹2,015 Crore for 7 institutions of which ₹85 Crore has been disbursed. HEFA also has proposals to the tune of ₹9818 Crore from 16 institutions and the appraisal process is underway.

पुरस्कार / प्रशस्तियाँ

विभिन्न पहलों के पहचान के रूप में बैंक को वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया :

- प्रीपेड सेगमेंट के तहत केनरा इंटरनेशनल प्रीपेड कार्ड के लिए मास्टर कार्ड इनोवेशन अवॉर्ड प्राप्त हुआ।
- एनपीसीआई द्वारा उच्चतम रुपए कार्ड जारी करने वाले बैंक होने के लिए "रुपे स्पेशल" पुरस्कार।
- 1.35 करोड़ वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करने पर वीज़ा पुरस्कार।
- केंडी शाखा के अभिनव के लिए थिंक फिनिविटी पुरस्कार।
- सरकारी प्रायोजित योजनाओं के लिए एसोचैम सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 और बड़े बैंक वर्ग में कृषि बैंकिंग के लिए रनर-अप।
- निदेशक संस्थान, नई दिल्ली से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2017।
- स्कैन टेक्नोलॉजीज"केंडी" डिजिटल शाखा के लिए 2017 का विकास।
- एसोचैम द्वारा 5 वें एसएमई उत्कृष्टता 2017 में 'उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पुरस्कार'।
- "आईटी इनोवेशन एंड एक्सेलेंस अवाड्र्स 2017" में बैंक की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल बैंकिंग परियोजना "केंडी" के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सीआईओ"
- "एसआईईएम" उपकरण के लिए स्कोच स्मार्ट सिक्योरिटी पुरस्कार 2017।
- 2016-17 के लिए डन और ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बैंक के रूप में। लगातार तीसरी बार (2014-15, 2015-16 और 2016-17) बैंक को यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है।
- वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2016 के लिए आरयूएसटीआई के लिए उत्कृष्टता प्रमाणपत्र और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए उत्कृष्टता प्रमाणपत्र।
- एचआर और प्रशिक्षण उत्कृष्टता में सर्वश्रेष्ठ रणनीति - 7वें वार्षिक ग्रीनटेक में प्लैटिनम पुरस्कार - एचआर अवॉर्ड-2017।
- गृह पत्रिका "श्रेयस" के लिए गोल्ड अवार्ड, स्पेशल कॉलम (इंग्लिश) सिल्वर फॉर फोटोग्राफी एंड फीचर्स (हिंदी) एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया 2017।
- गृह पत्रिका के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग में उत्कृष्टता पुरस्कार।

बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। वर्ष के दौरान भारिबै के विनियामक आवश्यकताओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों व वर्तमान परिदृश्य में बैंक की आकस्मिक

AWARDS / ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards during the year 2017-18:

- Received Master card Innovation Award for Canara International Prepaid card under prepaid segment.
- "Rupay Special" award for being the highest Rupay card issuing bank by NPCI.
- VISA Award on crossing a key milestone on issuance of 1.35 crore VISA debit card.
- Bagged FINNOVITI award for Innovation for CANDI Branch.
- ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2017 for Government Sponsored Schemes and Runner-up for Agriculture Banking in the Large Bank Class.
- Golden Peacock Award 2017 for Corporate Social Responsibility from Institute of Directors, New Delhi.
- Skoch Technologies Growth 2017 for "CANDI", digital branch.
- 'Excellent Customer Service Award' at the 5th SME Excellence 2017 by ASSOCHAM.
- "Best CIO of the Year" by Computer Society of India for "CANDI" an ambitious digital banking project of the Bank in the "IT Innovation & Excellence Awards2017"
- Skoch Smart Security awards 2017 for "SIEM" tool.
- Dun and Bradstreet Award for 2016-17 adjudging as Best Public Sector Bank –Priority Sector Lending Bank. Consecutively third time (2014-15, 2015-16 and 2016-17) Bank has been receiving this Award.
- Certificate of Excellence for exemplary leadership in promoting RSETIs and Certificate of Excellence for RUDSETI for FY15 & FY16.
- Best Strategy in HR & Training Excellence - Platinum awards in 7th Annual Greentech - HR Award-2017.
- Gold Award for in-house Magazine, "Shreyas", Special Column (English) Silver for Photography and features (Hindi) by the Association of Business Communications of India 2017.
- Excellence in Branding & Marketing award for in-house Magazine.

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of implementing well-defined policies and procedures in the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the

आवश्यकताओं की रौशनी में बैंक के नीतियों व प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने हेतु ठोस प्रयास किये गये हैं । तदनुसार, अन्य के बीच, साख जोखिम प्रबन्धन, बाजार जोखिम प्रबन्धन, परिचालक जोखिम प्रबन्धन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन, चलनिधि जोखिम प्रबन्धन, समूह जोखिम प्रबन्धन, देश जोखिम, प्रतिपक्षी बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटन, संपार्श्विक प्रबन्धन, तनाव परीक्षण, अनुपालन कार्यों, आपदा पुनर्प्राप्ति और कारोबार सतत आयोजन, कारोबार लाइन, आउटसोर्सिंग और आईसीएएपी, केवाईसी, एएमएल, वसूली, व निवेश के संबंध में नीतियों पर तीक्ष्ण ध्यान केंद्रित किया गया है ।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2017–18 में बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
श्री हरदीश कुमार बी	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015	31.05.2017
श्री दीनबन्धु महापात्रा	कार्यपालक निदेशक	22.01.2016	05.05.2017
श्री महादेव नागेन्द्र राव	शेयर धारक निदेशक	27.07.2016	01.03.2018
श्री मठम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017	बोर्ड में सेवाकाल समाप्ति 08.10.2020
श्री देबाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	19.02.2018	बोर्ड में सेवाकाल समाप्ति 18.02.2021

वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक के नवनियुक्त निदेशक मंडल का संक्षिप्त ब्यौरा

1. **श्री मठम वेंकट राव** श्री वेंकटेश्वर कृषि कॉलेज, तिरुपति, एपी से कृषि में स्नातकोत्तर हैं। 1988 में वे इलाहाबाद बैंक में कृषि क्षेत्र अधिकारी (एएफओ) के रूप में नियुक्त हुए हैं और देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट, ऋण पुनर्गठन और खुदरा बैंकिंग जैसे बैंक के क्षेत्रों का नेतृत्व किया है। वे संपत्ति केंद्रित बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इलाहाबाद बैंक में एक परिवर्तनीय परियोजना शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकरों के एक प्रमाणित सहयोगी हैं।

Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Group Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and ICAAP, KYC, AML, Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2017-18 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

Changes in the Bank's Board of Directors during the year 2017-18

Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
Shri Harideesh Kumar B	Executive Director	11.03.2015	31.05.2017
Shri Dinabandhu Mohapatra	Executive Director	22.01.2016	05.05.2017
Shri Mahadev Nagendra Rao	Shareholder Director	27.07.2016	01.03.2018
Shri Matam Venkata Rao	Executive Director	09.10.2017	Tenure on the Board ending on 08.10.2020
Smt. Debashish Mukherjee	Executive Director	19.02.2018	Tenure on the Board ending on 18.02.2021

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank during 2017-18

1. **Shri Matam Venkata Rao** is a Post Graduate in Agriculture from Sri Venkateshwara Agriculture College, Tirupati, A.P. He joined Allahabad Bank as Agricultural Field Officer (AFO) in 1988 and has worked in various capacities and in different geographical areas of the country. As General Manager of Allahabad Bank, he has headed Bank's Verticals like Corporate Credit, Debt Restructuring and Retail Banking. He was instrumental in launching a transformative project in Allahabad Bank to bring focus on Asset centric banking. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

श्री एम वी राव ने 9 अक्टूबर, 2017 को केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रभारी पदभार संभाला है।

2. हमारे बैंक के नए कार्यपालक निदेशक, **श्री देबाशीष मुखर्जी,** कोलकाता विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए किए हैं। उन्होंने 1994 में स्केल II में वित्तीय विश्लेषक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के साथ अपना बैंकिंग करियर शुरू किया।

वे वर्ष 2006 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक (क्रेडिट) के रूप में नियुक्त हुए हैं । उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया, कोलकाता में कॉर्पोरेट फाइनेंस शाखा का नेतृत्व किया और बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक थे। उन्हें 2012 में महाप्रबंधक के रूप में उभरा। उन्हें कॉर्पोरेट क्रेडिट में विस्तृत अनुभव है और 5 से अधिक वर्षों के लिए जीएम (क्रेडिट) के रूप में काम किया है। उन्होंने उसके बाद जीएम (रिकवरी एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग) के रूप में काम किया। वह एक प्रबुद्ध पाठक है और बड़े पैमाने पर यात्रा की है।

श्री देबाशीष मुखर्जी ने 19 फरवरी 2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रभारी पदभार संभाला है।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

निदेशक, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है ।
- कि उन्होंनें उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके ।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधडी और अन्य विसंगतियों का निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती हैं ।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संस्था होने के आधार पर की है।

धन्यवाद

संरक्षण के लिए ग्राहकों, सहयोग के लिए शेयरधारकों, मूल्यवान मार्गदर्शन व सहयोग के लिए सरकारी प्राधिकारियों व भारतीय रिज़र्व बैंक, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, सहयोग व साख के लिए देश व विदेश में बैंक के संपर्ककर्ताओं और विकास व तरक्की की इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी कर्मचारी सदस्यों की बोर्ड प्रशंसा करना चाहता है ।

राकेश शर्मा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Mr. M V Rao has taken charge as Executive Director of the Bank on 9th October, 2017.

2. **Mr. Debashish Mukherjee,** new Executive Director of our Bank, is an MBA in Finance from the University of Kolkata. He started his banking career with Punjab National Bank as a Financial Analyst in Scale II in 1994.

He joined United Bank of India as an Assistant General Manager (Credit) in the year 2006. He worked in various capacities at Regional Offices, headed Corporate Finance Branch at Kolkata and was Regional Manager of Bihar Region. He got elevated as General Manager in 2012. He has vast experience in Corporate Credit and worked as GM (Credit) for more than 5 years. He worked as GM (Recovery & Credit Monitoring) thereafter. He is an avid reader and has travelled extensively.

Mr. Debashish Mukherjee, has taken charge as Executive Director of the Bank on 19th February 2018.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

करोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट–2017–2018
(सूचीकरण समझौता की धारा 55 के अंतर्गत)

भाग क : बैंक की सामान्य जानकारी

1. **कंपनी के कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):**
2. **कंपनी का नाम:** केनरा बैंक
3. **पंजीकृत पता:** केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर – 560 002
4. **वेबसाइट:** www.canarabank.com
5. **ई–मेल:** edscrt2@canarabank.com
6. **सूचित वित्तीय वर्ष:** 2017–18
7. **क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार):** वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग
8. **कंपनी द्वारा निर्मित / उपलब्ध कराए जा रहे तीन उत्पाद / सेवाएं (तुलन पत्र के अनुसार):** 1. थोक बैंकिंग, 2. खुदरा बैंकिंग, 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग
9. **कंपनी द्वारा कितने स्थानों पर क्रियाकलाप किया जा रहा है**

   i. **अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (5 मुख्य स्थल बताएं)**

   यूके (लंदन व लीसेस्टर), हाँगकाँग, चीन (शंघाई) तथा बहरीन (मनामा), दक्षिण अफ्रीका (जोहान्सबर्ग), यूएसए (न्यूयॉर्क) व यूएई (डीआईएफसी, दुबई)।

   ii. **कुल राष्ट्रीय स्थलों की संख्या: 6204**
10. **कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के मार्केट – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय**

    उक्त बिन्दु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित स्थानों के अलावा बैंक ने शारजाह, यूएई में एक प्रतिनिधि कार्यालय, मॉस्को, रूस में एसबीआय के साथ संयुक्त उद्यम बैंक, यथा, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी भी आरंभ किया है। दार–ए–सलाम,तंजानिया,यथा कैनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड (सीबीटीएल) में पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी।

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (₹ में) :** **₹ 733.24 करोड़**
2. **कुल कारोबार (₹ में) :** कुल कारोबार ₹9,06,474.85 करोड़ – कुल जमा: ₹5,24,771.86 करोड़ + निवल अग्रिम ₹3,81,702.99 करोड़)
3. **कर पश्चात कुल लाभ (₹ में) :** ₹4,222.24 (हानि) एकल
4. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च:** मंजूरीकृत परियोजना : ₹28.98 करोड़ संवितरण : ₹28.53 करोड़

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT– 2017-18
(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Company:**
2. **Name of the Company:** Canara Bank
3. **Registered Address:** Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002
4. **Website:** www.canarabank.com
5. **E-mail id:** edscrt2@canarabank.com
6. **Financial Year Reported:** 2017-18
7. **Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise):** Financial Services, mainly banking.
8. **List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet):** 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. **Total number of locations where business activity is undertaken by the Company**

   i. **Number of International Locations (Provide details of major 5)**

   UK (London and Leicester), Hong Kong, China (Shanghai), Bahrain (Manama), South Africa (Johannesburg), USA (New York) & UAE (DIFC, Dubai).

   ii. **Number of National Locations: 6204**
10. **Markets served by the Company – National and International**

    Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE, a Joint Venture Bank with SBI in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC and a wholly owned subsidiary at Dar-es-salaam, Tanzania, viz. Canara Bank Tanzania Ltd. (CBTL).

Section B: Financial Details of the Company

1. **Paid up Capital (INR):** **₹ 733.24 Crores**
2. **Total Turnover / Total Business (INR):** ₹9,06,474.85 Crores - Total Deposits: ₹5,24,771.86 Crores + Net Advances: ₹3,81,702.99 Crores).
3. **Total Profit after taxes :** ₹4,222.24 (Loss) Standalone
4. **Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)** Sanctioned projects: ₹28.98 Crores, Disbursement : ₹28.53 Crores.

5. वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर के तहत मंजूर गतिविधियों की सूची : वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर के तहत धन का क्षेत्रवार उपयोग: समेकन (₹ लाख में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	491.55	491.35
ख	खेल– कूद व अन्य	5.07	5.07
ग	स्वास्थ्य	162.51	158.99
घ	गरीबी और पोषण	25.88	25.88
ङ	विकलांग व्यक्तियों व वृद्धावस्था	65.29	65.29
च	कौशल विकास	1730.59	1712.39
छ	पर्यावरण सुरक्षा	28.47	23.80
ज	ग्रामीण विकास	25.23	22.80
झ	महिला सशक्तिकरण	59.99	44.07
ञ	वित्तीय साक्षरता	**303.33**	**303.33**
	कुल	**2897.91**	**2852.97**

स्वीकृत सीएसआर परियोजना का खंड वार वर्गीकरण :

(क) शिक्षा क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक रीलीफ व वेल्फेयर सोसाइटी, बेंगलूरु	वेलफेयरसोसाइटी बैंगलोर में ब्रेल सेंटर	16.00	16.00
2	मेसर्स सस्य श्यामला एडुकेशन सोसाइटी, होसपेटे	फर्नीचर,खेल के सामान, स्मार्ट कक्ष,शौचालय निर्माण	14.92	14.92
3	मेसर्स गुरु सिद्देश्वरा एडुकेशन सोसाइटी, होसदुर्गा	कंप्यूटर प्रणाली व सहायकी	5.00	5.00
4	मेसर्स परिचय फाउंडेशन, भुवनेश्वर	स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति परियोजना।	5.00	5.00
5	मेसर्स रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट, चेन्नई.	सरकार पंचायत स्कूल को ई–लर्निंग सुविधा ।	4.65	4.65
6	मेसर्स बी आर आर चैरिटेबल ट्रस्ट, हैदराबाद	कंप्यूटर,टेबल्स, कुर्सियां, अलमारी	3.50	3.50

5. List of activities sanctioned under CSR during 2017-18: Sector wise utilization of funds under CSR during the financial year 2017-18 : Consolidation (₹ in lakh)

Sl. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount utilized
a	Education	491.55	491.35
b	Sports & others	5.07	5.07
c	Health	162.51	158.99
d	Poverty & Nutrition	25.88	25.88
e	Persons with Disability (PwD) & Old age	65.29	65.29
f	Skill Development	1730.59	1712.39
g	Environment Protection	28.47	23.80
h	Rural Development	25.23	22.80
i	Women Empowerment	59.99	44.07
j	Financial Literacy	**303.33**	**303.33**
	Total	**2897.91**	**2852.97**

Sector wise classification of CSR projects sanctioned:

(a) Education Sector (₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**Canara Bank Relief and Welfare Society, Bangalore.**	Braille Centre at Welfare Society, Bangalore	16.00	16.00
2	**M/s Sasya Shamala Education Society, Hospete.**	Furniture, sports goods, smart class, toilet construction	14.92	14.92
3	**M/s Guru Siddeshwara Education Society- Hosadurga.**	Computer systems with accessories	5.00	5.00
4	**M/s Parichay Foundation, Bhubaneshwar**	Scholarship project for school dropout girls.	5.00	5.00
5	**M/s Rotary Charitable Trust, Chennai.**	E-learning facility to Govt. & Panchayat Schools.	4.65	4.65
6	**M/s BRR Charitable Trust, Hyderabad**	Computer Tables, Chairs, Almirahs	3.50	3.50

7	श्री प्रसन्न रामेश्वर एडुकेशनल सोसाइटी, बेंगलूरु	कंप्यूटर हेतु यूपीएस	2.09	2.09
8	एस एम हायर प्राइमरी व सहयाद्री अंग्रेजी मीडियम स्कूल, होसपेटे	शौचालय निर्माण	2.00	2.00
9	केनरा बैंक गोल्डन जुबिली एडुकेशन फंड	डिजिटल पुस्तकालय	2.00	2.00
10	व्यास महर्षि विद्या पीठ, मुल्की, मंगलूरु	अतिरिक्त भवन निर्माण	2.00	2.00
11	एसवीएस अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मूडबिदरी	प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए	2.00	2.00
12	श्री तरलुबलु जगदगुरु एडुकेशन सोसाइटी, दावणगेरे	5 कंप्यूटर	1.85	1.85
13	सरकारी स्कूल, गुडिवडा	स्कूल बैग	1.50	1.50
14	वरिष्ठ नागरिक समिति, दिल्ली	छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	1.25	1.25
15	सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल के लिए फर्नीचर– अदनूर ग्राम, कनकपुर, बेंगलूरु	फर्निचर	1.19	1.19
16	सरकारी हाई स्कूल, कुंबलगोड, बेंगलूरु	जल शुद्धिकरण यंत्र	1.05	1.05
17	लीड बैंक, यदारी, तेलंगाना	गुरुकुलम में शिक्षकों के पद के लिए योग्य युवाओं को भर्ती प्रशिक्षण	1.00	1.00
18	एलपीएस पांबकुला, तिरुवनंतपुरम	फर्निचर	1.00	1.00
19	सरकारी स्कूल, विजयवाड़ा	485 स्कूल बैग	1.00	1.00
20	कॉर्पोरेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, मदुरै	बेंच और फोटोकॉपी मशीन की आपूर्ति	0.76	0.76

7	**Sri Prasanna Rameshwara Educational Society, Belaguru.**	UPS for computers	2.09	2.09
8	**S M Higher Primary and Sahyadri English Medium School, Hospet.**	Construction of toilets	2.00	2.00
9	**Canara Bank Golden Jubilee Education fund**	Digital library	2.00	2.00
10	**Vyasa Maharshi Vidya Peetha, Mulki, Mangaluru.**	Construction of additional building	2.00	2.00
11	**SVS English Medium School, Moodabidri.**	Projector & to setup smart class	2.00	2.00
12	**Sri Taralabalu Jagadguru Education Society, Davanagere.**	5 Computers	1.85	1.85
13	**Govt. School, Gudivada.**	School bags	1.50	1.50
14	**Varishta Nagrik Samithi, Delhi.**	Scholarship to students.	1.25	1.25
15	**Furniture to Govt. Higher Primary School-Adanur Village, Kanakapura, Bangalore.**	Furniture	1.19	1.19
16	**Govt. High School, Kumbalgodu, Bangalore.**	Water purifier	1.05	1.05
17	**Lead Bank, Yadari, Telangana**	Recruitment training to eligible youth for teachers post at Gurukulam	1.00	1.00
18	**LPS Paambakula, Trivandrum.**	Furniture	1.00	1.00
19	**Govt. Schools, Vijayawada.**	485 School bags	1.00	1.00
20	**Corporation Higher Secondary School, Madurai.**	Supply of benches & Photocopy Machine	0.76	0.76

21	केनरा बैंक, गांधीनगर, हैदराबाद	एससी/एसटी छात्रों को अध्ययन किट	0.70	0.70
22	सरकारी एलपीएस पापनमकूडु, तिरुवनंतपुरम	टेबल और चेयर	0.62	0.62
23	सरकारी स्कूल, विशाखपट्टणम	स्कूल बैग	0.61	0.61
24	पार्थीपडु आरफनेज,	स्कूल बैग	0.53	0.53
25	आइटीआइ नेय्यटिनकारा, तिरुवनंतपुरम	कंप्यूटर, लैपटॉप तथा पानी वाला कूलर	0.50	0.50
26	द कॉंग्रेगेशन आफ द लिटल सिस्टर्स ऑफ द लिटल फ्लॉवर ऑफ बेथानी, धारवाड, हुब्बल्ली.	कम्बल, किताब, यूनिफॉर्म	0.50	0.30
27	सरकारी ट्राइबल स्कूल, कोंबुकुट्टी, कोट्टायम	10 छत पंखा, फर्निचर	0.47	0.47
28	केनरा बैंक के विभिन्न शाखाएं	किताब, स्कूल बैग, फर्निचर, यूनिफॉर्म आदि	18.60	18.60
	कुल		**92.29**	**92.09**
	कैनरा बैंक की ग्रामीण,अर्ध शहरी और शहरी शाखाएं	केनरा विद्याज्योति छात्रवृति	**399.26**	**399.26**
			491.55	**491.35**

(ख) खेल– कूद व अन्य क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	लिटल फ्लॉवर कॉन्वेंट	स्पोर्ट डे	1.00	1.00
2	केनरा बैंक, थोडुपुज़ा, तिरुवनंतपुरम	वाद्य–यंत्र	0.70	0.70
3	सशस्त्र सेना	युद्ध विधवाओं को समर्थन	0.50	0.50
4	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	खेल–कूद की गतिविधियों को समर्थन	2.87	2.87
	कुल		**5.07**	**5.07**

21	**Canara Bank, Gandhinagar, Hyderabad.**	Study kits to SC/ST students	0.70	0.70
22	**Govt. LPS Pappanamcodu, Trivandrum.**	Tables & chairs	0.62	0.62
23	**Govt. School , Vishakhapatnam**	School bags	0.61	0.61
24	**Parthipadu Orphanage, Rajamundry**	School bags	0.53	0.53
25	**ITI Neyyatinkara, Trivandrum.**	Computer, laptop & water cooler.	0.50	0.50
26	**The Congregation of the Little Sisters of the Little Flower of Bethany, Dharwad, Hubballi.**	Blankets, books & uniforms	0.50	0.30
27	**Govt. Tribal School, Kombukuthy, Kottayam.**	10 ceiling fans & furniture.	0.47	0.47
28	**Various Branches of Canara Bank**	Books, school bags, Furniture, Uniforms etc,.	18.60	18.60
	Total		**92.29**	**92.09**
	Rural, Semi Urban & Urban Branches of Canara Bank	Canara Vidyajyothi Scholarship	**399.26**	**399.26**
			491.55	**491.35**

(b) Sports & Other Sectors (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Little Flower Convent	Sports day	1.00	1.00
2	Canara Bank, Thodupuzha, Trivandrum	Musical instruments	0.70	0.70
3	Armed Forces	Support to war widows	0.50	0.50
4	Various Branches of Canara Bank	Support to sports activities	2.87	2.87
	Total		**5.07**	**5.07**

(ग) स्वास्थ्य क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स जयदेवा इन्स्टिट्यूट ऑफ कारडियोलॉजी, बेंगलूरु	2डी इकोकार्डियो–ग्राफी कॉलर डोप्लर सिस्टम	40.00	40.00
2	जनरल अस्पताल, एरनाकुलम	रैखिक कण त्वरक – अर्बुदविज्ञान विभाग के लिए	25.00	25.00
3	केनरा बैंक रिलीफ व वेलफेयर सोसाइटी, बेंगलूरु	चिकित्सा उपकरण	18.61	18.61
4	मेसर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट, करनूल	चिकित्सा उपकरण	14.29	14.29
5	मेसर्स रामकृष्णाभ मिशन आश्रम, देहरादून	जनरेटर	8.50	8.50
6	श्री श्रीकण्ठेश्वर स्वामी टेंपल ट्रस्ट, नंजनगूड, मैसूरु	आरओ जल संयंत्र	5.00	5.00
7	जिला प्रशासन, कासगंज, उ.प्र	आरओ पानी कूलर, केजीएबीवी	3.40	0.00
8	प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कुंबलगोडु, बेंगलूरु	चिकित्सा उपकरण	3.19	3.19
9	केनरा बैंक, सतना शाखा	5 सार्वजनिक स्थानों पर जल शुद्धिकरण यंत्र	2.55	2.55
10	आदिचुंचनगिरी शिक्षण ट्रस्ट, मंड्या.	आरओ जल संयंत्र	2.00	2.00

(c) Health Sector: (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	M/s Jayadeva Institute of Cardiology, Bangalore.	2D Echocardio-graphy Colour Doppler System	40.00	40.00
2	General Hospital Ernakulam.	Linear Particle accelerator to Oncology Dept.	25.00	25.00
3	Canara Bank Relief and Welfare Society, Bangalore.	Medical equipments	18.61	18.61
4	M/s. Rural Development Trust, Kurnool.	Medical equipments	14.29	14.29
5	M/s Ramakrishna Mission Ashram , Dehradun.	Generator	8.50	8.50
6	Sree Sreekanteshwara Swamy Temple Trust, Nanjangud, Mysore.	RO water plant	5.00	5.00
7	District Administration, Kasganj, UP.	RO water coolers, KGABV	3.40	0.00
8	Primary Health Centre, Kumbalgodu, Bangalore.	Medical Equipment	3.19	3.19
9	Canara Bank, Satna Branch.	Water Purifiers at 5 Public Places	2.55	2.55
10	Adichuncha-nagiri Shikshana Trust, Mandya.	RO Water Plant	2.00	2.00

11	कालीकट मेडिकल कॉलेज	कृत्रिम अंग और गतिशीलता सहायक उपकरण	2.00	2.00
12	कालीकट मेडिकल कॉलेज	मोटरसाइकिल व्हील चेयर	2.00	2.00
13	कैनकेयर फाउंडेशन	कैंसर रोगियों के लिए उपचार	2.00	0.00
14	राणी चेन्नम्मा यूनिवरसिटी, बेलगावी.	जल शोधक यंत्र	1.76	1.76
15	राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल	स्वास्थ्य जांच शिविर	1.50	1.50
16	डायरेक्ट, कोथुगुडा मंडल	बोरवेल	1.50	1.50
17	आईसीएमआर – एनआईआरटीएच, जबलपुर, भोपाल	ई–रिक्शा	1.35	1.35
18	श्री शांतेश्वर टेंपल, के जी नगर, बेंगलूरु	आरओ जल शोधक	1.26	1.26
19	श्री मारिकांबा टेंपल, मालूर	आरओ जल शोधक	1.25	1.25
20	मारग्रेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गुंटूर.	आरओ जल संयंत्र	1.05	1.05
21	मुनेश्वर स्वामी चैरिटी व एडुकेशन ट्रस्ट, बेंगलूरु	स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर	1.00	1.00
22	कांची कामकोटी चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल, चेन्नई	बाल देखभाल यूनिट	1.00	1.00
23	शंकर नेत्रालय, चेन्नेई	20 मोतियाबिंद सर्जरी	1.00	1.00
24	केनरा बैंक रीलीफ व वेल्फेयर सोसाइटी, बेंगलूरु	चिकित्सा उपकरण	1.00	1.00
25	केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	स्वास्थ्य शिविर	1.00	1.00

11	Calicut Medical College.	Artificial limbs and mobility aids	2.00	2.00
12	Calicut Medical College.	Motorized wheel chair	2.00	2.00
13	Can Care Foundation.	Treatment to Cancer patients	2.00	0.00
14	Rani Channamma University, Belagavi.	Water filters	1.76	1.76
15	Rajya Shiksha Kendra, Bhopal.	Health check-up camp	1.50	1.50
16	Direct, Kothuguda Mandal.	Borewell	1.50	1.50
17	ICMR- NIRTH Jabalpur, Bhopal.	E-Rickshaw	1.35	1.35
18	Sri Shantheshwara Temple, KG Nagar, Bangalore.	RO Water Purifier	1.26	1.26
19	Sri Marikamba Temple, Malur.	RO Water Plant	1.25	1.25
20	Margaret English Medium School, Guntur.	RO Water Plant	1.05	1.05
21	Muneshwara Swamy Charity & Education Trust, Bangalore	Health camp & blood donation camp	1.00	1.00
22	Kanchi Kamakoti Child Trust Hospital, Chennai.	Child care unit	1.00	1.00
23	Sankara Nethralaya, Chennai.	20 cataract surgeries	1.00	1.00
24	Canara Bank Relief and Welfare Society, Bangalore.	Medical equipments	1.00	1.00
25	Canara Bank, CO, Trivandrum	Health camp	1.00	1.00

26	वन विभाग	छत निर्माण	1.00	1.00
27	सरकारी स्कूल, चामराजपेट, बेंगलूरु	आरओ जल संयंत्र	0.95	0.95
28	अलपुळा कलेक्टरेट	तीन क्रिमेटोरियम	0.78	0.78
29	सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, मदुरै	फोटोकॉपी मशीन	0.76	0.76
30	नेहरु मेमोरियल कॉलेज, सुलिया	स्वास्थ्य शिविर	0.75	0.75
31	श्री विनायक देवस्थान, इडगुंजी, उत्तर कन्नड	वॉटर फिल्टर	0.75	0.75
32	उ.प्र. भवन एवं अन्य अनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ	जल शोधक यंत्र	0.57	0.57
33	लक्ष्मी देवम्मा ट्रस्ट, एलवाल, मैसूर	स्वास्थ्य शिविर	0.50	0.50
34	सरकारी स्कूल, सुरेवाला	आरओ जल संयंत्र	0.50	0.50
35	भारती अधवत्तोर अल्लाम आरफनेज	रसोई के बर्तन	0.50	0.50
36	वायनाड, तिरुवनंतपुरम	3 बैठक कुर्सियां और 500 चादरें	0.50	0.50
37	केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	गरीब कैंसर रोगी को वित्तीय सहायता	0.50	0.50
38	इंडिया रेड क्रास सोसाइटी, काकीनाडा	कोगलो मीटर	0.50	0.50
39	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	विभिन्न स्वास्थ परियोजनाओं को समर्थन	10.74	*12.62
	कुल		**162.51**	**158.99**

* वर्तमान वर्ष में उपयोग में लाई गई पिछले वर्ष की स्वीकृतिया.

26	Forest Department.	Construction of Shed	1.00	1.00
27	Govt. School, Chamrajpet, Bangalore.	RO water plant	0.95	0.95
28	Alappuzha Collectrate.	Three incinerators	0.78	0.78
29	Govt. Higher Secondary School, Madurai.	Photocopy Machine	0.76	0.76
30	Nehru Memorial College, Sullia.	Health Camp	0.75	0.75
31	Sri Vinayaka Devasthan, Idagunji, Uttara Kannada.	Water Filter	0.75	0.75
32	U P Bhawan Evam Anya Annirman Karmkar Kalyan Board, Lucknow.	Water Purifier	0.57	0.57
33	Lakshmi devamma Trust, Yelwal, Mysore.	Health camp	0.50	0.50
34	Govt. School Surewala.	RO water plant	0.50	0.50
35	Bharathi Aadhavattor Allam, Orphanage.	Kitchen Utensils.	0.50	0.50
36	Waynad, Trivandrum.	3 seated chairs & 500 bed sheets	0.50	0.50
37	Canara Bank , Trivandrum.	Financial assistance poor cancer patient.	0.50	0.50
38	India Red Cross Society, Kakinada.	Coagulo meter	0.50	0.50
39	Various Branches of Canara Bank.	Support to various health projects	10.74	*12.62
	Total		**162.51**	**158.99**

* Previous year sanction utilised during current year.

(घ) गरीबी और पोषण (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स अकाडमी ऑफ मैजिकल साइन्सेस, तिरुवनंतपुरम	घर का निर्माण	7.70	7.70
2	केनरा बैंक एससी/ एसटी एसोसियेशन	आरओ पानी संयंत्र	5.00	5.00
3	द सेंटर फार यूत डेवलपमेंट कालपेट्टा, कालीकट क्षे.का.	जनजातीय के लिए भोजन	1.10	1.10
4	मेसर्स शांतवनम पकल वीडू, एरणाकुलम	गरीबों के लिए भोजन	1.00	1.00
5	स्त्री अध्यापन मंदिर हरिजन आश्रम, अहमदाबाद	18 व्यक्तिगत लॉकर्स	0.76	0.76
6	मेसर्स सोसाइटी ऑफ पिलर – अंडमान	वाहन	0.67	0.67
7	जनरल अस्पताल, तिरुवनंतपुरम	वयस्क डायपर और कपड़े	0.65	0.65
8	एसओएस ऑरफनेज विलेज, पिलानी, भोपाल	टीवी सेट और वाशिंग मशीन	0.58	0.58
9	भारती ऑरफनेज मदुरै	फैलाकर बिछाने वाला बिस्तर	0.50	0.50
10	द स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल स्कूल, अन्नक्कल, पालक्काड	जल शोधक और गैस स्टोव	0.50	0.50
11	मेसर्स सांत्वनम, कोट्टायम	फ्रिज	0.50	0.50
12	अभ्यागिरी डीएसएस मर्सी होम, कर्नूल	एलईडी टीवी	0.50	0.50
13	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	गरीबों को जल शोधक, कपड़े, रेफ्रिजरेटर आदि	6.42	6.42
	कुल		**25.88**	**25.88**

(d) Poverty & Nutrition (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	M/s Academy of Magical Sciences, Trivandrum.	Construction of House	7.70	7.70
2	Canara Bank SC/ST Association.	RO water plant	5.00	5.00
3	The Centre for Youth development Kalpetta, Calicut RO.	Food to tribals	1.10	1.10
4	M/s Santhvanam Pakal Veedu, Ernakulam.	Food to poor	1.00	1.00
5	Stree Adyapan Mandir Harijan Ashram, Ahmedabad.	18 personal lockers	0.76	0.76
6	M/s Society of Pilar- Andamans.	Vehicle	0.67	0.67
7	General Hospital, Trivandrum.	Adult diapers & dresses	0.65	0.65
8	SOS Orphange Village, an Orphanage at Pilani, Bhopal.	TV set & washing machine.	0.58	0.58
9	Bharathi Orphanage, Madurai.	Bed spreads	0.50	0.50
10	The Students of Tribal School Anakkal, Palakkad.	Water filter & Gas stove	0.50	0.50
11	M/s Santwanam, Kottayam.	Refrigerator	0.50	0.50
12	Abhyagiri DSS Mercy Home, Kurnool.	LED TV	0.50	0.50
13	Various Branches of Canara Bank.	Water filters, clothes , Refrigerators etc., to poor	6.42	6.42
	Total		**25.88**	**25.88**

(ङ) विकलांग व्यक्ति (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	कृत्रिम अंग	15.00	15.00
2	मेसर्स बनयन, चेन्नई	ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	10.00	10.00
3	केनरा बैंक, गंज बसोदा शाखा	मोटरयुक्त त्रिचक्र	4.83	4.83
4	स्ने हादीप ट्रस्टज, बेंगलूरु	बैग और चलने वाली छड़ी ।	1.77	1.77
5	मेसर्स एकादश लर्निंग सेंटर, अं.का. तिरुवनंतपुरम	विशेषरूप से विकलांग हेतु शिक्षण शुक्ल	1.60	1.60
6	अं.का. तिरुवनंतपुरम	मोटरयुक्त पहिएदार कुर्सी	1.25	1.25
7	बीआरसी पाठशाला, तिरुवनंतपुरम	शारीरिक रूप से विकलांग को विशेष सहायता	1.15	1.15
8	मेसर्स इंस्टिव्यूट ऑफ ब्लाइंड, अमृतसर	उपयोगिता उपकरण	1.00	1.00
9	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	शारीरिक रूप से विकलांग को समर्थन	28.69	28.69
	कुल		**65.29**	**65.29**

(e) Persons with Disability (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Mahavir Vikalanga Sahayatha Samithi , Jaipur.	Artificial limbs	15.00	15.00
2	M/s Banyan, Chennai	Rural Mental Health Programme	10.00	10.00
3	Canara Bank, Ganj Basoda branch	Motorized tri cycle	4.83	4.83
4	Snehadeepa Trust, Bangalore	Bags and Walking canes.	1.77	1.77
5	M/s Ekadash Learning Centre	Tuition fees to specially abled	1.60	1.60
6	CO, Trivandrum	Motorized wheel chairs	1.25	1.25
7	BRC Patasala, Trivandrum	Special aids physically challenged	1.15	1.15
8	M/s Institute of Blind, Amritsar.	Utility instruments	1.00	1.00
9	Various branches of Canara Bank	Support to physically challenged	28.69	28.69
	Total		**65.29**	**65.29**

(घ) कौशल विकास (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	सोसाइटी फार एडुकेशनल व इकनॉमिक डेवलपमेंट (एसईईडी) श्रीपेरंबुदूर, तमिलनाडू	मैकेनिक वाहन व्यापार प्रशिक्षण के लिए मशीनरी और उपकरण	6.80	6.80

(f) Skill Development (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Society for Educational & Economic Development (SEED), Sriperumbudur, Tamilnadu	Machineries & equipments for Mechanic vehicle trade training	6.80	6.80

2	केनरा बैंक सेंटेनरी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी)	पूरे भारत् में 27 आरएसईटीआई,3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थानों और 5 सीबीआईआई आटी को प्रशिक्षण लागत प्रदान करना	1235.79	1218.59
3	ग्रामीण विकास वस्व रोज़गार प्रशिक्षण (रुडसेटी)	पूरे भारत में सभी 27 ग्रामीण विकास और स्वनियोजित संस्थान प्रशिक्षण 40% प्रतिशत का व्यय	427.00	427.00
4	देशपांडे ग्रामीण स्व रोज़गार प्रशिक्षण (डी–आरसेटी) हलियाल	देशपांडे आरएसईटीआई, हलीयाल के प्रशिक्षण पर व्यय का 50% प्रदान करना	50.00	49.00
5	बैंकर्स इंस्टिट्यूट ऑफ ग्रामीण उद्यमिता विकास (बीआईआरईडी)	एपीबीआरईडी संस्थान की प्रशिक्षण पर लागत का 10% प्रदान करना	11.00	11.00
	कुल		**1730.59**	**1712.39**

(छ) पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	जिला प्रशासन, कासगंज, उ.प.	सौर ऊर्जा संयंत्र	10.80	3.24
2	मेसर्स बैरामजी जीजीबाई होम फार चिलड्रन	जाम शौचालय का नवीकरण	3.62	3.62
3	डाइरेक्ट, क्षे.का. पटियाला	16 पार्कों में शौचालय बनाया गया	5.23	5.23
4	मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेलम	बैटरी से संचालित कचरा उठाने वाला वाहन	1.69	1.69
5	कुलगांव मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई	बदलापुर में कूड़ेदान	1.00	1.00
6	मदुरै टाउन, डाइरेक्ट	पौधों के लिए घेराव करना	0.65	0.65
7	जिला कलेक्टकर, शिवरेड्डीगुडेल गांव, हैदराबाद	पेड़ के लिए बाड़ लगाना।	0.62	0.62
8	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ	4.86	3.24
	कुल		**28.47**	**23.80**

2	**Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT)**	Providing training cost of 27 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIITs all over India	1235.79	1218.59
3	**Rural Development & Self Employment Training Institute (RUDSETI)**	40% training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	427.00	427.00
4	**Deshpande Rural Self Employment Training Institute (D-RSETI), Haliyal**	Providing 50% of training expenditure of Deshpande RSETI, Haliyal	50.00	49.00
5	**Bankers Institute of Rural and Entrepren eurship Dev (BIRED)**	Providing 10% of training cost of the BIRED Institute	11.00	11.00
	Total		**1730.59**	**1712.39**

(g) **Environment Protection Sector** (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount Sanctioned	Amount utilized
1	**District Admini stration, Kasganj, UP**	Solar Power plants	10.80	3.24
2	**M/s Byramjee Jeejeebhoy home for children**	Renovation of toilet block	3.62	3.62
3	**Direct-RO Patiala.**	Toilets built at 16 parks	5.23	5.23
4	**Municipal Corporation, Salem.**	Battery operated garbage lifting vehicle	1.69	1.69
5	**Kulgaon Mun-corpn, Mumbai**	Dustbins at Badlapur	1.00	1.00
6	**Direct-Madurai RO**	Tree Guard for saplings	0.65	0.65
7	**Dist Collector – Shivareddy Gudem, Village, Hyderabad.**	Fencing to the trees .	0.62	0.62
8	**Various branches of Canara Bank**	Environment protection activities	4.86	3.24
	Total		**28.47**	**23.80**

(ज) ग्रामीण विकास क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केरल	ऊँचे खम्बे के लाइट	8.40	8.40
2	केनरा बैंक, पाली, राजस्थान	25 सोलर स्ट्रीट लाइट	5.45	5.45
3	सरकारी हाइ स्कूल, सिद्दापुर, मंगलूरु	सामुदायिक हॉल का निर्माण।	3.00	1.00
4	ग्रामीण विकास एजेन्सी, नीलगिरी	शौचालय का निर्माण	2.00	2.00
5	दत्तात्रेय पीठा / बाबाबुडन दरगाह	सोलर स्ट्रीट लाइट	1.74	1.74
6	पर्यटन विभाग, कोल्लम	10 साइकिलें	1.00	1.00
7	इन्नर वील क्लब ऑफ मूडबिदरी	बस शेल्टर का निर्माण	1.00	1.00
8	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	शौचालय और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना	2.64	2.21
	कुल		**25.23**	**22.80**

(झ) महिला सशक्तिकरण (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	अंचल कार्यालय मे सीईडी कक्ष आयोजित कार्यक्रम	महिला उद्यमिता केन बाज़ार हेतु कार्यक्रम, आदि	59.99	44.07
	कुल		**59.99**	**44.07**

(ञ) वित्तीय साक्षरता (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	72 केन्द्रों (एफएलसी) में वित्तीय साक्षरता केन्द्र	जनता को नि:शुल्क परामर्शी सेवाएं देने हेतु जिला/ब्लॉक स्तर पर खुले 72 वित्तीय साक्षरता केन्द्र	303.33	303.33

(h) Rural Development Sector (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Central University, Kerala.	High Mast light	8.40	8.40
2	Canara Bank, Pali, Rajasthan.	25 Solar street lights.	5.45	5.45
3	Govt. High school , Siddapur, Mangalore	Construction of Community Hall.	3.00	1.00
4	Rural Development Agency, Nilgiris.	Construction of toilets.	2.00	2.00
5	Dattatreya Peeta/ Bababudhan Darga.	Solar Street light	1.74	1.74
6	Dept. of Tourism, Kollam	10 bicycles	1.00	1.00
7	Inner wheel Club of Moodabidri	Construction of bus shelter	1.00	1.00
8	Various Branches of Canara Bank	Construction of toilets and other rural development programmes	2.64	2.21
	Total		**25.23**	**22.80**

(i) Women Empowerment (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized.
1	Programmes Conducted by CED Cells at CO. & HO.	Programmes towards women entrepre neurship, can bazaars, etc,.	59.99	44.07
	Total		**59.99**	**44.07**

(j) Financial Literacy Programmes (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee/ organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized.
1	Financial Literacy Centers at 72 Centers (FLC)	72 Financial literacy centers opened at District/ block levels for giving free counseling to public	303.33	303.33

भाग ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, एक सहयोगी कंपनी और विदेश में एक संयुक्त उद्यम है

क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
ख) केनबैंक फैक्टर लि.
ग) केनरा बैंक सेक्यूररिटीज लि.
घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि. .
ङ) केनबैंक फाइनैंसियल सर्विसेज़ लि.
च) केनर रोबेक्को एसेट मैंनेजमेंट कंपनी लि.
छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेन्स कंपनी लि.
ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शिल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी संयुक्त उद्यम
ञ) दर–एस सलाम तंजानिया में पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल)

2. क्य अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ हो ऐसी अनुषगी(यों) की खंख्या दें।

हाँ, एक अनुषंगी – केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेन्स कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं। (30% से कम, 30–60%, 60% से ज्यादा)

शून्य

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तर्दायी निदेशक

क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है तो)	06930826
2	नाम	श्री माठम वेंकट राव
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

Section C: Other Details

1. **Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?**

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, an associate company and a Joint Venture at an overseas destination, viz.,

a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
b) Canbank Factors Ltd.
c) Canara Bank Securities Ltd.
d) Canbank Computer Services Ltd.
e) Canbank Financial Services Ltd.
f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).
i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint Venture).
j) Canara Bank Tanzania Ltd.(CBTL)at Dar-es-Salaam, Tanzania, a wholly owned subsidiary

2. **Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).**

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. **Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].**

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director / Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	Details
1.	**DIN Number (if applicable)**	06930826
2.	**Name**	Shri Matam Venkata Rao
3.	**Designation**	Executive Director

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री अनिल कुमार पी
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22236069
5.	ई-मेल	pcfiw@canarabank.com

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Sri Anil Kumar P
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	080 22236069
5.	e-mail id	pcfiw@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास के लिए ---- पॉलिसी/पॉलिसियां है.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी शेयरधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्यापॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी क कार्यांवयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं। $	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी आंतरिक तथा बाह्य शेयरधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियांवयन के लिए ओडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N) (a) Details of Compliance (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online? $	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

$www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाने व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)									

2b. If answer to S.No.1 against any principle, is "No", please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3–6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा

  3–6 महीने

- क्या कंपनी एक बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?

  रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx" हाइपर लिंक पर उपलब्ध कराया गया है ।

भाग ड. : सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावरित है? हाँ / नहीं

   या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

  3-6 months

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

  The Report published annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx"

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.

   Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?

हाँ । बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित "कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति" है जो कि सभी शेयरधारकों यानी जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कोर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसारण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50000/– से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवधिकता पर शाखाओं/यूनिट/कार्यालयों का सूचना प्रणाली ओडिट होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों का समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में कितनी शेयरधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? <u>यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।</u>**

शेयरधारक शिकायतें: वर्ष 2017–18 में बैंक ने शेयरधारकों से 1618 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया ।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित शेयरधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन हनीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार–पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

Yes. The Bank is having a Board approved "Corporate Governance Policy", which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries/ Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches/ Units/ Offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? <u>If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</u>**

Shareholders Complaints: The Bank received 1618 representations/ grievances from Shareholders during 2017-18 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances

ग्राहकों से प्राप्त 93276 शिकायतों में से (ए टी एम से संबंधित 55242 शिकायतों सहित) 93187 शिकायतों का (ए टी एम से संबंधित 54651 शिकायतों सहित) समाधान किया गया । मुद्रीकरण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अधिक शिकायतें प्राप्त हुई ।

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने 93276 शिकायतें प्राप्त की तथा 99.90% को संतुष्टिपूर्वक निपटाया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें ।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।**

i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढाना, कारोबार संपर्कियों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाव, सादा खातों खोलना, केसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, छोटे बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनता को ऋण परामर्श देना।

ii. **ग्रामीण विकास** – बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 65 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह–प्रायोजित/सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व–रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थनों अब तक 7.86 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 74% है।

ii. **हरित बैंकिंग:** बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए बायो–मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, दो स्थानों पर एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलिबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक

93276 (including 55242 complaints related to ATMs) complaints were received from customers of which 93187 (including 54651 complaints related to ATMs) were resolved.

Customer Complaints: During 2017-18, the Bank received 93276 complaints and 99.90% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

i. **Financial Inclusion Campaign** - covering varied rural activities, such as increasing access to banking services through opening branches, increasing coverage under Business Facilitators, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhar enrollment, forming farmers' clubs, Enhancing financial literacy through Financial Literacy centers.

ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored/ co-sponsored/ supported 65 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 7.86 lakhs unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%.

iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., Core Banking Solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, biometric ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash / cheque acceptor, passbook

बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई– लाउंज बैंक स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही ओर ई–लाउंज स्थापना करने की योजना है। हमारे एटीएम में ग्रीनपिन सुविधा, सफलतापूर्वक नकद निकासी और शेष की जानकारी के लिए रसीद प्रिंट को बंद किया गया है । आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई–गवर्नेंस को कार्यान्वित किया है।

सौर ऊर्जा, बायोगैस तथा पवन चक्की परियोजनाओं को वित्त द्वारा बैंक हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देता है ।

2. **ऐसे सभी उत्पादों के लिए प्रयुक्त संसाधन के संबंध में निम्न सूचित करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) (वैकल्पिक):**

   i. **मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के समय आई कमी?**

   लागू नहीं

   ii. **पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?**

   जल शोधन प्लांट की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग। सार्वजनिक हितार्थ सीएसआर कार्यक्रम के तहत सौर लाइट प्रदान की गई है।

3. **क्या कंपनी में स्थायी सॉर्सिंग के लिए कोई पद्धति है (परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? <u>50 शब्दों में विवरण दें।</u>**

बैंक में निर्धारित नीति है जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन मानकों, प्रदूषण मुक्त वातावरण, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पूर्ति करने बैंक में निर्धारित नीति है ।

4. **क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?**

स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की सुविधानुसार लघु खरीद के अनुसार स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद की जाती है ।

printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at two places and more such e-lounges are planned during the year. Enabled Paperless Green PIN facility, stopped dispensing of "receipt printing" for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas

Bank is encouraging green energy by financing solar, biogas and wind mill projects.

2. **For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):**

   i. **Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?**

   Not Applicable

   ii. **Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?**

   Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover, providing solar lights for the benefit of public under CSR programme.

3. **Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? <u>Also, provide details thereof, in about 50 words or so.</u>**

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, pollution free climate, friendly technologies.

4. **Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?**

Procurement of goods and services from the local & small producers are being practiced. Wherever small purchases are done, facilitating the capability of local and small vendors.

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पदों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5–10%, 10% से अधिक, अलग – अलग बताएं) । 50 शब्दों में विवरण दें ।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढावा दे

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

यथा 31.03.2018 को कुल कर्मचारियों की संख्या 58855 है।

2. कृपया अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

एफओसी–प्रशिक्षण	31
लोकपाल	1
सलाहकार	2
ईआरओ–ऑडिट उद्देश्य	268
कुल	**302**

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2018 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 17803 है।

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2018 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1450 है।

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हमारे बैंक में केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत) प्रबन्धन द्वारा मान्यता–प्राप्त क्रमशः कामगारों व अधिकारियों हेतु दो प्रमुख संघ हैं ।

6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदास्य है?

अधिकारी संघ	87.56
कर्मचारी यूनियन	78.71

5. **Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees.

1. **Please indicate the total number of employees.**

Total number of employees as at 31.03.2018 is 58855.

2. **Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.**

FOC- Training	31
Ombudsman	1
Advisors	2
ERO- Audit purpose	268
Total	**302**

3. **Please indicate the number of permanent women employees.**

The number of permanent women employees as at 31.03.2018 is 17803

4. **Please indicate the number of permanent employees with disabilities.**

The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2018 is 1450

5. **Do you have an employee association that is recognized by management.**

In our Bank Canara Bank Employees Union (Regd) and Canara Bank Officers' Association (Regd) are two majority Union/Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by Management.

6. **What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?**

Officers' Association	87.56
Workmen Union	78.71

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित कितनी हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीडन	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	174%
नियमित महिला कर्मचारी	177%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	149%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचिन्नित किया है? हाँ / नहीं

   हाँ, बैंक के शेयरधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।

2. उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षितों की पहचान की है?

   हां.

3. क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित शेयरधारकों से जुडने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें।

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	NIL	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	174%
Permanent Women Employees	177%
Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	149%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes / No

   Yes. The stake holders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

   Yes.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

कर्मचारी: बैंक बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/ सुविधाओं सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/ वेतन दिया जाता है।

ग्राहक: समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने, अन्य योजनाओं के साथ, सादा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना , शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरु की हैं।

सिद्धांत 5 : कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करे।

1. **मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति ही क्या कंपनी पर ही लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?**

   बैंक भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का आदर करता है।

   मानव संसाधन से संबंधित नीतियों केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा कोई भेदभाव राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीडन की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीडन को रोकने के लिए प्रावधान हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीडन की नीति लागू की गयी है। पॉलिसी के अनुसार, महा प्रबंधक की रैंक

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees.

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Nayee Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

   The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

   The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of guidelines issued by Supreme Court of India in its landmark judgment in Visakha & Others. Vs.

वाली महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं और एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीडन को रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है.

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख–रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेषतौर पर न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?**

   94894 – 99.90%

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुर्नस्थापित करने का प्रयास करे।

1. **सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर–सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू है?**

   नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है ? हाँ /नहीं , यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।**

   हाँ

State of Rajasthan & Others. As per the policy, a Complaints Committee has been constituted headed by a lady Executive of the rank of General Manager with majority of lady members and an outside member from a reputed NGO. The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction/electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labour laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   94894 – 99.90%

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.**

   The Policy covers only the Bank.

2. **Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसे नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओज़ोन विच्छेदन पदार्थों ज?से क्लोरोफ्लूरो कार्बन – 11 (सीएफसी–11), सी.एफ.सी. – 12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी. – 113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, ऐरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलॉन – 1211, 1301, 2402, आदि का प्रयोग किया जाता है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन ईकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्याकांन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोडने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दवाब डालता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि उधारकर्ता केन्द्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं**

   हाँ

4. **क्या कंपनी स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें। और , यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?**

   हाँ

   बैंक द्वारा विभिन्न हरित बैंकिंग पहल जिसमें कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेलिबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित बायोमेट्रिक एटीएम, शाखाओं में ई–लाउंज और अपने स्टाफ तथा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस और कागज रहित बैंकिंग शामिल को बढ़ावा देना शामिल है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की हैं? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।**

   बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता हेतु कई पहल शुरू की है । बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन मिल्स / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि । बैंक में हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं ।

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro carbon – 11 (CFC – 11), CFC – 12, Mixtures of CFC – 11 and CFC – 12, CFC – 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons – 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.

3. **Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N**

   Yes.

4. **Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?**

   Yes.

   Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, biometric ATMs for the use of rural folk, paperless Green PIN facility, stopped dispensing of "receipt printing" for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. **Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.**

   Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी परिसरों में सीएफएल / फ्लोरोसेंट के बदले नई एलईडी लगा रहा हैं। इसके अलावा निदेशक मंडल ने दिनांक: 18.09.2017 को बैंक को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नियंत्रण उपाय नवाचार अपनाने की अनुमति दी है। इसके आधार पर बैंक ने प्रथम चरण में पाँच क्षेत्रों (पैन इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थर्न ईस्ट इंडिया) के लिए विक्रेताओं को पैनल में शामिल किया है। द्वितीय चरण हेतु हमने अपने बैंक के कुछ भवनों को चिह्नित किया है. (सौर प्लांट स्थापित करने हेतु चंडीगढ व लखनऊ अंचल कार्यालय. प्रस्तावित योजना ओपेक्स मॉडल पर कार्यान्वित होगी (उपयोग की गई इकाई पर ही शुल्क देय लगेगा)

बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों अर्थात एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) नियम का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. **क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?**

   बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अत: यह लागू नहीं है।

7. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)**

   शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आमजनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो उन बडी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?**

   हाँ ।

   क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

   ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

   ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

   घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

   ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

   च) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआई)

   छ) भारतीय निवेश बैंकर संघ, मुंबई

Bank is replacing of CFL/ Fluorescent lighting fixtures with new LED fixtures in all its premises ensuring higher energy efficiency. Further, vide Board of Directors dated: 18.09.2017, Bank has permitted to adopt innovative way of control measures by using non-conventional energy sources. Based on that, Bank has done empanelment of vendors for five regions (Pan India, South India, North India, Central India, West India, Northern east India) in first stage. In second stage, we have identified few own buildings (Chandigarh CO, Lucknow CO to install solar plants. The proposed scheme to be implemented on OPEX model (Charges payable based on units consumed).

The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. **Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?**

   The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year**

   Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:**

   Yes.

   a) Indian Banks' Association (IBA)

   b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

   c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)

   d) National Institute of Bank Management (NIBM)

   e) National Payments Corporation of India (NPCI)

   f) The Clearing Corporation of India (CCI)

   g) Association of Investment Bankers of India, Mumbai

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मौटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय – समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार समग्र विकास और समान विकास को संबल दे।

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं है? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

बैंक ने समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को चलाया है ।

विवरण निम्नवत है:

बैंक ने सभी आबंटित 10049 गाँवों में 893 ब्रिक व मोर्टार शाखाएं खोलने और 2459 बीसी एजेंटों की सेवाएं प्रयुक्त कर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं । जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्चे पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है । इसका कार्यावयन दो मॉडल यानी ब्रिक व मॉर्टर मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल के तहत किया गया ।

72 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे हैं । वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 11176 कैम्प आयोजत किए गए तथा 14,50,669 लोगों को शिक्षित किया गया एवं 1,56,885 लोगों से परामर्श किया गया। बैंक ने वित्तीय साक्षरता कैम्प के माध्यम से 3,22,531 विद्यार्थियों को जागरुक किया गया । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 541 विशेष कैम्प "गोइंग डिजिटल" आयोजित किए गए ।

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has undertaken various initiatives/ programmes/ projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

Bank has provided Banking facilities in all the allotted 10049 villages by opening 893 brick & mortar branches and engaging 2459 BC agents. The objectives are to provide the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

72 FLCs are functioning at District/Block level. Conducted 11176 camps through which 14,50,669 have been educated & 1,56,885 people were counseled during the financial year 2017-18. Bank has imparted financial literacy to 3,22,531 students through FLCs. 541 special camps were conducted on "Going Digital" at rural places.

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक है। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नवत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए सम्मिलित है, जिनका निर्माण जनता तथा समाज की सेवा हेतु हुआ है :-

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करता है।

3. क्या अपने प्रयास का आपने प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

हाँ। बैंक अपने ग्राहकों को उत्पादों के सुपुर्दगी की पहल करता है। मुख्य वितरण योग्य उत्पाद हैं :-

बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान 7.67 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है तथा 178.75 लाख बैंकिंग सेवारहित लोग इस हेतु तैयार है।

वर्ष 2017-18 के दौरान हमारी 12 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली हैं और 7797 खाते से ₹13.85 करोड़ का कारोबार किया तथा ₹5.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जिससे 690 हिताधिकारी लाभान्वित हुए।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफट सुविधाएं, ऋण सुविधा जैसे सामन्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वेपिंग) योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion section under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Financial Literacy Trust.

Following are the Trusts / Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 7.67 lakh unbanked people during the year 2017-18 and 178.75 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

During 2017-18, 12 FI Branches have been opened garnering a business of ₹13.85 crores in 7797 accounts and provided a credit of ₹5.00 crores benefitting 690 beneficiaries.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, PMJDY Overdraft Facilities, credit facilities under products like Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products.

वर्ष 2017–18 में बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है । 52.01 लाख लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत किए गए । अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 4,28,051 खाते जोड़े गए । सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 13679 खाते खोले गए ।

बैंक ने "केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन" नामक समावेशी विकास वाहन एवं 25 वाहन प्रदान किए हैं। इन वाहनों में कृषि विस्तारण अधिकारी या सामान्य अधिकारी साथ जाते हैं जिन्हें हमारी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी होती है और ये नियमित तौर पर ग्रामीणों में जागरुकता पैदा करने जाते हैं। इन वाहनों में खाता खोलने के फार्म तथा अन्य योजनाओं के पैम्फलेट्स होते हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – राशि रूपयों में तथा परियोजनओं का विवरण ।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक – आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹28.53 करोड़ की राशि मंजूर की । (कृपया बिंदु 5 का भाग ख का संदर्भ लें)

5. क्या इस समुदाय विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाया जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

बैंक को सीएसआर प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले संगठन के बारे में समुचित परिश्रम रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और बैंक द्वारा स्वीकृत सीएसआर फंडों के किए गए अंतिम उपयोग पर संगठन / संस्थान से पुष्टि प्राप्त की जाती है।

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व–विकासात्मक व विकासोपरांत दौरा के पश्चात संवितरित किया जाता है । सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके समुदाय के लोगों को भी शामिल करके परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके सहायता वितरित किया जाता है ।

बैंक के पास यह सुनिश्चित करने हेतु तंत्र स्थापित है कि समुदाय विकास प्रक्रिया को अपना रहा है ।

The Bank has implemented social security schemes successfully during the year 2017-18. 52.01 lakhs enrolments have been done under both Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJY) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Under Atal Pension Yojana (APY) 4,28,051 accounts were mobilized. 13679 accounts have been opened under Sukanya Samriddhi Yojana.

The Bank has provided inclusive growth vehicles called "Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles" & 25 vehicles are deployed across the country. These vehicles accompanied by an Agriculture Extension Officer or general officer who are well aware of the Bank's various rural development schemes visit the villages regularly for creating awareness among the rural mass about banking. The vehicles are also provided with the account opening forms and pamphlets of various schemes.

4. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank has sanctioned a sum of ₹28.53 Crores under CSR for various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank obtains due diligence report about the donee organization prior to sanctioning of CSR proposals and confirmation from the donee organization / Institute on the end use of the CSR funds sanctioned by the Bank is obtained.

The assistance for the projects is disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance is handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adopts to the developmental process.

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुडे और उन्हें सम्मान प्रदान करे।

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता प्रकरण लंबित हैं?**

   वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 93276 ग्राहक शिकायतों की (3.49%) 3254 लंबित थी ।

2. **क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचनाएं)**

   बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशरर्स के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी शेयरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।**

   शून्य

4. **क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान का पता लगाया है?**

   बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व- निहित, स्टांपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार है:

   1. 96% ग्राहक एटीएम संबंधित सेवाओं से संतुष्ट हैं।
   2. 91% ग्राहक इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं।
   3. समग्र रूप से 92% ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट थे ।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.**

   3254 (3.49%) of the 93276 customer complaints received were pending as at the end of the financial year.

2. **Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)**

   The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Nil.

4. **Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

   To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the online satisfaction survey is as under:

   1. 96% of the customers were satisfied with ATM related services.
   2. 91% of the customers were satisfied with internet services.
   3. Overall 92% of the customers were satisfied with the Bank's services

केनरा बैंक Canara Bank

कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

2017-2018

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) **कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन:**

"कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथावों का अनुप्रयोग, अक्षरशः कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभर कर आना है। इस संकल्प लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वार्तालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के समस्त हितधारक– जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) **निदेशक मंडल:**

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

3) **लेखापरीक्षा समिति:**

बैंक द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार किया गया है।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) **Bank's philosophy on Corporate Governance:**

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) **Board of Directors:**

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

3) **Audit Committee:**

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है ।

ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत् हैं:

क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना ।

ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा

ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना ।

घ. बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।

एसीबी लेखा परीक्षा समिति द्वारा लॉन्ग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा आरबीआई की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों /मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है । इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है ।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दिये गये हैं ।

i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.

ii) The major functions of the committee are as under:

a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.

b. To Review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and

c. To Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports.

d. To Review Bank's finance and risk management policies.

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follows up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A &B.

4) (i) **नामांकन समिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-8 दिनांक 01.11.2007 के संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों के उपयुक्तता व अनुकूलता स्थिति निर्धारित करने की समुचित प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से एक नामांकन समिति का गठन किया गया । यह बैठक 2017-18 के दौरान नहीं हुई क्योंकि 31.03.2015 शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेतु कोई प्रक्रिया नहीं थी तथा को समुचित सावधानी हेतु यथा 31.03.2015 तक निर्वाचित शेयरधारक निदेशक द्वारा प्रस्तुत घोषणा (बायो डेटा) में भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था।

(ii) **पारिश्रमिक समिति:**

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है । पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

5) **निदेशकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान:**

क) निदेशकों को पारिश्रमिक, का भुगतान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत् हैं :

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री राकेश शर्मा प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	30,27,202.00
श्रीमती पी. वी. भारती कार्यपालक निदेशक	25,16,434.00
श्री मठम वेंकट राव कार्यपालक निदेशक	11,73,769.62
श्री देबशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	2,75,934.29
श्री हरिदीश कुमार बी भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	8,59,851.40
श्री दीनबन्धु महापात्र भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	4,94,763.05
कुल	**83,47,954.36**

4) (i) **Nomination Committee:**

In terms of RBI Communication DBOD No. BC.No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007, the Board of the Directors of the Bank had constituted a Nomination Committee to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of the existing elected Shareholder Directors / Proposed Candidates as per the guidelines of RBI. The Committee shall meet as and when required. It didn't meet during 2017-18, since there was no process of election of Shareholder Directors and also no significant changes in the declarations (bio-data) submitted by the elected Shareholder Directors as on 31.03.2015 for conducting due diligence exercise.

(ii) **Remuneration Committee:**

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007, the Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole time directors as per GOI guidelines. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

5) **Remuneration to Directors:**

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2017-18 are as under:

Name & Designation	Amount (₹)
Shri Rakesh Sharma, MD&CEO	30,27,202.00
Smt P V Bharathi, ED	25,16,434.00
Shri Matam Venkata Rao, ED	11,73,769.62
Shri Debashish Mukherjee, ED	2,75,934.29
Shri Harideesh Kumar B, EX- ED	8,59,851.40
Shri Dinabandhu Mohapatra, EX- ED	4,94,763.05
TOTAL	**83,47,954.36**

ख) गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है । निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क परिशिष्ट 'ग' में दिया गया है ।

6) **हितधारक संबंध समिति :**

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी कि जाती है ।

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी:	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	1618
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारकों संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

यथा 31.03.2018 तक सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार श्री जॉर्ज अगस्टीन टी, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं । बैंक के वर्तमान अनुपालन अधिकारी 13.06.2018 से कंपनी सचिव श्री विनय मोहित हैं।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं ।

अन्य समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है ।

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दी गई है ।

b) Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The sitting fees paid to the Directors is given in the Appendix C.

6) **Stakeholders Relationship Committee :**

The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints / Representations Received	1618
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri GEORGE AUGUSTIN T, Company Secretary was the Compliance Officer of the Bank as on 31.03.2018. The present Compliance Officer of the Bank is Shri. Vinay Mohta, Company Secretary w.e.f. 13.06.2018.

The Composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

(ख) **जोखिम प्रबंधन समिति:**

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं ।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, चार उच्च स्तरीय समितियां अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबन्धन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं । इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इन मामलों में उनकी सहायता की जाती है ।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं ।

(ग) **आस्ति देयता प्रबंधन समिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है । समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है :

क) तरलता जोखिम प्रबंधन

ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन

ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन

घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना

ङ) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

(b) **Risk Management Committee:**

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD&CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) **Asset Liability Management Committee:**

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

(A) Liquidity Risk Management

(B) Management of Market risk

(C) Trading Risk Management

(D) Funding and Capital Planning

(E) Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net-Interest Income.

7) **सामान्य बैठकें :**

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

सामान्य बैठक (आईपीओ के बाद)	दिनांक	समय	स्थान
13 वीं एजीएम	14.07.2015	3.30 अपराह्न	सभागृह – 1, निमहंस, कंवेंशन सेंटर, होम्बेगौडा नगर, होसूर मेन रोड, बेंगलूर – 560 029
14 वीं एजीएम	26.07.2016	10.30 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर– 560 001
15 वीं एजीएम	20.07.2017	3.30 अपराह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर– 560 001

पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (अर्थात 13वीं सामान्य बैठक, 14वीं सामान्य बैठक तथा बैंक की 15वीं सामान्य बैठक) में एक विशेष संकल्प रखा गया था तथा कोई डाक मतदान नहीं किया गया ।

15वीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं ।

8) **संप्रेषण का माध्यम :**

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्य रूप से बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं । शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्स्चेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है । बैंक, कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है ।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं ।

7) **General Body meetings:**

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

AGM (After IPO)	Date	Time	Venue
13th AGM	14.07.2015	03.30 PM	Auditorium – 1, NIMHANS Convention Centre, Hombe-gowda Nagar, Hosur Main Road, Bangalore - 560 029
14th AGM	26.07.2016	10.30 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
15th AGM	20.07.2017	03.30 PM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore -560 001

One special resolution each was put through in last three Annual General Meeting (ie., 13th AGM, 14th AGM and 15th AGM of the Bank) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 15th Annual General Meeting are given in Appendix B.

8) **Means of Communication:**

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2017	28.05.2017	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
30.06.2017	20.07.2017	विजय कर्नाटक	बिजनेस लाइन (अंग्रेज़ी), बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी)
30.09.2017	28.10.2017	कन्नड प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.12.2017	25.01.2018	कन्नड प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) जन सत्ता (हिंदी)
31.03.2018 (लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)	12.05.2018	कन्नड प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.03.2018 (लेखापरीक्षित समेकित परिणाम)	31.05.2018	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)

9) शेयरधारकों को सामान्य सूचना:

वित्तीय कैलेंडर:

वित्तीय वर्ष	2017-2018
बुक क्लोजर (दोनों दिन सहित)	20.07.2018-26.07.2018
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	21.07.2018
ई–मतदान कट–ऑफ तिथि	19.07.2018
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	26.07.2018

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :

निम्नांकित स्टाक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है । संबंधित स्टॉक एक्स्चेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है ।

1	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2017–18 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है ।

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2017	28.05.2017	Prajavani	Business Standard (English & Hindi)
30.06.2017	20.07.2017	Vijay Karnataka	Business Line (English) Business Standard (Hindi)
30.09.2017	28.10.2017	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)
31.12.2017	25.01.2018	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
31.03.2018 (Audited Financial Results)	12.05.2018	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2018 (Audited Consolidated Results)	31.05.2018	Prajavani	Business Standard (English & Hindi)

9) General Shareholders' Information:

Financial Calendar

Financial year	2017-2018
Book closure (Both days inclusive)	20.07.2018-26.07.2018
Last Date for receipt of proxy forms	21.07.2018
e-Voting Cut-Off Date	19.07.2018
Date of Annual General Meeting	26.07.2018

Listing on Stock Exchanges :

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2017-18 has been paid within the prescribed due date.

बाजार मूल्य आंकडे :

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2017	359	302	48,08,740	362	302	5,71,99,371
मई	2017	415	344	1.07,05,973	416	344	11,73,27,011
जून	2017	366	317	42,67,971	366	317	4,67,08,756
जुलाई	2017	374	329	53,18,734	375	329	5,13,91,314
अगस्त	2017	370	320	28,20,510	370	321	3,5093,635
सितंबर	2017	352	307	35,63,650	352	307	3,46,62,739
अक्तूबर	2017	463	297	74,89,079	464	298	9,73,92,652
नवंबर	2017	420	367	84,67,385	420	367	6,89,41,456
दिसंबर	2017	384	341	26,31,501	380	341	4,12,64,487
जनवरी	2018	385	335	43,79,242	385	335	5,69,86,926
फरवरी	2018	360	286	75,65,749	344	285	8,82,37,751
मार्च	2018	300	225	1,37,65,382	300	225	23,40,76,907

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2017	359	302	48,08,740	362	302	5,71,99,371
May	2017	415	344	1,07,05,973	416	344	11,73,27,011
June	2017	366	317	42,67,971	366	317	4,67,08,756
July	2017	374	329	53,18,734	375	329	5,13,91,314
August	2017	370	320	28,20,510	370	321	3,50,93,635
September	2017	352	307	35,63,650	352	307	3,46,62,739
October	2017	463	297	74,89,079	464	298	9,73,92,652
November	2017	420	367	84,67,385	420	367	6,89,41,456
December	2017	384	341	26,31,501	380	341	4,12,64,487
January	2018	385	335	43,79,242	385	335	5,69,86,926
February	2018	360	286	75,65,749	344	285	8,82,37,751
March	2018	300	225	1,37,65,382	300	225	23,40,76,907

अन्य प्रकटन :

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किये हैं। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है ।

बैंक ने 2002–03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/– अंकित मूल्य के 41 करोड ईक्विटी शेयर भौतिक और डिमैट दोनों रूपों में जारी किये ।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन की अनुसूची 5 के मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचंत खाते में जमा किया जाना है । तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूर में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है । तद्संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम: केनरा बैंक– अदावी उचंत खाते– भौतिक शेयर डीपीअईडी / ग्राहक पहचान संख्या : 301356 / 20552606

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2012 को	4(अदावी)	2200
2012–13 में अदावी उचंत खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामला	1	500
पहचान किए गए तथा 2013–14 में हस्तांतरित	1	500
यथा 01.04.2017 को लंबित	--	--
यथा 31.03.2018 को लंबित	--	--

Other Disclosures :

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.

The Bank went for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under :

Name of the Account: Canara Bank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares DPID / Client ID Number : 301356 / 20552606

Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
As on 01.04.2012	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above) in 2012-13	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified & handed over in 2013-14	1	500
Pending as on 01.04.2017	--	--
Pending as on 31.03.2018	--	--

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices

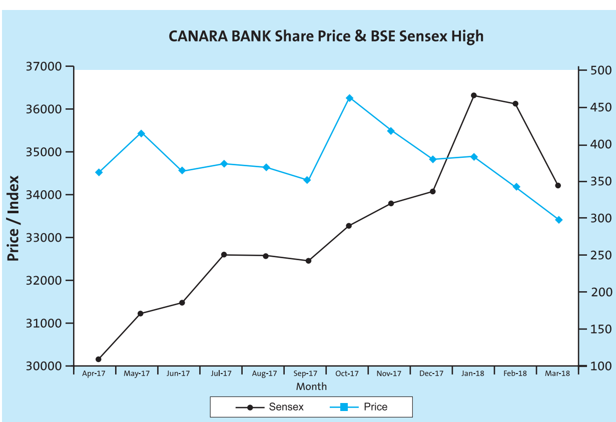

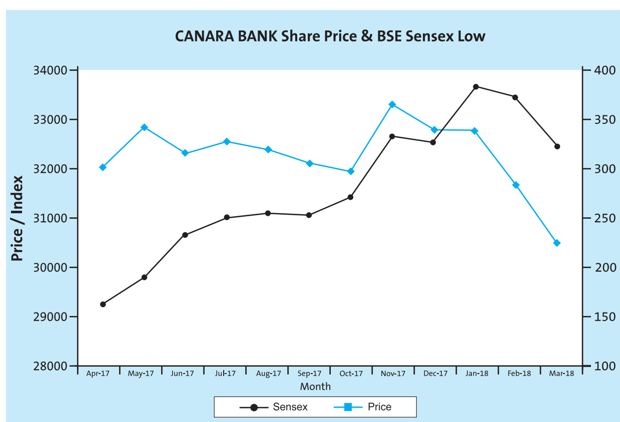

CANARA BANK Share Price & BSE Bankex High

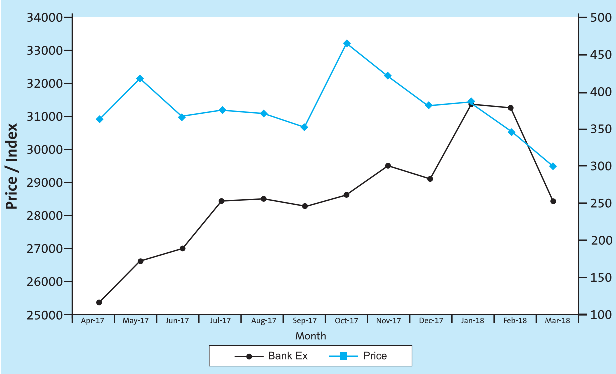

CANARA BANK Share Price & BSE-Index-Bankex Low

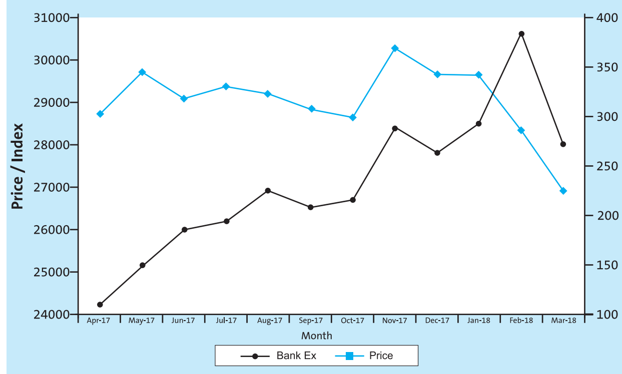

CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty High

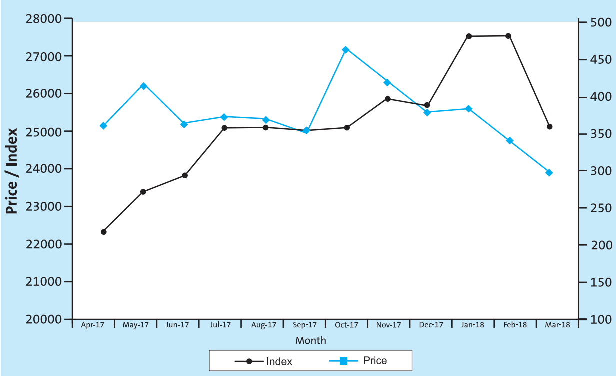

CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty Low

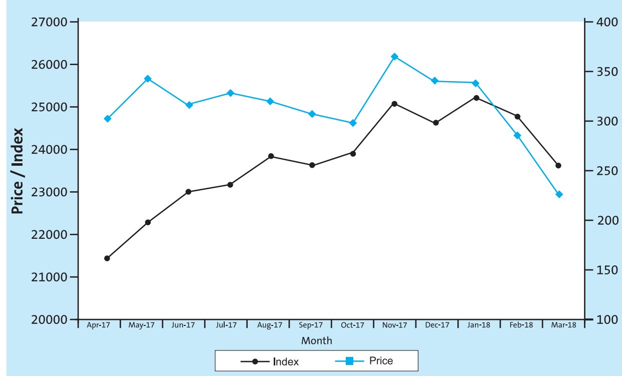

CANARA BANK Share Price & NIFTY HIGH

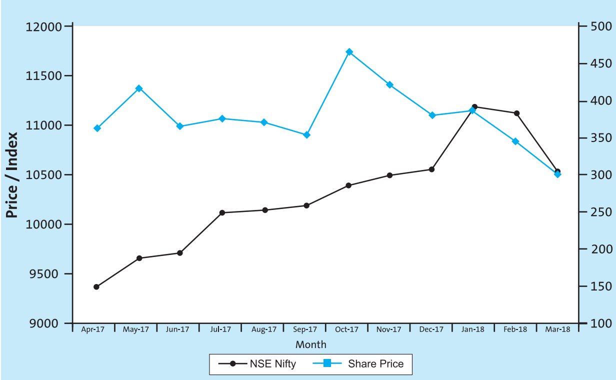

CANARA BANK Share Price & NIFTY Low

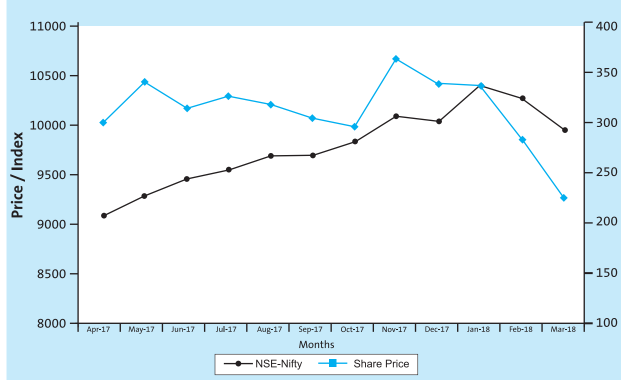

रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
कार्वी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट सं.31–32,
गाच्चीबोवली, नानाक्रमगुडा वित्तीय जिला
हैदराबाद– 500 032

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर :

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए ।

(ख) डिमैट रूप में शेयर :

डिमैट रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश देने हैं ।

शेयर धारण का संवितरण (31.03.2018)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या***	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	53,19,44,775	72.55
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	27,67,186	0.38
3	बीमा कंपनियों	7,05,73,693	9.63
4	म्युच्युअल फंड	5,03,01,004	6.86
5	कॉर्पोरेट निकाय	87,78,029	1.20
6	एन आर आई / ओ सी बी	8,39,559	0.11
7	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	3,05,09,583	4.16
8	विदेशी संस्थागत निवेशक / एफ पी आई	3,75,30,946	5.11
	कुल	**73,32,44,775**	**100.00**

प्रत्येक शेयर का नामिक मूल्य ₹10/– है

*** **नोट:** बैंक ने भारत सरकार को 13,59,54,616 ईक्विटी शेयर आबंटित किये हैं। तदनुसार यथा 27.03.2018 को हमारे बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹733.24 करोड़ हो गई है ।

Registrar and transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
HYDERABAD – 500 032

Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

Distribution of Shareholding (31.03.2018)

Sl No.	Category	# No. of shares***	% of share holding
1	Government of India	53,19,44,775	72.55
2	Banks & Financial Institutions	27,67,186	0.38
3	Insurance Companies	7,05,73,693	9.63
4	Mutual Funds	5,03,01,004	6.86
5	Bodies Corporate	87,78,029	1.20
6	NRIs/OCBs	8,39,559	0.11
7	Resident Individuals/HUF / Trust etc.	3,05,09,583	4.16
8	Foreign Institutional investors / FPIs	3,75,30,946	5.11
	TOTAL	**73,32,44,775**	**100.00**

Nominal value of each share is ₹10/-

***Note:** The Bank has issued/ allotted 13,59,54,616 equity shares on preferential basis to GOI on 27.03.2018. Accordingly the total paid up capital of our bank is increased to ₹733.24 Crore.

मूल्य वार:

(31.03.2018)

शेयर धारण का नामिक मूल्य (₹)	शेयर धारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	1,41,750	92.56	1,57,32,797	2.14
5001 से 10000	7,582	4.95	57,76,632	0.79
10001 से 20000	2,430	1.59	33,11,727	0.45
20001 से 30000	524	0.34	12,96,747	0.18
30001 से 40000	164	0.11	5,73,556	0.08
40001 से 50000	147	0.10	6,67,379	0.09
50001 से 100000	204	0.13	14,51,706	0.20
100001 व उससे अधिक	349	0.22	70,44,34,231	96.07
कुल	**1,53,150**	**100**	**73,32,24,775**	**100**

Value wise:

(31.03.2018)

Shareholding Nominal Value (Rs.)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	1,41,750	92.56	1,57,32,797	2.14
5001 to 10000	7,582	4.95	57,76,632	0.79
10001 to 20000	2,430	1.59	33,11,727	0.45
20001 to 30000	524	0.34	12,96,747	0.18
30001 to 40000	164	0.11	5,73,556	0.08
40001 to 50000	147	0.10	6,67,379	0.09
50001 to 100000	204	0.13	14,51,706	0.20
100001 and above	349	0.22	70,44,34,231	96.07
TOTAL	**1,53,150**	**100**	**73,32,24,775**	**100**

शेयरों का अभौतिकीकृत और नकदी :

बैंक के शेयरों का खरीद–फरोख्त अनिवार्यतया अभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के अभौतिकीकृत करने के लिए बैंक ने मेसर्स नैशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉसिटरीस सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में किया है। बैंक शेयर के लिए आबंटित आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का अभौतिकीकृत उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का अभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अभौतिक खाता खोलकर शेयरों के अभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

अभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2018)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	24,201	15.80	14,14,82,376	19.30
इलेक्ट्रॉनिक–एनएसडीएल	91,345	59.64	18,90,46,673	25.78
इलेक्ट्रॉनिक–सीडीएसएल	37,604	24.56	40,27,15,726	54.92
कुल	**1,53,150**	**100.00**	**73,32,44,775**	**100.00**

जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता :

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूर– 560 002
ई–मेल पता : hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat /Physical Holding (31.03.2018)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	24,201	15.80	14,14,82,376	19.30
Electronic-NSDL	91,345	59.64	18,90,46,673	25.78
Electronic-CDSL	37,604	24.56	40,27,15,726	54.92
TOTAL	**1,53,150**	**100.00**	**73,32,44,775**	**100.00**

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
MD & CEO'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

10) प्रकटन:

क) बैंक के संबंधित पक्ष संव्यवहार को यथा 31.03.2018 के तुलन–पत्र के लेखांकन संबंधी अनुसूची 18 में प्रकट की गई है । आगे, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं हुआ है ।

ख) बैंक ने अपने शेयरों का सूचीबद्ध करने के बाद पूंजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है । गत तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ।

ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित की है तथा व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

घ) बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 27(1) की विवेकाधीन अपेक्षा का कार्यान्वयन निम्न रूप से किया गया है:

10) Disclosures:

a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2018. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2017-18.

b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

c) The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.

d) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

क्रमांक	विवेकाधीन अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
क	**बोर्ड** गैर कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय संभालने हेतु अर्ह हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें अनुमत है ।	हां
ख	**शेयर धारक के अधिकार**	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है ।
ग	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय**	वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट असम्बद्ध राय के साथ प्रस्तुत की गई है।
घ	**अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग–अलग पद**	भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्र.नि. व मु.का.अ.के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है।
ङ	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग**	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है ।

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	**The Board** A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	YES.
B	**Shareholder Rights**	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
C	**Modified opinion(s) in audit report**	The Audit Report for the year 2017-18 is submitted with UNMODIFIED OPINION
D	**Separate Posts of Chairman and CEO**	The Government of India has nominated / appointed separate persons to the post of Chairperson and MD&CEO.
E	**Reporting of Internal Auditor**	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management

ङ) एवं च) कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित नीतियों को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है एवं इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है :

हमारे बारे में -----> शेयरधारक सूचना (पृष्ठ) -----> नीतियाँ

छ) वस्तु मूल्य जोखिम का प्रकटीकरण एवं वस्तु बचाव हेतु गतिविधियाँ – लागू नही

e) & f) The policies related to the provisions of Corporate Governance have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link :

About Us -----> Shareholder Information (Page) -----> Policies

g) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities : Not Applicable

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2018)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री टी. एन. मनोहरन	गैर–कार्यपालक निदेशक	14.08.2015–13.08.2018	2
2.	श्री राकेश शर्मा	प्र.नि. व मु.का.अ.	11.09.2015–31.07.2018	शून्य
3.	श्रीमती पी.वी. भारती	का नि	15.09.2016–14.09.2019	1
4.	श्री मठम वेंकट राव	का नि	09.10.2017–08.10.2020	शून्य
5.	श्री देबाशीष मुखर्जी	का नि	19.02.2018–18.02.2021	शून्य
6.	श्री सुचिन्द्र मिश्रा	भा. स	14.06.2016 से आगे के आदेश तक	शून्य
7.	श्री उमा शंकर	भा.रि.बै.	23.02.2015 से आगे के आदेश तक	शून्य
8.	श्री एच कृष्णमूर्ति	शे नि	27.07.2016–26.07.2019	शून्य
9.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शे नि	27.07.2016–26.07.2019	1

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2018)

Sl NO.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS *
1.	SHRI T N MANOHARAN	Non-Executive Chairman	14.08.2015-13.08.2018	2
2.	SHRI RAKESH SHARMA	MD&CEO	11.09.2015-31.07.2018	NIL
3.	SMT P V BHARATHI	ED	15.09.2016-14.09.2019	1
4.	SHRI MATAM VENKATA RAO	ED	09.10.2017-08.10.2020	NIL
5.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	ED	19.02.2018-18.02.2021	NIL
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	GOI Nominee	14.06.2016 Till further orders	NIL
7.	SMT UMA SHANKAR	RBI Nominee	23.02.2015 Till further orders	Nil
8.	SHRI H KRISHNAMURTHY	SD	27.07.2016-26.07.2019	NIL
9.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	SD	27.07.2016-26.07.2019	1

ii. 2017–18 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्योरा

1.	श्री हरिदीश कुमार बी	का नि	11.03.2015-31.05.2017	शून्य
2.	श्री दीनबन्धु महापात्र	का नि	22.01.2016-05.05.2017	शून्य
3.	श्री महादेव नागेन्द्र राव	शे नि	27.07.2016-02.03.2018	शून्य

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2017-2018

1.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	ED	11.03.2015-31.05.2017	NIL
2.	SHRI DINABANDHU MOHAPATRA	ED	22.01.2016-05.05.2017	NIL
3.	SHRI MAHADEV NAGENDRA RAO	SD	27.07.2016-02.03.2018	NIL

*अन्य सूचीबद्ध इकाईयों में निदेशक / *Directorship in other LISTED ENTITIES

संकेत / KEY

प्र.नि.व मु.का.अ. / MD & CEO	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर का नि/ NED	गैर–कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों की संरचना / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P.V. Bharathi श्री मठम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देबाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P.V. Bharathi श्री मठम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देबाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee श्री कृष्ण मूर्ती एच / Shri Krishnamurthy H श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री कृष्णमूर्ति एच Shri Krishnamurthy H	श्री टी.एन. मनोहरन / Shri T.N. Manoharan श्री मठम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री सुचिन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar
शेयरधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P.V. Bharathi श्री मठम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देबाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee श्री कृष्णमूर्ति एच / Shri Krishnamurthy H
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री सुचिन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar श्री कृष्णमूर्ति एच / Shri Krishnamurthy H श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित		
1.	श्री टी.एन. मनोहरन	15/15	-	13/13	-	9/9	✓	शून्य
2.	श्री राकेश शर्मा	15/15	19/19	-	-	8/9	✓	1379
3.	श्रीमती पी.वी. भारती	15/15	19/19	6/6	2/2	9/9	✓	शून्य
4.	श्री मठम वेंकट राव	7/7	9/9	7/7	1/1	4/4	-	शून्य
5.	श्री देबाशीष मुखर्जी	2/2	1 / 2	-	1/1	2/2	-	शून्य
6.	श्री सुचिन्द्र मिश्रा	13/15	-	9/13	-	-	-	शून्य
7.	श्रीमती उमा शंकर	7/15	11/19	8/13	-	-	-	शून्य
8.	श्री कृष्णमूर्ति एच	15/15	-	13/13	2/2	1/1	✓	375
9.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	15/15	19/19	-	1/1	9/9	-	125

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGE-MENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MAN-AGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI T N MANOHARAN	15/15	-	13/13	-	9/9	✓	Nil
2.	SHRI RAKESH SHARMA	15/15	19/19	-	-	8/9	✓	1379
3.	SMT P V BHARATHI	15/15	19/19	6/6	2/2	9/9	✓	Nil
4.	SHRI MATAM VENKATA RAO	7/7	9/9	7/7	1/1	4/4	-	Nil
5.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	2/2	1 / 2	-	1/1	2/2	-	Nil
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	13/15	-	9/13	-	-	-	Nil
7.	SMT UMA SHANKAR	7/15	11/19	8/13	-	-	-	Nil
8.	SHRI KRISHNAMURTHY H	15/15	-	13/13	2/2	1/1	✓	375
9.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	15/15	19/19	-	1/1	9/9	-	125

परिशिष्ट ख

वर्ष 2017–2018 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

1.	श्री दीनबन्धु महापात्र	1/1	1/1	-	--	1/1	-	शून्य
2.	श्री हरिदीश कुमार बी	2/3	2/2	-	--	1 / 2	-	शून्य
3.	श्री महादेव नागेन्द्र राव	9/13	14/17	-	1/1	6/8	✓	300

विभिन्न बैठकों की तारीख								
		बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	असाधारण सामान्य बैठक
		10.04.17	28.04.17	10.04.17	06.10.17	10.04.17	20.07.17	01.03.18
		08.05.17	27.05.17	08.05.17	09.03.18	27.05.17		
		27.05.17	13.06.17	27.05.17		15.06.17		
		15.06.17	27.06.17	15.06.17		21.08.17		
		14.07.17	14.07.17	19.07.17		06.10.17		
		19.07.17	31.07.17	04.09.17		20.11.17		
		21.08.17	16.08.17	27.10.17		26.12.17		
		18.09.17	31.08.17	20.11.17		27.02.18		
		27.10.17	16.09.17	26.12.17		09.03.18		
		20.11.17	06.10.17	24.01.18				
		26.12.17	26.10.17	19.02.18				
		24.01.18	21.11.17	09.03.18				
		06.02.18	04.12.17	26.03.18				
		19.03.18	18.12.17					
		26.03.18	27.12.17					
			18.01.18					
			19.02.18					
			12.03.18					
			26.03.18					

कुंजी : एस. आर. सी. : हितधारक संबंध समिति की बैठक
ला न: लागू नहीं

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2017-2018

1.	SHRI DINABANDHU MOHAPATRA	1/1	1/1	-	--	1/1	-	Nil
2.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	2/3	2/2	-	--	1 / 2	-	Nil
3.	SHRI MAHADEV NAGENDRA RAO	9/13	14/17	-	1/1	6/8	✓	300

DATES OF VARIOUS MEETINGS								
		BOARD MEETING	MANAGE-MENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MAN-AGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
		10.04.17	28.04.17	10.04.17	06.10.17	10.04.17	20.07.17	01.03.18
		08.05.17	27.05.17	08.05.17	09.03.18	27.05.17		
		27.05.17	13.06.17	27.05.17		15.06.17		
		15.06.17	27.06.17	15.06.17		21.08.17		
		14.07.17	14.07.17	19.07.17		06.10.17		
		19.07.17	31.07.17	04.09.17		20.11.17		
		21.08.17	16.08.17	27.10.17		26.12.17		
		18.09.17	31.08.17	20.11.17		27.02.18		
		27.10.17	16.09.17	26.12.17		09.03.18		
		20.11.17	06.10.17	24.01.18				
		26.12.17	26.10.17	19.02.18				
		24.01.18	21.11.17	09.03.18				
		06.02.18	04.12.17	26.03.18				
		19.03.18	18.12.17					
		26.03.18	27.12.17					
			18.01.18					
			19.02.18					
			12.03.18					
			26.03.18					

KEY: SRC: Stakeholders Relationship Committee Meeting.

NA: Not Applicable

परिशिष्ट ग

वर्ष 2017–18 के लिए निदेशकों को प्रदत्त उपस्थिति शुल्क

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री टी.एन.मनोहरन	₹7,10,000/-
2	श्री कृष्णमूर्ति एच	₹8,10,000/-
3	श्री महादेव नागेन्द्र राव	₹5,90,000/-
4	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	₹8,30,000/-

Appendix C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2017-18

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	T N Manoharan	₹7,10,000/-
2	Krishnamurthy H	₹8,10,000/-
3	Mahadev Nagendra Rao	₹5,90,000/-
4	Venkatachalam Ramakrishna Iyer	₹8,30,000/-

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक के **निदेशक मंडल** और वरिष्ठ **प्रबन्धन कार्मिक** ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 18.06.2018

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

DECLARATION BY MD & CEO

The Board of Directors and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended **31.03.2018**

Place : Bengaluru
Date : 18.06.2018

RAKESH SHARMA
Managing Director & CEO

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसाकि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपलन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है ।

हम घोषित करते हैं कि हितधारकों के संबंध समिति (पूर्व में शेयरधारकों / निवेशकों के शिकायत निवारण समिति) द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते
जे एल सेनगुप्ता & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन. 307092–ई

एस मंडल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 068309

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 11.05.2018

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2018 as stipulated in the relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the relevant regulations under SEBI(LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For and on behalf of
J L SENGUPTA & Co.,
Chartered Accountants
(FRN No. 307092-E)

S MANDAL
Partner
Membership No. 068309

PLACE : BENGALURU
DATE : 11.05.2018

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2017-2018

केनरा बैंक Canara Bank

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

2017-2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2018 को केनरा बैंक के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारियाँ शामिल है । इन वित्त विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं की, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3661 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 7 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं । हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखायें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं । इसमें बिना लेखापरीक्षा की 2523 शाखाओं का तुलन पत्र, लाभ–लानि लेखा विवरणी भी शामिल की हैं । बिना लेखापरीक्षा की शाखायें 4.87% अग्रिम, 16.72% जमा, 3.64% ब्याज आय और 16.30% ब्याज गठित करती हैं ।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए बैंक प्रबंधन तंत्र उत्तरदायी है । इस उत्तरदायित्व में धोखाधडी के कारण या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप–सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं ।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है । ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of Canara Bank

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Canara Bank as at 31st March, 2018, which comprise the standalone Balance Sheet as at 31st March, 2018, Standalone Profit and Loss Account, the Standalone Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 3661 branches audited by statutory branch auditors and 7 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Standalone Balance Sheet and the Standalone Profit and Loss Account are the returns from 2523 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.87 per cent of advances, 16.72 per cent of deposits, 3.64 per cent of interest income and 16.30 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

2. The bank's management is responsible for the preparation of these Standalone financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time and Accounting Standards generally accepted in India. This responsibility of the Management includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the Standalone Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these Standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements

से लेखापरीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणियों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं ।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियायें अपनाना होता है । चुनी गई प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणियों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक की तैयारी और वित्तीय विवरणियों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया की संरचना करता है जो कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं है । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है ।

5. हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा पर हमारे विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किए हैं वह पर्याप्त और समुचित हैं ।

हमारा विचार

6. हमारा विचार है, बैंक की बहियों में प्रस्तुत है और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   I. लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सके;

   II. लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है ।

and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the standalone financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the Standalone financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   I. The Standalone Balance sheet, read with the significant accounting policies and the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   II. The Standalone Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

III. नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाती है ।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

7. तुलन पत्र और लाभ–हानि खाता क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं ।

8. उपर्युक्त 1 से 5 तक के परिच्छेदों में सूचित लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि;

क. हमने अपने लेखापरीक्षा कार्य के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है ।

ख. बैंक के संव्यवहार जो हमारी जानकारी में आये हैं, उसके अधिकारों के अंतर्गत ही है ।

ग. हमारी लेखापरीक्षा के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त पाई गई हैं ।

9. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) तुलन पत्र, लाभ–हानि लेखा, इस रिपोर्ट की लेखा बहियों व विवरणियों का अनुसरण करते हैं;

ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के आधार पर बैंक की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा / कार्यालयों की लेखा संबंधी रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट तैयार करने के लिए इनका उचित रूप से इस्तेमाल किया गया है;

III. The Standalone Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Standalone Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that;

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

9. We further report that:

a) The Standalone Balance Sheet and the Standalone Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b) The report on the accounts of the Branch/Offices audited by the branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

ग) तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं – यह हमारी राय है ।

c) In our opinion, the Standalone Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते जे सिंह एण्ड एसोसीएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 110266डब्ल्यू

कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 307092इ

(जे सिंह)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 042023

(एस मंडल)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 068309

कृते डागलिया एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000671एस

कृते कोमंडूर एंड कं एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001420एस / एस200034

(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 016444

(के मोहन आचार्य)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 029082

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 मई, 2018

J Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN : 110266W

J L Sengupta & Co.
Chartered Accountants
FRN : 307092E

(J Singh)
Partner
Membership No 042023

(S Mandal)
Partner
Membership No 068309

Dagliya & Co.
Chartered Accountants
FRN :000671S

Komandoor & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 001420S/ S200034

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No 016444

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No 029082

Place : Bengaluru
Date : May 11, 2018

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2018

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	733 24 48	597 29 02
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	34871 59 21	33088 24 73
जमा / DEPOSITS	3	524771 86 03	495275 24 22
उधार / BORROWINGS	4	38808 51 17	39503 55 90
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	17700 89 59	15055 10 48
कुल / TOTAL		**616886 10 48**	**583519 44 35**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22100 03 81	19922 49 73
बैंकों में शेष और माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	27812 29 40	38902 96 15
निवेश / INVESTMENTS	8	144053 67 04	150265 88 82
अग्रिम / ADVANCES	9	381702 98 64	342008 76 08
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	8318 64 32	7168 31 59
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	32898 47 27	25251 01 98
कुल / TOTAL		**616886 10 48**	**583519 44 35**
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	293728 89 00	432470 42 05
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		26782 07 90	27176 31 19

एम स्वामीनाथन
सहायक महा प्रबंधक

पी विठोबा
सहायक महा प्रबंधक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन शिवशंकरन
महा प्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी. एन. मनोहरन
निदेशक

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 110266डब्ल्यू
जे सिंह
साझेदार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 307092ई
एस मंडल
साझेदार

कृते
डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 000671एस
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार

कृते
कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं.001420एस/एस200034
के मोहन अचार्या
साझेदार

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 मई, 2018

यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

	अनुसूची Schedule	31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए For the year ended 31.03.2018 (₹'000)	31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए For the year ended 31.03.2017 (₹'000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	41252 08 76	41387 64 49
अन्य आय / OTHER INCOME	14	6942 85 24	7554 39 85
कुल / Total		**48194 94 00**	**48942 04 34**
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	29088 76 25	31515 86 81
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	9557 93 54	8512 28 12
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		13770 47 97	7791 97 19
कुल / Total		**52417 17 76**	**47820 12 12**
III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD		**(4222 23 76)**	**1121 92 22**
प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE		(70.47)	20.63

M SWAMINATHAN
ASST. GENERAL MANAGER

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
GENERAL MANAGER

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M V RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
J. SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
J.L. SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

For
DAGLIYA & CO.
Chartered Accountants

For
KOMANDOOR & CO. LLP
Chartered Accountants

J. SINGH
Partner

S. MANDAL
Partner

P. MANOHARA GUPTA
Partner

K. MOHAN ACHARYA
Partner

Place : Bengaluru
Date : May 11, 2018

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / I. Authorised Capital (10 रुपये प्रति शेयर के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / II. Issued,Subscribed and Paid up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 39,59,90,159 ईक्विटी शेयर 53,19,44,775 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 39,59,90,159 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	531 94 48	395 99 02
ii) अन्यों द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर 20,13,00,000 Equity Shares of ₹.10/- each पिछले वर्ष प्रति ₹10/– के 20,13,00,000 शेयर अन्य द्वारा धारित / Previous year 20,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	201 30 00	201 30 00
	733 24 48	**597 29 02**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949)		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8264 00 00	7983 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	-	281 00 00
कुल / Total	**8264 00 00**	**8264 00 00**
II. पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / a. REVALUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	5373 14 96	5444 66 30
जोडें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Addition during the period	1272 43 02	-
	6645 57 98	5444 66 30
घटायें: लाभ व हानि खाते को अंतरित Less : Transferred to Profit and Loss Account	120 85 18	71 51 34
कुल / Total	**6524 72 80**	**5373 14 96**
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि **b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE**		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	155 21 59	247 27 91
जोडें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	68 02 89	-
घटाएं: अवधि के दौरान कमी / Less: Deductions during the period	-	92 06 33
कुल / Total	**223 24 48**	**155 21 58**
ग. अन्य / c. OTHERS		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	2255 67 07	1478 67 07
जोडें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	777 00 00
कुल / Total	**2255 67 07**	**2255 67 07**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

		यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)
III	**शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM**		
	प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	6742 22 14	5672 52 90
	जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	4729 04 53	1069 69 24
	कुल / Total	**11471 26 67**	**6742 22 14**
IV	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES**		
क	**राजस्व आरक्षित निधि / a. REVENUE RESERVE**		
	प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8481 09 06	8481 09 06
	जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: Additions during the period	120 85 18	-
		8601 94 24	8481 09 06
	घटाएं: अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
	कुल / Total	**8601 94 24**	**8481 09 06**
ख	**विशेष आरक्षित निधि / b. SPECIAL RESERVE** {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} {In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961}		
	प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	4000 00 00	4000 00 00
	अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	-	-
	कुल / Total	**4000 00 00**	**4000 00 00**
ग	**निवेश आरक्षित निधि खाता / c. INVESTMENT RESERVE ACCOUNT**		
	प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	565 80 00	565 80 00
	जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	-
		565 80 00	565 80 00
	घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
	कुल / Total	565 80 00	565 80 00
घ	**लाभ एवं हानि खाते में शेष / d. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(2748 90 08)	(2812 82 29)
	जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	(4222 23 76)	63 92 21
	घटाएं: 2016–17 के लिए लाभांश वितरण / Less : Dividend distributed for 2016-17	63 92 21	-
	कुल / Total	(7035 06 05)	(2748 90 08)
	कुल / TOTAL	**34871 59 21**	**33088 24 73**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	264 31 18	199 43 74
ii. अन्य से / FROM OTHERS	24719 54 03	22381 52 98
कुल / Total	**24983 85 21**	**22580 96 72**
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	142051 02 99	127167 64 31
कुल / Total	**142051 02 99**	**127167 64 31**
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	34838 65 29	33205 98 35
ii. अन्य से / FROM OTHERS	322898 32 54	312320 64 84
कुल / Total	**357736 97 83**	**345526 63 19**
कुल / TOTAL	**524771 86 03**	**495275 24 22**
ख.B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	485993 88 74	454609 75 04
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	38777 97 29	40665 49 18
कुल / Total	**524771 86 03**	**495275 24 22**
अनुसूची 4 – उधारी / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधारी / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	11873 00 00	700 00 00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	176 46 94	11204 77 74
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	277 11 25	2147 84 54
iv. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	13314 60 00	14014 60 00
कुल / Total	**25641 18 19**	**28067 22 27**
II. भारत के बाहर उधारी / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	13167 32 98	11436 33 63
ii. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	-	-
कुल / Total	**13167 32 98**	**11436 33 63**
कुल / TOTAL	**38808 51 17**	**39503 55 90**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1295 32 91	1355 70 48
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	1871 88 23	940 69 16
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2013 67 96	1877 76 74
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	12520 00 49	10880 94 10
कुल / Total	**17700 89 59**	**15055 10 48**
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND	2649 16 05	1846 39 26
(विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)		
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	19450 87 76	18076 10 47
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल / Total	**19450 87 76**	**18076 10 47**
कुल / TOTAL	**22100 03 81**	**19922 49 73**
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. **भारत में / IN INDIA**		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	77 87 48	83 27 94
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
कुल / TOTAL	**77 87 48**	**83 27 94**
ii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	200 00 00	-
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	1000 00 00	-
कुल / Total	**1200 00 00**	**-**
कुल / TOTAL	**1277 87 48**	**83 27 94**
II. **भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA**		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	4771 47 95	6517 51 73
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	17242 16 66	25926 09 49
iii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	4520 77 31	6376 06 99
कुल / Total	**26534 41 92**	**38819 68 21**
कुल / TOTAL	**27812 29 40**	**38902 96 15**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)		यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS				
I. भारत में निवेश: सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS		145101 45 48		149777 67 83
घटाएं : मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI		2348 13 38		483 99 64
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA		142753 32 10		149293 68 19
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES		127612 21 83		135664 21 06
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES		1 49 87		1 49 87
iii शेयर SHARES		2540 38 15		1906 77 80
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS		9176 72 85		7378 04 93
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES		746 21 41		746 21 41
vi. अन्य OTHERS		2676 27 99		3596 93 12
कुल / Total		**142753 32 10**		**149293 68 19**
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	100085 98 40		106037 26 82	
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	42463 06 50		42768 25 23	
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	204 27 20		488 16 14	
कुल / Total	**142753 32 10**		**149293 68 19**	
II. भारत के बाहर निवेश – सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS		1311 55 95		975 09 16
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION		11 21 01		2 88 53
भारत के बाहर निवेश – निवल NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		1300 34 94		972 20 63
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)		343 49 18		253 50 33
ii. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES		166 30 73		166 30 73
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS		790 55 03		552 39 57
कुल / Total		**1300 34 94**		**972 20 63**
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	259 77 87		266 10 67	
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	1040 57 07		706 09 96	
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	-		-	
कुल / Total	**1300 34 94**		**972 20 63**	
कुल / TOTAL		**144053 67 04**		**150265 88 82**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

		यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES			
क. A.	i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	15863 46 74	14857 79 13
	ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	163723 12 36	141181 33 85
	iii. मियादी ऋण / TERM LOANS	202116 39 54	185969 63 10
	कुल / **Total**	**381702 98 64**	**342008 76 08**
ख. B.	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	305862 36 53	275094 69 35
	ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	12076 67 39	13031 72 98
	iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	63763 94 72	53882 33 75
	कुल / **Total**	**381702 98 64**	**342008 76 08**
ग. C.	**I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA**		
	i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	157880 94 20	136718 80 28
	ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	18181 20 76	12034 69 38
	iii. बैंक / BANKS	1454 45 54	21 87 37
	iv. अन्य / OTHERS	175002 42 48	166183 31 62
	कुल / **Total**	**352519 02 98**	**314958 68 65**
	II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा देय) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
	i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	9584 08 43	8232 93 15
	ii. मीयादी और समूहन ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	6033 65 58	7547 83 13
	iii. अन्य / OTHERS	13566 21 65	11269 31 15
	कुल / **Total**	**29183 95 66**	**27050 07 43**
	कुल / **TOTAL**	**381702 98 64**	**342008 76 08**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)		यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	
अनुसूची 10– अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर / मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6758 27 30		6680 07 27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	5 22 32		87 69 85	
	6763 49 62		6767 77 12	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	1272 43 02		-	
	8035 92 64		6767 77 12	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	9 16		9 49 82	
	8035 83 48		6758 27 30	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	839 08 24		708 50 38	
		7196 75 24		6049 76 92
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3511 19 50		3326 25 64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	326 16 52		296 58 44	
	3837 36 02		3622 84 08	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	51 35 64		111 64 58	
	3786 00 38		3511 19 50	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	2666 30 30		2394 83 83	
		1119 70 08		1116 35 67
III. पट्टे पर दी गई आस्तियां / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	68 93 18		68 44 63	
	2 84 11		3 32 65	
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	65 11		1 13 66	
		2 19 00		2 19 00
कुल (I, II और III) / Total		**8318 64 32**		**7168 31 59**

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को As at 31.03.2018 (₹ '000)		यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		4717 56 91		4440 60 09
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		7281 30 47		6360 03 99
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS		2 17 40		11 83 35
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		13 45 59		32 13
V. अन्य / OTHERS		15112 76 90		13259 39 42
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS		5771 20 00		1178 83 00
कुल / **Total**		**32898 47 27**		**25251 01 98**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		7804 83 34		9625 86 72
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		75 06		36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		219287 58 69		354452 23 48
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क. भारत में / a. IN INDIA	39684 99 03		40160 32 62	
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	198 66 33		137 01 60	
		39883 65 36		40297 34 22
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		24849 95 77		26408 28 19
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE		-		-
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-		-	
ख. अन्य / b. OTHERS	1902 10 78		1686 33 44	
		1902 10 78		1686 33 44
कुल / **Total**		**293728 89 00**		**432470 42 05**

यथा 31 मार्च, 2018 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

	यथा 31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the year ended 31.03.2018 (₹'000)		यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the year ended 31.03.2017 (₹'000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		29096 44 14		29585 67 21
II. निवेश से आय / INCOME ON INVESTMENTS		10412 09 64		10711 28 69
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		646 99 03		768 19 83
IV. अन्य / OTHERS		1096 55 95		322 48 76
कुल / **Total**		**41252 08 76**		**41387 64 49**
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1199 82 23		1191 18 79
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS		1922 89 79		2981 98 78
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS		-		(35 96 72)
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS		(4 53 01)		1 32 42
V. विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS-NET		537 92 98		971 46 51
VI. भारत में / विदेश की अनुषंगियों / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यम द्वारा लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA		53 32 41		62 70 92
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		3233 40 84		2381 69 14
कुल / **Total**		**6942 85 24**		**7554 39 85**

यथा 31 मार्च, 2018 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

		यथा 31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the year ended 31.03.2018 (₹ '000)	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the year ended 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**			
I.	जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	27136 16 13	29560 07 66
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अतंर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	720 48 75	584 96 37
III.	अन्य (टीयर I व टीयर II बॉण्ड पर ब्याज सहित) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	1232 11 37	1370 82 78
	कुल / Total	**29088 76 25**	**31515 86 81**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**			
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	5444 10 55	4915 09 21
II.	किराया, कर, रोशनी / RENT, TAXES, LIGHTING	921 85 50	846 75 79
III.	मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	55 70 31	57 25 85
IV.	विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	36 43 55	41 50 67
V.	बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	445 04 50	327 54 11
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	62 36	1 19 25
VII.	लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	77 90 26	62 79 78
VIII.	विधि प्रभार / LAW CHARGES	53 00 52	47 86 47
IX.	डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	50 33 13	52 55 63
X.	मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	279 83 07	236 81 67
XI.	बीमा / INSURANCE	445 33 31	431 82 31
XII.	अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	1747 76 48	1491 07 38
	कुल / Total	**9557 93 54**	**8512 28 12**

अनुसूची– 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1](क) लेखांकन की परंपरा

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणियों की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है । प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण है । तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं । लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी जाएगी ।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलिखित किया गया है । विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दरों पर पुन: वर्णित किया गया है । पुन: वर्णन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ–हानि खाते में मान्यता देकर अभिलिखित किया गया है ।

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेन–देन एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे लेन–देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है ।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर–मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण विदेशी विनिमय दरों पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ ('फेडाई') द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है । विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 –"विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा ।

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

[1] (a) Basis of Preparation

The accounts are prepared under the historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11-"The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या बट्टा को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या बट्टा सहित असामयिक निरसन पर होनेवाले लाभ / हानि , यदि है तो, को समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुई है, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित'। इस तरह का वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया था।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

3.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

क) प्रतिभूतियों की खरीद के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसी लागतों को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल परिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाता है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

2.3 **Forward Exchange Contracts**

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] **Investments**

3.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) **HELD TO MATURITY**

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णत: प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

ख) **बिक्री के लिए उपलब्ध**

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है।भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोट नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नजरअंदाज किया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के कारण बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) की इकाईयों को एचटीएम श्रेणी में अंतरित किया जाता है जो वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है।

ग) **व्यापार हेतु धारित**

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नजरअंदाज किया गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

b) **AVAILABLE FOR SALE**

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades/quotes on the stock exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category/ classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

c) **HELD FOR TRADING**

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price/ yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

3.4 **एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:**

क) एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है । एच टी एम श्रेणी के तहत निवेश को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तथा परिशोधन लागत पर अंतरण किया जाता है ।

ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है ।

ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है । उपचित मूल्यह्रास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यह्रास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है ।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बैंक द्वारा बेचे गए अनर्जक निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में एससी / आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है । बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है:

क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तद्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है ।

ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन एससी / आरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है ।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाए जाते हैं । ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है ।

3.7 **निवेशों की बिक्री पर लाभ**

"बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार के लिए धारित" श्रेणियों के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है ।

3.4. **Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:**

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5 Non Performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

3.6 Securities included in any of three categories where interest/principal is in arrears for a specified period, are classified as Non Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/provision in value of Investments is made. Deprecation in respect of such Non Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7 **Profit on sale of Investments**

Profit on sale of Investments in respect of "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in Profit & Loss Account.

"परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जाने वाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है ।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया गया ।

3.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

आरबीआई के साथ एलएएफ के सहित रेपो / रिवर्स रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद/ पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुन:खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा ।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर स्वाइप और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है । बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर स्वाइप, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वाइप और वायदा दर करार है । बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा स्वाइप है ।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया गया है ।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं:

i. व्युत्पन्नी संविदाओं को प्रतिरक्षा के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं ।

ii. प्रतिरक्षा स्वाइप के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया ।

[5] अग्रिम

5.1 अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है ।

5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

Profit on sale of Investments in respect of "Held to Maturity" category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold/purchased with an agreement to repurchase/resale on the agreed terms under Repo/Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[5] Advances

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं ।

5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं ।

5.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं ।

5.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमत: प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / "कालातीत ऋणों" के मूल धन के प्रति किया जाता है । वसूलियों को प्रथमत: मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है ।

5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्याँकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

[6] अचल परिसंपत्तियां

6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं । सभी अचल परिसंपत्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है ।

6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया गया है। पुर्नमूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है । संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यह्रास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया जाएगा । समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की जाएगी ।

[7] मूल्यह्रास

7.1 कंप्यूटरों को छोडकर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास परिकलन पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोज्य जीवन पर परिकलन मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास किया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों के मूल्यह्रास को सीधे कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है ।

7.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरणार्थ कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां आस्तियों की कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है ।

5.3 Provisions for domestic advances are made for performing/non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.

5.4 Provisions for performing/ non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

5.6 Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements / "Loan Past Due" advances where the recoveries are first adjusted towards principal.

5.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc are done as per RBI guidelines.

[6] Fixed Assets

6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.

6.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[7] Depreciation

7.1 Fixed Assets are depreciated under Straight line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.

7.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

7.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए वसूल किया जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है ।

7.4 पट्टा परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टा अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है ।

7.5 विदेशी कार्यालयों मे स्थित अचल संपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास संबंधित देश के विनियन / मानदंडों किया जाएगा ।

[8] **आस्तियों का ह्रास**

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है । यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई ह्रास है तो, प्रावधान किया जाता है ।

[9] **राजस्व का निर्धारण**

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोडकर, उपचित आधार पर किया जाता है :

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है ।

ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर की गई है ।

ग) लाभांश आय की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी ।

[10] **कर्मचारी लाभ**

10.1 **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

10.2 **परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके

7.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

7.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

7.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

[8] **Impairment of Assets**

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[9] **Revenue Recognition**

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.

b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.

d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] **Employee Benefits**

10.1 **Defined Contribution Plans**

Defined Contribution to Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

10.2 **Defined Benefit Plans**

a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages

निधि का प्रबंधन करता है । उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकित आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है ।

ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है उसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है । पेंशन के तहत बैंक की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है ।

10.3 विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकित मूल्याँकन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

[11] **कराधान के लिए प्रावधान**

क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है ।

ख) समय–अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन–पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है ।

ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभोदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी ।

[12] **निवल लाभ**

12.1 **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ**

I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दी गई, जब:

their funds as per guidelines. The present value of the Banks obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

10.3 The privilege leave is considered as a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each Balance Sheet date.

[11] **Provision for Taxation**

a) Provision for tax is made for both Current and & Deferred Taxes.

b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.

c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

[12] **Net Profit**

12.1 **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

I. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank recognizes provision only when :

क) पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता हो ।

ख) उस बाधय्ता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्प्रवाह हो ।

ग) जब बाध्यता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो ।

II. **निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया**

क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी ।

ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा

ग) जब बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता ।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलिखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता का वह हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है । जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है ।

III. **आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है ।**

12.2 **निवल लाभ**

लाभ–हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है :

क) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
ख) कराधान के लिए प्रावधान
ग) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान
घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
ङ) अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान
च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

[13] **प्रति शेयर अर्जन:**

बैंक, लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है । प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर किया जाता है ।

a) It has a present obligation as a result of past event.

b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

c) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

II. **No provision is recognized:**

a. For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.

b. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

c. When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. **Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.**

12.2 **Net Profit**

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

a) Provision for depreciation on Investments.
b) Provision for Taxation.
c) Provision on Non Performing Advances.
d) Provision on Standard Assets.
e) Provision for Non Performing Investments.
f) Provision for other usual & necessary Items.

[13] **Earning Per Share:**

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची 18

अनुसूची 18– लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. **निवेश:**
यथा 31.03.2018 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मियादी देयता का 19.01% रहा (पिछले वर्ष 20.41%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के अंतर्गत है ।

2. **अंतर– शाखा लेनदेन:**
अंतर–शाखा/कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग अंतर कार्यालय समाशोधन खातों के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के आधार पर सिस्टम द्वारा ही किया गया है ।

3. **परिसर:**
परिसर में ₹40.07 करोड़ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष ₹39.71 करोड़) कुछ पूंजीकृत संपत्तियां शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है ।

4. **भारतीय रिज़र्व बैंक के आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण:**

4.1 **पूंजी:**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बासेल III	
		31.03.2018	31.03.2017
(i)	सी ई टी 1 पूंजी अनुपात (%)	9.51	8.92
(ii)	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.30	9.77
(iii)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.92	3.09
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.22	12.86
(v)	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	72.55	66.30
(vi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	4865.00	1123.99
(vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से	शून्य	1000.00
	बेमियादी गैर–संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई):	शून्य	1000.00

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. **Investments:**
The percentage of investments under “Held to Maturity” category – SLR as on 31.03.2018 was 19.01% of Net Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 20.41%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2. **Inter-Branch Transactions:**
The matching and setting of entries under Inter-Branch/office transactions are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

3. **Premises:**
Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹40.07 Crore (Previous year ₹39.71 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

4. **Disclosure as per RBI Requirements:**

4.1 **Capital:**

(₹ in Crore)

	Particulars	Basel III	
		31.03.2018	31.03.2017
(i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	9.51	8.92
(ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.30	9.77
(iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.92	3.09
(iv)	Total Capital Ratio (%)	13.22	12.86
(v)	Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	72.55	66.30
(vi)	Amount of Equity Capital raised (including share premium)	4865.00	1123.99
(vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which,	NIL	1000.00
	Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	1000.00

(viii)	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से,	शून्य	3000.00
	कर्ज पूंजी लिखत	शून्य	3000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	**निवेशों का सकल मूल्य**	**146413.01**	**150752.77**
क.	भारत में	145101.45	149777.68
ख.	भारत से बाहर	1311.56	975.09
ii.	**मूल्यह्रास, एन पी आई के लिए प्रावधान**	**2359.34**	**486.88**
क.	भारत में	2348.13	484.00
ख.	भारत से बाहर	11.21	2.88
iii.	**निवेशों का निवल मूल्य**	**144053.67**	**150265.89**
क.	भारत में	142753.32	149293.68
ख.	भारत से बाहर	1300.35	972.21

(2) निवेशों पर मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए किये गये प्रावधानों में उतार- चढाव:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	प्रारंभिक शेष	486.88	365.26
ii.	जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	2355.71	166.02
iii.	घटायें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना	483.25	44.40
iv.	इति शेष	2359.34	486.88

(viii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	NIL	3000.00
	Debt capital instrument:	NIL	3000.00
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	**Gross Value of Investments**	**146413.01**	**150752.77**
a.	In India	145101.45	149777.68
b.	Outside India	1311.56	975.09
ii.	**Provisions for Depreciation, NPI**	**2359.34**	**486.88**
a.	In India	2348.13	484.00
b.	Outside India	11.21	2.88
iii.	**Net Value of Investments**	**144053.67**	**150265.89**
a.	In India	142753.32	149293.68
b.	Outside India	1300.35	972.21

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	Opening Balance	486.88	365.26
ii.	Add: Provisions made during the year	2355.71	166.02
iii.	Less: Write back of excess provisions during the year	483.25	44.40
iv.	Closing balance	2359.34	486.88

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेनः

i. बाजार रेपो

(₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2018 को
रेपो के तहत विक्रया की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	25.00	13216.98	2408.31	180.00
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.00	1867.26	31.40	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions:

i. Market REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2018
Securities sold under repo				
i) Government Securities	25.00	13216.98	2408.31	180.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	5.00	1867.26	31.40	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2018
रेपो के तहत विक्रया की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	586.84	11919.74	261.64	11919.74
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	128.59	2788.31	166.90	962.34
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2018
Securities sold under repo				
i) Government Securities	586.84	11919.74	261.64	11919.74
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	128.59	2788.31	166.90	962.34
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश का जारीकर्ता विन्यास: (₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर–रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	2811.80	472.44	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	3621.78	2964.90	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक	1524.87	694.80	0.00	32.59	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	5415.53	2838.59	69.85	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	3119.59	3004.94	0.00	0.00	0.00
(vii)	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1309.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**16096.47**	**10888.19**	**69.85**	**32.59**	**0.00**

नोट : कॉलम 4, 5, 6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments: (₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	2811.80	472.44	0.00	0.00	0.00
(ii)	FIs	3621.78	2964.90	0.00	0.00	0.00
(iii)	Banks	1524.87	694.80	0.00	32.59	0.00
(iv)	Private Corporate	5415.53	2838.59	69.85	0.00	0.00
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	3119.59	3004.94	0.00	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation	1309.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**16096.47**	**10888.19**	**69.85**	**32.59**	**0.00**

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
प्रारंभिक शेष	526.93	442.69
1 अप्रैल 2017 से वर्ष के दौरान संवर्धन	1743.89	117.73
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	23.90	29.66
विनिमय अस्थिरता	6.67	(3.83)
इति शेष	**2253.59**	**526.93**
धारित कुल प्रावधान	**1352.32**	**402.64**

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance	526.93	442.69
Additions during the year since 1st April 2017	1743.89	117.73
Reductions during the above period	23.90	29.66
Exchange Fluctuation	6.67	(3.83)
Closing balance	**2253.59**	**526.93**
Total Provisions held	**1352.32**	**402.64**

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण:

वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने एच टी एम वर्ग के बही मूल्य के 5% से अधिक में एच टी एम वर्ग से प्रतिभूतियां बेची। (पिछले वर्ष भी बिक्री एच टी एम वर्ग के 5% से अधिक थी) ।

यथा 31 मार्च 2018 को एच टी एम वर्ग के तहत निवेश का बाजार मूल्य रु1,02,355 करोड था (यथा 31 मार्च 2018 को रु1,11,394), जो कि यथा तारीख को बही मूल्य से अधिक है। यथा 31 मार्च 2018 को एचटीएम वर्ग के तहत सरकारी प्रतिभूतियों तथा बॉंड व डिबेंचर में निवेश का बाजार मूल्य पर बही मूल्य की अधिकता रु. 446 करोड थी (मार्च 2017 को शून्य), जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

During the Financial Year 2017-18 the Bank sold securities from HTM category in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year also the sale exceeded 5% of HTM category).

The market value of investments under HTM category as on March 31, 2018 was ₹1,02,355 crore (as on March 31, 2017 ₹1,11,394 crore), which is higher than the book value as of that date. The excess of book value over market value of investment in Government securities and bonds & debentures under HTM category was ₹446 crore as on March 31, 2018 (NIL as on March 31, 2017), for which provision has not been made.

4.3 व्युत्पन्नि:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	स्वैप करार का कल्पित मूलधन	7169.25	3242.50
ii.	करार के तहत प्रति पक्ष द्वारा बाध्यता पूरा नहीं किये जाने कारण पर हुई क्षति	55.40	39.73
iii.	स्वैप में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	0.00	0.00
iv.	स्वैप से होनेवाली साख जोखिम का संकेद्रण	0.00	0.00
v.	स्वैप बही का उचित मूल्य	55.40	39.73

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	The notional principal of swap agreements	7169.25	3242.50
ii.	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	55.40	39.73
iii.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v.	The fair value of the swap book	55.40	39.73

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी: (₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत–वार)	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च 2018 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत–वार)	0.00
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत–वार)	0.00
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत–वार)	0.00

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives : (₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument Wise)	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2018 (instrument- wise)	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument- wise)	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	0.00

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा पर प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित है ।

बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, ज़ीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं जो ब्याज दर जोखिम के अधीन हैं। बैंक ने टीयर I व टीयर II बॉड भी जारी किए हैं तथा यह पूँजी लागत बिना किसी बर्हिगमन विकल्प के साथ निश्चित दर पर है। नीति इस देयता पर ब्याज दर के जोखिम को भी हेजिंग करने की अनुमति देती है

बैंक को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप के उपयोग की अनुमति है तथा केवल बिल्कुल सादा संव्यवहारों की अनुमति है। इन लिखतों का उपयोग न केवल निवेश संविभाग में ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए होता है बल्कि बाजार निर्माण में होता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेश संविभागे के तहत ब्याज दर स्वैप में व्युत्पन्न व्यापार नहीं किया है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Credit Risk Management Policy approved by the Board of Directors, on the use of Derivative Instruments to hedge / trade is in place.

The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I and Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

During the year the bank has not undertaken derivative trades in IRS under the investment portfolio.

वर्ष के दौरान, बैंक ने स्वैप व्यापार / वायदा दर करार नहीं किया है।

बैंक की विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप जैसे व्युत्पन्न व्यापार कर रहा है। परस्पर आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प (ऑप्शन) और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है।

अ. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यान्वित हैं । इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है । जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है । बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में पखवाड़े आधार पर निगरानी की जाती है।

आ **लेखांकन नीति:**

बचाव की स्थिति :

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा ।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला–बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक ने अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करने हेतु एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित प्रासंगिक प्रतिफल + स्प्रेड का उपयोग किया है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला–बदली को ट्रेडिंग अदला–बदली के रूप में लिया जाता है । यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का लेखांकन आईआरएस पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत किया जाता है ।

ट्रेडिंग की स्थिति:

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाज़ार पर अंकित किया जाता है और परिवर्तनों को आय विवरणों में रिकार्ड किया जाता है ।
- ब्याज व्यय पर उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित और मान्य किया जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है ।

No Trading Swaps / FRAs were undertaken during the year.

The Bank has been undertaking derivatives trades like IRS and FRAs, for the purpose of hedging the Bank's Foreign Currency liabilities also. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

A. The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on fortnightly basis.

B. **Accounting Policy:**

Hedge Positions :

- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as expenses / Income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivatives deals are monitored in relation to the fair value of the Swap and underlying asset / liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + Spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying assets/liability. If the Hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss/gain and accruals till such dates are accounted as income / expenses under interest paid / received on IRS.

Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as income / expenses.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II <u>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</u>

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)				
	- बचाव व्यवस्था	शून्य	शून्य	7169.25	3242.50
	- ट्रेडिंग	2741.51*	625.53*	शून्य	शून्य
2	बाजार स्थितियों को अंकित				
	- आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य	शून्य	7.31
	- देयताएँ (-)	(5.73)	(0.33)	185.95	शून्य
3	ऋण जोखिम	शून्य	शून्य	55.40	शून्य

क्र. सं.	विवरण	घरेलू				समुद्रपारीय			
		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [01* पीवी100] -								
	- व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.98	1.01
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01								
	- बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100%पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव: ₹1.00 करोड़ का लाभ (पिछले वर्ष: ₹0.05 करोड़ का लाभ)								

*एनएसई, बीएसई तथा एमसीएक्स में मुद्रा भविष्य

II Quantitative disclosure:

(₹ in Crore)

Sl No	Particulars	Currency Derivatives 31.03.2018	Currency Derivatives 31.03.2017	Interest Rate Derivatives 31.03.2018	Interest Rate Derivatives 31.03.2017
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging	NIL	NIL	7169.25	3242.50
	- Trading	2741.51*	625.53*	NIL	NIL
2	Marked to Market positions				
	- Assets (+)	NIL	NIL	NIL	7.31
	- Liabilities (-)	(5.73)	(0.33)	185.95	NIL
3	Credit Exposure	NIL	NIL	55.40	NIL

		Domestic				Overseas			
		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]								
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1.98	1.01
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.								
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: ₹1.00 Crore (Previous Year: ₹0.05 Crore)								

*Currency Futures in NSE, BSE and MCX

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(i)		निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	7.48	6.33
(ii)		एनपीए का उतार–चढ़ाव (सकल)		
	क.	प्रारंभिक शेष	34202.04	31637.83
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	24760.76	11652.11
	ग.	वर्ष के दौरान कमी / विनिमय उतार–चढ़ाव	11494.33	9087.90
	घ.	अंतिम शेष	47468.47	34202.04
(iii)		निवल एनपीए का संचलन		
	क.	प्रारंभिक शेष	21648.98	20832.91
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	18387.75	9903.97
	ग.	वर्ष के दौरान कमी / विनिमय उतार–चढ़ाव	11494.33	9087.90
	घ.	अंतिम शेष	28542.40	21648.98
(iv)		एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क.	प्रारंभिक शेष	12418.93	10745.17
	ख.	मुद्रा अस्थिरता तथा अन्य के लिए समायोजन	6.62	27.49
	ग.	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	14684.82	7235.93
	घ.	बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	8346.66	5589.66
	ङ.	अंतिम शेष	18763.71	12418.93

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

		Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(i)		Net NPAs to Net Advances (%)	7.48	6.33
(ii)		Movement of NPAs (Gross)		
	a.	Opening balance	34202.04	31637.83
	b.	Additions during the year	24760.76	11652.11
	c.	Reductions during the year / Exchange fluctuation	11494.33	9087.90
	d.	Closing balance	47468.47	34202.04
(iii)		Movement of Net NPAs		
	a.	Opening balance	21648.98	20832.91
	b.	Additions during the year	18387.75	9903.97
	c.	Reductions during the year / Exchange fluctuation	11494.33	9087.90
	d.	Closing balance	28542.40	21648.98
(iv)		Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a.	Opening balance	12418.93	10745.17
	b.	Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	6.62	27.49
	c.	Provisions made during the year	14684.82	7235.93
	d.	Write off/Write back of excess provision	8346.66	5589.66
	e.	Closing balance	18763.71	12418.93

4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2018 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

क्र. सं.	विवरण		सीडीआर					एसएमई				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	4	2	40	4	50	1052	483	1553	318	3406
		राशि	386.06	46.92	4841.10	495.64	5769.72	228.12	140.81	657.81	166.40	1193.15
		प्रावधान राशि	13.51	8.07	3381.18	495.64	3898.41	5.21	23.14	437.90	147.00	613.25
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	6	0	6	20	149	9	1	179
		राशि	0.00	0.74	1462.46	0.17	1463.37	3.55	30.26	3.41	2.30	39.51
		प्रावधान राशि	0.00	32.99	1820.65	0.17	1853.81	0.26	23.62	55.27	2.30	81.45
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	50	-40	-7	-3	0
		राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	-0.80	21.59	-23.51	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	14.67	-14.69	0.00
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अत: अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	0	0	3	862	0	0	0	862
		राशि	148.27	0.00	0.00	0.00	148.27	199.07	0.00	0.00	0.00	199.07
		प्रावधान राशि	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-2	0	2	0	-25	-260	228	57	0
		राशि	0.00	-47.66	-271.96	319.62	0.00	-1.32	-120.45	101.05	20.72	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	-41.06	-278.56	319.62	0.00	-0.20	-39.05	18.93	20.33	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	9	1	10	86	190	616	122	1014
		राशि	85.42	0.00	670.76	73.48	829.66	6.41	14.55	57.16	15.92	94.05
		प्रावधान राशि	2.99	0.00	398.98	82.03	484.00	0.14	1.73	36.09	25.00	62.96
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	37	5	43	149	142	1167	251	1709
		राशि	152.37	0.00	5360.83	741.95	6255.16	27.59	35.27	726.70	149.98	939.54
		प्रावधान राशि	5.33	0.00	4524.29	733.40	5263.02	0.55	5.98	490.69	129.93	627.15

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2018												
S.N	Details		CDR					SME				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	4	2	40	4	50	1052	483	1553	318	3406
		AMOUNT	386.06	46.92	4841.10	495.64	5769.72	228.12	140.81	657.81	166.40	1193.15
		PROVISION AMOUNT	13.51	8.07	3381.18	495.64	3898.41	5.21	23.14	437.90	147.00	613.25
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	0	0	6	0	6	20	149	9	1	179
		AMOUNT	0.00	0.74	1462.46	0.17	1463.37	3.55	30.26	3.41	2.30	39.51
		PROVISION AMOUNT	0.00	32.99	1820.65	0.17	1853.81	0.26	23.62	55.27	2.30	81.45
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	0	0	0	50	-40	-7	-3	0
		AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	-0.80	21.59	-23.51	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	14.67	-14.69	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	3	0	0	0	3	862	0	0	0	862
		AMOUNT	148.27	0.00	0.00	0.00	148.27	199.07	0.00	0.00	0.00	199.07
		PROVISION AMOUNT	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	-2	0	2	0	-25	-260	228	57	0
		AMOUNT	0.00	-47.66	-271.96	319.62	0.00	-1.32	-120.45	101.05	20.72	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	-41.06	-278.56	319.62	0.00	-0.20	-39.05	18.93	20.33	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	9	1	10	86	190	616	122	1014
		AMOUNT	85.42	0.00	670.76	73.48	829.66	6.41	14.55	57.16	15.92	94.05
		PROVISION AMOUNT	2.99	0.00	398.98	82.03	484.00	0.14	1.73	36.09	25.00	62.96
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	1	0	37	5	43	149	142	1167	251	1709
		AMOUNT	152.37	0.00	5360.83	741.95	6255.16	27.59	35.27	726.70	149.98	939.54
		PROVISION AMOUNT	5.33	0.00	4524.29	733.40	5263.02	0.55	5.98	490.69	129.93	627.15

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2018 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

क्र. सं.	विवरण		सीडीआर					एसएमई				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1353	495	1907	535	4290	2409	980	3500	857	7746
		राशि	1783.45	321.06	4248.51	390.57	6743.59	2397.63	508.80	9747.42	1052.61	13706.46
		प्रावधान राशि	59.72	73.22	3099.92	383.67	3616.54	78.44	104.43	6919.01	1026.31	8128.20
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	14	323	43	7	387	34	472	58	8	572
		राशि	610.64	188.24	639.79	101.42	1540.09	614.20	219.23	2105.66	103.88	3042.97
		प्रावधान राशि	26.17	87.92	684.53	101.42	900.04	26.43	144.54	2560.45	103.88	2835.30
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	54	-26	-27	-1	0	104	-66	-34	-4	0
		राशि	14.16	-1.13	-13.02	-0.01	0.00	16.88	-1.93	8.58	-23.52	0.00
		प्रावधान राशि	0.37	-0.03	-0.34	0.00	0.00	0.39	-0.03	14.33	-14.69	0.00
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अत: अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	1201	0	0	0	1201	2066	0	0	0	2066
		राशि	1320.59	0.00	0.00	0.00	1320.59	1667.93	0.00	0.00	0.00	1667.93
		प्रावधान राशि	43.61	0.00	0.00	0.00	43.61	53.39	0.00	0.00	0.00	53.39
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-10	-278	213	75	0	-35	-540	441	134	0
		राशि	-46.30	-445.35	231.25	260.39	0.00	-47.62	-613.46	60.34	600.74	0.00
		प्रावधान राशि	-6.95	-132.67	-120.77	260.39	0.00	-7.15	-212.79	-380.41	600.34	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	35	252	491	307	1085	121	442	1116	430	2109
		राशि	2.95	47.24	720.17	33.12	803.48	94.78	61.79	1448.09	122.52	1727.19
		प्रावधान राशि	0.04	1.07	594.48	33.12	628.70	3.17	2.80	1029.54	140.15	1175.66
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	175	262	1645	309	2391	325	404	2849	565	4143
		राशि	1038.42	15.58	4386.37	719.24	6159.60	1218.38	50.84	10473.90	1611.18	13354.31
		प्रावधान राशि	35.67	27.37	3068.86	712.36	3844.27	41.56	33.35	8083.85	1575.68	9734.44

(₹ in Crore)

S.N	Details		OTHERS					TOTAL				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2018												
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	1353	495	1907	535	4290	2409	980	3500	857	7746
		AMOUNT	1783.45	321.06	4248.51	390.57	6743.59	2397.63	508.80	9747.42	1052.61	13706.46
		PROVISION AMOUNT	59.72	73.22	3099.92	383.67	3616.54	78.44	104.43	6919.01	1026.31	8128.20
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	14	323	43	7	387	34	472	58	8	572
		AMOUNT	610.64	188.24	639.79	101.42	1540.09	614.20	219.23	2105.66	103.88	3042.97
		PROVISION AMOUNT	26.17	87.92	684.53	101.42	900.04	26.43	144.54	2560.45	103.88	2835.30
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	54	-26	-27	-1	0	104	-66	-34	-4	0
		AMOUNT	14.16	-1.13	-13.02	-0.01	0.00	16.88	-1.93	8.58	-23.52	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.37	-0.03	-0.34	0.00	0.00	0.39	-0.03	14.33	-14.69	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	1201	0	0	0	1201	2066	0	0	0	2066
		AMOUNT	1320.59	0.00	0.00	0.00	1320.59	1667.93	0.00	0.00	0.00	1667.93
		PROVISION AMOUNT	43.61	0.00	0.00	0.00	43.61	53.39	0.00	0.00	0.00	53.39
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-10	-278	213	75	0	-35	-540	441	134	0
		AMOUNT	-46.30	-445.35	231.25	260.39	0.00	-47.62	-613.46	60.34	600.74	0.00
		PROVISION AMOUNT	-6.95	-132.67	-120.77	260.39	0.00	-7.15	-212.79	-380.41	600.34	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	35	252	491	307	1085	121	442	1116	430	2109
		AMOUNT	2.95	47.24	720.17	33.12	803.48	94.78	61.79	1448.09	122.52	1727.19
		PROVISION AMOUNT	0.04	1.07	594.48	33.12	628.70	3.17	2.80	1029.54	140.15	1175.66
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	175	262	1645	309	2391	325	404	2849	565	4143
		AMOUNT	1038.42	15.58	4386.37	719.24	6159.60	1218.38	50.84	10473.90	1611.18	13354.31
		PROVISION AMOUNT	35.67	27.37	3068.86	712.36	3844.27	41.56	33.35	8083.85	1575.68	9734.44

4.4.3 प्रतिभूतिकरण के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण / आस्ति पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण कंपनी:

अ. बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	खातों की संख्या	7	शून्य
ii.	एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	6.36	शून्य
iii.	समग्र प्रतिफल	228.87	शून्य
iv.	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v.	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	222.51	शून्य

आ. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	1973.27	1920.08
ii.	अंतर्निहित को अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
	कुल	**1973.27**	**1920.08**

प्रतिभूति रसीद पर बैंक ₹955.63 करोड़ का प्रावधान अनुरक्षित रखे हुए हैं। (पिछले वर्ष ₹ 770.80 करोड़)

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

A. Details of Sales

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	No. of accounts	7	NIL
ii.	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	6.36	NIL
iii.	Aggregate consideration	228.87	NIL
iv.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v.	Aggregate Gain over Net Book Value	222.51	NIL

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1973.27	1920.08
ii.	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
	Total	**1973.27**	**1920.08**

Bank is holding provision of ₹955.63 Crore on account of Security Receipts. (Previous year ₹770.80 Crore)

इ. प्रतिभूति रसीद में निवेश का विवरण (₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियां	पिछले 5 वर्ष पहले परंतु 8 वर्षों के अन्दर जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियां	8 वर्ष पहले जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियां
i.	अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति प्राप्तियों का बहीमूल्य	1967.83	--	5.44*
	के एवज में प्रावधान (i)	950.19	--	5.44
ii.	अंतर्निहित को अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान / गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति प्राप्तियों का बहीमूल्य	--	--	--
	के एवज में प्रावधान (i)	--	--	--
	कुल (i) + (ii)	**1967.83**	--	**5.44**

* फुटकर आस्तियों में प्राप्य छूट

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2018	31.03.2017
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य
2.	क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनाकृत खातों की	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

C. Details of Investments in Security Receipts (₹ In Crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i.	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	1967.83	--	5.44*
	Provision held against (i)	950.19	--	5.44
ii.	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	--	--	--
	Provision held against (ii)	--	--	--
	Total (i) + (ii)	**1967.83**	--	**5.44**

* In Sundry Asset Redemption Receivable

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b. Aggregate consideration	NIL	NIL
2.	a. Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b. Aggregate outstanding	NIL	NIL

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	बेचे गये खातों की संख्या	7	शून्य
2.	समग्र अतिदेयता	607.40	शून्य
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	228.87	शून्य

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1382.83	1438.60

4.4.6 आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1	बैंक द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	34202.04
2	भा.रि.बै. द्वारा मूल्यांकित अनुसार यथा 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	37450.54
3	सकल एनपीए में विचलन (2–1)	3248.50
4	बैंक द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए	21648.98
5	भा.रि.बै. द्वारा मूल्यांकित अनुसार यथा 31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए	23496.26
6	निवल एनपीए में विचलन (5–4)	1847.28
7	बैंक द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	12553.06
8	भा.रि.बै. द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	13954.28
9	प्रावधान में विचलन (8–7)	1401.22
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात सूचित निवल लाभ (पीएटी)	1121.92
11	प्रावधान में विचलन को ध्यान में लेते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात समाशोधित (परिकल्पित) निवल लाभ (पीएटी)	-279.30
नोट:	बैंक द्वारा यथा 31 मार्च 2017 को रिपोर्ट किए गए अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान में रु. 134.13 करोड़ के ईसीजीसी निपटान किए गए दावे व लम्बित समायोजन शामिल हैं।	

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	No. of accounts sold	7	NIL
2.	Aggregate outstanding	607.40	NIL
3.	Aggregate consideration received	228.87	NIL

4.4.5 Provisions on Standard Asset: (₹ In Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provisions towards Standard Assets	1382.83	1438.60

4.4.6 Divergence in the asset classification and provisioning: (₹ In Crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Gross NPA as on March 31, 2017 as reported by bank	34202.04
2	Gross NPA as on March 31, 2017 as assessed by RBI	37450.54
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	3248.50
4	Net NPA as on March 31, 2017 as reported by the bank	21648.98
5	Net NPA as on March 31, 2017 as assessed by RBI	23496.26
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	1847.28
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by Bank	12553.06
8	provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	13954.28
9	Divergence in provisioning (8-7)	1401.22
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	1121.92
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	-279.30
Note:	Provisions for NPAs as on March 31,2017 as reported by Bank includes ₹ 134.13 Crore ECGC Claim settled & pending adjustment	

4.4.7 यथा 31.03.2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के सतत पुनर्गठन हेतु योजना : (₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4 ए लागू है	समग्र बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या – 06	1181.10	621.95	559.15	246.70
एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या – 12	2343.78	-	-	842.96

4.4.7 Scheme for sustainable structuring of Stressed assets as on 31.03.2018: (₹ in crore)

No of Accounts where S4 A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard No of Accounts - 6	1181.10	621.95	559.15	246.70
Classified as NPA No. of Accounts- 12	2343.78	-	-	842.96

4.4.8 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्संरचना संबंधी प्रकटन : (₹ करोड़ में)

अवधि	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये ऋणों की राशि		पुनर्संरचना छूट के लिए लिए गए ऋणों की अवधि के लिए एक्सपोजर भारित औशत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
पिछला वित्तीय वर्ष	3	110	74.74	7.141 वर्ष	15.209 वर्ष
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2017 से मार्च 2018)	7	2123.67	शून्य	8.723 वर्ष	18.368 वर्ष

4.4.8 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans (₹ in crore)

Period	No of Borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	3	110	74.74	7.141 Yrs	15.209 Yrs
Current Financial Year (From April 2017 to March 2018)	7	2123.67	NIL	8.723 Yrs	18.368 Yrs

4.4.9 सामरिक कर्ज पुनर्गठन योजना पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं) (₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहाँ एसडीआर का सहारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन हुआ है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.9 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme
(accounts which are currently under the stand-still period) (₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4.4.10 एसडीआर योजना से बाहर के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं) (₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करना लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी / इक्विटी शेयर को गिरवी करना लागू हुआ है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ नए शेयर के निर्गम या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन लागू किया गया है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य	

4.4.10 Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme :
(accounts which are currently under the stand still period) (₹ in crore)

No of accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL	NIL		NIL		NIL		NIL	

4.4.11 कार्यान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के तहत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.11 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation
(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.34	7.35
ii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय (%)	1.24	1.34
iii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.70	1.58
iv.	आस्तियों पर प्रतिफल (%)	-0.75	0.20
v.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलाकर) [₹ लाखों में]	1480.54	1442.79
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	-0.07	0.02

4.5 Business Ratios:

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	Interest income as a percentage to Working Funds (%)	7.34	7.35
ii.	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.24	1.34
iii.	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.70	1.58
iv.	Return on Assets (%)	-0.75	0.20
v.	Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in lakh]	1480.54	1442.79
vi.	Profit per employee (₹ in Crore)	-0.07	0.02

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप: (₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	9794.52 (13599.62)	37245.77 (10435.82)	0.00 (437.32)	0.00 (163.42)	6233.67 (9326.12)	2230.22 (8409.51)
2 से 07 दिनों तक	22533.43 (32434.27)	7686.18 (7422.96)	927.19 (533.90)	8633.04 (11980.97)	2417.43 (5679.43)	5289.11 (5250.70)
8 से 14 दिनों तक	14325.20 (12180.11)	7780.40 (5221.59)	1030.27 (39.05)	3788.71 (486.38)	1486.46 (2137.36)	2069.04 (2254.09)
15 से 30 दिनों तक	10188.87 (9904.75)	15826.43 (15935.86)	229.37 (75.03)	390.13 (1458.75)	5275.63 (5397.26)	5896.27 (4681.21)
31 दिनों से 2 महीने तक	12578.49 (15028.91)	15230.69 (12036.44)	352.72 (5144.96)	1181.16 (1237.82)	8300.79 (6260.15)	5182.82 (5038.45)
2 महीने से 3 महीने तक	14392.44 (21575.02)	13446.98 (23191.29)	224.34 (1483.22)	1171.85 (1764.83)	6346.23 (9182.20)	6601.34 (7311.66)
3 महीने से 6 महीने तक	44657.22 (43100.87)	29166.78 (29221.89)	583.84 (1314.05)	969.99 (2357.88)	7355.64 (11538.58)	6473.94 (7881.54)
6 महीने से 1 वर्ष तक	133844.35 (94568.56)	43336.53 (37845.07)	8046.77 (2617.63)	4890.65 (1566.67)	9755.04 (8755.64)	3930.74 (7698.94)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	216000.94 (202293.34)	94242.30 (95637.23)	24586.38 (27231.42)	716.92 (4456.89)	2511.80 (2647.77)	1287.53 (763.54)
3 वर्ष से 5 वर्षों तक	21679.45 (25656.32)	44035.91 (37888.92)	16587.58 (19259.27)	4041.08 (3532.68)	1746.77 (1114.04)	239.22 (281.32)
5 वर्षों से अधिक	24776.96 (24933.47)	73705.02 (67171.69)	91485.21 (92130.04)	13024.98 (10497.27)	3505.16 (3267.92)	1970.46 (2279.81)
कुल	524771.87 (495275.24)	381702.99 (342008.76)	144053.67 (150265.89)	38808.51 (39503.56)	54934.62 (65306.47)	41170.69 (51850.77)

(पिछले वर्ष से संबंधित आकंडे कोष्ठकों में दिए गए हैं)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities: (₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	9794.52 (13599.62)	37245.77 (10435.82)	0.00 (437.32)	0.00 (163.42)	6233.67 (9326.12)	2230.22 (8409.51)
2 to 7 days	22533.43 (32434.27)	7686.18 (7422.96)	927.19 (533.90)	8633.04 (11980.97)	2417.43 (5679.43)	5289.11 (5250.70)
8 to 14 days	14325.20 (12180.11)	7780.40 (5221.59)	1030.27 (39.05)	3788.71 (486.38)	1486.46 (2137.36)	2069.04 (2254.09)
15 to 30 days	10188.87 (9904.75)	15826.43 (15935.86)	229.37 (75.03)	390.13 (1458.75)	5275.63 (5397.26)	5896.27 (4681.21)
31 days to 2 months	12578.49 (15028.91)	15230.69 (12036.44)	352.72 (5144.96)	1181.16 (1237.82)	8300.79 (6260.15)	5182.82 (5038.45)
Over 2 months to 3 months	14392.44 (21575.02)	13446.98 (23191.29)	224.34 (1483.22)	1171.85 (1764.83)	6346.23 (9182.20)	6601.34 (7311.66)
Over 3 months to 6 months	44657.22 (43100.87)	29166.78 (29221.89)	583.84 (1314.05)	969.99 (2357.88)	7355.64 (11538.58)	6473.94 (7881.54)
Over 6 months to 1 year	133844.35 (94568.56)	43336.53 (37845.07)	8046.77 (2617.63)	4890.65 (1566.67)	9755.04 (8755.64)	3930.74 (7698.94)
Over 1 year to 3 years	216000.94 (202293.34)	94242.30 (95637.23)	24586.38 (27231.42)	716.92 (4456.89)	2511.80 (2647.77)	1287.53 (763.54)
Over 3 years to 5 years	21679.45 (25656.32)	44035.91 (37888.92)	16587.58 (19259.27)	4041.08 (3532.68)	1746.77 (1114.04)	239.22 (281.32)
Over 5 years	24776.96 (24933.47)	73705.02 (67171.69)	91485.21 (92130.04)	13024.98 (10497.27)	3505.16 (3267.92)	1970.46 (2279.81)
Total	524771.87 (495275.24)	381702.99 (342008.76)	144053.67 (150265.89)	38808.51 (39503.56)	54934.62 (65306.47)	41170.69 (51850.77)

(Figures in brackets relate to previous year)

4.7 एक्सपोजर:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम: (₹ करोड़ में)

	श्रेणी	31.03.2018	31.03.2017
क)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	33976.05	32088.71
(i)	आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिया गया है ।	28392.80	26092.64
	जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है	11604.84	17900.79
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर–निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।	5447.02	5052.65
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	136.23	1105.54
	क. आवासीय	94.12	1048.20
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	42.11	57.34
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	15573.98	11380.90
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल (ए + बी)	**49550.03**	**43631.73**

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector: (₹ in Crore)

	Category	31.03.2018	31.03.2017
a)	Direct Exposure	33976.05	32088.71
(i)	Residential Mortgages – lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	28392.80	26092.64
	- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	11604.84	17900.79
(ii)	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.	5447.02	5052.65
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	136.23	1105.54
	a. Residential	94.12	1048.20
	b. Commercial Real Estate	42.11	57.34
b)	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	15573.98	11380.90
	Total Exposure to Real Estate Sector (a + b)	**49550.03**	**43631.73**

4.7.2 पूँजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2018	31.03.2017
i.	ईक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं की गई।	1505.82	1414.90
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम।	16.81	10.63
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	11.01	55.83
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	0.00	21.14
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	339.20	286.82
vi.	स्त्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कार्पोरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	0.33	शून्य
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इस्युओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	2.00	0.04
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक इस्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	0.08	शून्य
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्त पोषण	0.02	शून्य
x.	वेंचर पूंजी निधियों पंजीकृत और अपंजीकृत में सारे जोखिम	294.06	325.88
	पूंजी बाजार की कुल ऋण जोखिम	**2169.33**	**2115.24**

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1505.82	1414.90
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	16.81	10.63
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	11.01	55.83
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equityoriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	21.14
v.	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers.	339.20	286.82
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.33	NIL
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	2.00	0.04
viii	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.08	NIL
ix	Financing to stock brokers for margin trading.	0.02	NIL
x	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered).	294.06	325.88
	Total Exposure to Capital Market.	**2169.33**	**2115.24**

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश का ऋण जोखिम:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश–जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2018 को यूएसए (नगण्य जोखिम श्रेणी – ए1), यूएई (निम्न जोखिम श्रेणी – ए2) के साथ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा हुआ है (यथा 31.03.2018 को कुल आस्तियों का 1% – ₹6168.86 करोड़) जिसके लिये आवश्यक प्रावधान बनाया गया है ।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2018 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2018 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2017 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2017 को धारित प्रावधान
नगण्य	10248.89	6.31	16465.27	11.88
कम	24603.81	8.27	33575.10	22.85
सामान्य	2258.78	0.00	3751.38	0.00
उच्च	368.63	0.00	0.00	0.00
बहुत ज्यादा	46.35	0.00	19.46	0.00
प्रतिबंधित	0.74	0.00	0.72	0.00
ऑफ– क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**37527.22**	**14.58**	**53811.93**	**34.73**

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

Only in respect of the Country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2018 in the case of USA (Insignificant Risk category –A1), and UAE (Low Risk category –A2) the Net funded exposure exceeds 1% of the total assets of the Bank (1% of the total assets as on 31.03.2018 – ₹6168.86 Crore), for which the required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017
Insignificant	10248.89	6.31	16465.27	11.88
Low	24603.81	8.27	33575.10	22.85
Moderate	2258.78	0.00	3751.38	0.00
High	368.63	0.00	0.00	0.00
Very High	46.35	0.00	19.46	0.00
Restricted	0.74	0.00	0.72	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**37527.22**	**14.58**	**53811.93**	**34.73**

4.7.4 **बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण**

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है ।

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	मंजूर कुल राशि	यथा 31.03.2018 को अतिदेयता
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.7.4 **Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:**

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects or for Oil Companies.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Limit	Total amount sanctioned	Outstanding as on 31.03.2018
	NIL	NIL	NIL	NIL

4.7.5 **गैर जमानती अग्रिम:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल गैर जमानती अग्रिम	63763.94	53882.34
जिसमें से i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	2193.58	8200.27
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	2864.75	8404.26

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.7.5 **Unsecured Advances:**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Unsecured Advances	63763.94	53882.34
Out of which i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	2193.58	8200.27
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	2864.75	8404.26

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors).

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आयकर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(2338.62)	520.00

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने हमारे बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया है ।

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं ।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 – कर्मचारी हितलाभ:

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओ के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउन्टेंटस् ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है।

- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।

- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा–बही में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं।

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Income Tax (including Deferred tax)	(2338.62)	520.00

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the financial year 2017-18, no penalties have been imposed on our Bank by Reserve Bank of India under Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949.

5. Accounting Standards

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

5.1.1 There are no material prior period items.

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.

- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.

- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

मूलधन बीमांकिक अनुमान				
	मदें	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	7.71%	7.60%	7.71%
	पूँजी पर प्रत्याशित रिटर्न	8.00%	8.00%	--
	वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढ़ोत्तरी	--	2.00%	--
	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006-08)	आई ए एल एम (2006-08)	आई ए एल एम (2006-08)

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	7.71%	7.60%	7.71%
	Expected Return on Capital	8.00%	8.00%	--
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	--	2.00%	--
	Mortality	IALM 2006-08	IALM 2006-08	IALM 2006-08

दायित्वों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क.	परिभाषीकृत बाध्यता लाभ में परिवर्तन (डीबीओ)	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में डीबीओ	1786.93	10901.48	972.56
2	सेवा लागत	112.70	961.40	54.38
3	ब्याज लागत	134.53	788.02	66.01
4	विगत सेवा लागत	145.30	-	-
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	44.96	380.17	210.49
6	लाभ भुगतान	235.61	1065.47	232.79
7	वर्ष के अंत में डीबीओ	1988.81	11965.61	1070.65

ख.	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1716.43	10901.48	--
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	137.31	872.12	--
3	वास्तविक कंपनी अंशदान	--	1076.82	--
4	बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	(7.51)	222.24	--
5	लाभ भुगतान	235.61	1065.47	--
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1610.62	12007.19	--

Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2018

(₹ in Crore)

A	Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)	Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	DBO at beginning of the year	1786.93	10901.48	972.56
2	Service Cost	112.70	961.40	54.38
3	Interest Cost	134.53	788.02	66.01
4	Past Service Cost	145.30	-	-
5	Actuarial Losses / (Gains)	44.96	380.17	210.49
6	Benefit Payments	235.61	1065.47	232.79
7	DBO at end of the year	1988.81	11965.61	1070.65

(₹ in Crore)

B	Changes in Fair Value of Assets	Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1716.43	10901.48	--
2	Expected Return on plan assets	137.31	872.12	--
3	Actual company contributions	--	1076.82	--
4	Actuarial Gain / (Loss)	(7.51)	222.24	--
5	Benefits payments	235.61	1065.47	--
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1610.62	12007.19	--

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1988.81	11965.61	--
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1610.62	12007.19	--
3	निधीगत स्थिति (अधिशेष / (घाटा)	(378.19)	41.58	--
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	**(378.19)**	**41.58**	**--**

(₹ in Crore)

Net Asset/Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31st March 2018				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1988.81	11965.61	--
2	Fair Value of Plan Assets	1610.62	12007.19	--
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(378.19)	41.58	--
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	**(378.19)**	**41.58**	**--**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ में)

नियोक्ता व्यय के घटक				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	112.70	961.40	54.38
2	ब्याज लागत	134.53	788.02	66.01
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	137.31	872.12	--
4	विगत सेवा लागत	145.30	-	-
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	52.47	157.93	210.49
6	लाभ–हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	**307.69**	**1035.24**	**330.88**

कोई भुगतान न होने के बावजूद भी बैंक ने विवेकपूर्ण आधार के रूप में बीमारी छुट्टी पर ₹31.51 करोड़ उपलब्ध कराये हैं ।

Disclosure of Employer Expenses for the year ending 31 Mar 2018

(₹ in Crore)

Components of Employer Expense				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	112.70	961.40	54.38
2	Interest Cost	134.53	788.02	66.01
3	Expected Return on Plan Assets	137.31	872.12	--
4	Past Service Cost	145.30	-	-
5	Actuarial Losses / (Gains)	52.47	157.93	210.49
6	Total Employer Expense recognized in P&L	**307.69**	**1035.24**	**330.88**

Bank has provided ₹31.51 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र में मान्यता–प्राप्त निवल अस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	अवधि के आरंभ पर निवल आस्ति / (देयता)	70.50	0.00	972.56
2	नियोक्ता व्यय	307.69	1035.24	330.88
3	नियोक्ता योगदान	--	1076.82	--
4	प्रदत्त लाभ	--	--	232.79
5	अधिग्रहण / कारोबार संयोजन	--	--	--
6	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	378.19	(41.58)	1070.65

Reconciliation of Net Assets/Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31st March 2018

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	70.50	0.00	972.56
2	Employer Expenses	307.69	1035.24	330.88
3	Employer Contributions	--	1076.82	--
4	Benefits Paid	--	--	232.79
5	Acquisitions / Business Combinations	--	--	--
6	Net Asset / (Liability) at the end of the period	378.19	(41.58)	1070.65

5.3 लेखांकन मानक – 17– क्षेत्रवार रिपोर्टिंग:

भाग क – कारोबार क्षेत्र: (₹ करोड़ में)

	कारोबार क्षेत्र	समाप्त वर्ष	
		31.03.2018	31.03.2017
(1)	क्षेत्रवार राजस्व		
क	राजकोष परिचालन	12876.12	14427.03
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	17782.12	16387.47
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	16480.64	17984.63
घ	गैर आबंटित	1056.06	142.91
	कुल	**48194.94**	**48942.04**
	घटायें: अंतर राजस्व क्षेत्र	0.00	0.00
	परिचालन से आय	**48194.94**	**48942.04**
(2)	क्षेत्रवार परिणाम		
क	राजकोष परिचालन	4009.59	4197.48
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3561.81	2111.83
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	920.78	2461.72
घ	अन्य बैकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	**8492.18**	**8771.03**
	गैर आबंटित आय / व्यय (प्रावधानित व आकस्मिक व्यय सहित)	(15,053.04)	(7129.11)
	कर से पहले कुल लाभ	**(6,560.86)**	**1641.92**
	आय कर	(2,338.62)	520.00
	निवल लाभ	**(4,222.24)**	**1121.92**
(3)	प्रयुक्त पूंजी		
क	राजकोष परिचालन	10856.86	2767.63
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	18740.91	16488.37
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	855.50	16054.63
घ	अन्य बैकिंग परिचालन	0.00	0.00
ड़	गैर आबंटित आस्तियां	5151.56	(1,625.09)
	कुल प्रयुक्त पूंजी	**35604.83**	**33685.54**

5.3 **Accounting Standard-17 – Segment Reporting:**
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2018	31.03.2017
(1)	**Segment Revenue**		
a	Treasury Operations	12876.12	14427.03
b	Retail Banking Operations	17782.12	16387.47
c	Wholesale Banking Operations	16480.64	17984.63
d	Unallocated	1056.06	142.91
	Total	**48194.94**	**48942.04**
	Less: Inter Segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	**48194.94**	**48942.04**
(2)	**Segment Results**		
a	Treasury Operations	4009.59	4197.48
b	Retail Banking Operations	3561.81	2111.83
c	Wholesale Banking Operations	920.78	2461.72
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	**8492.18**	**8771.03**
	Unallocated Income/Expenses (including Provisions and contingencies)	(15,053.04)	(7129.11)
	Total Profit Before tax	**(6,560.86)**	**1641.92**
	Income tax	(2,338.62)	520.00
	Net Profit	**(4,222.24)**	**1121.92**
(3)	**Capital Employed**		
a	Treasury Operations	10856.86	2767.63
b	Retail Banking Operations	18740.91	16488.37
c	Wholesale Banking Operations	855.50	16054.63
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	5151.56	(1,625.09)
	Total Capital Employed	**35604.83**	**33685.54**

	भौगोलिक क्षेत्र	समाप्त वर्ष	
		31.03.2018	31.03.2017
(1)	राजस्व		
क	देशी	46888.53	47908.95
ख	विदेशी	1306.41	1033.09
	कुल	**48194.94**	**48942.04**
(2)	आस्तियाँ		
क	देशी	560817.56	522588.25
ख	विदेशी	56068.54	60931.19
	कुल	**616886.10**	**583519.44**

इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीआर:बीपी:बीसी सं.8/21.04.018/2015–16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2018	31.03.2017
(1)	**Revenue**		
a	Domestic	46888.53	47908.95
b	International	1306.41	1033.09
	Total	**48194.94**	**48942.04**
(2)	**Assets**		
a	Domestic	560817.56	522588.25
b	International	56068.54	60931.19
	Total	**616886.10**	**583519.44**

This has been prepared in terms of RBI Master Circular: DBR:BP.BC No.8/21.04.018/ 2015-16 dated 01.07.2015.

5.4 **लेखांकन मानक - 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:** संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध - प्रधान - केनरा बैंक

5.4.1 **महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –**

i) श्री राकेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii) श्री हरिदीशकुमार बी, कार्यपालक निदेशक (31.05.2017 तक)
iii) श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक (05.05.2017 तक)
iv) श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक
v) श्री एम वी राव, कार्यपालक निदेशक (09.10.2017 से)
v) श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक (19.02.2018 से)

5.4.2 **प्रधान -**

i) केनरा बैंक

5.4.3 **अनुषंगियां -**

i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.

5.4 **Accounting Standard-18 – Related Party Disclosures:** Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

5.4.1 **Key Management Personnel –**

i) Shri. Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer
ii) Shri. Harideesh Kumar B, Executive Director (Till 31.05.2017)
iii) Shri. Dinabandhu Mohapatra, Executive Director (Till 05.05.2017)
iv) Smt. P V Bharathi, Executive Director
v) Shri. M V Rao, Executive Director (From 09.10.2017)
vi) Shri. Debashish Mukherjee, Executive Director (From 19.02.2018)

5.4.2 **Parent-**

i) Canara Bank

5.4.3 **Subsidiaries -**

i) Canbank Financial Services Ltd.
ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
iii) Canbank Factors Ltd.

iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (पूर्व में गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.)
vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.
viii) केनरा बैंक (तंजानिया) लि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम -

i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्व में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहायक संस्थाएं -

i) केनफिन होम्स लिमिटेड
ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  अ) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)
  ख) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक)

उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी (एचईएफए):

मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण तथा शोध सुविधाओं को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ देश के आईआईएम, आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए विशेष साधनों माध्यम संस्था के माध्यम से प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस उद्देश्य के आधार पर मा.सं.वि. मंत्रालय ने रु. 2000 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी के साथ उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी (एचईएफए) ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव किया। केनरा बैंक ने मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी के लिए अपनी अभिरुचि दर्शाई । मंत्रालय ने निधि प्रबंधन हेतु प्रायोजक के रूप में केनरा बैंक का चयन किया।

इसके बाद, एनबीएफसी लाइसेंस के पंजीकरण, निगमीकरण तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई तथा कंपनी पूर्ण रूप से परिचालन में है। संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा रु. 300 करोड़ की सीमा तक आरंभिक एक्विटी योगदान किया गया (अर्थात मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु. 250 करोड़ और केनरा बैंक द्वारा 50 करोड़ रु.) और संयुक्त उद्यम साझेदारों को शेयर आबंटित किए गए । कंपनी ने अनंतिम अनुमोदन किए और यह पूंजी जुटाने और ऋण की किश्तों को वितरित करने की प्रक्रिया में है ।

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक–₹0.83 करोड़ (पिछले वर्ष–₹0.99 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन–देन सहित बैंकर–ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन–देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
v) Canbank Computer Services Ltd.
vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
viii) Canara Bank (Tanzania) Ltd.

5.4.4 Joint Ventures

i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates -

i) Canfin Homes Ltd.
ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
  a) Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
  b Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

HIGHER EDUCATION FUNDING AGENCY (HEFA):

The MHRD, GoI with an object to build world class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, IISER, IISc, NIT etc of the country.

Basing on this the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an authorized capital of ₹2000 Cr. Canara Bank submitted the expression of interest to be a joint venture partner with MHRD, GoI. Ministry had since selected Canara Bank as the promoter for managing the fund.

Subsequently, the process of Registration, Incorporation and obtention of NBFC License has been completed and the Company has become fully operational. Initial Equity contribution to the extent of ₹300 Cr has been subscribed by the JV partners (ie., ₹250 Cr by MHRD, GOI and ₹50 Cr by Canara Bank) and shares have been allotted to the JV partners. Company has done provisional sanctions and is in the process of raising capital and disbursing the installments of the loans.

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

i) Remuneration to Key Management Personnel ₹0.83 Crore (Previous Year: ₹0.99 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

5.4.7 अनुषंगियों, सहायक संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

मदें	अनुषंगियाँ	सहायक संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
उधार:					
यथा वर्षांत को बकाया	0.14 (शून्य)	71.95 (30.00)	-	-	72.09 (30.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.14 (शून्य)	275.00 (30.00)			275.14 (30.00)
जमाएं:					
यथा वर्षांत को बकाया	97.34 (43.03)	17.39 (16.63)	-	-	114.73 (59.66)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	97.34 (48.59)	17.39 (406.63)			114.73 (455.22)
जमाओं का नियोजन:					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (19.68)	शून्य (146.24)	-	-	शून्य (165.92)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (19.68)	शून्य (146.24)			शून्य (165.92)
अग्रिम:					
यथा वर्षांत को बकाया	308.02 (411.36)	2749.81 (2293.89)	-	-	3057.83 (2705.25)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	313.50 (411.36)	3189.78 (2651.30)			3503.28 (3062.66)
अचल संपत्ति की खरीद:					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
चालू खाता में शेष:					
यथा वर्षांत को बकाया	0.69 (28.00)	20.87 (47.11)	-	-	21.56 (75.11)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.93 (28.69)	22.06 (222.57)			22.99 (251.26)
अन्य प्राप्य:					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (0.10)	22.28 (शून्य)	-	-	22.28 (0.10)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	45.00 (0.10)	22.28 (शून्य)			67.28 (0.10)
अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किए गए:					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	149.97 (शून्य)	-	-	149.97 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	149.97 (शून्य)			149.97 (शून्य)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings:					
Outstanding as at the year end	0.14 (NIL)	71.95 (30.00)	-	-	72.09 (30.00)
Maximum outstanding during the year	0.14 (NIL)	275.00 (30.00)			275.14 (30.00)
Deposits:					
Outstanding as at the year end	97.34 (43.03)	17.39 (16.63)	-	-	114.73 (59.66)
Maximum outstanding during the year	97.34 (48.59)	17.39 (406.63)			114.73 (455.22)
Placement of Deposits:					
Outstanding as at the year end	NIL (19.68)	NIL (146.24)	-	-	NIL (165.92)
Maximum outstanding during the year	NIL (19.68)	NIL (146.24)			NIL (165.92)
Advances:					
Outstanding as at the year end	308.02 (411.36)	2749.81 (2293.89)	-	-	3057.83 (2705.25)
Maximum outstanding during the year	313.50 (411.36)	3189.78 (2651.30)			3503.28 (3062.66)
Purchase of Fixed Assets:					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account:					
Outstanding as at the year end	0.69 (28.00)	20.87 (47.11)	-	-	21.56 (75.11)
Maximum outstanding during the year	0.93 (28.69)	22.06 (222.57)			22.99 (251.26)
Other receivable:					
Outstanding as at the year end	NIL (0.10)	22.28 (NIL)	-	-	22.28 (0.10)
Maximum outstanding during the year	45.00 (0.10)	22.28 (NIL)			67.28 (0.10)
Inter Bank Participation Certificate:					
Participated:					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	149.97 (NIL)	-	-	149.97 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	149.97 (NIL)			149.97 (NIL)

कमीशन प्राप्य: यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	6.12 (4.61) 6.12 (4.61)	0.09 (0.08) 0.09 (0.08)	-	-	6.21 (4.69) 6.21 (4.69)
अन्य देय: यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (0.01) शून्य (0.01)	शून्य (शून्य) शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (0.01) शून्य (0.01)
प्रदत्त ब्याज:	1.42 (2.91)	2.43 (31.62)	-	-	3.85 (34.53)
प्राप्त ब्याज:	5.49 (16.83)	119.78 (256.60)	-	-	125.27 (273.43)
प्राप्त लाभांश:	12.16 (16.96)	7.98 (11.57)	-	-	20.14 (28.53)
प्रदत्त प्रीमियम:	211.57 (152.48)	शून्य (शून्य)	-	-	211.57 (152.48)
सेवा उपलब्ध कराना:	176.49 (110.41)	31.41 (3.01)	-	-	207.90 (113.42)
सेवाओं से प्राप्त:	21.20 (30.29)	शून्य (0.01)	-	-	21.20 (30.30)
बीएसई को जारी अधिकार के संबंध में गारंटी:	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं)
(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखापरीक्षकों के निरीक्षण पर आधारित)

Commission Receivable:					
Outstanding as at the year end	6.12 (4.61)	0.09 (0.08)	-	-	6.21 (4.69)
Maximum outstanding during the year	6.12 (4.61)	0.09 (0.08)			6.21 (4.69)
Other payable:					
Outstanding as at the year end	NIL (0.01)	NIL (NIL)	-	-	NIL (0.01)
Maximum outstanding during the year	NIL (0.01)	NIL (NIL)			NIL (0.01)
Interest paid:	1.42 (2.91)	2.43 (31.62)	-	-	3.85 (34.53)
Interest received:	5.49 (16.83)	119.78 (256.60)	-	-	125.27 (273.43)
Dividend received:	12.16 (16.96)	7.98 (11.57)	-	-	20.14 (28.53)
Premium Paid:	211.57 (152.48)	NIL (NIL)	-	-	211.57 (152.48)
Rendering of Service:	176.49 (110.41)	31.41 (3.01)	-	-	207.90 (113.42)
Receiving for Services:	21.20 (30.29)	NIL (0.01)	-	-	21.20 (30.30)
Guarantee in respect of rights issued to BSE:	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)

(Figures in brackets relate to previous year)
(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors).

5.4.8 अंतर– समूह जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2017–18 के लिए	वर्ष 2016–17 के लिए
अंतर समूह जोखिम के लिए कुल राशि	3233.29	2890.82
उच्चतम - 20 अंतर - समूह जोखिम की कुल राशि	3233.29	2890.82
उधारकर्ता / ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से अंतर समूह जोखिम का प्रतिशत	0.48%	0.37%
अंतर–समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखापरीक्षकों के निरीक्षण पर आधारित)

5.5 लेखा मानक–20–प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20– "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है ।

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

	विवरण	2017-18	2016-17
क	वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के स्रोत पर निवल लाभ (₹ करोड़ में)	(4222.24)	1121.92
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	73.32	59.73
ग	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	59.92	54.37
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (खाता) (₹)	(70.47)	20.63
इ	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखा मानक - 22 - आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और तक का 31.03.2018 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है:

5.4.8 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2017-18	For the Year 2016-17
Total amount of intra-group exposures	3233.29	2890.82
Total amount of top-20 intra-group exposures	3233.29	2890.82
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.48%	0.37%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

5.5 Accounting Standard-20 – Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below.

	Particulars	2017-18	2016-17
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	(4222.24)	1121.92
B	Number of Equity Shares (in Crore)	73.32	59.73
C	Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	59.92	54.37
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (₹)	(70.47)	20.63
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.6 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2018 as under:

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	828.37
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	372.23	338.29	-	-
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-	23.68	19.50
निवेश पर मूल्यह्रास	-	-	1705.10	1705.10
वायदा संविदा पर अप्राप्य अभिलाभ	-	-	-	145.47
अग्रिमों हेतु किये गये प्रावधान	8458.37	4869.61	-	-
विशेष आरक्षित निधियों पर	-	-	1384.32	1384.32
अन्य	53.72	53.69	-	-
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	**8884.32**	**5261.59**	**3113.10**	**4082.76**

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Interest accrued but not due on securities	-	-	-	828.37
Provision for Leave Encashment	372.23	338.29	-	-
Depreciation on Fixed Assets	-	-	23.68	19.50
Depreciation on Investments	-	-	1705.10	1705.10
Un-realised gain on Forward contacts	-	-	-	145.47
Provision made for advances	8458.37	4869.61	-	-
On Special Reserve	-	-	1384.32	1384.32
Others	53.72	53.69	-	-
Deferred Tax Asset/ Liability	**8884.32**	**5261.59**	**3113.10**	**4082.76**

यथा 31 मार्च, 2018 को निवल आस्थगित कर आस्तियां: ₹5771.22 करोड़ (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर देयताएं ₹1178.83 करोड़)

5.7 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹375.22 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है ।

ए एस 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हित ₹40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है:

Net Deferred Tax Assets as on March 31, 2018: ₹5771.22 Crore (Previous year: Net Deferred Tax Assets ₹1178.83 Crore)

5.7 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investments include ₹375.22 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Indo Bank LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. – परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

मदें	31.03.2018 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2018 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2017 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2017 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	35804.00	233.35	93.34	41,524.00	269.28	107.71
कुल देयताएं	90558.00	590.21	236.08	71,795.00	465.59	186.24
कुल आस्तियाँ	126362.00	823.56	329.42	113,319.00	734.87	293.95
कुल आय	8062.00	52.54	21.02	7,553.00	50.67	20.27
कुल व्यय	1620.00	10.56	4.22	2,241.00	15.04	6.02
लाभ	**(5385.00)**	**(35.09)**	**(14.03)**	**5,312.00**	**35.63**	**14.25**

विनिमय दर जिस पर आस्ति व देयताएं तथा आय व व्यय को अनुदित किया गया है– 1 यूएसडी = ₹65.175.

Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2018	Current year ended 31/03/2018	Bank's share@ 40%	Previous year ended 31/03/2017	Previous year ended 31/03/2017	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	35804.00	233.35	93.34	41,524.00	269.28	107.71
Aggregate Liabilities	90558.00	590.21	236.08	71,795.00	465.59	186.24
Aggregate Assets	126362.00	823.56	329.42	113,319.00	734.87	293.95
Aggregate Income	8062.00	52.54	21.02	7,553.00	50.67	20.27
Aggregate Expenditure	1620.00	10.56	4.22	2,241.00	15.04	6.02
Profit	**(5385.00)**	**(35.09)**	**(14.03)**	**5,312.00**	**35.63**	**14.25**

Exchange rate at which Assets & liabilities and Income & expenditure have been translated- 1 USD = ₹65.175.

5.8 लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की क्षति:

जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षति हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी। धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट–प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षति माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति के वसूली–योग्य राशि से अधिक आस्ति का वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखा मानक 28 – "आस्ति की क्षति" लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

5.8 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

5.9 लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2017 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2018 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	781.24	669.36	485.74	964.86

5.9 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2017	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2018
Movement of Provision for Contingent Liabilities	781.24	669.36	485.74	964.86

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
निवेश और एन पी आई के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1891.81	161.04
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14882.70	7437.77
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	4.74	26.61
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(2338.62)	520.00
उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	(516.36)	(360.00)
संदिग्ध आस्तियों की वसूली के लिए प्रावधान	7.07	35.00
देश जोखिम एक्सपोजर के लिए प्रावधान	(20.72)	13.00
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	(140.14)	(41.45)
कुल	**13770.48**	**7791.97**

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Depreciation on Investment and NPI	1891.81	161.04
Provision towards NPA	14882.70	7437.77
Provision towards Standard Asset	4.74	26.61
Provision for Tax (includes Deferred Tax)	(2338.62)	520.00
Provision for Diminution in Fair Value	(516.36)	(360.00)
Provision for Asset Doubt Of Recovery	7.07	35.00
Provision for Country Risk Exposure	(20.72)	13.00
Provision for FITL and other contingencies	(140.14)	(41.45)
TOTAL	**13770.48**	**7791.97**

6.2 अ. अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	**शून्य**	**शून्य**

6.2 ब. आरक्षित निधि से आहरण द्वारा कमी:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से आहरण द्वारा कमी नहीं की गई।

6.3 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण:

अ. ग्राहक शिकायतें (एटीएम संबंधित शिकायतों सहित):

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3165	1550
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	93276	66977
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	93187	65362
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	3254	3165

आ. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	वर्ष के आरंभ में गैर – कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	01	08
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	शून्य	08
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य*	शून्य

*निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता को 30 दिनों के अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा। शिकायतकर्ता निर्णय स्वीकार नहीं करता तो मामले को समाप्त कर दिया जाता है।

6.2.A Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year.	NIL	NIL
Closing Balance	**NIL**	**NIL**

6.2.B Draw down from Reserves:

During the year, no draw down has been made from reserves.

6.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints : (Including ATM related complaints)

Sl. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	3165	1550
(b)	Number of complaints received during the year	93276	66977
(c)	Number of complaints redressed during the year	93187	65362
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	3254	3165

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen :

Sl. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	Number of Awards received during the year	01	08
(c)	Number of Awards redressed during the year	NIL	08
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	NIL*	NIL

* As per Award, complainant has to furnish the letter of acceptance within 30 days. Complainant has not accepted the Award, hence lapsed.

नोट: स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) कार्ड से संबंधित सभी ग्राहक शिकायतें शामिल की गई है। अधिकांश एटीएम शिकायतें अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित हैं।

6.4 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक द्वारा ₹29291.40 करोड़ के 3422 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2018 को 1301 पत्रों की संचित बकाया स्थिति ₹6423.86 करोड है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आवश्वासन पत्र जारी किये गये :

समुद्रपारीय:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017–2018 के दौरान मेजबान देशों के पक्ष में कोई भी चुकौती आवश्वासन पत्र जारी नहीं किया है ।

पहले जारी किए गए चुकौती आवश्वासन पत्र / वचन / गारंटी:

- चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, चीन (शंघाई शाखा की ओर से)– दिनांकित 19.04.2008 के आदेश द्वारा
- यू ए ई सेंट्रल बैंक (हमारे प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से) – दिनांकित 03.08.2009 के आदेश द्वारा
- बहरीन सेंट्रल बैंक (हमारी मनामा शाखा, बहरीन की ओर से) – दिनांकित 07.06.2010 के आदेश द्वारा एवं
- दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक (जॉहांसबर्ग शाखा, दक्षिण अफ्रीका की ओर से) – दिनांकित 19.11.2011 के आदेश से)

वित्तीय प्रभाव:

बैंक ने अब तक अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों को साख पत्र जारी नहीं किया है, अत: बैंक द्वारा एलओसी/वचन पत्र के जारीकरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है ।

शाखाओं के संबंध में,समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन–पत्र बनाया गया है । समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन–पत्र की देयताओं का

Note: All customer complaints pertaining to Automated Teller Machine (ATM) cards are included. Majority of the ATM complaints pertain to Acquiry issues.

6.4 Letters of Comfort issued:

Bank has issued 3422 No. of Letters of Comfort to the tune of ₹29391.40 Crore during the financial year 2017-18. The cumulative outstanding position of 1301 No. of LOC as on 31.03.2018 is ₹6423.86 Crore. Apart from this, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators during previous years:

Overseas:

The Bank has not issued any LOC favouring host country regulators during the financial year 2017-18.

LOCs / Undertaking / Guarantee issued in the past:-

- China Banking Regulatory Commission, China (on behalf of our Shanghai Branch) – issued on 19.04.2008
- Central Bank of UAE (on behalf of our Representative office, Sharjah) – Issued on 03.08.2009
- Central Bank of Bahrain (on behalf of our Manama branch, Bahrain) – Issued on 07.06.2010 and
- South African Reserve Bank (on behalf of our Johannesburg branch, South Africa) – Issued on 19.11.2011.

Financial Impact:

Bank has so far not issued any LOC/undertaking on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs). Hence, the financial impact on issue of LOC/undertaking by the Bank does not exist.

With regard to branches the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas

एक हिस्सा है । अत: शाखाओं की ओर से जारी साख पत्र के कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं हैं । प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेज़बान देशों के विनियामकों को जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है ।

यथा 31 मार्च 2018 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है।

6.4.1 यथा 31.03.2018 को प्रावधान कवरेज अनुपात 58.06% है (पिछले वर्ष 55.62%)

6.5 बैंक द्वारा बैंकएश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय का प्रकार	31.03.2018	31.03.2017
1	जीवन बीमा पॉलसियों का विक्रय	76.60	38.29
2	गैर–जीवन बीमा पॉलसियों का विक्रय	26.93	18.51
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	26.93	14.03
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	20.84	15.81
5	पीएमजेजेबीवाई	5.11	4.92
6	पीएमएसबीवाई	0.02	0.71
	कुल	**156.40**	**92.27**

branches forms part of the liabilities of the Bank's annual balance sheet. There is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of representative Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulator.

As at 31st March 2018, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative offices.

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 58.06% as on 31.03.2018 (Previous Year 55.62%).

6.5 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2018	31.03.2017
1	For selling Life Insurance Policies	76.60	38.29
2	For selling Non Life Insurance Policies	26.93	18.51
3	For selling Mutual Funds Products	26.93	14.03
4	Other (Health Insurance Policies)	20.84	15.81
5	PMJJBY	5.11	4.92
6	PMSBY	0.02	0.71
	TOTAL	**156.40**	**92.27**

6.6 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का संकेंद्रण

6.6.1 जमाओं का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	81464.73	71579.31
बैंक के कुल जमाओं में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	15.52%	14.45%

6.6.2 अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	35329.89	26101.53
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	9.26%	7.63%

6.6.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र	60652.57	59989.87
बैंक के कुल एक्सपोज़र में से बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	8.92%	7.75%

6.6.4 एन पी ए का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
प्रथम चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	9423.81	8282.63

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Deposits of twenty largest depositors	81464.73	71579.31
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	15.52%	14.45%

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Advances to twenty largest borrowers	35329.89	26101.53
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.26%	7.63%

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	60652.57	59989.87
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	8.92%	7.75%

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to top four NPA accounts	9423.81	8282.63

6.6.5 क्षेत्र – वार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्र सं.		क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
			कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
क		**प्राथमिकता क्षेत्र**						
	1	कृषि व संबंद्ध गतिविधियाँ	84012.00	3850.80	4.58%	74079.00	2757.31	3.72%
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	43168.00	8129.36	18.83%	39175.00	5557.95	14.19%
	3	सेवाएं	38930.00	616.98	1.58%	28119.00	555.15	1.97%
	4	व्यक्तिगत ऋण	19516.00	-	-	18896.00	-	-
		उप– कुल (क)	**185626.00**	**12597.14**	**6.79%**	**160269.00**	**8870.41**	**5.53%**
ख		**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
	1	कृषि व संबंद्ध गतिविधियाँ	214.00	-	-	614.00	0.00	-
	2	उद्योग	181857.98	34504.92	18.97%	140262.29	19622.09	13.99%
	3	सेवाएं	-	-	-	28108.02	5406.46	19.23%
	4	व्यक्तिगत ऋण	33145.51	366.41	1.11%	26052.35	303.08	1.16%
		उप– कुल (ख)	**215217.49**	**34871.33**	**16.20%**	**195036.66**	**25331.63**	**12.99%**
		कुल (क+ख)	**400843.49**	**47468.47**	**11.84%**	**355305.66**	**34202.04**	**9.63%**

6.6.5 Sector-wise Advances:

(₹ in Crore)

Sl No		Sector	Current Year			Previous Year		
			Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
A		**Priority sector**						
	1	Agriculture and allied activities	84012.00	3850.80	4.58%	74079.00	2757.31	3.72%
	2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	43168.00	8129.36	18.83%	39175.00	5557.95	14.19%
	3	Services	38930.00	616.98	1.58%	28119.00	555.15	1.97%
	4	Personal loans	19516.00	-	-	18896.00	-	-
		Sub-Total (A)	**185626.00**	**12597.14**	**6.79%**	**160269.00**	**8870.41**	**5.53%**
B		**Non Priority sector**						
	1	Agriculture and allied activities	214.00	-	-	614.00	0.00	-
	2	Industries	181857.98	34504.92	18.97%	140262.29	19622.09	13.99%
	3	Services	-	-	-	28108.02	5406.46	19.23%
	4	Personal loans	33145.51	366.41	1.11%	26052.35	303.08	1.16%
		Sub total (B)	**215217.49**	**34871.33**	**16.20%**	**195036.66**	**25331.63**	**12.99%**
		Total (A+B)	**400843.49**	**47468.47**	**11.84%**	**355305.66**	**34202.04**	**9.63%**

उद्यम के उप–क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम, क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिम के 10% से अधिक हैं ।

(₹ करोड़ों में)

क्र सं.	उप– क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
1	आधारभूत धातु व धातु के उत्पाद	24388.58	11730.68	48.10%	21596.96	10930.41	50.61%
2	बुनियादी संरचना	52760.28	10277.74	19.48%	50125.76	2527.05	5.04%

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखापरीक्षकों के निरीक्षण पर आधारित)

Sub sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector:

(₹ in Crore)

Sl No	Sub Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	24388.58	11730.68	48.10%	21596.96	10930.41	50.61%
2	Infrastructure	52760.28	10277.74	19.48%	50125.76	2527.05	5.04%

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

6.7 एन पी ए का उतार–चढ़ाव :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
यथा 1 अप्रैल तक सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	34202.04	31637.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	24760.76	11652.11
उप – कुल (क)	58962.80	43289.94
घटाएं:–		
(i) उन्नयन	943.49	2264.82
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	2241.17	1278.30
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन	7548.87	5103.16
(iv) उक्त (iii) के अलावा अपलेखन	760.80	441.62
उप कुल (ख)	11494.33	9087.90
यथा 31 मार्च तक सकल एनपीए (समापन शेष) (क–ख)	47468.47	34202.04

6.7 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	34202.04	31637.83
Additions (Fresh NPAs) during the year	24760.76	11652.11
Sub-total (A)	58962.80	43289.94
Less:-		
(i) Upgradations	943.49	2264.82
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2241.17	1278.30
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	7548.87	5103.16
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	760.80	441.62
Sub-total (B)	11494.33	9087.90
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	47468.47	34202.04

6.8 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात बनाए वसूली का उतार–चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों के प्रारंभिक शेष	14377.42	9936.31
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खाते*	7523.52	5129.81
उप कुल (क)	21900.94	15066.12
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों से पहले की गई वसूली, वर्ष के दौरान शाखाओं कों भेजे गई राशि और विनिमय संचलन (ख)	1534.04	688.70
यथा मार्च 31 को इति शेष (क–ख)	20366.90	14377.42

*विनिमय संचलन सहित

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल आस्तियाँ	56068.54	66360.55
कुल एन पी ए: सकल निवल	3284.51 1575.88	2650.47 1415.27
कुल राजस्व	1306.41	1033.08

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.8 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1st	14377.42	9936.31
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*	7523.52	5129.81
Sub-total (A)	21900.94	15066.12
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts, amount sent to branches during the year and exchange fluctuation (B)	1534.04	688.70
Closing balance as at March 31 (A-B)	20366.90	14377.42

* including exchange fluctuation

6.9 Overseas Assets NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Assets	56068.54	66360.55
Total NPAs : Gross Net	3284.51 1575.88	2650.47 1415.27
Total Revenue	1306.41	1033.08

6.10 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.11 **प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन:** (₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण			संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या			शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि			
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि			
	क)	तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
	ख)	तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों की राशि			
	क)	तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश		
		i)	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
	ख)	तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश		
		i)	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	

6.10 **Disclosure relating to Securitisation:** (₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars			No./ Amount
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction			NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank			
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet			
	a)	Off-balance sheet exposures		
		First loss		
		Others		
	b)	On-balance sheet exposures		
		First loss		
		Others		
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR			
	a)	Off-balance sheet exposures		
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitizations	
			First loss	
			Others	
	b)	On-balance sheet exposures		
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitizations	
			First loss	
			Others	

6.11 ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस): शून्य

6.12 जमाकर्ता शिक्षा व जागरुकता निधि को हस्तांतरण (डीईएएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
डीईएएफ को अंतरित राशि का आरंभिक शेष	1166.89	977.29
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	241.43	205.28
घटाएं : दावों के निपटान के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	26.01	15.68
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	1382.31	1166.89

6.13 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं. बीपी..बीसी.85/21.06.200/ 2013–14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के साथ निकायों को बैंक के एक्सपोज़र से संबंधित वेतन वृद्धि व पूंजी प्रदान करे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए, बैंक ने अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए 25.66 करोड़ (32.92 करोड़) का वेतन वृद्धि प्रावधान किया है । आगे, यथा 31.03.2018 को बैंक के पास अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर पर जोखिम हेतु 127.67 करोड़ (143.85 करोड़) की पूंजी है ।

अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां :

उधारकर्ता निकायों के संबंध में जिनका विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र है, बैंक द्वारा अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई); ब्याज से पूर्व वार्षिक आय व मूल्यह्रास (ईबीआईडी); सालाना अस्थिरता का उपयोग करते हुए यूएसडी–आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अनुमानित हानि की गणना की जाती है । विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अनुमानित हानि को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है । विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को विशेषीकृत दर पर कुल ऋण जोखिम पर वेतन वृद्धि पूंजी व वेतन वृद्धि प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया जाता है ।

6.11 Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of amounts transferred to DEAF	1166.89	977.29
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	241.43	205.28
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	26.01	15.68
Closing balance of amounts transferred to DEAF	1382.31	1166.89

6.13 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly for the financial year 2017-18 bank is holding a provision of ₹25.66 Crore (₹32.92 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹127.67 Crore (₹143.85 Crore) as on 31.03.2018 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

In respect of borrower entities having foreign currency exposure, Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/ EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6.15. चलनिधि कवरेज़ अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र सं.		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		82240.55		87616.68
नकद बहिर्प्रवाह					
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमें से	289969.63	24614.78	267438.54	22600.09
(i)	स्थिर जमा	87643.63	4382.18	82875.20	4143.76
(ii)	कम स्थिर जमा	202326.01	20232.60	184563.33	18456.33
3	गैर प्रतिभूतीकृत थोक निधियन, जिसमें से	111281.44	64382.92	110649.58	65105.56
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	111281.44	64382.92	108722.19	63178.17
(iii)	गैर–प्रतिभूतीकृत उधारी	0.00	0.00	1927.39	1927.39
4	प्रतिभूतीकृत संपूर्ण निधियन	6966.92	274.11	4187.18	789.55
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	29421.64	3512.45	39716.88	14329.79
(i)	व्युत्पन्नी एक्स्पोजरों व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	उधारी उत्पादों पर निधियन हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व चलनिधि सुविधाएं	29421.64	3512.45	39716.88	14329.79
6	**अन्य संविदात्मक निधियन प्रतिज्ञा–पत्र**	568.82	568.82	616.29	616.29
7	अन्य आकस्मिक निधियन प्रतिज्ञा–पत्र	115740.80	4444.33	76896.07	2568.07
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	553949.26	97797.41	499504.55	106009.36
9	प्रतिभूतीकृत उधारी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	101.84	0.00	3844.84	0.00
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोज़र से अंतर्वाह	30083.49	21415.39	33844.10	25794.57
11	अन्य नकद अंतर्वाह	729.67	423.02	869.23	579.85
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	30915.00	21838.41	38558.17	26374.42
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एच क्यू एल ए		82240.55		87616.68
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		75959.00		79634.95
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		108.27%		110.02%

6.14 Liquidity Coverage Ratio

(₹ in Crore)

Sl No		Current year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		82240.55		87616.68
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	289969.63	24614.78	267438.54	22600.09
(i)	Stable deposits	87643.63	4382.18	82875.20	4143.76
(ii)	Less stable deposits	202326.01	20232.60	184563.33	18456.33
3	Unsecured wholesale funding of which:	111281.44	64382.92	110649.58	65105.56
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	111281.44	64382.92	108722.19	63178.17
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	1927.39	1927.39
4	Secured wholesale funding	6966.92	274.11	4187.18	789.55
5	Additional requirements of which	29421.64	3512.45	39716.88	14329.79
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	29421.64	3512.45	39716.88	14329.79
6	Other contractual funding obligations	568.82	568.82	616.29	616.29
7	Other contingent funding obligations	115740.80	4444.33	76896.07	2568.07
8	**Total Cash Outflows**	553949.26	97797.41	499504.55	106009.36
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	101.84	0.00	3844.84	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	30083.49	21415.39	33844.10	25794.57
11	Other cash inflows	729.67	423.02	869.23	579.85
12	**Total Cash Inflows**	30915.00	21838.41	38558.17	26374.42
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	**TOTAL HQLA**		82240.55		87616.68
14	**Total Net Cash Outflows**		75959.00		79634.95
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		108.27%		110.02%

एलसीआर के ईर्द–गिर्द गुणात्मक प्रकटन

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का आरंभ न्यूनतम 30 दिनों की दबावग्रस्त अवधि हेतु बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की लघु अवधि तन्यता के प्रवर्तन के लिए है। एलसीआर, सामान्य तौर पर सुनिश्चित करता है कि बैंक उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति (एचक्यूएलए) भार रहित आस्ति का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति निवल नकद बहिर्वाह के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है :

उच्च गुणवत्ता वाले चल आस्ति का स्टॉक (एचक्यूएलए)

एलसीआर = ---

अगले 30 कैलेंडर दिनों में होनेवाले
कुल निवल नकद बहिर्वाह

कैलेंडर वर्ष 2017 हेतु न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 80% थी एवं कैलेंडर वर्ष 2018 हेतु यह बढ़कर 90% हो गयी है। आगे वार्षिक तौर पर एलसीआर को 10% और बढ़ाया जाएगा ताकि 1 जनवरी, 2019 तक यह 100% हो जाए।

एचक्यूएलए में स्तर 1 (0% हेयरकट); स्तर 2ए (15% हेयरकट) व स्तर 2बी (50% हेयरकट) शामिल है। स्तर 1 नकद–संपतियां, अधिक सीआरआर, अधिक एसएलआर प्रतिभूति, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2%] के तहत भा.रि.बै. द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूति और चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 9%] शामिल है।

स्तर 2ए आस्ति में सॉवरेन गारंटीकृत विपणन–योग्य प्रतिभूति, वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य द्वारा जारी एए–व अधिक रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉंड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं। स्तर 2बी आस्ति में एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है।

दबाव के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्वाह अगले 30 दिनों में बहिर्वाह के भारित राशि से अंतर्वाह को घटाने पर प्रगणित होगा। खुदरा व छोटे कारोबार ग्राहकों से निधियन में थोक निधियन की तुलना में निम्न रन–ऑफ घटक शामिल है।

एलसीआर के प्रमुख चालक बैंक द्वारा धारित अधिशेष एसएलआर के स्तर एवं खुदरा व थोक निधियन स्रोत के अनुपात हैं।

Qualitative disclosure around LCR :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard is introduced to test the liquidity resilience of the Bank, for a minimum stress period of 30 days. The standard ensures, the Bank maintains adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash to meet liquidity needs (net cash-out flows). The LCR is defined as:

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

LCR = ---

Total net cash outflows over the
next 30 calendar days

The minimum LCR requirement for the calendar year 2017 was 80 per cent and is stepped up to 90 per cent for the calendar year 2018. LCR requirement will be further stepped up 10 per cent annually to reach 100 per cent by 1st January 2019.

HQLA comprises of Level 1(0% hair-cut), Level 2A (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [presently 2 per cent of the Bank's NDTL] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [presently 9 per cent of the Bank's NDTL].

Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and more are issued other than by financial institutions. Level 2B assets include investments in common equity shares included in NSE CNX Nifty and/or S&P BSE Sensex indices.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

The prime drivers of the LCR are the level of surplus SLR held by the Bank and the proportion of retail and wholesale funding source.

बैंक के भारित स्तर 1 आस्ति में लगभग कुल एचक्यूएलए का 95% शामिल है व शेष 5% स्तर2ए व स्तर 2बी आस्ति में शामिल हैं । अधिक एसएलआर प्रतिभूति में (स्तर 1 आस्ति का भाग) कुल एचक्यूएलए का लगभग 30% शामिल है ।

समयावधि के दौरान बैंक ने कासा सहित खुदरा (व्यक्तिगत) जमा के शेयर को संवर्धित करके जमाओं के प्रमाणपत्र सहित थोक जमा पर निर्भरता कम की है । खुदरा जमा के शेयर की तुलना में कुल घरेलू जमा 56% (मार्च 2017) रहते हुए 56% (मार्च 2018) है। खुदरा जमा का अधिकतम शेयर दबाव के तहत चलनिधि बहिर्प्रवाह को कम करते हुए बैंक के निधियन प्रोफाइल में स्थिरता को चिह्नित करता है ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक का एलसीआर सभी अवलोकन आँकड़ो पर न्यूनतम आवश्यकता से अधिक बना रहा है। 110.02% (वि.व.2016–17) के औसत से घटते हुए वर्ष दर वर्ष कम हो कर एलसीआर 108.27% (वि.व.2017–18) हो गया है । यह खुदरा जमाओं के कम संवर्धित होने (नकद बहिर्वाह को कम करना) व निम्न एचक्यूएलए के कारण संभव हुआ था ।

तिमाही दर तिमाही, बैंक का एलसीआर (3 माह का औसत) 109.75% (जून, 17) से 108.65% (सितम्बर, 17) और फिर 115.42% (दिसम्बर, 17) तक बढ़ा है ।

6.15 नए इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना:

बैंक ने दिनांक 01.03.2018 को हुई अपनी असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों की सहमति से विशेष संकल्प पारित किया जिसमें बैंक ने वर्ष के दौरान भारत सरकार को ₹10 अंकित मूल्य के ₹357.84 प्रति ईक्विटी शेयर प्रीमियम सहित ₹347.84 के 13,59,54,616 शेयर दिनांक 27.03.2018 को अधिमानी तौर पर जारी और आबंटित किए.

6.16 बैंक ने संदिग्ध अग्रिम के वर्ग II हेतु अतिरिक्त प्रावधानीकरण करके अनर्जक अग्रिम के लिये अतिरिक्त प्रावधानीकरण में कुछ संशोधन किया है। अनुवर्ती तौर पर बैंक ने भा.रि.बै. के आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से ज्यादा व अधिक अनर्जक अग्रिम हेतु ₹500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹500 करोड़) के ऐसे अतिरिक्त प्रावधान को धारित कर रखा है ।

Weighted Level 1 assets of the Bank constitutes around 95 per cent of the total HQLA, and the remaining 5 per cent comprises of Level 2A and Level 2B assets. Excess SLR securities (part of level 1 assets) forms around 30 per cent of the total HQLA.

Over the period the Bank reduced dependency on the wholesale deposits including certificate of deposits by increasing the share of retail (individual) deposits including CASA. The share of retail deposits to total domestic deposits remained at 56 per cent (March 2017) to 56 per cent (March 2018). The high share of retail deposits marks the stability in the funding profile of the Bank, reducing the liquidity outflows under stress.

During the FY 2017-18, the LCR of the Bank remained above the minimum requirement on all observed counts. The LCR moved down marginally year on year from average of 110.02% (FY 2016-17) to 108.27% (FY 2017-18). This was mainly on account of decreased share of retail deposits (increasing the cash outflows) and lesser HQLA.

Quarter on quarter, the LCR (3 months average) of the Bank moved from 109.75% (June'17) to 108.65% (September'17) and to 115.19% (December'17).

6.15 Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the year Bank had issued and allotted 13,59,54,616 Equity shares of face value of ₹10 each at an issue price of ₹357.84 per equity share including premium of ₹347.84 per equity share to the Government of India (GOI) on preferential basis on 27.03.2018 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 01.03.2018.

6.16 Bank has made certain modifications in the additional provisioning for non-performing advances by dispensing with additional provisioning for category II of doubtful advances. Consequently the Bank is holding such additional provision of ₹500 Crore (previous year ₹500 Crore) for non-performing advances over and above the minimum provision prescribed under IRAC norms of RBI.

6.17 हमारे बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के तहत मार्च 2018 तक कृषि एवं लघु व सीमांत किसान वर्ग के तहत ₹13720 करोड़ के 54880 यूनिट बेची है ।

6.18 भा.रि.बैं ने अपने पत्र भा.रि.बैं. 2017–18:131:डीबीआर सं. बीपी बीसी 101/21.04.048:2017–18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित रूपरेखा को जारी किया था, जो तत्काल प्रभाव से सीडीआर, एसडीआर बाह्य एसडीआर के स्वामित्व में परिवर्तन पर मौजूदा दिशानिर्देशों, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों (5/25 योजना) तथा एस4ए को सुविधाजनक बनाया गया है। संशोधित रूपरेखा के तहत, उन खातों के लिए यथावत लाभ जहां इन योजनाओं में से कोई भी लागू थी परंतु अभी तक उसे लागू नहीं किया गया तथा तदनुसार इन खातों को भा.रि.बैं. के आय मान्यता तथा आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

6.19 भा.रि.बैं ने पत्र डीबीआर सं. बीपी 8756 21.04.048:2017–18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से यथा 31 मार्च 2018 तक एनसीएलटी खातों के संबंध में आरक्षित भाग को 50% से घटाकर 40% की अनिवार्यता का प्रावधान किया है। तथापि बैंक ने अनुमत छूट की प्राप्ति नहीं की है तथा 40% की दर की जगह 50% की दर पर ही उपलब्ध करा रहा है।

6.20 भा.रि.बैं. के पत्र भा.रि.बैं.:2017–18 :147 डीबीआर.सं. बीपी बीसी 102/21.04.048 2017–18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार बैंकों को 31 दिसम्बर, 2017 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस तथा एचएफटी में किए गए निवेशों में हानि बाजार भाव पर दर्शाने (एमटीएम) हेतु प्रावधानों का चयन करने के विकल्प की अनुमति है। हानि को उसके खर्च होने वाली तिमाही के आरंभ से चार तिमाहियों में व्याप्त किया जा सकता है। तथापि, बैंक ने एमटीएम हानि को व्याप्त करने का विकल्प नहीं लिया है तथा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया है।

6.21 भा.रि.बैं. के पत्र डीबीआर बीपी 9730/21.04.018 2017–18 दिनांक 27 अप्रैल 2018 के माध्यम से 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ चार तिमाहियों से अधिक की उपदान सीमाओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयताओं के फैलाव की अनुमति दी है। तथापि, बैंक ने अनुमत छूट प्राप्त नहीं की है तथा उसे मार्च 18 को ही सम्पूर्ण देयता के लिए उपलब्ध कराया है।

6.17 Our Bank has sold 54880 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹13720 Crore under Agriculture and Small and Marginal Farmers category as at March 2018.

6.18 RBI vide letter RBI 2017-18:131:DBR No. BPBC 101/21.04.048:2017-18 dated February 12, 2018, issued a Revised Framework for Resolution of Stressed Assets, which superseded the existing guidelines on CDR,SDR, change in ownership outside SDR, Flexible Structuring of Existing Long term project loans (5/25 Scheme) and S4A with immediate effect. Under the revised framework, the stand-still benefits for accounts where any of these schemes had been invoked but not yet implemented were revoked and accordingly these accounts have been classified as per the extant RBI prudential norms on Income Recognition and Asset Classification.

6.19 RBI vide letter DBR No BP 8756 21.04.048:2017-18 dated April 2, 2018, the provisioning requirements in respect of NCLT accounts is reduced from 50% of secured portion to 40% of secured portion as at March 31, 2018. However Bank has not availed the relaxation permitted and continue to provide @ 50% instead of provisioning @ 40%.

6.20 As per RBI letter RBI:2017-18 :147 DBR.No.BP BC 102/21.04.048 2017-18 dated April 2, 2018 has permitted banks to opt for spread over provisioning for Mark to Market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The losses can be spread over four quarters, commencing from the quarter in which the loss has been incurred. However, Bank has not availed the option of spreading of MTM losses and provided fully.

6.21 RBI vide letter DBR BP 9730/21.04.018 2017-18 dated April 27, 2018 permitted to spread the additional liability on account of the enhancement in gratuity limits over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. However Bank has not availed the relaxation permitted and has provided for the entire liability in March 18 itself.

6.22 रत्न व आभूषण उधारकर्ता समूह खातों के संबंध में कुछ बैंकों में वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों की रिपोर्ट के मामले में बैंक ने इन खातों को गैर निष्पादित आस्तियों के रूप मे वर्गीकृत किया है तथा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया है।

6.23 1 अप्रैल 2017 से लागू संशोधित लेखांकन मानक –10 "संपति संयंत्र व उपकरण" के अनुसार स्थायी आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन भाग पर वर्ष के दौरान रु. 120.85 करोड़ के मूल्यह्रास को लाभ व हानि में डेबिट किया गया है। समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व निधि में अंतरित किया गया है।

7. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुन: व्यवस्थित किया गया है ।

6.22 In view of fraud reported during the year in certain banks in respect of one Gems and Jewellery borrower group accounts, the Bank has classified these accounts as Non- Performing Asset and provided fully.

6.23 In pursuant to revised Accounting Standard -10 "Property Plant & Equipment" applicable from 1st April, 2017, depreciation of ₹120.85 crores during the year on the revalued portion of the fixed assets has been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामीनाथन सहायक महा प्रबंधक	**पी विठोबा** सहायक महा प्रबंधक	**वी रामाचन्द्रा** उप महा प्रबंधक	**एन शिवशंकरन** महा प्रबंधक	
देबाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	**एम वी राव** कार्यपालक निदेशक	**पी वी भारती** कार्यपालक निदेशक	**राकेश शर्मा** प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**टी एन मनोहरन** अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा निदेशक	**कृष्णामूर्ति एच** निदेशक	**वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स** सनदी लेखाकार	कृते **जे एल सेनगुप्ता एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार	कृते **डागलिया एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार	कृते **कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार
जे सिंह साझेदार	**एस मंडल** साझेदार	**पी मनोहर गुप्ता** साझेदार	**के मोहन अचार्या** साझेदार

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11.05.2018

M SWAMINATHAN ASSISTANT GENERAL MANAGER	**P VITHOBA** ASSISTANT GENERAL MANAGER	**V RAMACHANDRA** DEPUTY GENERAL MANAGER	**N SIVASANKARAN** GENERAL MANAGER	
DEBASHISH MUKHERJEE EXECUTIVE DIRECTOR	**M V RAO** EXECUTIVE DIRECTOR	**P V BHARATHI** EXECUTIVE DIRECTOR	**RAKESH SHARMA** MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	**T.N. MANOHARAN** CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA DIRECTOR	**KRISHNAMURTHY H** DIRECTOR	**VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER** DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **J SINGH & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	For **J L SENGUPTA & Co.** CHARTERED ACCOUNTANTS	For **DAGLIYA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	For **KOMANDOOR & CO. LLP** CHARTERED ACCOUNTANTS
J SINGH PARTNER	**S. MANDAL** PARTNER	**P MANOHARA GUPTA** PARTNER	**K. MOHAN ACHARYA** PARTNER

Place : Bengaluru
Date : 11.05.2018

यथा 31.03.2018 को स्तंभ 3 प्रकटन (समेकित)

यथा 31 मार्च 2018 को 'नियामक प्रकटीकरण धारा' के अतंर्गत बेसल III – स्तंभ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट **https://canarabank.com/english/regulatory-disclosures/basel-iii-disclosures/** देखें

इस अनुभाग में निम्नलिखित प्रकटन शामिल हैं:

तालिका	विवरण
तालिका डीएफ – 1	अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र
तालिका डीएफ – 2	पूँजी पर्याप्तता
तालिका डीएफ – 3	साख जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 4	साख जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियों विषय हेतु प्रकटन
तालिका डीएफ – 5	साख जोखिम शमन – मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 6	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर – मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
तालिका डीएफ – 8	परिचालन जोखिम
तालिका डीएफ – 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
तालिका डीएफ – 10	प्रतिपक्षी साख जोखिम संबंधी एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटन
तालिका डीएफ – 11	पूँजी की संरचना
तालिका डीएफ – 12	पूँजी की संरचना: समाधान आवश्यकताएं
तालिका डीएफ – 13	विनियामक पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं
तालिका डीएफ – 14	विनियामक पूँजीगत लिखतों की शर्तें व नियम
तालिका डीएफ – 16	इक्विटी – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन
तालिका डीएफ – 17	लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की सारांश तुलना
तालिका डीएफ – 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

Pillar 3 Disclosures (Consolidated) as at 31.03.2018

Basel III – Pillar 3 disclosures as at 31st March 2018 is made available on Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. For details, please visit our Website - https://canarabank.com/english/regulatory-disclosures/basel-iii-disclosures/

The section contains the following disclosures:

TABLES	PARTICULARS
TABLE DF – 1	SCOPE OF APPLICATION
TABLE DF – 2	CAPITAL ADEQUACY
TABLE DF – 3	CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES
TABLE DF – 4	CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 5	CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES
TABLE DF – 6	SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 7	MARKET RISK IN TRADING BOOK
TABLE DF – 8	OPERATIONAL RISK
TABLE DF – 9	INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
TABLE DF – 10	GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK
TABLE DF – 11	COMPOSITION OF CAPITAL
TABLE DF – 12	COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS
TABLE DF – 13	MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
TABLE DF – 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
TABLE DF – 16	EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
TABLE DF – 17	SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE
TABLE DF – 18	LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2018	31.03.2017
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
करों के बाद निवल लाभ / Net profit after Tax	-4222.24	1121.92
समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	-2338.62	520.00
मूल्यह्रास / Depreciation	445.05	327.54
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	0.00	35.97
उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Fair Value and NPAs	14366.34	7077.77
अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets including unhedged foreign currency provision	-2.52	25.26
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	1231.69	1368.52
आकस्मिक व्यय और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others	-146.54	6.55
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / Profit / loss on sale of Fixed Assets	4.53	-1.32
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc	-53.32	-62.71
निवेश मूल्यह्रास / (मूल्यवृद्धि) हेतु प्रावधान Provision for investment depreciation/ (appreciation)	1891.81	162.39
उप कुल / Sub total	**15398.42**	**9459.97**
समायोजन / Adjustments for:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in investments	4320.41	-8111.72
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in advances	-53992.54	-24463.77
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in borrowings	4.95	12261.60
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in deposits	29496.62	15483.68
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in other assets	-6142.93	-1546.13
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in other liabilities and provisions	5133.48	-189.39
	-21180.01	**-6565.73**
घटाएं : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: AdvanceTax paid	1500.00	1700.00
परिचालन गतिविधियों से नकद सृजन (ए) / Cash Generated from Operating Activities (A)	**-11503.83**	**2316.15**
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों और / या संयुक्त उद्यम में निवेश से आय / Income from investment in subsidiaries and/or JVs	53.32	62.71
संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों आदि में निवेश / Investment in JVs, Subsidiaries, etc	0.00	-43.23
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow/ outflow from sale/ purchase of fixed assets	-327.48	-367.95
निवेश गतिविधियों से सृजित नकद (बी) / Cash generated from Investing activities (B)	**-274.16**	**-348.47**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
पूंजी को नवीन जारी करना / Fresh issue of capital	135.95	54.30
शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम / Premium Received on Issue of share	4729.05	1069.69
लाभांश और लाभांश वितरण कर / Dividend and DDT paid	-68.44	0.00
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	-1231.69	-1368.52

गौण ऋणों सहित बॉण्ड का प्रतिदान/नवीन जारी Fresh issue/Redemption of bonds including sub-ordinated debts	-700.00	368.64
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकदी (सी) / Cash generated from Financing activities (C)	**2864.87**	**124.11**
नकद और नकद तुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**-8913.13**	**2091.80**
प्रारंभिक नकद और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	**58825.46**	**56733.66**
अंतिम नकद और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	**49912.33**	**58825.46**

नोट / Notes:
शेष नकद, आरबीआई व अन्य बैंकों में शेष तथा मांग व लघु सूचना पर राशि सहित नकद व नकद तुल्य
Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	**31.03.2018**	**31.03.2017**
आरबीआई के पास नकद व शेष / Cash & Balance with RBI	22100.04	19922.50
बैंकों में शेष तथा मांग व लघु सूचना पर राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	27812.29	38902.96
कुल / Total	**49912.33**	**58825.46**

एम स्वामीनाथन
सहा. महा प्रबंधक

पी विठोबा
सहा. महा प्रबंधक

वी रामचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन शिवशंकरन
महा प्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 110266डब्ल्यू
जे सिंह
साझेदार
सदस्य सं. 042023

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 307092ई
एस मंडल
साझेदार
सदस्य सं. 068309

कृते
डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 000671एस
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं.001420एस/एस200034
के मोहन अचार्या
साझेदार
सदस्य सं.029082

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11.05.2018

M SWAMINATHAN
ASST.GENERAL MANAGER

P VITHOBA
ASST.GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
GENERAL MANAGER

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M V RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **M/S J SINGH & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.110266W

J SINGH
PARTNER
MEMBERSHIP NO.042023

For **M/S J L SENGUPTA & Co.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.307092E

S MANDAL
PARTNER
MEMBERSHIP NO.068309

For **M/S DAGLIYA & Co.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.000671S

P MANOHARA GUPTA
PARTNER
MEMBERSHIP NO.016444

For **M/S KOMANDOOR & Co. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.001420S/S200034

K MOHAN ACHARYA
PARTNER
MEMBERSHIP NO.029082

PLACE : BENGALURU
DATE : 11.05.2018

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक का समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2017-2018

केनरा बैंक Canara Bank

CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

2017-2018

समेकित वित्तीय विवरणी पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने केनरा बैंक (आगे बैंक' कहा जाएगा) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें इसके अनुषंगियों, सहायक संस्थाओं व संयुक्त इकाईयों (एकसाथ समूह' कहा जाएगा) की वित्तीय विवरणियाँ सम्मिलित हैं। समेकित वित्तीय विवरणी में यथा 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का समेकित लाभ–हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारिणी जानकारियाँ शामिल है (आगे समेकित वित्तीय विवरणी' कहा जाएगा) । उक्त संदर्भित समेकित वित्तीय विवरणी में निम्न सम्मिलित हैं

   i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी

   ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित छः (6) अनुषंगियों एवं एक (1) सहायक संस्थाओं की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी

   iii) दो (2) अनुषंगियों दो (2) सहायक और एक (1) संयुक्त नियंत्रित इकाई का अलेखापरीक्षित लेखा

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व :

2. बैंक प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 – समेकित वित्तीय विवरणी, लेखांकन मानक (एएस) 23 – समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन तथा लेखांकन मानक (एएस) 27 – संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए लागू दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों की अनिवार्यताओं के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समूह में समेकित नकद प्रवाह का सही व उचित दृष्टिकोण देती है। बैंक प्रबंधन के इस उत्तरदायित्व में धोखाधडी के कारण हो या त्रुटि के कारण,

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To,

The Board of Directors

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Canara Bank (hereinafter referred to as "the Bank"), in which are incorporated the financial statements of its subsidiaries, associates, and joint ventures (together referred to as "the Group"). The consolidated Financial Statements comprise of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2018, the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the Year then ended , and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") in which are incorporated:

   i) Audited financial statements of Bank audited by us.

   ii) Audited financial statements of six (6) Subsidiaries, and one (1) Associate audited by other auditors.

   iii) Unaudited accounts of two (2) Subsidiaries, two (2) associates and One (1) Jointly Controlled Entity.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements:

2. The Bank's Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cashflows of the Group in accordance with the requirements of the Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS)23- "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 27 -"Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, and the applicable guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility of the management of the Bank includes the design, implementation and maintenance of internal

वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप–सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व :

3. बैंक के लेखा पर हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है । लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा के आयोजन के मानकों को विचारार्थ लिया है।

   ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणियाँ के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं ।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियाँ में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियायें अपनानी होती है । चुनी गई प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के न्याय–निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा–धडी के कारण हो या त्रुटि के, वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का मूल्यांकन करने का जोखिम भी रहता है । इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियायें करने के संबंध में बैंक की वित्तीय विवरणियों जो कि लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के संबंध में सही व उचित दृष्टिकोण प्रदान करती हो, को तैयार करने हेतु संबंधित आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है, लेकिन यह संस्था के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ–साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

5. हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य मामले से संबंधित निम्न अन्य मामला पैरा में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त व उचित है।

विचार :

6. हमारे विचार में तथा हमारी जानकारी तथा हमें प्राप्त पुष्टि के अनुसार तथा अलग वित्तीय विवरणियों पर तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहायक संस्थाओं की अन्य वित्तीय सूचना पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के हमारे विचारार्थ के आधार पर:

controls relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit. While conducting the audit we have taken into account the applicable accounting standards and the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

   We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal financial control relevant to the Bank's preparation of the consolidated financial statements that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal financial controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management of the entities of the group, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters Paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion:

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates:

i) लेखांकन नीतियों और सही व उचित समेकित तुलन पत्र पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित समेकित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरणों को सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च 2018 तक बैंक व्यवहारों का सही और उचित रूप दर्शाया जा सका;

ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित समेकित लाभ हानि खाता, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार हानि का सही संतुलन दर्शाता है; तथा

iii) समेकित नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकद प्रवाह का सही और उचित रूप दर्शाता है।

अन्य मामले:

7. (a) हमने समेकित वित्तीय विवरणियों में विचारार्थ अनुसार छः (6) अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षा नहीं किया है, जिनकी यथा 31 मार्च 2018 को वित्तीय विवरणियों में ₹13602.41 करोड़ की कुल आस्तियां, यथा तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹896.82 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹84.27 करोड़ की राशि का कुल नकद अंतर्वाह है। समेकित वित्तीय विवरणियों में ऐसे एक (1) सहयोगी संस्थान के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹90.53 करोड़ के निवल लाभ के समूह के शेयर भी शामिल है, जिसकी वित्तीय विवरणियों / वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचना को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमे बैंक द्वारा दी गई है तथा इन अनुषंगियों और सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(b) हमने समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार दो (2) अनुषंगियों तथा एक (1) संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की थी, जिनकी समेकित वित्तीय विवरणियों में यथा 31 मार्च 2018 को ₹1645.15 करोड़ की कुल आस्ति, ₹116.06 करोड़ का कुल राजस्व एवं यथा तारीख को समाप्त वर्ष हेतु ₹209.43 करोड़ का निवल नकद अंतर्वाह प्रदर्शित है। समेकित वित्तीय विवरणियों मे ऐसी दो (2) अनुषंगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणियों के विचारार्थ

i) The Consolidated Balance Sheet, read with the accounting policies and notes thereon is a full and fair Consolidated Balance Sheet containing all the necessary particulars and, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Group as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii) The Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Loss of the Group for the year in conformity with accounting principles generally accepted in India; and

iii) The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Other Matters:

7. (a) We did not audit the financial statements of six (6) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹13602.41 Crores as at 31st March, 2018, total revenues of ₹896.82 Crores and net cash inflows amounting to ₹84.27 Crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group`s share of net profit of ₹ 90.53 Crores for the year ended 31st March 2018, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one (1) associate, whose financial statements/ financial information have not been audited by us. These financial statements/ financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Bank and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates is based solely on the reports of the other auditors.

(b) We did not audit the financial statements / financial information of two (2) subsidiaries and one (1) joint venture whose financial statements/ financial information reflect total assets of ₹ 1645.15 Crores as at 31st March, 2018, total revenues of ₹ 116.06 Crores and net cash inflows amounting to ₹ 209.43 Crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 124.25 Crores for the year ended

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹124.25 करोड़ के निवल लाभ मे समूह की हिस्सेदारी भी शामिल है, जिनकी वित्तीय विरणियों / वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई। ये वित्तीय विरणियाँ / वित्तीय सूचना बिना जांची हुई है तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रदत्त हैं तथा इन अनुषंगियों, सहायक कंपनियों व संयुक्त उद्यम में शामिल राशि तथा प्रकटीकरण के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय पूरी तरह से इस तरह के अनिरीक्षित वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारे विचार में तथा बैंक द्वारा हमें दी गई सूचना तथा पुष्टि में ये वित्तीय विवरणियाँ / वित्तीय सूचना समूह हेतु महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और अधोलिखित अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, और किए गए कार्यों पर निर्भरता तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण / बैंक द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है ।

अन्य विधिक व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

8 i) समेकित तुलन–पत्र एवं समेकित लाभ व हानि लेखा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तीसरे अनुसूची के क्रमशः प्रपत्र 'क' व 'ख' में उपलब्ध कराया गया है ।

ii) हमारी राय में, समूह का समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है ।

कृते जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 110266डब्ल्यू	**कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 307092ई
जे सिंह साझेदार सदस्यता संख्या 042023	**एस आर अनंतकृष्णन** साझेदार सदस्यता संख्या 018073
कृते दगलिया एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं :000671एस	**कृते कोमंडूर एण्ड कं. एलएलपी** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं : 001420एस/ S200034
पी मोहन गुप्ता साझेदार सदस्यता संख्या 016444	**के मोहन आचार्या** साझेदार सदस्यता संख्या 029082

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30 मई, 2018

31st March, 2018 as considered in the consolidated financial statements, in respect of two (2) associates, whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements / financial information are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and joint venture, is based solely on such unaudited financial statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Bank, these financial statements / financial information are not material to the Group.

Our opinion above on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the Bank.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

8 i) The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in Form"A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

ii) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India .

For J SINGH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.110266W	**For J L SENGUPTA & Co.** CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.307092E
J SINGH PARTNER MEMBERSHIP NO.042023	**S R ANANTHAKRISHNAN** PARTNER MEMBERSHIP NO.018073
For M/S DAGLIYA & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.000671S	**For M/S KOMANDOOR & Co. LLP.** CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.001420S/S200034
P MANOHARA GUPTA PARTNER MEMBERSHIP NO.016444	**K MOHAN ACHARYA** PARTNER MEMBERSHIP NO.029082

Place : Bengaluru
Date : 30th May, 2018

यथा दिनांक 31 मार्च 2018 को समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	अनुसूची Schedule	यथा दिनांक 31.03.2018 को (₹ '000 रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2017 को (₹ '000 रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	733 24 48	597 29 02
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	36164 44 69	34088 11 36
अल्पांश ब्याज / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	521 79 94	498 07 24
जमा / DEPOSITS	3	524846 98 24	495266 33 76
उधार / BORROWINGS	4	38909 49 64	39591 75 51
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	30259 49 98	26117 18 04
कुल / Total		**631435 46 97**	**596158 74 93**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22102 41 52	19924 48 73
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	28122 18 65	39042 88 92
निवेश / INVESTMENTS	8	157443 56 36	162072 91 95
अग्रिम / ADVANCES	9	382074 57 89	342320 14 17
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	8335 30 05	7184 99 65
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	33357 42 50	25613 31 51
कुल / Total		**631435 46 97**	**596158 74 93**
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	293830 66 75	432677 01 95
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		26782 07 90	27176 31 19

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक

एम स्वामीनाथन
सहा. महा प्रबंधक

पी विठोबा
सहा. महा प्रबंधक

वी रामचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन शिवशंकरन
महा प्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 110266डब्ल्यू
जे सिंह
साझेदार
सदस्य सं. 042023

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 307092ई
एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार
सदस्य सं. 018073

कृते
डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 000671एस
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं.001420एस/एस200034
के मोहन अचार्या
साझेदार
सदस्य सं.029082

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2018

यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

	अनुसूची Schedule	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2018 (₹ '000)	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित आय / INTEREST EARNED	13	41345 32 05	41456 65 51
अन्य आय / OTHER INCOME	14	7397 99 93	7852 25 92
कुल / Total		**48743 31 98**	**49308 91 43**
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	29112 90 11	31540 26 58
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	9837 80 79	8612 19 14
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		13879 93 20	7922 84 81
कुल / Total		**52830 64 10**	**48075 30 53**
सहयोगियों में आय की हिस्सेदारी SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	214 77 84	177 19 29
अल्पांश ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		(3872 54 28)	1410 80 19
घटाने पर: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		78 85 23	52 52 67
वर्ष के लिए समूह स्त्रोतजन्य समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		(3951 39 51)	1358 27 52
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE			281 00 00
पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE			777 00 00
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		-	-
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		-	-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES			300 27 52
कुल / Total		**(3951 39 51)**	**1358 27 52**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) (रुपये में) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		(65. 95)	24.98

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST.GENERAL MANAGER

P VITHOBA
ASST.GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
GENERAL MANAGER

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M V RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **M/S J SINGH & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.110266W

For **M/S J L SENGUPTA & Co.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.307092E

For **M/S DAGLIYA & Co.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.000671S

For **M/S KOMANDOOR & Co. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.001420S/S200034

J SINGH
PARTNER
MEMBERSHIP NO.042023

S R ANANTHAKRISHNAN
PARTNER
MEMBERSHIP NO.018073

P MANOHARA GUPTA
PARTNER
MEMBERSHIP NO.016444

K MOHAN ACHARYA
PARTNER
MEMBERSHIP NO.029082

Place : Bengaluru
Date : 30.05.2018

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को ('000 रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2017 को ('000 रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 1 – पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(10 रुपये प्रति शेयर के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) केद्र सरकार द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 39,59,90,159 ईक्विटी शेयर i) 53,19,44,775 Equity Shares of ₹10/- each. Previous year 39,59,90,159 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	531 94 48	395 99 02
ii) अन्यों द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर ii) 20,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 20,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	201 30 00	201 30 00
	733 24 48	**597 29 02**
अनुसूची 2 –आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves	8314 06 00	8314 06 00
II. पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves	2255 67 07	2255 67 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation	2 79 18	2 79 18
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	11598 40 18	6869 35 64
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	181 73 48	116 25 71
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	6524 72 80	5373 14 97
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	565 80 00	565 80 00
VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4000 00 00	4000 00 00
IX. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves	2721 25 98	6591 02 79
कुल / Total	**36164 44 69**	**34088 11 36**
अनुसूची 2ए – अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल–अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज Minority Interest at the date on which the parent - Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	411 64 82	387 92 12
कुल / Total	**521 79 94**	**498 07 24**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को ('००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2017 को ('००० रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. A. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	267 03 87	201 45 56
ii. अन्यों से / FROM OTHERS	24731 51 41	22360 27 79
कुल / Total	**24998 55 28**	**22561 73 35**
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	142054 64 07	127170 02 95
कुल / Total	**142054 64 07**	**127170 02 95**
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	34856 28 93	33205 65 56
ii. अन्यों से / FROM OTHERS	322937 49 96	312328 91 90
कुल / Total	**357793 78 89**	**345534 57 46**
कुल / TOTAL	**524846 98 24**	**495266 33 76**
ख. B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	485901 04 68	454528 93 86
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	38945 93 56	40737 39 90
कुल / Total	**524846 98 24**	**495266 33 76**
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	11873 00 00	700 00 00
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	176 46 94	11204 77 74
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	277 11 25	2147 84 54
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	13314 60 00	14014 60 00
कुल / Total	**25641 18 19**	**28067 22 28**
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	13268 31 45	11524 53 23
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)		
कुल / Total	**13268 31 45**	**11524 53 23**
कुल / TOTAL	**38909 49 64**	**39591 75 51**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को ('000 रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2017 को ('000 रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1295 32 91	1355 70 48
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	1871 88 23	940 69 16
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2016 84 98	1878 98 66
IV. आस्थगित कर देयताएं / DEFERRED TAX LIABILITY		
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	25075 43 86	21941 79 74
कुल / Total	**30259 49 98**	**26117 18 04**
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष		
SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND		
(विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	2651 53 78	1848 38 26
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	19450 87 74	18076 10 47
कुल / Total	**19450 87 74**	**18076 10 47**
कुल / TOTAL	**22102 41 52**	**19924 48 73**
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
ए. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	235 35 85	169 55 19
बी. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	25 92 63	24 02 18
कुल / Total	**261 28 48**	**193 57 37**
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए. बैंकों में / a. WITH BANKS	200 00 00	-
बी. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	1000 00 00	-
कुल / Total	**1200 00 00**	
कुल / TOTAL	**1461 28 48**	**193 57 37**
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	4799 66 90	6529 16 88
ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS	17247 60 48	25899 09 40
iii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	4613 62 79	6421 05 27
कुल / Total	**26660 90 17**	**38849 31 55**
कुल / TOTAL	**28122 18 65**	**39042 88 92**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

		यथा दिनांक 31.03.2018 को ('000 रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2017 को ('000 रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**			
I.	भारत में निवेश: सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	158456 85 14	161520 76 14
	घटाने पर: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	2355 69 31	492 95 07
	भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	**156101 15 83**	**161027 81 07**
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	130733 14 17	138711 85 63
ii.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	762 65 77	428 32 73
iii.	शेयर SHARES	7555 76 14	6641 78 67
iv.	डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	12021 96 31	8598 91 80
v.	सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	1182 44 29	1007 45 86
vi.	अन्य (एमफ, वीसीएफ, सीडी, सीपी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	3845 19 15	5639 46 38
	कुल / Total	**156101 15 83**	**161027 81 07**
II.	भारत के बाहर निवेश– सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	**1358 94 93**	1048 16 00
	घटाने पर: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	**16 54 40**	3 05 12
	भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	**1342 40 53**	1045 10 88
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	**409 38 63**	317 06 67
ii.	अन्य (बॉण्ड आदि) OTHERS (BONDS ETC.)	**933 01 90**	728 04 21
	कुल / Total	**1342 40 53**	**1045 10 88**
	कुल / TOTAL	**157443 56 36**	**162072 91 95**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को ('००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2017 को ('००० रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / **SCHEDULE 9 - ADVANCES**		
ए. A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	16369 25 77	15501 26 23
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	163487 67 06	140774 31 41
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	202217 65 06	186044 56 53
कुल / **Total**	**382074 57 89**	**342320 14 17**
बी. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के एवज में अग्रिम सहित) / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	305981 11 09	275149 51 64
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	12076 67 39	13031 72 99
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	64016 79 41	54138 89 54
कुल / **Total**	**382074 57 89**	**342320 14 17**
सी. C. I. भारत में अग्रिम / **ADVANCES IN INDIA**		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	157880 94 20	136718 80 28
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	18181 20 76	12034 69 38
iii. बैंक / BANKS	1454 45 54	21 87 37
iv. अन्य / OTHERS	175252 29 65	166403 29 12
कुल / **Total**	**352768 90 15**	**315178 66 15**
II. भारत से बाहर अग्रिम / **ADVANCES OUTSIDE INDIA**		
i. बैंकों से देय / Due from Banks		35 97 62
ii. अन्य से देय / Due from Others		
(ए) खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	9584 08 43	8232 93 14
(बी) मीयादी और समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	6033 65 58	7547 83 13
ग. अन्य / c . OTHERS	13687 93 73	11324 74 13
कुल / **Total**	**29305 67 74**	**27141 48 02**
कुल / **TOTAL**	**382074 57 89**	**342320 14 17**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को ('000 रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2017 को ('000 रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर / मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6759 31 65		6681 11 62	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	5 22 32		87 69 85	
	6764 53 97		6768 81 47	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR	1272 43 02			
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	9 16		9 49 82	
	8036 87 83		6759 31 65	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	839 76 71	7197 11 12	709 16 76	6050 14 89
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3663 07 55		3461 21 95	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	335 32 74		315 66 80	
	3998 40 29		3776 88 75	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	55 35 77		113 81 20	
	3943 04 52		3663 07 55	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	2809 29 04	1133 75 48	2532 43 06	1130 64 49
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	90 91 12		93 34 95	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1 08 12		63 31	
	91 99 24		93 98 26	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	11 80 96		3 07 14	
	80 18 28		90 91 12	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	74 32 59		84 80 06	
	5 85 69		6 11 06	
घटाने पर: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	1 42 24	4 43 45	1 90 79	4 20 27
IV. प्रवर्तमान पूंजी / CAPITAL WORK IN PROGRESS				
कुल / Total		**8335 30 05**		**7184 99 65**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को ('००० रुपये) As at 31.03.2018 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2017 को ('००० रुपये) As at 31.03.2017 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		4832 48 12		4534 42 07
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		7313 47 77		6394 04 84
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS		2 54 15		12 47 94
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		13 45 59		32 13
V. अन्य / OTHERS		15376 43 92		13449 01 04
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS		5819 02 95		1223 03 49
कुल / **Total**		**33357 42 50**		**25613 31 51**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		7893 31 22		9809 83 34
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		75 06		36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		219287 58 69		354452 23 49
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
ए. भारत में / a. IN INDIA	39689 73 28		40164 95 12	
बी. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	198 66 33		137 01 60	
		39888 39 61		40301 96 72
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		24853 90 47		26421 39 73
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
ए. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-		--	
बी. अन्य / b. OTHERS	1906 71 70		1691 22 67	
		1906 71 70		1691 22 67
कुल / **Total**		**293830 66 75**		**432677 01 95**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

	यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु ('००० रुपये) For the Year ended 31.03.2018 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु ('००० रुपये) For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		29101 56 03		29573 97 76
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS		10484 73 11		10772 70 39
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		653 83 68		779 60 53
IV. अन्य / OTHERS		1105 19 23		330 36 83
कुल / **Total**		**41345 32 05**		**41456 65 51**
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1087 46 20		1274 29 41
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	1934 17 82		3028 72 86	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS		1934 17 82	37 99 02	2990 73 84
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS			35 96 72	(35 96 72)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	11		1 32 64	
घटाने पर : हानि / LESS : LOSS	4 53 01	(4 52 90)	-	1 32 64
V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	538 87 26		972 24 73	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS		538 87 26	17 47	972 07 26
VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		49 52 78		57 53 05
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		3792 48 77		2592 26 44
कुल / **Total**		**7397 99 93**		**7852 25 92**
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		27136 51 34		29557 77 18
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		724 56 91		587 73 51
III. अन्य / OTHERS		1251 81 86		1394 75 89
कुल / **Total**		**29112 90 11**		**31540 26 58**

यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

		यथा दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2018 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)	
	अनुसूची 16– परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES				
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES		5699 34 97		4962 78 76
II.	किराया, कर, रोशनी / RENT, TAXES, LIGHTING		951 22 41		854 88 57
III.	मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY		60 78 47		57 89 04
IV.	विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		61 97 37		42 09 40
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY		456 32 62		331 19 11
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES		82 56		1 42 55
VII.	लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क न व्यय सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)		78 85 24		63 10 10
VIII	विधि प्रभार / LAW CHARGES		64 01 28		51 29 71
IX.	डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC		52 38 73		53 97 40
X.	मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE		286 75 18		240 30 60
XI.	बीमा / INSURANCE		445 58 43		432 00 89
XII.	अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE		1679 73 53		1521 23 01
	कुल / Total		**9837 80 79**		**8612 19 14**
	अनुसूची 17 – सहभागियों में (हानि) /आय की हिस्सेदारी SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES				
I.	केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD		90 53 23		70 57 76
II.	कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD		--		--
III.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS				
	ए. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK	75 91 83		70 58 76	
	बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	48 32 78	124 24 61	36 02 77	106 61 53
	कुल / Total		**214 77 84**		**177 19 29**

अनुसूची – 18

यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

[1] (क) समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार

बैंक (प्रधान), इनके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) को ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन की राशि को प्रभावित करने के संबंध में वित्तीय विवरणी के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है । प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण है । तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं । लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी गई है।

[2] समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (8 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखित के आधार पर की गई :

(क) केनरा बैंक (प्रधान) के लेखापरीक्षित लेखा

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरुप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

[1] (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Eight (8) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(ग) सहबद्ध संस्थाओं में किए गए दीर्घावधि निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक–23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है । सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरणी में अलग से दर्शाया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम के ब्याज मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है ।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल इक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है ।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के इक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई ।

[3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन :

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है । विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुन: वर्णित किया गया है । पुन: वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ–हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है ।

3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे लेन–देनों तथा शेष राशि को बैंक (प्रधान) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

3.3 परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर–मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में (फेडाई) द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है । विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है ।

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा ।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं :

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है । वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होने वाले लाभ / हानि, यदि है तो, निरसन तारीख पर मान्यता दी गई । वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई ।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडाई दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है ।

निवेशों को तुलन–पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ में निवेश और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

(क) प्रतिभूतियों की खरीद के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

(ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है ।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एच टी एम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है । अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है ।

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

(a) Held to Maturity (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

अनुषंगियों में निवेश को ईक्विटी विधि के तहत मूल्यांकित किया जाता है । मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णत: प्रावधान किया जाता है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत पर मुल्यांकित किया जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है ।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है । कोट नही की गई प्रतिभूतियो को भी भा.रि.बैं के दिशा निर्देशानुसार मूल्याँकित किया है ।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है । प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को [उक्त पैरा 4.3(क) का संदर्भ लें] वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है । यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है ।

(ग) व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्याँकित किया जाता है ।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया । प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन "बाज़ार के लिए अंकित" किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

(b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer para 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

(c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after "marked to market".

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है :

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापारके लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है । एचटीएम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है ।

(ख) एएफएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है ।

(ग) एएफएस से एचटीएम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है । उपचित मूल्यह्रास, यदि कोई है तो, एचएफटी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यह्रास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है ।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है । बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है :

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तद्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है ।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है ।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाया जाता है । ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है ।

4.7 **निवेशों की बिक्री पर लाभ**

बिक्री के लिए उपलब्ध तथा व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है ।

परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt or the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Non-Performing Investments Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Deprecation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of 'Held to Maturity' category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is

निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है ।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है ।

4.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एलएएफ के साथ एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुनःखरीद / पुनर्बिक्री को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक (प्रधान) ब्याज दर अदला–बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है । बैंक (प्रधान) द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला–बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला–बदली और वायदा दर करार है । बैंक (प्रधान) द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला–बदली है ।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है ।

(ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं:

(i) बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं ।

(ii) प्रतिरक्षा अदला–बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया ।

[6] अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।

6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है ।

6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं ।

appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

(i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

(ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] Advances

6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.

6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं ।

6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं ।

6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन प्रथमत: प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है । वसूलियों को प्रथमत: मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है ।

6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्याँकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

[7] अचल परिसंपत्तियां

7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं । सभी अचल परिसंपत्तियों का पूंजीयन उसके उपयोग की तिथि के आधार पर किया जाता है ।

7.2 भूमि व परिसर को पुनर्मूल्यन लागत और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है।पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है । संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यह्रास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया जाएगा । पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से राजस्व आरक्षित निधियों को समतुल्य राशि हस्तांतरित की गई है ।

[8] मूल्यह्रास

8.1 प्रधान:

8.1.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोज्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली के तहत मूल्यह्रास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है ।

8.1.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरण कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है ।

6.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

6.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-Performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.

6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.

[7] Fixed Assets

7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.

7.2. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[8] Depreciation

8.1 Parent:

8.1.1 Fixed Assets are depreciated under Straight line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.

8.1.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

8.1.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है ।

8.1.4 पट्टदाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टदाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है ।

8.1.5 विदेशी कार्यालयों में आयोजित स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के नियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

8.2 अनुषंगियां:

(क) घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर किया गया।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यह्रास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोज्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यह्रासित किया गया है ।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी कार्यालयों में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास संबंधित देश के विनियमन / मानदंडों के अनुसार किया गया है।

[9] आस्तियों की हानि:

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है । यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है ।

[10] राजस्व मान्यता:

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है ।

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दी गई है ।

8.1.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

8.1.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

8.1.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

8.2 Subsidiaries:

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

[9] Impairment of Assets:

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] Revenue Recognition:

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.

(ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर की गई है ।

(ग) लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाएगा ।

(घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी ।

[11] **जीवन बीमा कंपनी:**

(क) **प्रीमियम:**

पॉलिसी धारकों से वसूली की तार्किक निश्चितता है तो, देय प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है । इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दी गई है । व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दी गई है । प्रीमियम को जीएसटी / सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दी गई है । टॉप–अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है ।

(ख) **संबद्ध कारोबार से आय:**

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार। पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दी गई है ।

(ग) **पुनर्बीमा प्रीमियम:**

पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान का लेखांकन पुन: बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है ।

(घ) **प्रदत्त लाभ (दावे सहित):**

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है । मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है ।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों का लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर किए जाते है ।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण (प्रभार का निवल) का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द

(b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

(c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

(d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] **Life Insurance Company:**

(a) **Premium:**

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of GST / service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) **Income from Linked Business:**

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) **Reinsurance Premium:**

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) **Benefits paid (including claims):**

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for

होने पर किया जाता है । परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर की जाती है ।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है ।

बीमित प्रस्तावक की मृत्यु उपरांत यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक की मृत्यु पर लाभ भुगतान के अंतर्गत देनदारी के रूप में कुल आगामी प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तो उक्त प्रीमियम के उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्त पोषित किया जाता है और प्रीमियम आय समान रूप से मान्य होती है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली का लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है ।

(ङ) **अधिग्रहण लागत :**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है । प्रथम वर्ष में भुगतान किए गये कमीशन की वसूली की वापसी यदि कोई हो तो, भविष्य में उसका लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें उसकी वसूली देय होती है ।

च) **जीवन बीमा की देयताएं:**

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के आस्तियां, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा इरडा द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, समय–समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकिक

when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(e) **Acquisition Costs:**

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) **Liability for Life Policies:**

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant

संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बीमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है ।

[12] **कर्मचारी हितलाभ:**

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं :** परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है तथा लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:**

(i) **उपदान:** कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (प्रधान) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है । उपदान के तहत बैंक (प्रधान) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है ।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (प्रधान) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है । पेंशन के तहत बैंक (प्रधान) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है ।

(ग) विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याँकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है ।

[13] **कराधान के लिए प्रावधान:**

(क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है ।

(ख) समय–अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की

Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

[12] **Employee Benefits:**

(a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

(b) **Defined Benefit Plans:**

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] **Provision for Taxation:**

(a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

(b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are

अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है ।

(ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी ।

[14] **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:**

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दी गई, केवल जब :

(i) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई बाध्यता हो

(ii) उस बाध्यता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो, और

(iii) जब बाध्यता राशि के उचित परिकलन किए जा सकते हो ।

(ख) निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया:

(i) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (प्रधान) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी ।

(ii) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा

(iii) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलिखित किया गया है । इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्से जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर

capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.

(c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

[14] **Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets:**

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:

(i) It has a present obligation as a result of past event.

(ii) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

(iii) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for:

(i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).

(ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or

(iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources

प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है । जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

(ग) आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है ।

[15] निवल लाभ:

लाभ–हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है :

क) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

ख) कराधान के लिए प्रावधान

ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान

घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान

च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदें

[16] प्रति शेयर अर्जन:

बैंक (प्रधान), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है । प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर किया जाता है ।

embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] Net Profit:

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

(a) Provision for Depreciation on Investments

(b) Provision for Taxation

(c) Provision on Loan Losses

(d) Provision on Standard Assets

(e) Provision for Non-Performing Investments

(f) Other usual & necessary items

[16] Earnings Per Share:

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

अनुसूची – 19

यथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है । अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणी को, यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किया गया है।

1.1 **अनुषंगियाँ:**

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित / गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमिति देश	लेखापरीक्षित/ गैर– लेखापरीक्षित	यथा 31.03.2018 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2017 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)
1.	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
2.	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
3.	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	गैर– लेखापरीक्षित	70.00%	70.00%
4.	केनरा रोबैको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
5.	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	भारत	लेखापरीक्षित	69.14%	69.14%
6.	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पूर्व में जीआईएलटी सेक्यूरिटीज टेडिंग कॉर्पोरेशन लि.)	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
7.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
8.	केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.	तंजानिया	गैर– लेखापरीक्षित	100%	100%

SCHEDULE – 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2018.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited/Unaudited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Audited / Unaudited	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2018	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2017
1.	Canbank Financial Services Ltd.	India	Audited	100.00%	100.00%
2.	Canbank Venture Capital Fund Ltd.	India	Audited	100.00%	100.00%
3.	Canbank Factors Ltd.	India	Unaudited	70.00%	70.00%
4.	Canara Robecco Asset Management Company Ltd.	India	Audited	51.00%	51.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd.	India	Audited	69.14%	69.14%
6.	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.)	India	Audited	100.00%	100.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.	India	Audited	51.00%	51.00%
8.	Canara Bank (Tanzania) Ltd.	Tanzania	Unaudited	100%	100%

1.2. **सहयोगी संस्थाएं:**

I. निम्न सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन के उद्देश्य हेतु विचारार्थ लिया गया है:

क्रमांक	सहयोगी संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	निगमिति देश यथा 31.03.2018 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2017 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	भारत	30.00%	30.00%
2	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति ग्रामीण बैंक)	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक)	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

I. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2018	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2017
1.	Canfin Homes Ltd.	India	30.00%	30.00%
2.	Pragathi Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	India	35.00%	35.00%

II. कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहयोगी संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक की 30% धारिता है, इसकी वित्तीय विवरणी दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए विचार नहीं किया गया है। यथा 31.03.2016 को उपलब्ध अंतिम वित्तीय विवरणियों के अनुसार सहयोगी संस्थाओं की अपर्याप्त वित्तीय विवरणी पर विचार करते हुए, समेकित वित्तीय विवरणी में इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से कोई प्रभाव नहीं होगा।

1.3 **संयुक्त उद्यम:**

क. रूस में निगमित कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को) संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

II. Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2016. Considering the unsubstantial financials of the Associate as per the last available financial statements as at 31.03.2016, there is no material impact of non-inclusion of its Financials in the Consolidated Financial Statements.

1.3 Joint Venture:

a. In respect of Commercial Indo Bank LLC, Moscow, (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow) the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on unaudited accounts for the year ended 31st March, 2018. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक– 27 संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:–

क. तुलन पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	95.59	95.11
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(2.25)	12.60
जमा	68.45	32.45
उधार	160.10	146.69
अन्य देयताएं व प्रावधान	6.51	1.10
कुल	**328.40**	**287.95**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.79	0.62
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन	129.77	53.63
निवेश	150.09	187.43
अग्रिम	47.07	50.91
अचल आस्तियाँ	0.07	0.07
अन्य आस्तियाँ	0.61	(4.71)
कुल	**328.40**	**287.95**
आकस्मिक देयताएं	8.56	18.01

ख. लाभ और हानि खाता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
आय		
अर्जित ब्याज	17.60	16.84
अन्य आय	2.11	3.43
कुल	**19.71**	**20.27**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	4.09	3.52
परिचालन व्यय	4.27	3.20
प्रावधान और आकास्मिक व्यय	25.30	(0.70)
कुल	**33.66**	**6.02**
लाभ	**(13.95)**	**14.25**

b. As required by Accounting Standard (AS) - 27 - “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent’s share in the said Joint Venture is as under:

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Capital & Liabilities		
Capital	95.59	95.11
Reserve & Surplus	(2.25)	12.60
Deposits	68.45	32.45
Borrowings	160.10	146.69
Other Liabilities and Provisions	6.51	1.10
TOTAL	**328.40**	**287.95**
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.79	0.62
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	129.77	53.63
Investments	150.09	187.43
Advances	47.07	50.91
Fixed Assets	0.07	0.07
Other Assets	0.61	(4.71)
TOTAL	**328.40**	**287.95**
Contingent Liabilities	8.56	18.01

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Income		
Interest Earned	17.60	16.84
Other Income	2.11	3.43
TOTAL	**19.71**	**20.27**
Expenditure		
Interest Expended	4.09	3.52
Operating Expenses	4.27	3.20
Provision and Contingencies	25.30	(0.70)
TOTAL	**33.66**	**6.02**
PROFIT	**(13.95)**	**14.25**

2. अनुषंगियाँ, सहयोगी संस्था व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व पद्धति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जो संबंधित उद्योग / कारोबारी / देशीय आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं । प्रबंधन की राय है, चूँकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिएं समेकित वित्तीय विवरणी में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियां / (साख) की अलग विवरणी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2018	31.03.2017
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियां	**2.79**	**2.79**

4. **अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण:**

अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा किये गये प्रधान बैंक के अंतर शाखा / कार्यालय संव्यवहारों के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग किया गया है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. **स्थिर आस्तियाँ**

परिसर में ₹40.07 करोड़ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष ₹39.71 करोड़) कुछ संपत्तियां शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है ।

6. **केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिन):**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिन) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीयन कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिन की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2018	31.03.2017
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	**2.79**	**2.79**

4. **Inter Branch transactions and confirmation of balances:**

The matching and setting of entries under Inter-Branch/office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. **Fixed Assets:**

Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹40.07 Crore (Previous year ₹39.71 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

6. **Canbank Financial Services Limited (CANFINA):**

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of three years i.e up to January 31, 2020 to dispose

समय को तीन वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है । उक्त अवधि के दौरान कंपनी कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का क्रियाकलाप नहीं करने की शर्तों के अधीन विस्तारण अवधि को बढ़ाया गया है। तथापि, 31.01.2020 तक अनुमत किए गए विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिन के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

7. इक्विटी शेयर पूंजी का नया निर्गमन:

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान मूल बैंक ने यथा 27.03.2018 को वरीयता के आधार पर ₹4865 करोड़ के कुल प्रतिफल हेतु ₹347.84/– प्रति इक्विटी के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/– के अंकित मूल्य के 13,59,54,616 इक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी तथा आबंटित किए हैं।

8 संबद्ध पार्टी का प्रकटन :

8.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध–प्रधान – केनरा बैंक

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक:

i) श्री राकेश शर्मा,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ii) श्री हरिदीश कुमार बी,
कार्यपालक निदेशक (31.05.2017 तक)

iii) श्री दीनबन्धु महापात्र,
कार्यपालक निदेशक (05.05.2017 तक)

iv) श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक

v) श्री एम वी राव,
कार्यपालक निदेशक (09.10.2017 से)

vi) श्री देबाशीष मुखर्जी,
कार्यपालक निदेशक (19.02.2018 से)

8.1.2 प्रधान:

i) केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ:

1. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड
2. केनबैंक वेंचर कैपीटल फण्ड लिमिटेड
3. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
4. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
5. केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
6. केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
7. केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
8. केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड

off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. However, considering the extension permitted upto 31.01.2020, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the financial year 2017-18,the Parent Bank has issued and allotted 13,59,54,616 Equity shares to Government of India of face value of ₹10/- each at a premium of ₹347.84/- per equity share for a total consideration of ₹4865 Crores on preferential basis on 27.03.2018.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

8.1.1 Key Management Personnel:

i) Shri Rakesh Sharma,
Managing Director & Chief Executive Officer

ii) Shri Harideesh Kumar B,
Executive Director (Till 31.05.2017)

iii) Shri Dinabandhu Mohapatra,
Executive Director (Till 05.05.2017)

iv) Smt P V Bharathi, Executive Director

v) Shri M V Rao, Executive Director
(From 09.10.2017)

vi) Shri Debashish Mukherjee,
Executive Director (From 19.02.2018)

8.1.2 Parent:

i) Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries:

1 Canbank Financial Services Ltd.
2 Canbank Venture Capital Fund Ltd.
3 Canbank Factors Ltd.
4 Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
5 Canbank Computer Services Ltd.
6 Canara Bank Securities Ltd.
(formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
7 Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
8 Canara Bank (Tanzania) Ltd

8.1.4 **संयुक्त उद्यम:**

i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को)

8.1.5 **सहयोगी संस्थाएं:**

1 केनफिन होम्स लिमिटेड

2 कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1 प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक
(तत्कालीन प्रगति ग्रामीण बैंक)

2 केरल ग्रामीण बैंक
(तत्कालीन साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)

8.1.6 **मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत है:**

i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक: ₹0.83 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.99 करोड़)

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8.1.4 **Joint Ventures:**

i) Commercial Indo Bank LLC. Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC. Moscow

8.1.5 **Associates:**

1 Canfin Homes Ltd.

2 Commonwealth Trust (India) Ltd.

Regional Rural Banks sponsored by the Bank

1 Pragati Krishna Gramin Bank
(Erstwhile Pragati Gramin Bank)

2 Kerala Gramin Bank
(Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

8.1.6 **Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:**

i) Remuneration to Key Management Personnel ₹ 0.83 Crore (Previous Year: ₹ 0.99 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

9. प्रति शेयर अर्जन :

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2017-2018	2016-2017
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	(65.95)	24.98

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन :

	विवरण	2017-18	2016-17
क	ईक्विटी शेयरधारकों हेतु आरोप्य वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (₹ करोड़ में)	(3951.39)	1358.28
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	59.92	54.37
ग	यथा 31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़ में)	73.32	59.73
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	(65.95)	24.98
ङ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share

Particulars	2017-2018	2016-2017
Basic and Diluted EPS (₹)	(65.95)	24.98

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2017-18	2016-17
A	Net Profit / (Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹in Crore)	(3951.39)	1358.28
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	59.92	54.37
C	No. of Shares outstanding as on 31st March (Crore)	73.32	59.73
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(65.95)	24.98
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं :

यथा 31.03.2018 को निवल आस्थगित कर देयता ₹5819.03 करोड़ थी (यथा 31.03.2017 को ₹1223.03 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं : (₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं				828.37
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	373.20	338.65		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास			23.22	19.24
निवेश पर मूल्यह्रास			1705.10	1705.10
वायदा संविदा पर अप्राप्य लाभ				145.47
अग्रिम के लिए प्रावधान	8289.62	4909.42		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष अरक्षित निधियों पर डीटीएल			1384.32	1384.32
अन्य	269.89	57.46	1.03	
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	**8933.37**	**5305.53**	**3114.34**	**4082.50**

10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Deferred Tax Assets computed as on 31.03.2018 amounted to ₹5819.03 Crore (₹1223.03 Crore as on 31.03.2017). The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Interest accrued but not due on securities				828.37
Leave Encashment / Gratuity	373.20	338.65		
Depreciation on Fixed Assets			23.22	19.24
Depreciation on Investments			1705.10	1705.10
Unrealised gain on Forward contracts				145.47
Provision made for advances	8289.62	4909.42		
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act,1961			1384.32	1384.32
Others	269.89	57.46	1.03	
Deferred Tax Asset / Liability	**8933.37**	**5305.53**	**3114.34**	**4082.50**

11. वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधानों व आकस्मिकताओं का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
निवेश व एन पी आई में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1891.81	161.04
एन पी ए के प्रति प्रावधान	14948.28	7576.27
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	4.59	26.32
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(2320.62)	512.67
उचित मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	(516.36)	(360.00)
आस्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	7.07	35.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	(20.72)	13.00
अन्य आकस्मिकताएं तथा प्रावधान – निवल	(114.12)	(41.45)
कुल	**13879.93**	**7922.85**

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Depreciation on Investment and NPI	1891.81	161.04
Provision towards NPA	14948.28	7576.27
Provision towards Standard Asset	4.59	26.32
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	(2320.62)	512.67
Provision for Diminution in Fair Value	(516.36)	(360.00)
Provision for assets doubtful of recovery	7.07	35.00
Provision for Country Risk Exposure	(20.72)	13.00
Other Provision and Contingencies - Net	(114.12)	(41.45)
TOTAL	**13879.93**	**7922.85**

12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग:

भाग क – कारोबार खण्ड (₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2018	31.03.2017
(1)	**खण्ड राजस्व**		
क	राजकोषीय परिचालन	12876.12	14427.03
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	17782.12	16387.47
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	16480.64	17984.63
घ	गैर आबंटित	1604.44	509.79
	कुल	**48743.32**	**49308.92**
	घटायें : अतंर खंड राजस्व	0.00	0.00
	परिचालन से आय	**48743.32**	**49308.92**
(2)	**खण्ड परिणाम**		
क	राजकोषीय परिचालन	4009.59	4197.48
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3561.81	2111.83
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	920.78	2461.72
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	**8492.18**	8771.03
ङ	गैर–आबंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिकताओं सहित)	(14900.12)	(7024.75)
	कर से पहले कुल लाभ	**(6407.94)**	**1746.28**
	आय कर	(2320.62)	512.67
	निवल लाभ	**(4087.32)**	**1233.61**
	जोड़ें : सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	214.78	177.19
	घटाएं : अल्पसंख्यक हित (निवल हानि)	78.85	52.52
	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)	**(3951.39)**	**1358.28**
	खंड आस्तियां		
	कोष परिचालन	161990.29	176462.61
	खुदरा बैंकिंग परिचालन	178009.24	163912.84
	थोक बैंकिंग परिचालन	240866.78	218227.64
	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	गैर–आबंटित आस्तियां	50569.16	37555.66
	कुल आस्तियां	**631435.47**	**596158.75**
	खंड देयता		
	कोष परिचालन	151133.43	173694.98
	खुदरा बैंकिंग परिचालन	159268.33	147424.47
	थोक बैंकिंग परिचालन	240011.28	202173.02
	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	गैर–आबंटित देयताएं	44124.74	38180.88
	कुल देयता	**594537.78**	**561473.35**
(3)	**नियोजित पूंजी**		
क	राजकोषीय परिचालन	10856.86	2767.63
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	18740.91	16488.37
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	855.50	16054.63
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	6444.42	(625.23)
	कुल	**36897.69**	**34685.40**

12. Consolidated Segment Reporting:

Part A-Business Segment (₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2018	31.03.2017
(1)	**Segment Revenue**		
A	Treasury Operations	12876.12	14427.03
B	Retail Banking Operations	17782.12	16387.47
C	Wholesale Banking Operations	16480.64	17984.63
D	Unallocated	1604.44	509.79
	Total	**48743.32**	**49308.92**
	Less: Inter segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	**48743.32**	**49308.92**
(2)	**Segment Results**		
A	Treasury Operations	4009.59	4197.48
B	Retail Banking Operations	3561.81	2111.83
C	Wholesale Banking Operations	920.78	2461.72
D	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	**8492.18**	8771.03
E	Unallocated income/ expenses(including provisions and contingencies)	(14900.12)	(7024.75)
	Total profit before tax	**(6407.94)**	**1746.28**
	Income Tax	(2320.62)	512.67
	Net Profit	**(4087.32)**	**1233.61**
	Add: Share of earning in Associates	214.78	177.19
	Less: Minority Interest	78.85	52.52
	Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the Group	**(3951.39)**	**1358.28**
	Segment Assets		
	Treasury Operations	161990.29	176462.61
	Retail Banking Operations	178009.24	163912.84
	Wholesale Banking Operations	240866.78	218227.64
	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Unallocated Assets	50569.16	37555.66
	Total Assets	**631435.47**	**596158.75**
	Segment Liabilities		
	Treasury Operations	151133.43	173694.98
	Retail Banking Operations	159268.33	147424.47
	Wholesale Banking Operations	240011.28	202173.02
	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Unallocated Liabilities	44124.74	38180.88
	Total Liabilities	**594537.78**	**561473.35**
(3)	**Capital Employed**		
A	Treasury Operations	10856.86	2767.63
B	Retail Banking Operations	18740.91	16488.37
C	Wholesale Banking Operations	855.50	16054.63
D	Other Banking Operations	0.00	0.00
E	Unallocated	6444.42	(625.23)
	Total	**36897.69**	**34685.40**

भाग ख – भौगोलिक खण्ड:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2018	**31.03.2017**
क	**राजस्व**		
	घरेलू	47402.17	48243.46
	अंतर्राष्ट्रीय	1341.15	1065.46
	कुल	**48743.32**	**49308.92**
ख	**आस्तियां**		
	घरेलू	575008.21	535025.86
	अंतर्राष्ट्रीय	56427.26	61132.89
	कुल	**631435.47**	**596158.75**

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹36164.45 करोड़ है जिनमें से ₹34871.59 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के ₹1292.86 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹34088.11 करोड़ जिसमें से ₹33088.25 करोड़ मूल संस्था का तथा शेष ₹999.86 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के थे)

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	Particulars	Year ended	
		31.03.2018	**31.03.2017**
a	**Revenue**		
	Domestic	47402.17	48243.46
	International	1341.15	1065.46
	Total	**48743.32**	**49308.92**
b	**Assets**		
	Domestic	575008.21	535025.86
	International	56427.26	61132.89
	Total	**631435.47**	**596158.75**

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹36164.45 Crore of which ₹34871.59 Crore relate to the Parent and the balance ₹1292.86 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹34088.11 Crore of which ₹33088.25 Crore relate to the Parent and the balance ₹999.86 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

14. मूल संस्था और अनुषंगियों की प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना की समेकित वित्तीय विवरणी पर सच्ची एवं निष्पक्ष राय की कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है ।

15. लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि:

वर्ष के समापन पर आस्तियों के हानि की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह वारंट करते हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली–योग्य नहीं है । धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली–योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा मापा जाना है । यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली–योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और मापा जाना है । यद्यपि, बैंक के प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 – "आस्तियों की हानि" लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है ।

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

16. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

16. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

अरविंद कुमार मंडल प्रबंधक	**एम स्वामीनाथन** सहा. महा प्रबंधक	**पी विठोबा** सहा. महा प्रबंधक	**वी रामाचन्द्रा** उप महा प्रबंधक	**एन शिवशंकरन** महा प्रबंधक
एन शिवशंकरन महा प्रबंधक	**एम वी राव** कार्यपालक निदेशक	**पी वी भारती** कार्यपालक निदेशक	**राकेश शर्मा** प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**टी एन मनोहरन** अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा निदेशक	**कृष्णमूर्ति एच** निदेशक	**वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं. 110266डब्ल्यू	कृते **जे एल सेनगुप्ता एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं. 307092ई	कृते **डागलिया एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं. 000671एस	कृते **कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार फर्म सं.001420एस/एस200034
जे सिंह साझेदार सदस्य सं. 042023	**एस आर अनंतकृष्णन** साझेदार सदस्य सं. 018073	**पी मनोहर गुप्ता** साझेदार सदस्य सं. 016444	**के मोहन अचार्या** साझेदार सदस्य सं.029082

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2018

ARVIND KUMAR DIVISIONAL MANAGER	**M SWAMINATHAN** ASST.GENERAL MANAGER	**P VITHOBA** ASST.GENERAL MANAGER	**V RAMACHANDRA** DEPUTY GENERAL MANAGER	**N SIVASANKARAN** GENERAL MANAGER
DEBASHISH MUKHERJEE EXECUTIVE DIRECTOR	**M V RAO** EXECUTIVE DIRECTOR	**P V BHARATHI** EXECUTIVE DIRECTOR	**RAKESH SHARMA** MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	**T N MANOHARAN** CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA DIRECTOR	**KRISHNAMURTHY H** DIRECTOR	**VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER** DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **J SINGH & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.110266W	For **J L SENGUPTA & Co.** CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.307092E	For **DAGLIYA & Co.** CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.000671S	For **KOMANDOOR & Co. LLP** CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.001420S/S200034
J SINGH PARTNER MEMBERSHIP NO.042023	**S R ANANTHAKRISHNAN** PARTNER MEMBERSHIP NO.018073	**P MANOHARA GUPTA** PARTNER MEMBERSHIP NO.016444	**K MOHAN ACHARYA** PARTNER MEMBERSHIP NO.029082

Place : Bengaluru
Date : 30.05.2018

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

		31 मार्च 2018 31.03.2018	31 मार्च 2017 31.03.2017
I. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
करों के बाद शुद्ध लाभ / Net profit after Taxes		-3,951.39	1,358.28
समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:			
कर के लिए प्रावधान / Provisions for Tax		-2,320.62	512.67
निवेश मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for Investment Depreciation		1,891.81	161.04
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets		14,948.28	7,576.27
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision for Standard Asset		4.59	26.32
आकस्मिक व्यय और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for Contingencies and Others		-644.13	-353.45
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets		456.33	331.19
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments		0.00	-35.97
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds		1,231.69	1,368.52
निवेश की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / loss on sale of Investments		-1,934.18	-2,990.74
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / loss on sale of Fixed Assets		4.53	-1.33
उप कुल / Sub total		**9,686.91**	**7,952.80**
समायोजन: / ADJUSTMENTS FOR:			
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits		29,580.64	15,517.40
ऋण में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings		17.74	12,259.70
निवेश में वृद्धि / (कमी) / (Increase) / Decrease in Investments		6,738.52	-6,616.22
अग्रिम में वृद्धि / (कमी) / (Increase) / Decrease in Advances		-39,754.44	-17,327.78
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (Increase) / Decrease in Other assets		-6,226.35	-1,593.14
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other liabilities and provisions		-9,669.17	-5,959.33
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest		23.73	48.84
कराधान से पहले परिचालन गतिविधि से नकद प्रवाह Cash flow from operating activity before taxation		**-9,602.42**	**4,282.27**
घटाएं : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: AdvanceTax paid		1,517.77	1,706.91
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(ए) (A)	**-11,120.19**	**2,575.36**
II. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
अनुषंगियों / सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश में वृद्धि / कमी (Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries/Associates/JVs		-174.98	39.81
अचल आस्तियों में वृद्धि / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets		-459.58	-380.61
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / कमी / Increase / (Decrease) in Other Reserve		81.62	-60.46
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(बी) (B)	**-552.94**	**-401.26**
III. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
शेयर पूंजी / Share Capital		135.95	54.30
शेयर प्रीमियम / Share Premium		4,729.05	1,069.69
गौण बॉण्ड में वृद्धि / कमी / Increase/Decrease in Subordinated Bonds		-700.00	368.64
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on Tier I and Tier II bonds		-1,231.69	-1,368.52
उस पर प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends paid including tax paid thereon		-68.44	0.00
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	(सी) (C)	**2,864.87**	**124.11**

IV विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह IV CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव आरक्षित निधियां / Reserves of Foreign currency fluctuation	65.48	-74.57
विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह (डी) **NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION (D)**	65.48	-74.57
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी + डी) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	**-8,742.78**	**2,223.63**
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	**58,967.38**	**56,743.75**
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	**50,224.60**	**58,967.38**

नोट / Notes:

शेष नकद, आरबीआई व अन्य बैंकों में शेष तथा मांग व लघु सूचना पर राशि सहित नकद व नकद तुल्य

Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद तुल्य के घटक / **Components of Cash & Cash Equivalents**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
आरबीआई में शेष व नकद / Cash & Balance with RBI	22 102.41	19 924.49
बैंकों में शेष तथा मांग व लघु सूचना पर राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	28 122.19	39 042.89
कुल / Total	**50 224.60**	**58 967.38**

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक

एम स्वामीनाथन
सहा. महा प्रबंधक

पी विठोबा
सहा. महा प्रबंधक

वी रामचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन शिवशंकरन
महा प्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 110266डब्ल्यू
जे सिंह
साझेदार
सदस्य सं. 042023

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 307092ई
एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार
सदस्य सं. 018073

कृते
डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 000671एस
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं.001420एस/एस200034
के मोहन अचार्या
साझेदार
सदस्य सं.029082

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2018

ARVIND KUMAR
DIVISIONAL MANAGER

M SWAMINATHAN
ASST.GENERAL MANAGER

P VITHOBA
ASST.GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SIVASANKARAN
GENERAL MANAGER

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

M V RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **J SINGH & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.110266W
J SINGH
PARTNER
MEMBERSHIP NO.042023

For **J L SENGUPTA & Co.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.307092E
S R ANANTHAKRISHNAN
PARTNER
MEMBERSHIP NO.018073

For **DAGLIYA & Co.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.000671S
P MANOHARA GUPTA
PARTNER
MEMBERSHIP NO.016444

For **KOMANDOOR & Co. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN.001420S/S200034
K MOHAN ACHARYA
PARTNER
MEMBERSHIP NO.029082

PLACE : BANGALORE
DATE : 30.05.2018

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

उपस्थिति पर्ची

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक - 26.07.2018

(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर दे दें)

दिनांक:		समय:	
स्थान:	बेंगलूरु		

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		डीपीआईडी सं	
		ग्राहक आईडी सं	
		(भौतिकृत हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

------------------------✂-- यहाँ से काटें --✂--------------------

केनरा बैंक Canara Bank

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

प्रवेश पास

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक - 26.07.2018

(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		डीपीआईडी सं	
		ग्राहक आईडी सं	
		(भौतिकृत हो तो)	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रोक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। **किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।**

------------------------✂-- यहाँ से काटें --✂--------------------

केनरा बैंक Canara Bank

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक - 26.07.2018

(मतदान पत्र / ओटीपी जारी कराने के लिए मतदान काउंटर पर प्रस्तुत करें)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		डीपीआईडी सं	
		ग्राहक आईडी सं	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

केनरा बैंक Canara Bank

(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BENGALURU - 560 002

ATTENDANCE SLIP
16th ANNUAL GENERAL MEETING – 26.07.2018

(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Time :	
Place:	Bengaluru		

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (if not dematerialised)		DPID No.	
		Client ID No.	
		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

------------------------✂-- Cut here ---✂--------------------

केनरा बैंक Canara Bank

Head Office, Bengaluru- 560 002
ENTRY PASS
ENTRY PASS – 16th AGM – 26.07.2018

(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)		DPID No.	
		Client ID No.	
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

------------------------✂-- Cut here ---✂--------------------

केनरा बैंक Canara Bank

Head Office, Bengaluru- 560 002

16th AGM – 26.07.2018

(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper/OTP)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)		DPID No.	
		Client ID No.	
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक – 26.07.2018

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम .... निवासी .... जिला .... राज्य .... केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती .... निवासी .... जिला .... राज्य ....को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती .... निवासी .... जिला .... राज्य .... को ज्ञानज्योति सभागृह, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु – 560001 में दिनांक 26 जुलाई, 2018, गुरुवार को पूर्वाह्न 10.15 बजे होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2018 .... माह के ....दिन को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो संख्या / ग्राहक आई डी: ....

शेयरों की सं. ....

कृपया ₹ 1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएं

....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता: ....

....

....

....

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि,
   क) एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
   ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
   ग) एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
2. यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
3. प्रतिनिधि फॉर्म,
   क) मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
   ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार 21 जुलाई, 2018 के समापन समय के पहले **केनरा बैंक, सचिवीय प्रभाग, प्रथम तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002** में जमा किया जाए।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक सृजित करना होगा।
5. कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फार्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत स्टाम्प न किया गया हो।
6. बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी।
7. यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हे तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
8. एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण आम सभा में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
9. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

केनरा बैंक Canara Bank

(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD, BENGALURU - 560 002

16th Annual General Meeting – 26.07.2018

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We...Resident of ....in the district of.................... in the State of .... being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt .... resident of...in the district of ....in the State of ....or failing him/her, Shri/Smt .... resident of .... in the district of .... in the State of .... as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Thursday, the 26th July, 2018 at 10.15 A.M.. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001 and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of 2018

Regd. Folio No./Client ID: ....

No. of Shares ....

....
Signature of Proxy

Name & Address:...

....

....

Please affix
₹1.00
Revenue Stamp

....
Signature of the first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, First Floor, Head Office 112, J C Road, Bengaluru – 560 002** not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 21st July, 2018.
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

टिप्पणियां/ Notes

टिप्पणियां/ Notes

दिनांक 18.06.2018 की वार्षिक सामान्य बैठक नोटिस का परिशिष्ट
Addendum to AGM Notice Dated 18-06-2018

वार्षिक सामान्य बैठक
गुरुवार दिनांक 26 जुलाई, 2018, बेंगलूरु

Annual General Meeting
Thursday, the 26th July, 2018, Bengaluru

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank
(A Government of India Undertaking)
Together We Can

सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी.रोड, बेंगलूरु - 560002

Secretarial Department
MD & CEO's Secretariat Head Office, 112, J.C. Road, Bengaluru - 560002
Email : hosecretarial@canarabank.com

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 112, जे. सी. रोड, बेंगलूर - 560002

16 वीं वार्षिक सामान्य बैठक सूचना दिनांक 18.06.2018 का परिशिष्ट

गुरुवार दिनांक 26 जुलाई , 2018 पूर्वाह्न 10:15 बजे ज्ञान ज्योति **ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560 001** में वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने हेतु दिनांक 18 जून , 2018 को जारी सूचना के उपरांत, बैंक के निदेशक मंडल (दिनांक 27.06.2018 को) द्वारा कार्यसूची में निम्नानुसार अतिरिक्त मद शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है

मद संख्या 3 - कर्मचारियों और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना

विचार किए जाने और उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

''**संकल्प लिया जाता है कि** बैंकिंग कंपनियों के प्रावधानों (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार (''अधिनियम''), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना'') और केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 (''विनियम''), समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई'') के अनुमोदन, सहमति, अनुमतिय और प्रतिबंध, यदि कोई हो, के तहत , भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी''), स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां भी लागू हो और / या इस संबंध में किसी भी अन्य प्राधिकारी की आवश्यकता हो और ऐसे नियमों, शर्तों और संशोधनों के तहत जो उनके द्वारा इस तरह के अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्धारित किए जा सकते हैं और जिसमें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमती दी जा सकती है और सेबी के प्रावधानों (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 तक संशोधित, आरबीआई, सेबी और अन्य सभी प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और समय-समय पर अन्य सभी लागू कानूनों के तहत अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण सेबी के प्रावधानों (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर)} तक संशोधित है, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा एक समान सूचीकरण करार किया गया है और किसी भी लागू स्वीकृति (अनुमति), अनुमति (एस) और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी स्तर पर मंजूरी, किसी भी शर्त और संशोधन (नों) के तहत ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए या लगाए जा सकते हैं, और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार की मंजूरी, अनुमति, सहमति और स्वीकृति दी जा सकती है, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे ''बोर्ड'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा तथा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, एक समिति शामिल होगी जो बोर्ड द्वारा गठित होगी या / गठन किया जा सकेगा) को भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहे कर्मचारियों को एकबार या कई चरणों में अनुदान, जारी करने और आवंटित करने के लिए सहमति प्रदान की जाती है, जिस अभिव्यक्ति में बोर्ड द्वारा तय बैंक के प्रबंध निदेशक और

केनरा बैंक Canara Bank

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
H.O., 112, J.C.ROAD, BENGALURU - 560002

Addendum to 16th AGM Notice Dated 18.06.2018

Subsequent to the issuance of the Notice dated 18th June, 2018 convening an AGM to be held on ***Thursday, the 26th July, 2018 at 10.15 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001,*** the Board of Directors of the Bank [on 27.06.2018] have approved inclusion of additional agenda item as under:

Item No.3 - Issue of Shares to Employees and Whole time Directors of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {SEBI (LODR)} as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (''कर्मचारी'') शामिल होंगे, तथा सभी उद्देश्यों के लिए सभी मामलों में ,कर्मचारी शेयर खरीद योजना (इसके बाद ''कैन बैंक-ईएसपीएस'' के रूप में संदर्भित) लाभांश भुगतान सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य श्रेणी के कुल 6,00,00,000 (छह करोड़) अंकित मूल्य के नए इक्विटी शेयर 10/- (केवल दस रुपये) प्रत्येक के लिए, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्णय लिए गए कीमत या कीमतों पर और इस तरह के नियमों और शर्तों पर लिया जा सकता है कि भारत सरकार का हिस्सा 51.00% से नीचे नहीं आता हो।

''**इसके अलावा संकल्प लिया जाता है कि,** बैंक द्वारा विनियम 15 में विनिर्दिष्ट सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 या किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन लेखा नीतियों का पालन करेगा ।''

''**इसके अलावा संकल्प लिया जाता** है कि ''कैनबैंक- ईएसपीएस'' के तहत जारी और आवंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के साथ समान लिस्टिंग करार के नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक के शेयर सूचीबद्ध करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता हैं''।

''**इसके अलावा यह संकल्प लिया जाता है** कि, बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' को कार्यान्वित करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और लागू करने तथा इसमें कोई संशोधन करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया गया है , समय-समय पर ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' के नियमों और शर्तों में परिवर्तन , भिन्नता , संशोधन, मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंडों में संशोधन सहित, ''निलंबन'', रद्द या , ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' को संशोधित या संशोधित करने के लिए बोर्ड अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को सुलझाने के लिए भी जो संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' के कार्यान्वयन और प्रस्तावित ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों को शेयरधारकों की अगली सहमति या अनुमोदन की मांग किए बिना या अन्यथा अंत में यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के अधिकारों के तहत स्पष्ट रूप से मंजूरी दे दी है।

''**इसके अलावा संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसा कोई बैंक अधिकारी बैंक द्वारा विनियम में विनिर्दिष्ट सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुरूप लागू अन्य लागू कानून, और नियमों के अनुपालन हेतु उपर्युक्त संकल्प को प्रभाव मे लाने हेतु बोर्ड को प्रदत्त अपने सभी शक्तियों के साथ साथ किसी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए अधिकृत करती है''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलुरु
तिथि: 28.06.2018

may be decided by the Board, aggregating up to 6,00,00,000 (Six crore) new equity shares of face value of Rs 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "CanBank-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "CanBank-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "CanBank-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "CanBank-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "CanBank-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "CanBank-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "CanBank-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : Bengaluru
Date : 28.06.2018

टिप्पणियाँ

1. **व्याख्यात्मक विवरणियाँ :**

बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला स्पष्टीकरण वक्तव्य यहां संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है ।

2. **ई-वोटिंग :**

बैंक शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने के लिए कारवी के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है । शेयरधारक निर्देशों के अनुरूप ई-वोटिंग नोटिस में उन्हें प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंसियल का उपयोग कर सकते हैं। दूरदराज क्षेत्र के लिए मतदान हेतु ई-वोटिंग पोर्टल 23 जुलाई 2018 सोमवार प्रात: 10.00 बजे से 25 जुलाई 2018 बुधवार शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा, (दोनों दिन मिलाकर)।

नोटिस की कार्यसूची मद सं. 3 का स्पष्टीकरणात्मक विवरण:

बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा उनमें अपनेपन की भावना बढ़ाने हेतु बैंक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के स्थायी कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों) को नए इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है । यह प्रस्ताव दीर्घावधि संसाधनों की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा और बेसल III आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को भी सुदृढ़ करेगा ।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 [सेबी (एसबीईबी)] के अनुपालनार्थ बैंक केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (''केनबैंक-ईएसपीएस'') नामक योजना तैयार कर रहा है । यह योजना बोर्ड की एक समिति द्वारा अभिशासित की जाएगी तथा लागू कानून के अनुपालन के अधीन होगी ।

वर्ष 2018-19 के लिए 7000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी जुटाने की योजना में से केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (केन बैंक-ईएसपीएस) के माध्यम से 60 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर पूंजी (अर्थात प्रति 10 रुपये अंकित मूल्य के 6 करोड़ इक्विटी शेयर), भारत सरकार / सेबी / अन्य नियामक एजेंसियों आदि के अनिवार्य / नियामक मंजूरी के अधीन, एक या अधिक हिस्सों में अधिकतम 1000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित), इस तरह से कि भारत सरकार की धारिता 51% से कम नहीं हो जाए, जुटाने का बैंक के बोर्ड ने निर्णय लिया है ।

दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के अलावा इस निर्गम का उद्देश्य है:

- ⌘ बैंक कर्मचारियों के योगदान को मान्यता व प्रतिफल देना और बैंक के दीर्घावधि हितों के साथ कर्मचारियों के हित संरेखित करना; तथा
- ⌘ कर्मचारियों के बीच स्वामित्व तथा अपनेपन की भावना में वृद्धि करना ।

योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सभी मामलों में लाभांश के भुगतान सहित, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा घोषित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे ।

सेबी (सूचीबद्ध देयता व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] के नियम 41 (4) तथा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के नियम 6 के अनुपालनार्थ, बैंक पात्र कर्मचारियों को नए

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT :**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. **E-VOTING :**

The Bank is providing Remote e-voting facility to the shareholders through Karvy to cast their votes electronically. The shareholders may please follow the instructions and use the same login credentials provided to them in the e-voting notice. The portal for remote e-voting will remain open for voting from 10.00 a.m on Monday the 23rd July, 2018 to 5.00 p.m on Wednesday the 25th July 2018 (both days inclusive).

EXPLANATORY STATEMENT FOR THE AGENDA ITEM NO 3 OF THE NOTICE:

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank is formulating a Scheme namely Canara Bank Employee Share Purchase Scheme ("CanBank-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan of Rs 7000 Crores for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity share capital upto Rs. 60 crore (i.e. upto 6 crore equity shares with face value of Rs.10/- each), through Canara Bank Employee Share Purchase Scheme (CanBank-ESPS) amounting to a maximum of Rs.1000 crore (including premium) in one or more tranches subject to mandatory/ regulatory approvals from the GoI/SEBI/Other regulatory agencies etc,in such a way that the Government of India holding does not fall below 51.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- ⌘ To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long term interests of the Bank; and
- ⌘ To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based

इक्विटी शेयर जारी करने और आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प पर विचार कर रहा है ।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर / सीएफडी / नीति कक्ष / 2015, दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

ए. योजना की विस्तृत जानकारी :

बैंक लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन केन बैंक - ईएसपीएस के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 6 (छ:) करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने पर विचार कर रहा है, पेशकश करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे भारत सरकार की धारिता 51.00% से कम नहीं हो जाए ।

बी. दिए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या :

केनबैंक-ईएसपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को कुल मिलाकर 6,00,00,000 (छ: करोड़) नए इक्विटी शेयर पेश किए जाने का प्रस्ताव है ।

सी. केन बैंक ईएसपीएस के लाभार्थी और उसमें भागीदार बनने वाले कर्मचारियों के वर्गों की पहचान:

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी ।

डी. निहित आवश्यकताएं और निहित अवधि:

लागू नहीं हैं ।

ई. अधिकतम अवधि मामले के अनुसार, सेबी (एसबीईबी) विनियमों के नियम 18 (1) और 24 (1) के अधीन जिसमें विकल्प / एसएआर / लाभ निहित होगा:

लागू नहीं हैं ।

एफ. प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला:

प्रस्ताव के समय निदेशक बोर्ड / समिति द्वारा प्रस्ताव मूल्य / खरीद मूल्य निर्धारित किया जाएगा । बैंक के पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत आबंटित किए जाने वाले शेयरों के मूल्य में साप्ताहिक उच्च और जिस तिथि को बोर्ड / समिति ने प्रस्ताव / खरीद मूल्य निर्धारित किया है, उस तिथि से पूर्व दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर उद्धृत इक्विटी शेयरों के भारित औसत मूल्यों के निम्न के औसत के 33.33% से अधिक की छूट नहीं होगी ।

जी. प्रयोग अवधि व प्रयोग की प्रक्रिया :

जिस अवधि के दौरान निर्गम खुला रहता है वह अवधि बोर्ड / समिति के निर्णयानुसार प्रयोग अवधि होगी । प्रयोग की प्रक्रिया में अन्य शर्तों के अलावा, पात्र कर्मचारियों को दी गई पेशकश, आवेदन प्राप्ति व सदस्यता राशि तथा योजना के अनुसार शेयरों का आबंटन शामिल होंगे ।

Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME :

The Bank proposes to offer upto 6 (Six) crore new equity shares of face value of Rs10/- each of the Bank to all the Eligible Employees under CanBank- ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 51.00%.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED :

Up to 6,00,00,000 (Six crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the CanBank-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE CanBank ESPS :

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING :

Not Applicable.

E. MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED :

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of not more than 33.33% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/ Committee fixes Offer / Purchase Price.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE :

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

एच. प्रस्तावित ईएसपीएस हेतु कर्मचारियों की योग्यता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया:

पेशकश तिथि को पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं तथा दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे ।

आई. मामले के अनुसार सकल में तथा प्रति कर्मचारी विकल्प, एसएआर, शेयरों की अधिकतम संख्या जारी की जाएगी

इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 7500 (सात हजार पांच सौ) इक्विटी शेयर या इस उद्देश्य हेतु गठित निदेशकों की समिति द्वारा निर्धारित होगी ।

बैंक सकल में अधिकतम 6,00,00,000 (छ: करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है और जारी करने के पश्चात प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित इक्विटी शेयर बैंक की चुकता पूंजी के 1.00% से अधिक नहीं होंगे ।

जे. योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले अधिकतम लाभ:

उपर्युक्त पैरा (I) में उल्लिखित के अनुसार योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने के अलावा कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है ।

के. क्या यह योजना सीधे बैंक द्वारा अथवा न्यास के माध्यम से लागू तथा अभिशासित की जाएगी:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा लागू और अभिशासित की जाएगी ।

एल. क्या इस योजना में न्यास द्वारा माध्यमिक अधिग्रहण या कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गम अथवा दोनों शामिल हैं:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक सीधे पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा ।

एम. कंपनी द्वारा न्यास को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण राशि, उसकी अवधि, उपयोगिता, भुगतान शर्तें, आदि :

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए न्यास का गठन या न्यास को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है ।

एन. माध्यमिक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना के प्रयोजन के लिए न्यास द्वारा तैयार किया जा सकता है:

लागू नहीं हैं ।

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS :

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 7500 (Seven thousand five hundred) equity shares or as decided by the Committee of Directors constituted for the purpose.

The Bank proposes to issue maximum of 6,00,00,000 (Six crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME :

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST :

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH :

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC. :

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S) :

Not Applicable.

ओ. विवरण के प्रभावानुसार कंपनी सेबी (एसबीईबी) के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों की पुष्टि करेगी:

समय-समय पर लागू होने पर बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के नियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का अनुपालन करेगा ।

पी. कंपनी के विकल्पों या एसएआर के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धती:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए विकल्प या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है ।

क्यू. अनुगामी विवरण, यदि लागू हो :

यदि बैंक अंतर्निहित मूल्य के प्रयोग से शेयर आधारित कर्मचारी लाभों को बढ़ाने का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी मुआवजे की लागत और इस हेतु संगणित कर्मचारी मुआवजे की लागत के बीच के अंतर को उचित मूल्य के उपयोग से मान्यता दी जाएगी तथा निदेशकों की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा और बैंक के प्रति शेयर अर्जन (''ईपीएस'') व लाभ पर इस अंतर के प्रभाव को भी निदेशकों की रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाएगा ।

यदि लागू हो, तो बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा ।

आर. अवरुद्धता अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार आबंटन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध किए जाएंगे।

निदेशक बोर्ड प्रस्तावित विशेष संकल्प पारित होने की अनुशंसा करता है ।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) अपने हित के लिए पूर्वकथित संकल्प में विचारशील एवं रुचि रखते है। अन्य निदेशक संकल्प से संबद्ध अथवा रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलुरु
तिथि: 28.06.2018

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, if applicable from time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs :

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE :

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. LOCK-IN PERIOD :

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution (s) as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : Bengaluru
Date : 28.06.2018

केनरा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank

(A Government of India Undertaking)

Together We Can